ISSN 0970-9312

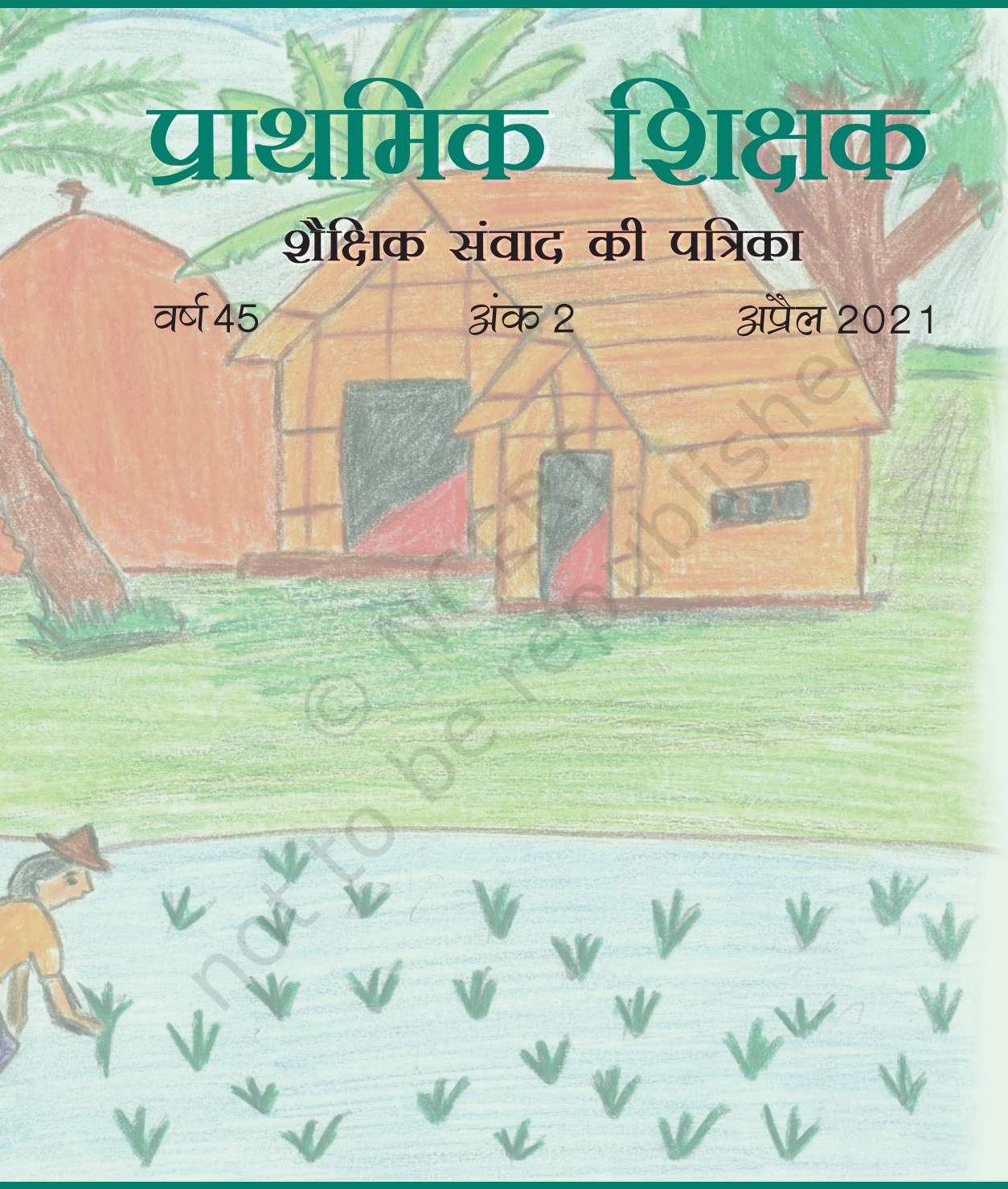

प्राथमिक शिक्षक

शैक्षिक संवाद की पत्रिका

वर्ष 45 अंक 2 अप्रैल 2021

© NCERT not to be republished

पत्रिका के बारे में

प्राथमिक शिक्षक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देश भर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद् की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

© 2021. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक (प्रभारी) एन.सी.ई.आर.टी. : श्रीधर श्रीवास्तव

अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग : सुनीति सनवाल

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : पद्मा यादव एवं उषा शर्मा

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

प्रकाशन मंडल

मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दिवान

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा

संपादन सहायक : ऋषिपाल सिंह

उत्पादन सहायक : ओम प्रकाश

आवरण

अमित श्रीवास्तव

मुख कवर चित्र

आव्यांश कुमार, यू.के.जी., डी.ए.वी., पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य एक प्रति ₹ 65.00 **वार्षिक ₹ 260.00**

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के लिए प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभू ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा. लि., सी-30, सैक्टर 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

© NCERT not to be republished

ISSN 0970-9312

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष 45 **अंक 2** **अप्रैल 2021**

इस अंक में

संवाद 3

लेख

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा — विजय कुमार यादव, समरजीत यादव — 5
2. सुविधा वंचित समूहों एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर कोविड–19 का प्रभाव — विनय कुमार सिंह — 18
3. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण कुछ मुद्दे — रिद्धि सूद, अनीता रस्तोगी — 31
4. खेल और खिलौने बच्चों के विकास तथा उनके सीखने की शैली — रौमिला सोनी — 39
5. खिलौने सीखने की नींव विकसित करने में मददगार — पद्मा यादव — 46
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का प्रतिबिंबन — सुनील कुमार उपाध्याय — 52
7. पर्यावरण के विकास हेतु ज़रूरी है जैव विविधता की समझ — अमित कुमार वर्मा — 59
8. पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का समीक्षात्मक अध्ययन — सुमित गंगवार, सरिता चौधरी — 67

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं– (i) अनुसंधान और विकास, (ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार।
यह डिज़ाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर ज़िले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है।
उपर्युक्त आदर्श वाक्य *ईशावास्य उपनिषद्* से लिया गया है जिसका अर्थ है– विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

9. 'बड़ी बाटा ' तेलंगाना में पाठशाला की नई पुकार — सुरेश कुमार मिश्रा — 82

10. उड़ीसा में जनजातीय शिक्षा वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ — अभय कुमार मिश्र, मिनकेतन बेहेरा — 89

11. प्राथमिक शालाएँ शैक्षिक शोध की उर्वर भूमि — पवन सिन्हा — 96

12. कॉर्पोरल पनिशमेंट एक विद्यालयी विमर्श — सच्चिदानंद सिंह — 104

पुस्तक समीक्षा

13. *अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस* नमिता रंगानाथन द्वारा संपादित — ऋषभ कुमार मिश्र — 114

विशेष

14. शिक्षण, अधिगम और आकलन में आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) का समाकलन — 123

बालमन कुछ कहता है

15. स्कूल की याद आती है — अव्यांश कुमार — 143

कविता

16. किताब — रितिका — 144

© NCERT not to be republished

संवाद

जीवन जीना स्वयं में निरंतर ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है लेकिन व्यवस्थित अध्ययन हम जीवन के निर्धारित समय में ही करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की तरह ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए शैक्षिक ढाँचे में परिवर्तन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के लिए सभी पूरे उत्साह के साथ तैयार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी शिक्षकों पर भी है। अत: इसकी समझ बनना बहुत ज़रूरी है और यह समझ तभी बनेगी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और इसे लागू करने में अपना योगदान देंगे।

प्राथमिक शिक्षक पत्रिका में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े लेख शामिल करते रहे हैं और इस अंक में कुल 13 लेखों को सम्मिलित किया गया है जिनमें एक पुस्तक समीक्षा भी है। इनमें से कुछ लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके सरोकारों से संबंधित हैं, जैसे— 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा', 'सुविधा वंचित समूहों एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर कोविड–19 का प्रभाव' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का प्रतिबिंबन'। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खिलौना आधारित शिक्षण प्रक्रिया पर ज़ोर भी दिया गया है इससे संबंधित भी दो लेख क्रमशः 'खेल और खिलौने— बच्चों के विकास तथा उनके सीखने की शैली' एवं 'खिलौने— सीखने की नींव विकसित करने में मददगार' पत्रिका में शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में 27 फरवरी से 2 मार्च तक डिजिटल माध्यम से 'द इंडिया टॉय फ़ेयर 2021' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जो अपने आप में एक अनूठा अनुभव था।

बच्चे के प्रारंभिक वर्ष उसके जीवन के बेहद महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। इन वर्षों में बच्चे के विकास से लेकर उसके स्वास्थ्य, दिनचर्या और उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण— कुछ मुद्दे' लेख तथा '*अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस*' पुस्तक समीक्षा पाठक की बाल विकास से संबंधी महत्वपूर्ण अवधारणाओं की समझ को बढ़ाने में सहायक हैं। यह बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एक स्वस्थ और समावेशी वातावरण प्रदान करने पर ज़ोर देते हैं।

बच्चे अपने आसपास के वातावरण से बहुत सीखते हैं। पर्यावरण का प्रभाव मानवीय जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ता है। 'पर्यावरण के विकास हेतु ज़रूरी है जैव विविधता की समझ' लेख बच्चों को पर्यावरण के साथ तादात्मय बैठाने पर ज़ोर देता है ताकि बच्चे अपने आसपास को जान सकें और

© NCERT not to be republished

जैव विविधता को समझ सकें। लेख जैव विविधता संर्वधन हेतु गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को विद्यालय में कराने की सलाह भी देता है। पर्यावरण अध्ययन आज हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है जिसको गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए उस पर निरंतर विचार-विमर्श और संशोधन किए जाते हैं। 'पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का समीक्षात्मक अध्ययन' लेख में लेखक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक पर अपने विचारों और सुझावों को प्रस्तुत करता है।

बच्चे स्कूल में एक व्यवस्थित अध्ययन के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन प्रश्न उन बच्चों के जीवन का है जो किन्हीं कारणों से आज भी स्कूल जाने से वंचित हैं। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार और स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए तेलंगाना सरकार ने 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम की शुरुआत की। यह शिक्षा का उत्सव किस प्रकार राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है, इसकी चर्चा ''बड़ी बाटा'— तेलंगाना में पाठशाला की नई पुकार' लेख करता है। शिक्षा के समान अवसरों पर प्रत्येक तबके का एक समान अधिकार है। 'उड़ीसा में जनजातीय शिक्षा— वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ' लेख उड़ीसा में बसने वाली जनजातीय आबादी की शैक्षिक आवश्यकताओं और समस्याओं की यथार्थपरक स्थिति को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। समावेशी शिक्षा का हमारा उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब हम सभी को साथ लेकर चलें और सभी को शैक्षिक उत्थान के बराबर अवसर मुहैया करवाए जाएँ।

शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने और शैक्षिक प्रक्रियाओं को समृद्ध बनाने के लिए शोध एक अनिवार्य तत्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर के लिए जो अनुशंसाएँ की गई हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए भारतीय कक्षाओं में शोध को प्रोत्साहित करना होगा। 'प्राथमिक शालाएँ — शैक्षिक शोध की उर्वर भूमि' लेख इसी प्रोत्साहन का विश्लेषण प्रस्तुत करना है। लेख 'कॉर्पोरल पनिशमेंट एक विद्यालयी विमर्श' शिक्षा के अधिकार को किसी भी प्रकार के कॉर्पोरल पनिशमेंट से मुक्त करते हुए बच्चे के भावी उन्नत भविष्य का निर्माण करने पर बल देता है।

पत्रिका में 'विशेष' के अंतर्गत 'निष्ठा प्रशिक्षण पैकेज' में से खंड I के छठे माड्यूल 'शिक्षण, अधिगम और आकलन में आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) का समाकलन' को शामिल किया है, ताकि आप इसे पढ़कर इससे लाभान्वित हों।

आशा है कि आपको यह अंक पसंद आएगा। यदि आपके पत्रिका के संबंध में कोई सुझाव हों तो हमें अवश्य भेंजे। हम अपने आगामी अंकों में उन्हें समाहित करने की कोशिश करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

अकादमिक संपादक

© NCERT not to be republished

लेख

1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा

विजय कुमार यादव*
समरजीत यादव**

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक सर्वमान्य लक्ष्य है। 'सभी के लिए शिक्षा (Education for All initiative)' संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा इस लक्ष्य का एक प्रमुख आयाम है (यूनेस्को, 2005)। इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रमुख एवं सशक्त साधन समावेशी शिक्षा है। सतत विकास का एजेंडा– 2030 भी सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और आजीवन सीक्षने के लिए समावेशी शिक्षा पर बल देता है (युनेस्को, 2019)। सतत विकास का एजेंडा– 2030 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत भी पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत में समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समतामूलक और समावेशी शिक्षा को स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य मानते हुए समाज निर्माण के लिए इसे एक आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार करती है। इसके लिए इस नीति में पूर्व विद्यालयी स्तर से ही दिव्यांग बच्चों का समावेशन करने तथा उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुसंशा की गई है। इस नीति में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है कि दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने के लिए राज्य हर संभव प्रयत्न करेगा। नीति में इन बच्चों के लिए नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराने की बात की गयी है। इसके लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन केंद्रों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है कि वे गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा में मदद करें। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने एवं कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता या अभिभावकों की भी मदद करें।

समावेशी शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर किसी भी विमर्श में दिव्यांग बच्चों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 में यह उल्लिखित है कि भारत में 6–17 आयु वर्ग के 4.9 मिलियन दिव्यांगों का समूह निवास करता है। किंतु, उनमें से केवल 67 प्रतिशत ही किसी शैक्षणिक संस्थानों में भाग लेते हैं। शेष तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित नहीं हो सकी है। जबकि, इस आयु वर्ग के लिए संस्थागत उपस्थिति का अखिल भारतीय औसत 80 प्रतिशत है। भारत में संस्थागत शिक्षा

* *शोध छात्र,* महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

© NCERT not to be republished

में प्रवेश के क्रम में दिव्यांगों की नामांकन संख्या भी तुलनात्मक रूप से तेज़ी से घटती जा रही है। विद्यालय में प्रवेश के उपरांत इनमें से अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते (विश्व बैंक, 2007) और उच्च शिक्षा में इनकी संख्या न्यूनतम (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2018 के अनुसार 0.2 प्रतिशत) रह जाती है। यह आँकड़ा स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली देश के सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में असफल रही है। इसी कमी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिबद्ध है। नीति की स्पष्ट मान्यता है कि सभी प्रकार की विविधता वाले बच्चों का औपचारिक शिक्षा में समावेशन गुणवत्ता की कसौटी होगी। यद्यपि शिक्षा नीति में दिव्यांगता के वर्गों का अलग से उल्लेख नहीं है परंतु यह दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के साथ पूरी तरह सुसंगत है। दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्गीकृत किया गया है। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016, (प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) में 21 प्रकार के दिव्यांगताओं को स्थान दिया गया है। इनकी सूची तालिका 1 में दी गई है—

तालिका संख्या 1— दिव्यांगता के प्रकार तथा संबंधित लक्षण

दिव्यांगता के प्रकार	संबंधित लक्षण
1. बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability)	• सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई • प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई
2. स्वलीनता (Autism spectrum Disorder)	• किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई • आँखें मिलाकर बात न कर पाना • गुमसुम रहना
3. प्रमस्तिष्क घात वाले दिव्यांगन (Cerebral Palsy)	• पैरो में जकड़न • चलने में कठिनाई • हाथ से काम करने में कठिनाई
4. मानसिक रूग्णता (Mental Illness)	• अस्वाभाविक व्यवहार • खुद से बातें करना • मतिभ्रम और व्यसन (नशे का आदि) • किसी से डर/भय और गुमसुम रहना
5. बधिरता (Deafness)	• न सुन पाना • भाषा विकास में देरी

© NCERT not to be republished

6. श्रवण क्षीणता (Hard of Hearing)	• ऊँचा सुनना या कम सुनना • मौखिक प्रश्नों का उत्तर ठीक से न दे पाना
7. अभिवाक् एवं भाषा दिव्यांगता (Speech and Language Disability)	• बोलने में कठिनाई • सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते
8. अंधता (Blindness)	• देखने में कठिनाई • पूर्ण दृष्टिहीन
9. अल्पदृष्टि (Low-vision)	• कम दिखना • पढ़ने के आवर्धन लेंस का प्रयोग करना
10. गतिविषयक दिव्यांगता (Loco motor Disability)	• हाथ या पैर अथवा दोनों की गति विषयक जटिलताएँ • लकवा • हाथ या पैर कट जाना
11. उपचरित दिव्यांगता (Leprosy-Cured)	• हाथ या पैर या अँगुलियों में विकृति • शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे • हाथ या पैर या अँगुलियाँ सुन्न हो जाना
12. बौनापन (Dwarfism)	• व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच /147 सेंटीमीटर या इससे कम होना
13. अम्ल आक्रमण पीड़ित (Acid Attack Victim)	• शरीर के अंग हाथ/पैर/आँख आदि तेज़ाब हमले की वजह से असामान्य/प्रभावित होना
14. माँसपेशीय दुष्पोषण (Muscular Dystrophy)	• माँसपेशियों में कमज़ोरी एवं विकृति
15. विशेष अधिगम दिव्यांगता (Specific Learning Disabilities)	• बोलने, श्रुतिलेखन, लेखन, साधारण जोड़, गुणा, भाग, आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई
16. बहु स्कलेरोसिस (Multiple Sclerosis)	• समन्वय में परेशानी के कारण चलने में पैरों में कंपन • दृष्टिक्षीणता
17. पार्किंसन्स रोग (Parkinson's Disease)	• हाथ/पाँव/मांसपेशियों में जकड़न • तंत्रिक तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई

© NCERT not to be republished

18. हीमोफीलिया/अधि रक्तस्राव (Hemophilia)	• चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव • रक्त बहना बन्द नहीं होना
19. थैलेसीमिया (Thalassemia)	• खून में हीमोग्लोबीन की कमी • अत्यधिक थकावट, कमज़ोरी व संक्रमण
20. सिक्कल कोशिका रोग (Sickle cell Disease)	• खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी
21. बहु दिव्यांगता (Multiple Disabilities)	• दो या दो से अधिक दिव्यांगता

स्रोत— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि दिव्यांगता के कई प्रकार हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक विविधताएँ परिलक्षित होती हैं। ये मानसिक और शारीरिक विविधताएँ इन बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। अतः इन बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों में विशेष कौशल होने चाहिए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में विशिष्ट शिक्षा फिर एकीकृत शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। अब, शिक्षा प्रणाली में और विस्तार देते हुए समावेशी शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सार्थक साधन के रूप में देखा जा रहा है।

भारत में दिव्यांगजनों की वर्तमान स्थिति

भारत की जनगणना 2011 में प्राप्त दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की संख्या की तुलना करें तो दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में भारत को लंबा रास्ता तय करना है। भारत में 29 वर्ष तक की आयु वर्ग के जिन दिव्यांगजन को शिक्षा की आवश्यकता है उनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1.23 करोड़ है। चुनौती यह है कि वंचित दिव्यांगजन के लिए शिक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में भारत में दिव्यांगजन की जनसंख्या एवं उनके शैक्षिक स्थिति को तालिका संख्या 2 व 3 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या 2 में प्रस्तुत आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में से दिव्यांगजन की जनसंख्या 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) है। इसमें 1.5 करोड़ पुरुष दिव्यांगजन तथा 1.18 करोड़ महिला दिव्यांगजन शामिल हैं। यह स्पष्ट करता है कि भारत में दिव्यांगजन की एक बहुत बड़ी आबादी विद्यमान है।

तालिका संख्या 2— समस्त जनसंख्या एवं दिव्यांग जनसंख्या की तुलना

समस्त जनसंख्या, भारत 2011 (करोड़ में)			दिव्यांग जनसंख्या, भारत 2011 (करोड़ में)		
कुल व्यक्ति	*पुरुष*	*महिला*	*कुल व्यक्ति*	*पुरुष*	*महिला*
121.08	62.32	58.76	2.68	1.5	1.18

स्रोत— सेंसस ऑफ इंडिया, 2011

© NCERT not to be republished

तलिका संख्या 3— जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांगाजन का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	दिव्यांगजनों की कुल संख्या		
	दिव्यांग व्यक्ति	*पुरुष*	*महिला*
अशिक्षित	1,21,96,641	56,40,240	65,56,401
शिक्षित	1,46,18,353	93,48,353	57,70,000
साक्षर किंतु प्राथमिक स्तर से कम	28,40,345	17,06,441	11,33,904
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मध्य	35,54,858	21,95,933	13,58,925
उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के मध्य	24,48,070	16,16,539	8,31,531
माध्यमिक तथा स्नातक स्तर के मध्य	34,48,650	23,30,080	11,18,570
स्नातक तथा उससे अधिक	12,46,857	8,39,702	4,07,155
कुल	2,68,14,994	1,49,88,593	1,18,26,401

स्रोत— डिसएबिल्ड पर्सन्स इन इंडिया— अ स्टेटिकल प्रोफ़ाइल, 2016

तालिका संख्या 3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या का लगभग 55 प्रतिशत (1.46 करोड़) भाग साक्षर है जिसमें से लगभग 55 प्रतिशत पुरुष तथा 45 प्रतिशत महिलाएँ हैं। कुल दिव्यांग जनसंख्या का लगभग 38 प्रतिशत भाग अशिक्षित है जिसमें से 16 प्रतिशत भाग माध्यमिक तथा 06 प्रतिशत भाग स्नातक स्तर या उससे अधिक स्तर पर शिक्षित है। इसी प्रकार से 55 प्रतिशत अशिक्षित दिव्यांग महिलाओं में से 9 प्रतिशत महिलाएँ माध्यमिक तथा 3 प्रतिशत महिलाएँ स्नातक स्तर या उससे अधिक स्तर पर शिक्षित हैं।

तालिका संख्या 2 और 3 में भारत में दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या और शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके शैक्षिक स्थिति को स्पष्ट किया गया हैं। यह आँकड़े इंगित करते हैं कि अनेक प्रयासों के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली देश के सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में असफल रही है। शोधपरक अध्ययनों में इसके कई कारण चिह्नित किए गए हैं, यथा— संसाधनों का अभाव, नीतियों का समुचित क्रियान्वयन न होना, समाज और विशेष बच्चों के अभिभावकों द्वारा इनकी शिक्षा के लिए पहल न करना, ऐसे बच्चों के आत्मविश्वास में कमी इत्यादि। इसके अलावा भारतीय शिक्षा प्रणाली की असफलता का एक प्रमुख कारण भारत के शिक्षकों को भी माना जाता है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय शिक्षा प्रणाली की असफलताओं और इस असफलता के कारकों पर किस स्तर पर विचार किया गया है? और नीति में समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए किन बिंदुओं पर विचार किया गया है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा के लिए पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एक सशक्त साधन मानते हुए सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य परिकल्पित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में समतामूलक और समावेशी शिक्षा को अनिवार्य

© NCERT not to be republished

कदम माना गया है। नीति सभी के 'स्व' को महत्त्व देते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को सपने सँजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए नीति में सामान्य शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है। यह नीति दिव्यांग बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम तंत्र बनाने पर ज़ोर देती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016) समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ दिव्यांग एवं अन्य सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। इसके साथ ही शिक्षण एवं सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफ़ारिशों को पूरा करती है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करते समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ आवश्यक रूप से परामर्श करने की सिफ़ारिश करती है। नीति में दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही गयी है। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए जहाँ भी आवश्यक हो एक संसाधन केंद्र स्थापित करने पर बल दिया गया है। इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के अनुरूप दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने तथा कक्षा-कक्ष में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। नीति में इन बच्चों को शिक्षकों तथा अपने अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए आवश्यक सहायक उपकरण, तकनीकी आधारित उपकरण (जैसे— बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्यपुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की बात भी की गयी गई है। इसके साथ ही इसे कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित स्कूल की सभी गतिविधियों पर भी लागू करने की भी परिकल्पना की गयी है। नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान को भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले माड्यूल विकसित करें इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

नीति में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के प्रावधानों के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। इसके लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यक मदद करेंगे। इसके साथ ही वे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता को भी सहायता प्रदान करेंगे। नीति में इस बात की परिकल्पना की गई है कि स्कूल जाने

© NCERT not to be republished

में असमर्थ, गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चों के समतुल्य माना जाएगा। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जाँच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश और मानक विकसित किए जाएँगे। शिक्षकों को ऐसे दिव्यांग बच्चों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए तैयार किया जाएगा जिन्हें सीखने संबंधी विशेष मदद की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रयास किए जाएँगे जिसमें बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रत्येक बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को लचीला बनाना और उपयुक्त आकलन एवं प्रमाणन के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी का निर्माण शामिल होगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने तथा बुनियादी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के शिक्षा के मूल्यांकन के संचालन हेतु सुझाव देने का कार्य 'परख' नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित अन्य मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियों को सौंपने की बात कही गयी है। इससे सीखने की अक्षमता वाले सभी बच्चों के लिए समान पहुँच एवं अवसर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नीति में सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच बनाने और उन्हें सफल बनाने के लिए सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में समता और समावेशन को महत्व प्रदान किया गया है। इसमें शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना गया है। नीति में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि तकनीक का यथासंभव प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सके। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक योजनाओं और उनके प्रबंधन में सहायता मिल सके। नीति में इस पर भी विचार किया गया है कि विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को सीखने से संबंधित विशेष क्षमताओं के साथ कैसे पढ़ाया जाए तथा इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक-प्रशिक्षकों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके। शिक्षकों और अभिभावकों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना होगा जिससे वे इन बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें।

नीति में स्कूल की शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। इन विशेषताओं के कुछ उदाहरण में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के दिव्यांग बच्चों (जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है) के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है। इन शिक्षकों में सिर्फ़ विशेष शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल

© NCERT not to be republished

भी होने चाहिए। इसलिए इन शिक्षा क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरुआती दौर या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषता विकसित की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन माध्यम से पूर्णकालिक या अंशकालिक मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएँगे। योग्य विशेष शिक्षकों को, जो विषय शिक्षण भी कर सकते हों, की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् (एनसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आरसीआई) के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा। नीति में इस बात की परिकल्पना की गई है कि हमारे शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षण-विधि छात्रों में मौलिक दायित्व, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूर्ण सफलता के लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता है। नीति में यह भी परिकल्पित किया गया है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, (शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर और विद्यार्थी) सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, समावेशन और समता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इसमें समावेशन और समता मूलक को शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू बनाया जाएगा। जो बच्चों को एक सशक्त और ज़िम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेंगे।

शिक्षक की भूमिका

स्वतंत्रता के बाद से भारत में सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जाने लगे। भारत में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में सलामांका वक्तव्य के दौरान आधिकारिक हस्ताक्षर हुए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख ज़िम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर डाली गयी। इस क्रम में शिक्षकों के महत्व को स्वीकार किया गया है और उनसे यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपनी कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करें (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भाग (9) 'शिक्षक')। सर्व शिक्षा अभियान, 2000 में भी सभी सामान्य विद्यालयों को समावेशी बनाने पर बल देते हुए शिक्षकों को अपने शिक्षण प्रणाली में सुधार करने तथा बाधारहित विद्यालयी वातावरण तैयार करने की बात कही गयी। इसके पश्चात *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* 2005 में शिक्षकों की भूमिका पर विशेष ज़ोर देते हुए यह उल्लिखित किया गया कि शिक्षक को अपने विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछ सकें, सहपाठी-शिक्षक संवाद हो सके तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सभी बच्चों की साझेदारी सुनिश्चित हो सके। इसी बात को विस्तार देते हुए *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* में उल्लिखित किया गया कि शिक्षक नियमित और समयनिष्ठ ढंग से पाठ्यक्रम संचालित करें एवं उसे पूरा करें। इसके अतिरिक्त वे माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करें और बच्चे के विषय में उपस्थिति नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गयी प्रगति एवं किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराएँ। दिव्यांगजन

© NCERT not to be republished

अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 3 'शिक्षा' में भी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही गयी है जिससे वे दिव्यांग बच्चों के शिक्षण हेतु कौशल युक्त हो सकें। हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। यह नीति समावेशी शिक्षा पर और अधिक बल देती है और इसमें शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक कौशल के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। यह नीति शिक्षकों के अलावा अभिभावकों को भी इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाने पर ज़ोर देती है। इस नीति में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों में समावेशन के प्रति उत्साह की चिंता साफ़ झलकती है—'अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वंचित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)। इस प्रकार विभिन्न नीतियों में समावेशी शिक्षा और इसकी सफलता के लिए शिक्षकों की ज़िम्मेदारी पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

शिक्षक समावेशी शिक्षा की सफलता की कुंजी हैं, अतः शिक्षकों को यह स्वीकार करना होगा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा उनके शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग है। प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम की सफलता शिक्षकों की गुणवत्ता और उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। विभिन्न शोधों में इस बात पर बल दिया गया है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षकों में निम्नलिखित दो विशेषताओं का होना आवश्यक होता है—प्रथम, समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण तथा द्वितीय, शिक्षकों में समावेशी शिक्षा संबंधी ज्ञान एवं कौशल।

समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रवाह अत्यधिक आवश्यक है। शोधपरक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य धारा के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने के पक्ष में नहीं हैं (कुमार, 2017)। वे दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों के योग्य नहीं समझते और यह मानते हैं कि इन बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए (जैन एवं यादव, 2017)। वे यह भी सोचते हैं कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से सामान्य बच्चों को क्षति होती है और वे सहज ढंग से सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं (रौज, 2008 एवं मसानजा, 2016)। भारतीय संदर्भ में किए गए विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आज भी शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक-शिक्षा के संस्थानों में 'शिक्षा में समावेशन' के मूल्यों को बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जाए और सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों में इन मूल्यों का विकास किया जाए। समावेशी शिक्षा की अवधारण इस मान्यता पर आधारित है कि सामान्य बच्चों एवं दिव्यांग बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में सामान्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसी मान्यता के आधार पर समावेशी कक्षा के निर्माण की ज़िम्मेदारी शिक्षकों के कंधे पर आ जाती है परंतु अनेक प्रयासों के बावजूद शिक्षक समावेशी कक्षा का निर्माण करने में सफल नहीं हो सके हैं (रौज, 2008., शेख एवं अहमद, 2019)। इस असफलता का मुख्य कारण है— उनमें दिव्यांग बच्चों के शिक्षण संबंधी

ज्ञान एवं कौशल का अभाव (नंदिनी एवं हसीन, 2014, मसानजा, 2016)। अतः समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण संबंधी ज्ञान एवं कौशलों का विकास किया जाए। इसके लिए शिक्षक-शिक्षा के संस्थानों में उचित एवं प्रभावी पाठ्यचर्या का निर्माण एवं क्रियान्वयन करते हुए शिक्षको में संबधित ज्ञान एवं कौशलों का विकास करना होगा।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा एक वैश्विक नीति है जिसे लागू करना प्रत्येक देश की प्रमुख आवश्यकता है और इसे लागू करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शोधपरक अध्ययन (कुमार, 2016; ब्रेडली एवं फिशर, 1995) यह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य कक्षाओं में विशेष बच्चों का व्यवस्थापन बहुत कुछ शिक्षकों की अभिवृत्ति तथा विशेष बच्चों के शिक्षण हेतु इनके अध्यापकीय ज्ञान पर निर्भर करता है। किंतु, शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ उनमें दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण संबंधी पर्याप्त ज्ञान और कौशलों की भी कमी पाई गई। मसानजा (2016) ने अपने शोध अध्ययन के आधार पर बताया कि विशेष बच्चों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के अभाव के कारण समावेशी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों का उचित नामांकन दर्ज नहीं हो पाता है। बंसल (2016) अपने अध्ययन में यह उल्लिखित करते हैं कि अधिकांश शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित नवीन ज्ञान और कौशल के महत्व पर ज़ोर दे रहे हैं। वे एक पेशेवर के रूप में सशक्त बनने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता को भी व्यक्त कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि सभी शिक्षकों को चाहिए कि वे सभी बच्चों (सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों) को एक साथ अध्ययन करने का अवसर प्रदान करें। उन्हें समावेशी कक्षा में शिक्षण हेतु आवश्यक ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करना चाहिए तथा शिक्षा में समावेशन की प्रक्रिया को सहज स्वीकार करना चाहिए। इसी को विस्तार देते हुए शर्मा, चारी एवं चूनावाला (2017) ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सुझाव दिया कि सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में समावेशन के मूल्यों का विकास एवं शिक्षकों में इनका प्रवाह करना चाहिए जिससे उनमें समावेशी शिक्षा के प्रति बेहतर दृष्टिकोण का विकास हो सके और वे अपनी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य और बच्चों एवं उनके माता-पिता के बीच संबंध स्थापित करना और उन्हें विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना शिक्षकों का महत्वपूर्ण दायित्व है। यह शिक्षक ही है जो बच्चों की शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए-नए तरीकों की तलाश करता है और दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता सेवाओं के प्रावधान को समन्वित करता है। अतः शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सहयोगी, सुगम्य एवं सभी के लिए शिक्षण-अधिगम के अनुकूल बनाए। समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षकों को अपनी भूमिका की पहचान और उसका निर्वहन करना होगा। इसके लिए उन्हें विद्यालय परिवेश तथा विद्यालय से बाहर अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना होगा, जैसे— उन्हें स्वयं में सभी

© NCERT not to be republished

बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए एवं अपने सहयोगी शिक्षकों में इस दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। उन्हें विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें और अपने विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। इसके साथ ही उन्हें बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के बच्चे सुगम, सरल और सहयोगी ढंग से सीख सकें, स्वयं का विकास कर सकें और अपने समुदाय एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। शिक्षकों को सभी बच्चों से संबंधित समस्त जानकारी के लिए उनके अभिभावकों एवं माता-पिता से मिलकर रिकॉर्ड इकट्ठा करना चाहिए ताकि उन बच्चों के व्यवहार एवं मानसिक दशा को समझकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना एवं कक्षा में उनके बैठने के लिए उचित स्थान प्रदान करना भी शिक्षकों का ही दायित्व है। इसके अलावा शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यसहगामी क्रियाओं, खेल एवं मनोरंजन क्रियाओं का आयोजन करें जिसमें सभी बच्चों की समुचित सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही ऐसी गतिविधियाँ करवानी चाहिए जिससे इन बच्चों में एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सहयोग की भावना विकसित हो सके। शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में इन बच्चों के परिणामों को अधिकतम करने के लिए सदैव तत्पर रहें एवं इसके लिए उन्हें उचित निर्देश एवं परामर्श प्रदान करें। शिक्षकों का यह परम दायित्व है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप वे कक्षा में निष्ठापूर्वक, कुशल एवं प्रभावी तरीके से निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें।

समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान का एक उत्तम साधन है। परंतु, समावेशी शिक्षा को सफल बनाना किसी भी राष्ट्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समावेशन के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं इन बच्चों के शिक्षण संबंधी उनके प्रशिक्षण एवं ज्ञान पर निर्भर करता है। विभिन्न अध्ययनों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षकों में विशेष शिक्षा संबंधी ज्ञान एवं कौशलों की कमी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि शिक्षकों में सभी बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा और उनमें संबंधित ज्ञान एवं कौशलों का विकास करना होगा। अतः शिक्षा में समावेशन के संदर्भ में शिक्षक अपने दायित्वों को समझने एवं उनका निर्वहन करने में रुचि नहीं रखते हैं। इसे दूर करने के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। इसके लिए शिक्षक-शिक्षा संस्थानों में प्रभावी ढंग से नवीन शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम को लागू करने, विभिन्न शिक्षण-अधिगम क्रियाओं द्वारा शिक्षकों में समावेशी शिक्षा संबंधी ज्ञान एवं कौशलों का विकास करने तथा उनमें सभी बच्चों के शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। यदि शिक्षक दिव्यांगजन के बच्चों की शिक्षा को अपने शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग स्वीकार नहीं करते हैं तो समावेशी शिक्षा की सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। वे इन बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को अपने शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग स्वीकार करें और शिक्षा में समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समावेशी शिक्षा की सफलता को सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

एम.एच.आर.डी. 2018. *आल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2017–18*. डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली.

कुमार, ए. 2016. एक्सप्लोरिंग द टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन सिस्टम— ए स्टडी ऑफ़ इंडियन टीचर्स. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एण्ड प्रैक्टिस*. 7(34). पृष्ठ 1–4. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1126676.pdf पर देखा गया।

कुमार, एस. 2017. दिव्यांग बच्चों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण. *परिप्रेक्ष्य*. 24 (2) पृष्ठ 67–74 नीपा, नयी दिल्ली.

कोहमा, ए. 2012. *इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया– अ कंट्री इन ट्रांजिसन. डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडी*. यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओर्गोन, 1–58. https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/13135/files/2012/12/INTL-UG-Thesis-Kohama.pdf पर देखा गया।

घोस, एस. सी. 2017. इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया— अ डेवलपिंग माईलस्टोन फ्रॉम सेग्रेगेसन टू इन्क्लूजन. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल सिस्टम*. 1(1). पृष्ठ 53–62. https://www.sryahwapublications.com/journal-of-educational-system/pdf/v1-i1/6.pdf पर देखा गया।

जैन, सी. और ए. यादव. 2017. उच्च माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति. *परिप्रेक्ष्य*. नीपा. 24(2). पृष्ठ 53–66, नयी दिल्ली.

डिसएबिल्ड पर्सन्स इन इंडिया– अ स्टेटिकल प्रोफाइल. 2016. http://mospi.nic.in पर देखा गया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. 2016. http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD प्रतिशत20Act प्रतिशत20- प्रतिशत20Hindi 2016.pdf पर देखा गया।

नंदिनी, एन. और एच. हसीनताज. 2014. इन्क्लूसिव एजुकेशन— की रोल ऑफ़ टीचर्स फ़ॉर इट्स सक्सेज. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इन्फॉर्मेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक रिसर्च, 1(9), पृष्ठ 201–208. http://www.ijifr.com/pdfsave/27-05-2014548Inclusive %20Educatiion, %20Key %20role %20of %20teacher %20a2a.pdf पर देखा गया।

बंसल,एस. 2016. एटीट्यूड ऑफ़ टीचर्स टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन इन रिलेशन टू देयर प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट. *इंडियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल स्टडीज*. चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन. पंजाब. 3(1). पृष्ठ 96–108. http://ccemohali.org/img/Dr. %20Sneh %20Bansal.pdf पर देखा गया।

ब्रेडली डी. एफ़. और जे. एफ़ फिशर. 1995. द इन्क्लूसिव प्रोसेस— रोल चेंजेज एट द मिडिल लेवल. *मिडिल स्कूल जर्नल*. 26(6). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00940771.1995.11494420 पर देखा गया।

भार्गव, आर. 2016. *समावेशी शिक्षा*. राजश्री प्रकाशन, आगरा.

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 / संशोधित अधिनियम. (2000). ww.rehabcouncil.nic.in/writereaddata/RCI_Amendments_ACT.pdf पर देखा गया।

मसानजा, पी. 2016. *रोल फ़ॉर टीचर्स इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ़ इन्क्लूसिव एजुकेशन— द स्टडी आफ़ सांगोई म्यूनिसिपल कौंसिल*. मजाम्बी यूनिवर्सिटी. पृष्ठ 1–64. http://scholar.mzumbe.ac.tz/bitstream/handle/11192/1997/MAED_Masanja %2c %20P_2016.pdf?sequence=1 पर देखा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. 2011. *सेंसस ऑफ़ इंडिया-2011*. मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत सरकार.

यूनेस्को. 2005. *गाइडलाइन फ़ॉर इनक्लूजन— एनश्योरिंग एक्सेस एजुकेशन फ़ॉर आल*. यूनेस्को. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224 पर देखा गया।

———. 2015. *एजुकेशन फ़ॉर आल ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट 2015— अचीवमेंट एण्ड चैलेंजेज*. यूनेस्को. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177683 पर देखा गया।

———. 2019. *स्टेट ऑफ़ द एजुकेशन रिपोर्ट फ़ॉर इंडिया 2019— चिल्ड्रेन विद् डिसएबिलिटी*. file:///C:/Users/vijay/Downloads/summaryhindi %20(1).pdf पर देखा गया।

रौज, एम. 2008. डेवलपिंग इन्क्लूसिव प्रैक्टिसेस: अ रोल फ़ॉर टीचर्स एण्ड टीचर एजुकेशन. यूनिवर्सिटी ऑफ़ एबरदीन, पृष्ठ 1-20. http://www.includ-ed.eu/sites/default/files/documents/aberdeen.pdf पर देखा गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

विश्वबैंक. 2007. *पीपुल विद् डिसएबिलिटीज इन इंडिया: फ्रॉम कमिटमेंट्स टू आउटकम्स*. http://documents1.worldbank.org/curated/en/358151468268839622/pdf/415850IN0Disab1ort0NOV200701PUBLIC1.pdf पर देखा गया।

शेख, एम. और एस.बी.वी. अहमद. 2016. रोल ऑफ़ ग्लोब्लाइजेशन इन इन्क्लूसिव एजुकेशन. *स्कालरली रिसर्च जर्नल फ़ॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी*. 20(10), पृष्ठ 1097–1108. https://www.google.co.in/search?sxsrf=ALeKk02qRQnVut8mr6OTj8 %E0 %A5 %rWikNzuAhXRyDgGHVD6DfoQjJkEegQIDBAB&biw=1536&bih=666 पर देखा गया।

शर्मा, ए., चारी डी. और एस. चूनावाला. 2017. एक्सप्लोरिंग टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन कांटेक्स्ट यूजिंग 'टाइप ऑफ़ डिसएबिलिटी' लेंस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ टेक्नालाजी एण्ड इन्क्लूसिव एजुकेशन*, 6(2), पृष्ठ 134–142. https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/ijtie/published-papers/volume-6-2017/Exploring-Teachers-Attitudes-Towards-Inclusive-Education-in-Indian-Context-.pdf पर देखा गया।

रा.शै.अ.प्र.प., 2016. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

2

सुविधा वंचित समूहों एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर कोविड–19 का प्रभाव

विनय कुमार सिंह*

भारत में सभी के लिए विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सभी की अंतर्निहित विविधताओं से पूरे समाज को अवगत व लाभान्वित किया जा सके। विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयी संरचना में विकास, शिक्षा प्रणाली में संशोधन, सभी बच्चों का नामांकन, कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम गतिविधियों मे सुधार, सीखने के समान अवसर, अधिगम संप्राप्ति, बच्चों के विकास के आकलन की विभिन्न विधियों का समागम, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक कौशलों के विकास हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण और सुविधा वंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित कई लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि अनेक महत्त्वपूर्ण कदम हैं। ये सभी कदम विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच शिक्षा की असममानता को कम करने की दिशा में अनवरत क्रियाशील हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को विशेष रूप से निर्दिष्टि किया गया है जिससे उन्हें समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जा सकें और सभी सामाजिक वर्गों का समुचित विकास हो। शिक्षा और सामाजिक न्याय संबंधी अधिनियमों व विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय समाज की समावेशी संस्कृति में व्यापकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सारा विश्व कोविड–19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के गंभीर प्रभाव लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, रोज़गार, संप्रेषण और पर्यटन इत्यादि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बच्चों का शिक्षण-अधिगम दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के जरिये संचालित किया जा रहा है ताकि वे शिक्षा से जुड़े रहें। अचानक आई इस विपदा में दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा ही एक तरह से एकमात्र साधन है, जिसकी सभी के लिए सुलभता, सुगम्यता एवं उपलब्धता हो। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कई उपाय किए जा रहे हैं। बावजूद इन तमाम कोशिशों और प्रयासों के दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चे, मुख्यत: सुविधा वंचित व दिव्यांग बच्चे आशानुरूप लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं जिसके कई कारण हैं। इस वस्तु-स्थिति से हम सभी परिचित हैं कि कोविड–19 के कारण इस आपदाकाल में बिना आवश्यक तैयारी के ही हमें दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा

* *प्रोफ़ेसर,* विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरबिंदो मार्ग, नयी दिल्ली 110016

© NCERT not to be republished

के माध्यम को अवैकल्पिक तौर पर अस्थायी रूप से अपनाना पड़ा है। इस शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित, समन्वयित, संगठित और नियंत्रित करने के विभिन्न उपाय भी कई तरह से किए जा रहे हैं फिर भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। इस लेख में इन्हीं सारे मुद्दों और चुनौतियों, जैसे कि कोविड–19 का विद्यालयी शिक्षा पर प्रभाव, सुविधा वंचित समूहों एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से संचालित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, आवश्यक प्राविधियाँ, उपकरण व तैयारी, इन बच्चों की आवश्यकताएँ, शिक्षा जगत से जुड़े हितधारियों के अथक प्रयासों व समक्ष आई चुनौतियों की समीक्षा कर आवश्यक शैक्षिक रणनीतियों को अपनाने हेतु सुझाव दिए गए हैं।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के नीतिगत प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की असममानता समाप्त हो और सभी वर्गों का समुचित विकास हो सके। फिर भी भारतीय समाज में सामाजिक एवं आर्थिक आयामों पर दृष्टिगत असमानताएँ नज़र आती हैं। इन सामाजिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से समावेशी समाज की परिकल्पना की गई है कि एक ऐसे समाज का विकास हो जिसमें हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। इसके साथ ही वह विकास करे, अपने समाज में समान अधिकार के साथ जीवनयापन कर सके, समाज के प्रति ज़िम्मेदार हो और अपने समाज के विकास में पूर्णतया सहयोग कर सके। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समानता का भाव लाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष को उसके समाज में समानता का हक दिलाने में सहायक होती है। सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधा वंचित समूहों के बच्चे अभी भी न्यायसंगत शिक्षा, जो उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त करने में मदद करती है, से वंचित रह गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पहचान, दिव्यांगता, जेंडर, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर संदर्भित किया गया है। शिक्षा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम, 2012 के अनुसार, "वंचित समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई, जेंडर, भौगोलिक इत्यादि समूहों के बच्चे सम्मिलित हैं।" शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2011–12 में भी इन्हीं वंचित समुदायों से संबंधित बच्चों का उल्लेख किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव विकास संसाधन मंत्रालय (2018)। इन वंचित समूहों में दिव्यांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में गति विषयक दिव्यांगता, उपचारित कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, माँसपेशी अपक्षय, अम्ल आक्रमण पीड़ित, अंधापन और निम्न दृष्टि; बधिरता और श्रवणक्षीणता, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, स्वलीनता, मानसिक रूग्णता, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पर्किंसन्स

© NCERT not to be republished

रोग, रक्त-संबंधी विसंगतियाँ (हीमोफ़ीलिया, थैलेसीमिया और सिक्कल कोशिका रोग) और बहुविध दिव्यांगता इत्यादि के रूप दिव्यांगता को निर्दिष्ट किया गया है। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित बच्चों की पहचान उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय (जो कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की न्यूनतम सीमा से कम हो) के आधार पर की जाती है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009)। इन सारे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों का निर्दिष्टिकरण करने का अभिप्राय केवल उन्हें अन्य सभी बच्चों के साथ समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना ही नहीं है, वरन् इसकी व्यापकता उनकी भाषाओं, परंपराओं, संस्कृतियों, ज्ञान, कौशल संबंधी विविध संसाधनों से पूरे समाज को अवगत व लाभान्वित कराने वाली शिक्षा की समावेशी संस्कृति बनाने के अर्थ में है।

जनसांख्यिकीय पटल पर सुविधा वंचित समूह और बच्चों की शिक्षा

जनसांख्यिकीय पटल पर भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 1221 (2001) से 1206 (2011) हो गई है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 664 (2001) से बढ़कर 701(2011) हो गई है। दिनांक 26.10.2017 को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट जातियों की संख्या 1284 थी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2018)। जनगणना 2011 के अनुसार, अनुसूचित जाति कुल आबादी का 16.63 प्रतिशत है, जिसमें लगभग 76.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 23.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.63 प्रतिशत है, जिसमें 47 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। दिनांक 31.12.2017 को भारत में केंद्रीय सूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जनजातियों की संख्या 747 थी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2018)। एनएसएसओ रिपोर्ट 2011–12 (रिपोर्ट संख्या 563) के अनुसार, भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी 44 प्रतिशत है। दिनांक 31.03.2018 को भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या 2479 थी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2018)। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ (14.23 प्रतिशत), ईसाई 2.78 करोड़ (2.30 प्रतिशत), सिख 2.08 करोड़ (1.72 प्रतिशत), बौद्ध 84.43 लाख (0.70 प्रतिशत) और जैन 44.51 लाख (0.37 प्रतिशत) हैं। पारसी समुदाय के लिए 2011 की जनगणना में आँकड़े उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, द *हिंदू* (26 जुलाई, 2016) में प्रकाशित 'पारसी पॉपुलेशन डिप्स बाई 22 परसेंट' लेख के अनुसार 2001–2011 के बीच पारसी आबादी 22 प्रतिशत घट गयी है। 2011 में कुल पारसी की जनसंख्या 57,264 थी, जो 2001 में 69,601 थी। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 15 प्रतिशत (1 अरब से अधिक) की आबादी दिव्यांगजनों की आँकी गई है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011)। दिव्यांगजनों को अपने जीवनयापन को सुचारू रूप से चलाने हेतु अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। करीबन 2 से 4 प्रतिशत दिव्यांगजन तो उस श्रेणी में आते हैं जिन्हें दिन-प्रतिदिन के सामान्य गतिविधियों

© NCERT not to be republished

को पूरा करने के लिए भी निरंतर सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत दिव्यांगजनों का है जो कि इनके वैश्विक आँकड़ों से काफी कम है। इसका कारण यह हो सकता है कि भारत की जनगणना 2011 में सभी प्रकार के निर्दिष्ट दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) को सम्मिलित नहीं किया जा सका था। कुल दिव्यांगजनों की आबादी का 1.7 प्रतिशत 0 से 19 आयुवर्ग का है और यदि इन्हें विभिन्न विद्यालयी स्तरों के अनुरूप बाँट कर देखें तो 0–4 वर्ष के बीच 1 प्रतिशत की आबादी है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के स्तर पर है। इनमें से काफ़ी को आरंभिक पहचान व चिकित्सकीय सेवाओं की नितांत आवश्यकता होती है। 5–9 वर्ष के आयुवर्ग में करीबन 1.5 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे प्राथमिक विद्यालयी स्तर के हैं। यह बुनियादी शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा की ओर अग्रषित बच्चों का समूह होता हैं। इसी प्रकार 10–19 आयुवर्ग में 2 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं जो पूर्व-माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयी स्तर पर हैं।

भारत ने पिछले दो दशकों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। हालाँकि, कुल नामांकन दर कक्षा 6–8 में 90.9 प्रतिशत, कक्षा 9–10 और 11–12 में यह क्रमशः केवल 79.3 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत ही थी, जो यह दर्शाती है कि नामांकित बच्चों का एक महत्वपूर्ण अनुपात कक्षा 5 के बाद और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद विद्यालय से बाहर चला जाता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)। अत: विद्यालय में उच्च कक्षाओं तक बच्चों को टिका कर शिक्षा प्रदान करना अभी भी एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है और यह एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। विद्यालयी बच्चों में अनुमानित 6.2 करोड़ (6 से 18 वर्ष के बीच) विद्यालय से बाहर थे (यूआईएस, 2013)। 2017–18 में एनएसएसओ द्वारा किए गए 75 वें दौर के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, 6 से 17 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ थी। विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर नामांकन में यह गिरावट सुविधा वंचित समूहों के बच्चों में ज़्यादा है। यू-डीआईएसई 2016–17 (नीपा, 2017) के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 19.6 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर यह अंश 17.3 प्रतिशत है। विद्यालयी शिक्षा में नामांकन संबंधी गिरावट का यह आँकड़ा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के संदर्भ में क्रमश: 10.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत और दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में क्रमश: 1.1 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत है, जो उनकी काफ़ी गंभीर विद्यालयी शिक्षा की स्थिति को दर्शाता है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के अंतर्गत छात्राओं की उच्च शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है जो छात्राओं की विकट सामाजिक व पारिवारिक परिवेश व शिक्षा के उनके अधिकार की अवहेलना की ओर इंगित करता है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी का सुविधा वंचित एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव

यदि विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधा वंचित समूहों के बच्चे और दिव्यांग बच्चे पहले से ही शिक्षा संबंधी

© NCERT not to be republished

सेवाओं से वंचित रहे हैं। उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है। विद्यालय में दाखिले से लेकर कक्षा-कक्ष की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से लाभान्वित होने के लिए उन्हें कई कठिनाईयों से जूझना पड़ता है। ऐसे में कई बच्चे तो विद्यालय का परित्याग तक कर देते हैं चाहे विद्यालय में उनके लिए समावेशी व्यवस्था हो या फिर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था। उनके ऐसा करने का कारण हमारी शिक्षण-अधिगम व्यवस्था उनकी अधिगम-संबंधी आवश्यकताओं की परिपूर्ति नहीं कर पाती है और विवशत: ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। विद्यालय-त्यागी दिव्यांग बच्चों की संख्या तुलनात्मक रूप से अन्य सभी विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या मे अनुपातन कहीं अधिक है, जो काफी चिंतनीय है। उस पर अब कोविड–19 महामारी की वजह से इन सुविधा वंचित समूहों के बच्चे शिक्षा व अपने सामाजिक परिवेश से बिल्कुल अलग-थलग पड़ गए हैं। संभवत: आने वाले दिनों में कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण के बावजूद इन समूहों के कई बच्चे विद्यालय का परित्याग कर सकते हैं और इस चुनौती से निबटने के लिए उपर्युक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण का खतरा तो हम सभी के लिए बना हुआ है, पर दिव्यांगजनों के लिए इसके संक्रमण का खतरा और भी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें लगातार किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में रहना होता है जिससे वे सहायता प्राप्त करने हेतु बाध्य होते हैं। साथ ही कई दिव्यांगजन तो उनकी दिव्यांगता की प्रकृति की वजह से ऐसे संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी हो सकती है। सत्यता तो यह है कि भारत जैसे बृहत और विकासशील देश में दिव्यांगजनों की संख्या भी अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक है। अत: दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य, शिक्षा व पुनर्वास संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करना तथा उन तक इन सेवाओं को पहुँचाना अतिआवश्यक हो जाता है, यद्यपि यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा कार्य है।

जैसा कि सभी यह अनुभव कर चुके हैं कि अन्य बच्चों की तरह ही दिव्यांग एवं अन्य सुविधा वंचित समूहों के बच्चे और उनके व हमारे परिवार के सदस्य कोविड–19 के महामारी की वजह से विद्यालय बंद रहने के कारण काफी प्रभावित हुए हैं। कोविड–19 से पूर्व इन विशेष वर्गों के बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही नियमित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जहाँ आवासीय विद्यालय या व्यवस्था है वहाँ सुविधा वंचित समूहों के बच्चे आवासीय विद्यालय परिसर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहीं दिव्यांग बच्चों का एक समूह विशेष विद्यालयों, गृह आधारित, गृह-विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने को भी बाध्य था। इस प्रकार की वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा में मुक्त विद्यालयों व पुनर्वास केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली नैदानिक-शिक्षा अहम् स्थान बनाए हुए थी। हालाँकि, ऐसे वैकल्पिक विद्यालयी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों का कोई सत्यापित आँकड़ा मौजूद नहीं है और न ही यह आँकड़ा उपलब्ध है कि कितने विद्यार्थी किस प्रकार की शैक्षिक व संबद्ध सहायता प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा से बाहर रहने वाले बच्चों के भी सही आँकड़े का जायजा नही लिया गया है और यह एक तरह से अनुमानित ही रहा है। दिव्यांग बच्चों व अन्य सुविधा वंचित समूहों के बच्चों के बीच एक ऐसा भी वर्ग है जो इस महामारी के प्रादुर्भाव होने के पूर्व से ही दूरस्थ शिक्षा जैसी

© NCERT not to be republished

वैकल्पिक शिक्षा-व्यवस्था से जुड़ा था, अब उनके लिए यह व्यवस्था काफी लाभप्रद साबित हो रही है, क्योंकि वे इस शिक्षा व्यवस्था से अभ्यस्त हो चुके थे।

वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से सीधे संपर्क व संवाद प्रणाली का प्रयोग कर कोविड–19 महामारी से बचने हेतु दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने-अपने घरों में बैठे बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षण-अधिगम की व्यवस्था की गई है। लेकिन सत्यता यह है कि बस मुट्ठीभर बच्चे ही इस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। कई कारणों से यह शिक्षा व्यवस्था इन सुविधा वंचित समूहों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन यह सत्य है कि दूसरा कोई अन्य विकल्प नज़र भी नहीं आ रहा है जिसे हम आज की इस विषम वैश्विक परिस्थिति में शिक्षण-अधिगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग में ला सकें। आर्थिक स्थिति या यूँ कहे कि गरीबी, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, भाषायी विविधता, भौगोलिक वातावरण, दूर-दराज के विषम पारिस्थितिक क्षेत्र, विद्युत व इंटरनेट सुविधाविहीन क्षेत्र, आवश्यक उपकरणों व सॉफ़्टवेयर की अनुपलबद्धता, दिव्यांगता, पारिवारिक लैंगिक दंभता, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल से अनभिज्ञयता और भी न जाने कितने सारे कारक हैं जो इस दूरस्थ शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। विकासशील राष्ट्रों की, तकनीकी सामर्थ्य व राजनीतिज्ञ इच्छाशक्ति भी इन कारकों में सन्निहित हैं जिसके कारण इंटरनेट के जरिए संपर्क करने की व्यवस्था उतनी सबल नहीं है जितनी भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में होनी चाहिए। ऐसे में कितने दिव्यांग या सुविधा वंचित बच्चे वाकई में इस कोविड–19 जैसी महामारी के बीच दूरस्थ-इंटरनेट शिक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित हो पा रहे हैं या जुड़ भी पा रहे हैं, इसका सही आँकड़ा या अनुमान लगाना भी काफी कठिन है। यद्यपि तत्काल में पूर्णतया ऑनलाइन, अर्ध-ऑनलाइन अथवा ऑफ़लाइन माध्यम का प्रयोग यथोचित रूप से दूरस्थ शिक्षण-अधिगम हेतु किया जा रहा है। किंतु यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि विद्यार्थी अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं अथवा नहीं (विशेषकर सुविधा वंचित व दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में) क्योंकि यह व्यवस्था इन सुविधा वंचित बच्चों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं का न तो आकलन कर पा रही है और न ही किसी भी प्रकार से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही है। कारण स्पष्ट है— ज़्यादातर एकतरफा शिक्षण हो रहा है और चाहकर भी विद्यार्थी-केंद्रित नहीं हो पा रहा है। इससे डर यह है कि कई बच्चे, विशेषकर दिव्यांग व अन्य सुविधा वंचित समूह के बच्चे हमारी इस शिक्षा व्यवस्था से या तो हाशिये पर चले जाएँगे या शिक्षा से वंचित रह जाएँगे या फिर अदृश्य बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे इतने वर्षों की समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की दिशा में अग्रसित तमाम कोशिशें व्यर्थ हो जाएँगी।

सुविधा वंचित समूहों के बच्चों की दूरस्थ शिक्षा से संबंधित आवश्यकताएँ

आइए, एक नज़र डालें इन बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं पर— ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म की सुलभता, जैसे कि बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट की सुविधा, नेटवर्क सहसंपर्क, इंटरनेट-डेटा-योजना, डेटा-योजना की सक्रियता पर खर्च, उपकरण, विद्यालयी शिक्षा संबंधित-ऐप की उपलब्धता, जानकारी व प्रयोग करने का ज्ञान, ऐप की उपयुक्तता व अधिगम-आवश्यकताओं के

© NCERT not to be republished

अनुरूप अनुकूलन, बेव-साइट अन्वेषण, सहायक सॉफ़्टवेयर इत्यादि कई आवश्यकताएँ, उच्च तकनीक आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म की सुविधा व सुलभता से संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि छपी हुई सामग्री से वाक् या ब्रेल में रूपांतरण, वाक् से छपी हुई या स्पर्शीय सामग्री में बदलने की सहूलियत, ब्रेल प्रिंट की सुविधा, सांकेतिक भाषा में शिक्षण-अधिगम तथा सांकेतिक भाषा में दृष्टिगोचर शिक्षण सामग्री इत्यादि। सभी बच्चों के लिए ई-पुस्तक, डिजिटल-पुस्तक, कार्य-पत्र, डेजी-पुस्तक (डिजिटल-श्रवणसुलभ-सुचनात्मक संकलित पुस्तक), ब्रेल-उपकरण आदि, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और अभिगम्यता जैसे ऑफ़लाइन या अर्ध-ऑनलाइन माध्यम से संकलित सामग्रियों की उपलब्धता व अभिगम्यता, जैसे कि व्हाट्स-ऐप के माध्यम से भेजी गयी सामग्रियों को प्रिंट करने की सुविधा, डाउनलोड किए गए वीडियो देख पाना आदि का भी निरंतर आकलन कर सुनिश्चित करना आवश्यक है। घर पर सहायक सेवाओं की उपलबद्धता, जैसे कि मानवदत्त-सेवाएँ, थेरेपी, श्रवण-सामग्री, वाक्-भाषा संबंधी सामग्री, दिनचर्या में प्रयोग की जाने वाली विशेष सामग्री, उपकरण, गतिविषयक-सामग्री अथवा अन्य सहायक सामग्री की उपलबद्धता भी विचारणीय है। ऑनलाइन माध्यम से सिखाई जाने वाली गतिविधियों को स्वयं करने व सीखने हेतु आवश्यक सामग्री व सहायता भी अपेक्षित है। अन्य ज़रूरतें—जैसे कि स्वास्थ्य-चिकित्सा-संबंधी ज़रूरतें, शारीरिक-वाक्-भाषा विकास हेतु आवश्यक थेरेपी, परामर्श सेवाएँ, पूर्व-व्यवसायिक-कौशल विकास हेतु सामग्री व सहायता आदि और ऐसी कई आवश्यकताएँ हैं जो कि दिव्यांग एवं सुविधा वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक हैं।

दूरस्थ शिक्षा पद्धति संबंधी चुनौतियों पर विवेचना

दूरस्थ शिक्षा पद्धति जो फिलहाल में बड़े ही व्यापक रूप से अवैकल्पिक-एकमात्र माध्यम के तौर पर बिना किसी पूर्व तैयारी या क्षमता संवर्द्धन के अपनाई गई है। बिना पूर्व तैयारी के ऐसा करना अति चिंतनीय है। यह पद्धति सभी बच्चों की दिनचर्या एवं शिक्षा में एक तरह से बाधक बन रही है जो बच्चों की आदतों, स्वभाव, व्यवहार और अभ्यास में गंभीर रूप से अंतर्भेदन कर समाहित हो रहा है और इसके परिणाम कभी प्रत्यक्ष, तो कभी परोक्ष रूप में सामने तो आएँगे ही। इससे बच्चों की दिनचर्या की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। बच्चे, शिक्षकों से आवश्यक एवं यथोचित सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दिव्यांग बच्चे जो गृह-आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वह तो अब दूरस्थ पद्धति में संभव ही नहीं है क्योंकि यह व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति पर आधारित है। साथ ही साथ इन बच्चों को विशेष शिक्षकों या संसाधन शिक्षकों से सहायता नहीं मिल पा रही है। कुछेक बच्चे जो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सेवाएँ भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इस पद्धति में सहपाठी-सहायता, सामाजिक शिक्षण और परस्पर स्वाभाविक संवाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो कक्षाकक्ष और विद्यालयी गतिविधियों के दौरान स्वत: ही हो जाया करती हैं। यदि कोई दिव्यांग बच्चा किसी प्रकार का सहायक उपकरण प्रयोग कर रहा है तो उन उपकरणों की देखभाल और रखरखाव बाधित हो गया है। बच्चे उपकरणों का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चे अपनी सीमाओं के कारण कम्प्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वे इन उपकरणों से परिचित नहीं होने या प्रयोग न

© NCERT not to be republished

कर सकने के कारण दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कई बच्चे अपनी दिव्यांगता की प्रकृति के कारण कम्प्यूटर, इंटरनेट या ऐप के जरिए चलायी जाने वाली शिक्षण-अधिगम पर ध्यान एकाग्रचित ही नहीं कर पाते हैं। सुविधा वंचित समूहों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए तो इस माध्यम से सीखना काफी महँगा है और वे इसका बोझ वहन करने में असमर्थ हैं। पैसे, ऊर्जा व समय के व्यय के अनुरूप परिणाम न प्राप्त होने के कारण, कई तो इसे उबाऊ और थकाऊ अधिगम का माध्यम मानने लगे हैं। इस तरह दिव्यांग व सुविधा वंचित समूहों के बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी एक तरह से सीमा बाधित है, जिसके कारण उनकी अधिगम में सक्रिय भागीदारी न के बराबर है।

सुविधा वंचित समूहों के बच्चे, जो ज़्यादातर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहते हैं वे शिक्षा की आवासीय व्यवस्था या आवासीय विद्यालयों, जैसे कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इत्यादि के जरिए शिक्षा उपार्जित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त कई अधिगम-गतिविधियाँ गैर-आवासीय/दिवसीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था के आकर्षण के जरिये संचारित की जा रही थीं। इस कोविड–19 महामारी की वजह से इस प्रकार की सभी विद्यालय व अधिगम संबंधी सहायक एवं लाभकारी व्यवस्था लगभग बंद सी हो गयी है। बच्चों की मनोरंजक गतिविधियाँ, खेलकूद आदि जो उनके विकास मूलभूत आयाम हैं, उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। कई शिक्षकों में सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल एवं ज्ञान की कमी है। हालांकि कई शिक्षकगण शिक्षण सत्रों को तो ऑनलाइन माध्यम में किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से संचालित करना तो सीख गए हैं पर इस माध्यम के जरिए संदेश, ऑडियो, वीडियो, कार्यपत्रक भेजना या पाए गए ऐसे संदेशों का आंकलन व उनकी उसी पटल पर समीक्षा कर पाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। इस संबंध में आँकड़े भी मौजूद नहीं हैं कि कितने शिक्षक और विशेष शिक्षक सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल में प्रशिक्षित हैं या फिर वे बुनियादी कार्य ऑनलाइन व सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में नियमित शिक्षकों के साथ-साथ विशेष शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दोनों मिलजुल कर किसी दिव्यांग बच्चे की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं की पहचान कर, उसकी विवेचना कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान पाठ्यगत बाधाओं को दूर कर उसके अध्ययन को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए दोनों तरह के शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए जो इस महामारी के दौरान बाधित हो चुका है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं विशेष शिक्षकों के बीच का समन्वय भी बाधित हो चुका है। यदि यूँ कहें कि सुविधा वंचित व दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी।

आवश्यक रणनीतियाँ एवं सुझाव

दूरस्थ शिक्षा को इस प्रकार से प्रयोग में लाने की ज़रूरत है जिससे कि यह सरलता से बच्चों के लिए सुलभ हो जाए। सीखने-सिखाने की सार्वभौमिक संरचना का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाना चाहिए। इस सीखने-सिखाने की सार्वभौमिक संरचना का उद्देश्य है कि शिक्षकगण विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को

© NCERT not to be republished

समतामूलक समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करें कि वे कैसे सीखते हैं और सीखने के बाद वे कैसे अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों की विविध अधिगम संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया जाये। शिक्षक विभिन्न गतिविधियों की प्रस्तुति करने के लिए विभिन्न पद्धतियों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम के अनुरूप ढाल लें। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए बच्चों के उत्तर देने के विभिन्न तरीकों के आधार पर उनके अधिगम संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। अत: विभिन्न गतिविधियों विषय-वस्तु को सफलता पूर्वक संचालित कर सकते हैं।

दूरस्थ शिक्षा चूँकि समक्ष-कक्षा व्यवस्था से भिन्न होती है अत: यह आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यचर्या आवश्यकतानुसार संशोधित व समायोजित की जाए। उदाहरण के तौर पर प्रारंभ में बहुत कम कार्य दिए जाएँ, सरल, धीमी गति से, स्पष्ट छोटे-छोटे अनुदेश दिए जा सकते हैं। गृह-अभ्यास कार्य भी सरल दिए जाने चाहिए। पठन-लेखन अभ्यास, श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का समुचित समावेश अतिआवश्यक है। दूरस्थ शिक्षा वस्तुत: चार सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए— अभिगम्य, संचालन योग्य, बोधगम्य और सुदृढ़। अभिगम्यता से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषय-वस्तु एवं सूचना और प्रौद्योगिकी पर आधारित सामग्रियों की पहचान कर सकें। उदाहरण के तौर पर साधारणतया हम सभी देखकर किसी विषय-वस्तु का बोध कर लेते हैं जबकि हम सभी के बीच कुछ लोग सुनकर या छूकर वस्तुओं या सामग्रियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि वे देख नहीं सकते हैं, चाहे वह वस्तु या सामग्री पठन-पाठन या सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित ही क्यों न हों। संचालन योग्य माध्यम का अभिप्राय विषयवस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं एवं तकनीकी विशेषताओं, जैसे कि संचालक बटन, नियंत्रण, पथ-प्रदर्शक व अन्य आवश्यक तत्वों का प्रयोग उपभोगकर्ता या विद्यार्थी सफलतापूर्वक कर पाने से है। कई विद्यार्थी नियंत्रण निर्देश को देखकर पहचान लेते हैं, फिर क्लिक करते हैं, टैप करते हैं या स्वाइप करते हैं; जबकि अन्य कम्प्यूटर की-बोर्ड या फिर ध्वनि निर्देश के जरिए ही विषय-वस्तु पर नियंत्रण रखकर सफलतापूर्वक उसका उपयोग कर सकते हैं। बोधगम्य विषयवस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी का मतलब यह है कि विद्यार्थी विषयवस्तु को समझ पाएँ, सीख सकें और यह याद रख सके कि उसका उपयोग कब और कैसे करना है? बोधगम्य विषयवस्तु की प्रस्तुति एवं रूपरेखा सुसंगत हो, इसकी संरचना व उपयोग करने के तरीकों का अनुमान लगाया जा सके, संक्षिप्त हो, बहु-प्रारूपीय हो, इसमें संलिप्त ध्वनि व लय भी विद्यार्थियों के प्रयोग करने के अनुरूप होने चाहिए। सुदृढ़ विषयवस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी का अर्थ यह है कि ऐसी विषय-वस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी हो जिससे विद्यार्थी ऐसी तकनीकों का चयन कर पाएँ जिससे कि वह वेबसाइट्, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया(बहु-माध्य) और अन्य सूचनात्मक प्रारूपों का बेहतरीन प्रयोग कर सकें। सुदृढ़ विषय-वस्तु को सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाता है और यह सभी प्रकार के तकनीकी पटल पर कार्य करने में सक्षम होती है।

© NCERT not to be republished

जहाँ पर शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ठीक तरह से इन विद्यार्थियों को नहीं सिखा पा रहे हैं या फिर वे स्वयं ही इस तकनीक से अनभिज्ञ हैं तो वे परियोजना आधारित अधिगम पद्धतियों का प्रयोग कर सुविधा वंचित और दिव्यांग विद्यार्थियों को इस वैश्विक महामारी में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सामान्य एवं विशेष, दोनों प्रकार के शिक्षक परियोजना आधारित शिक्षण-अधिगम की विधियों से परिचित हैं। उनमें इस विधि से बच्चों को सिखाने का कौशल भी है क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षक-प्रशिक्षण के दौरान इस विधि के बारे में सीखा है। इसके साथ ही इस विधि का कक्षा-कक्ष में विषय-वस्तु को सिखाने या फिर कई प्रकार की गतिविधियों को सिखाने में प्रयोग में लाया है। इस विधि का प्रयोग करने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास सबल होता है और उनकी सक्रिय भागीदारी भी बढ़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक पाठ्यचर्या के अनुरूप परियोजना आधारित कार्य का चयन करें व योजना बनाएँ। विद्यार्थी के माता-पिता से अपनी इस परियोजना के बारे में बात करें कि यह कैसे सफलतापूर्वक किया जा सकेगा और कैसे यह बच्चों में क्षमताओं का विकास करेगा? शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि क्या ये सभी समझ गए हैं कि इस परियोजना के तहत क्या और कैसे पूरा करना है? इस परियोजना को पूरे करने का समय निर्धारित कर लें और यह ध्यान रखें कि इस परियोजना में उपयोग होने वाली सामग्री घर में ही आसानी से उपलब्ध हो। विद्यार्थियों के अधिगम, भागीदारी व प्रगति के आकलन की विधि निर्धारित करना न भूलें।

आज आवश्यक हो गया है कि शिक्षकों के पास शिक्षण-सामग्रियों या उपकरणों का एक वहनीय थैला हो जिसे वह बच्चों व उनके अभिभावकों के साथ साझा कर सकता हो। दूरस्थ शिक्षा पद्धति इन बच्चों की शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ हद तक पूरी करने में सहायक हो सकती है। यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षक बच्चों से उसके घर में या आसपास की वस्तुओं को अभिभावकों की मदद से पहचान कर अपनी दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में उन वस्तुओं को प्रासंगिक तौर पर प्रयोग में लाएँ। सभी प्रकार के बच्चों की समायोजन संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना भी अतिआवश्यक हो गया है। यह उनके शिक्षण-अधिगम के साथ-साथ अधिगम संप्राप्ति के आकलन करने भी सहयोगी होगा। शिक्षण-अधिगम की समय-सारणी में लचीलापन, समय-सीमा का निर्धारण, सहायक तकनीकों का प्रयोग, अनुदेशों के विभिन्न प्रारूपों का समावेशन, जैसे प्रिंट के विकल्प, ऑडियो, चित्र, चलचित्र, पूर्व-रिकॉर्डेड वाक्-सूचनाएँ इत्यादि का उपयोग कर दूरस्थ शिक्षा को सुसंगत बनाया जा सकता है।

दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में यह भी ज़रूरी है कि उन्हें आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सहायक सेवाओं (थेरेपी) की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। सर्वप्रथम इस महामारी में विद्यार्थी विशेष की व्यक्तिगत अतिआवश्यक सहायक आवश्यकताओं की पहचान की जानी चाहिए। शिक्षक व माता-पिता मिलकर विद्यार्थी की आवश्यकताओं की प्रकृति एवं गंभीरता का विश्लेषण भी ऑनलाइन या वीडियो संवाद के जरिए कर सकते हैं। तद्पश्चात दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही पहले व्यक्तिगत सहायक सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन योजना बना लें कि थेरेपी कब, कहाँ, कैसे व किसके द्वारा दी जाएगी? क्या यह ऑनलाइन माध्यम से अभिभावक के द्वारा थेरेपिस्ट के अनुदेशानुरूप उनकी निगरानी में दी जा

© NCERT not to be republished

सकेगी? इस तरह योजना को क्रियान्वित करें। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की गई इन सेवाओं की प्रभावशीलता का स्वमूल्यांकन कर लें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना कारगर हुई या नहीं या फिर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। यह ध्यान रहे कि व्यक्तिगत सहायक सेवाओं हेतु योजना का निर्माण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य भी है।

इस आपदा में सामान्य शिक्षकों व विशेष शिक्षकों दोनों को ही शिक्षा विभाग से निरंतर सहायता की आवश्यकता है। उन्हें आदेश की जगह सलाह व उचित परामर्श, संसाधन, विद्यार्थियों और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़ने के संदर्भ में उचित अनुदेश, दूरस्थ-ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्रयास व अनुप्रयास आधारित शिक्षण-अधिगम उपागमों का क्रियान्वयन करने की अनुमति की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी समझना नितांत आवश्यक है कि माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को भी सहायता एवं परामर्श की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की शिक्षा व देख भाल करने के संबंध में परिवार की आवश्यकताओं की पहचान व आकलन करना ज़रूरी है। शिक्षा विभाग की देखरेख में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि सेवाओं की उपलब्धता, उपकरण, संसाधन, सामग्री, प्रशिक्षण, ऑनलाइन/इंटरनेट संचालित करने की विधि का प्रदर्शन, थेरेपी सेवाएँ इत्यादि क्षेत्रों में परिवारजनों की सहायता हेतु योजना बनाकर तथा छोटे स्तर पर किसी खास क्षेत्रों का चयन कर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यदि यह सफलतापूर्वक संचालित हो जाता है तो इसे वृहत स्तर पर लागू किया जा सकता है।

अंतत: दिव्यांग विद्यार्थियों व अन्य सुविधा वंचित विद्यार्थियों को दूरस्थ-ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और उपलब्ध संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की क्षमताओं का आकलन करना ज़रूरी है कि उच्च तकनीक का प्रयोग कर कैसे शिक्षक समतामूलक समावेशी व गुणावत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं? दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न विकल्पों जैसे कि ऑनलाइन वर्चुअॅल पाठ, डाउनलोड करने योग्य पाठ, मूक, मोबाइल फ़ोन, सामाजिक मीडिया ब्लास्ट, दिव्यांग विद्यार्थियों के उपयोग हेतु सुगम्य संसाधन— जैसे कि स्क्रीन रीडर इत्यादि का अन्वेषण भी किया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो ऐसे में रेडियो और टेलीवीज़न के माध्यम से संचालित विद्यालयी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम दूर-दराज के विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए उपयोगी हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों व अन्य सुविधा वंचित विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सेवाओं की उपलब्धता एवं सुगम्यता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। आवश्यक विषय तथा विषय-वस्तु का चयन कर उसे दूरस्थ शिक्षा में पहले तवज्जो दिया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकगण भी सक्रिय भागीदारी निभाएँ क्योंकि वे स्वयं ही विषय-वस्तु चयन करने में शिक्षकों की मदद करेंगे। अतिआवश्यक थेरेपी, योग, परामर्श आदि सेवाओं को भी ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, बस ध्यान रखना है कि ये सेवाएँ विशेषज्ञों की निगरानी में ही करायी जाएँ तथा आधारभूत हों। इस दिशा में शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाना भी ज़रूरी है जिससे वे जान पाएँ कि वे सभी बच्चों को समान अवसर कैसे प्रदान करेंगे और उनकी

© NCERT not to be republished

प्रतिभागिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? वाट्सएप और अन्य सामाजिक संवाद पटल पर इन बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करते रहने की आवश्यकता है। बच्चों की सहभागिता हेतु कभी ऑफ़लाइन तथा कभी ऑनलाइन और कभी दोनों माध्यमों और विभिन्न शिक्षा के उपागमों को आवश्यकतानुसार सम्मिलित करने का प्रयास किए जा सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सभी उपकरण या सामग्री रूपांतरित नहीं किए जा सकते हैं और कई बार उन्हें रूपांतरण या संशोधन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, यह विद्यार्थी की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। ऐसे उपकरण या प्रणाली के प्रयोग पर ज़ोर दें जिसे मोबाइल फ़ोन के जरिए चलाया जा सकता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन अब ज़्यादातर लोगों के पास उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग, टेलीकॉम सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के साथ शिक्षण-अधिगम साइट्स और उसकी सुगम्यता से संबंधित अनुबंध कर सकता है जिससे कि नि:शुल्क या कम लागत पर ऑनलाइन सुविधाएँ दिव्यांग व सुविधा वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को सुलभ हों सकें। ऑनलाइन सामुदायिक शिक्षा सहायता समूह का निर्माण कर विभिन्न प्रकार की परिचर्चा, प्रश्न व समाधान, शिक्षा की सुलभता एवं सुगम्यता, समुदाय की भागीदारी इत्यादि मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज की सामाजिक विविधता ही इसकी अनमोल संपत्ति है। हमारे विद्यालय और कक्षाओं में विभिन्न सामाजिक विविधताओं वाली पृष्ठभूमि के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पहचान, दिव्यांगता, जेंडर, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर संदर्भित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों की विविध सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए उससे अवगत होकर एक समावेशी समाज का निर्माण करना तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। कोविड–19 ने वैश्विक स्तर पर एक भयावह स्वास्थ्य-संबंधी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिसका सीधा एवं गहरा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अलावा बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। ऐसे में बच्चों के शिक्षण-अधिगम के लिए दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम अपनाया गया है। सुविधा वंचित समूहों के बच्चे व दिव्यांग बच्चे इस दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से समुचित रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हितधारी वर्ग अत्यंत चिंतित हैं कि कहीं सुविधा वंचित समूह के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से अलग-थलग होकर विद्यालय न त्याग दें। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस वैश्विक महामारी में अन्य वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था (उदाहरणस्वरूप, परियोजना आधारित शिक्षा या सामाजिक अधिगम पर आधारित शिक्षा आदि) की प्रायोगिकता का भी अन्वेषण और आकलन किया जाए। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यकताएँ, बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ, तकनीकी योग्यता व

© NCERT not to be republished

विशेषज्ञता, शिक्षकों की आवश्यकताएँ, माता-पिता व परिवार की भागीदारी, उपकरणों एवं संबंधित संसाधनों की सुलभता, दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न प्राविधियों व उपागमों का समावेश इत्यादि ऐसे कई कारक हैं जो दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। हालाँकि, (यह भी ध्यान रखने की सर्वथा ज़रूरत है कि दूरस्थ-इंटरनेट–उच्च तकनीक आधारित शिक्षण-अधिगम कभी भी समक्ष–प्रस्तुतिकरण की जगह नहीं ले सकता और न ही उसकी कभी भी भरपाई कर पाएगा) यह समतामूलक और समावेशी शिक्षा का माहौल बनाने के लिए कभी भी आदर्श नहीं हो सकता है। अतएव, वर्तमान में इस कोविड–19 वैश्विक महामारी या भविष्य में अन्य किसी भी प्रकार की आपदाओं के दौरान दिव्यांग एवं सुविधा वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने की ज़िम्मेदारी भी हम सभी लोगों को मिलकर ही उठानी पड़ेगी।

संदर्भ

द *हिंदू*. 26 जुलाई, 2016. पारसी पॉपुलेशन डिप्स बाइ 20 परसेंट बिट्वीन 2001–2011. नयी दिल्ली.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. 2016. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

नीपा. 2017. *भारत में स्कूली शिक्षा-यू-डीआईएसई फ्लैश स्टैटिस्टिक 2016–17*. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

भारत की जनगणना. 2011. *सी-सीरीज़, टेबल सी-20,* भारत की जनगणना 2011. वधवाणी फाउंडेशन. Org/Disability2011

यूआईएस. 2013. *ग्लोबल इनिशिएटिव् ऑन ऑउट-ऑफ़-स्कूल चिल्ड्रेन*, यूनेस्को.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

विश्व स्वास्थ्य संगठन. 2011. www.who.int/times/uncommunicable-disease/disability-and-rehabiliation/world-report-ondisability

शिक्षा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम. 2012. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम* 2012. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम. 2009. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी 2011–12). *वार्षिक रिपोर्ट, 2011–12*. पृष्ठ 25. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2018. समग्र समीक्षा एन इनटरग्रेटिड स्कीम फ़ॉर स्कूल एजुकेशन फ़्रेमवर्क फ़ॉर इम्पलीमेंटेशन. पृष्ठ 9. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. शिक्षा मंत्रालय.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग. 2018. *हैंडबुक ऑन सोशल वेलफेयर स्टेटिस्टिक्स*. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्लान डिवीजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

3

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण कुछ मुद्दे

रिद्धि सूद*
अनीता रस्तोगी**

बच्चों के सर्वोत्तम विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उन पर उचित ध्यान देना और उनकी देखभाल करना आवश्यक है। स्कूल में एक देखभाल भरा, पुष्टिकर, प्रगतिशील और समावेशी वातावरण हमारे नन्हे बच्चों के विकास और सीखने के सफ़र में उनकी सहायता करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा (ईसीसीई) में उचित निवेश करने से सभी बच्चों के लिए सर्वोत्तम प्रारंभिक शिक्षा को पाना संभव हो पाएगा। यह उन्हें उम्रभर शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से सम्मिलित होने और उन्नत होने की सही शुरुआत देगा। इसलिए, विशेष रूप से बच्चों की गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को सशक्त, ज्ञानवान, उचित शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करने में कुशल और सिखाने के लिए सकारात्मक माहौल उत्पन करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। यह शिक्षकों की तैयारी का अभिन्न अंग है, जिस पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोधपत्र में इन्हीं शिक्षकों की तैयारी से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई है।

बच्चों को जीवन भर सीखने और पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए एक सुदृढ़ आधार देना महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इसका बोध हमें बच्चों को लेकर हमारी बदलती अवधारणाओं के कारण हुआ है। असल में यह समझा जा सकता कि "बचपन अपने आप में एक जैविक अवस्था नहीं है, लेकिन एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है जिसे हाल के वर्षों में काफी तेज़ी से तोड़ा और पुननिर्मित किया गया है" (मॉस, 2006)। बच्चों को समाज की सोच दर्शाते सामाजिक अभिनेता, सामाजिक एजेंट और नागरिक के रूप में देखा जाता है। 'बच्चे' की इस अवधारणा के कारण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को "उनके एक अधिकार के रूप में माना जाता है और इसके साथ इसकी सेवाओं की गुणवत्ता को विकसित करने पर ज़ोर दिया जाता है" (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड चिल्ड्रन, 2000)। इसके लिए बच्चों के जीवन के प्रारंभिक आठ वर्षों को गंभीरता से देखना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को स्कूली शिक्षा के संस्थापक चरण (यानी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के तीन साल और कक्षा 1 और 2) के रूप में देखती है। ये

* *शोधार्थी*, शैक्षिक अध्ययन विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली
** *प्रोफ़ेसर*, शैक्षिक अध्ययन विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

बच्चे के जीवन के शुरुआती वे बहुमूल्य पाँच साल हैं जिनके दौरान उनकी देखभाल करना और उन्हें उचित प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारा ध्यान शैक्षिक सफलता के महत्वपूर्ण कारक यानी की हमारे स्कूली शिक्षकों पर होना चाहिए। इस कारण से यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंततः शिक्षकों की उत्कृष्ट शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास कक्षाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता और अंततः बच्चे के परिणामों को प्रभावित करेगा।

ईसीसीई में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता

विकासवादी सिद्धांतकारों ने छोटे बच्चों के समग्र विकास को उचित आधार देने के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया है। वायगोत्स्की का सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि छोटे बच्चे प्रशिक्षित वयस्कों (जैसे शिक्षकों या माता-पिता) के उचित प्रोत्साहन से सीखते हैं और अपनी क्षमता को प्राप्त करते हैं। एक प्रशिक्षित शिक्षक छोटे बच्चों के विकास को सही दिशा देने के लिए बेहतर स्कैफ़ोल्डिंग नीतियों की व्यवस्था कर सकता है (वूलफ़ॉक, 2008)। जीन पियाजे के सिद्धांत ने उन शिक्षकों की काबिलियत को महत्व दिया है, जो कक्षाओं में शिक्षण के लिए बाल-केंद्रित दृष्टिकोणों या तरीकों को फलित करने में प्रशिक्षित हैं। ऐसे शिक्षक सीखने के माहौल को व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। वे छोटे बच्चों को नई खोजी गई कार्यनीतियों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने के साथ दुनिया को समझने के उनके अपने तरीकों को चुनौती देने की संभावना बनाते हैं। इस तरह बच्चे स्वयं अपने वातावरण को समझना व नई परिस्थितियों में स्वयं को ढालना सीखते हैं। इसी तरह बेन्डुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कक्षा के आचरण से संबंधित उचित व्यवहार के प्रतिरूपण के लिए शिक्षकों पर महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी डालता है। प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा के वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करने में सक्षम है जो छोटे बच्चों को सीखने और कक्षा से जुड़ा हुआ महसूस करवाने हेतु प्रेरित करता है (फेम, 2014)। ईसीसीई शिक्षकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण से उन्हें शिक्षार्थियों की ज़रूरत के अनुरूप होने में मदद मिलती है और वह यह समझ पाते हैं कि छोटे बच्चों को अच्छी तरह से खाना, आराम करना, और स्वयं को कक्षा का हिस्सा महसूस करना चाहिए (डीआज़-रीको, 2009)।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 73 प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्री-प्राइमरी स्कूलों में भाग लिया है। इसका अर्थ है कि भारत को प्रारंभिक शिक्षा को समृद्ध बनाने हेतु शैक्षिक सफलता के महत्वपूर्ण कारक यानी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शोध (इलियट 2006; शेरिडन इट. एवं अन्य, 2009) इंगित करते हैं कि ईसीसीई सेटिंग्स में उच्च-गुणवत्ता वाले शैक्षणिक वातावरण को बनाने के लिए बेहतर योग्य शिक्षकों की क्षमता से फर्क पड़ता है। साथ ही, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। प्रबंधकीय कर्मचारियों या पर्यवेक्षकों का नेतृत्व शिक्षकों को एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रेरित व उन्हें एक-दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करने और अपने व्यावसायिक विकास के लिए प्रोत्साहित करता है (ओ.ई.सी.डी., 2006)।

© NCERT not to be republished

भारत में ईसीसीई— शिक्षक की तैयारी की वर्तमान स्थिति

इस अवस्था के शिक्षकों व कार्यकर्ताओं की आवश्यकता व महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके प्रशिक्षण के लिए देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है (रेखाचित्र1)।

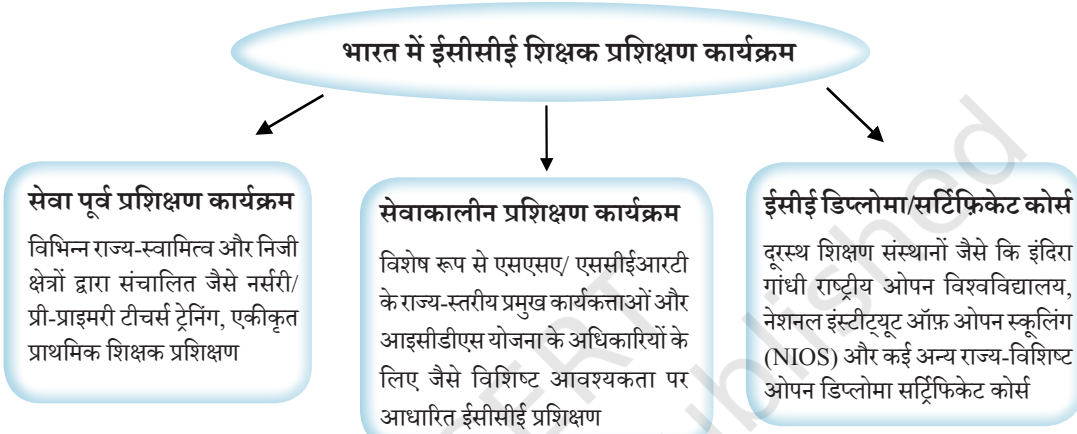

रेखाचित्र1

हालाँकि, सरकार द्वारा संचालित उपरोक्त कार्यक्रमों के होते हुए भी शिक्षक प्रशिक्षण कमज़ोर पाए गए हैं। कॉल एवं अन्य (2015) द्वारा किया गया एक अध्ययन बताता है कि शैक्षणिक योग्यता तो संतोषजनक है लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण में कमी को दूर करने की ज़रूरत है।

इस राह के महत्वपूर्ण मुद्दे

शिक्षा के मूलभूत स्तर पर कार्यबल के प्रशिक्षण व इसकी गुणवत्ता से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनमें प्रमुखता से अग्रलिखित बिंदु शामिल हैं—

- कॉल एव अन्य (2015) के अध्ययन के अनुसार "लगभग सभी श्रेणियों के सभी शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी और माध्यमिक स्तर से नीचे स्कूली शिक्षा वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी। यह भी पाया गया कि 95 प्रतिशत शिक्षक माध्यमिक स्तर से ऊपर की शैक्षणिक योग्यता रखते थे। आँगनवाड़ियों के मुकाबले, निजी प्री-स्कूलों में लगभग 65 प्रतिशत शिक्षक ग्रेजुएट पाए गए थे, साथ ही कुछ स्नातकोत्तर भी थे। कहने का अर्थ यह है कि शैक्षणिक योग्यता तो संतोषजनक है लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण में कमी को दूर करने की ज़रूरत है।"
- देशभर में शिक्षक शिक्षा संस्थानों का असमान वितरण है। यही नहीं कुछ राज्यों, विशेष रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व में, शिक्षक शिक्षा संस्थान लगभग न के बराबर हैं। अध्ययन में पाया गया कि ईसीसीई के लिए शिक्षक शिक्षा के नियमन का अभाव है। 63.4 प्रतिशत मान्यता प्राप्त संस्थान भी एन.सी.टी.ई. विनिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं (सी.ई.सी.ई.डी., 2013)।

© NCERT not to be republished

- देशभर में प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थानों की अल्प अवधि में तेज़ी से वृद्धि के परिणामस्वरूप, या तो अयोग्य या अपनी अहर्ता की अधिकता (बी.एड/एम.एड./पी.एच.डी.) वाले शिक्षक इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। ऐसे में व्यवसायिक तौर पर शिक्षकों का स्तर गिर गया है और परिणामस्वरूप, प्री-स्कूलों में आयु-उपयुक्त शिक्षा पद्धतियों को अनदेखा किया जाता है।
- आँगनवाड़ी शिक्षकों से अपर्याप्त तैयारी के साथ विविध और चुनौतीपूर्ण सामाजिक-भाषाई संदर्भों में शिक्षा देने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि सी.ई.सी.ई.डी. (2013) द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि 'ये आँगनवाड़ी केवल पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य योजनाओं को व्यवस्थित करने की जगह की तरह है। यहाँ बच्चों की स्कूल की तैयारी को संतोषजनक तरीके से देखा नहीं गया है।'
- ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की अल्प अवधि में तेज़ी से वृद्धि हुई है जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को इस कार्यक्रम की अपेक्षाओं को पूरा किए बिना ही प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एन.सी.टी.ई. ने इस कार्यक्रम के लिए दो साल की अवधि निर्धारित की है, लेकिन एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम की अवधि को अलग-अलग संस्थानों में 3 महीने से 2 साल की अवधि तक पाया जा सकता है और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में यह भिन्न हो सकती है। यही नहीं मान्यता प्राप्त संस्थानों में भी इसकी अवधि एक से दो साल तक अलग-अलग देखी गयी है।
- आँगनवाड़ियों और निजी बुनियादी शिक्षा केंद्रों (प्री-स्कूल) दोनों में अप्रशिक्षित शिक्षकों का मुद्दा आम है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन (ईसीई) में उपयुक्त प्रशिक्षण की कमी किसी भी ई.सी.ई. मॉडल की एक सामान्य कमज़ोरी है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसमें प्री-स्कूल संबंधित शिक्षा शामिल है, लेकिन इसके लिए महीने में केवल चार दिन आवंटित किए गए हैं। वही दूसरी तरफ, निजी पूर्व स्कूली (प्री-स्कूल) शिक्षकों के लिए, किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं है (सी.ई.सी.ई.डी., 2013)। यह सब ईसीई क्षेत्र में पंजीकरण या विनियमन की किसी भी प्रणाली के न होने का परिणाम है।
- ऐसा देखा जा सकता है कि विद्यार्थी प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने में खामियाँ हैं। वे ज़्यादातर ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते यानी कि उस संदर्भ में नहीं होते जहाँ इन्हें शिक्षकों के रूप में व्यावसायिक तरीके से काम करना है। नतीजतन, शिक्षकों में ज़्यादातर पूर्व स्कूली बच्चों के लिए सार्थक, आयु-उपयुक्त, विकास केंद्रित व उचित प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने के उपयुक्त तरीकों की कमी होती है।
- आयोजित होने वाले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम और उन्हें प्रस्तुत करने की कार्यप्रणाली में अंतर है। इसका कारण शिक्षकों का प्रवेशन प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम न होना और साथ ही पाठ्यक्रम बनाने में उनका शामिल न होना है (सी.ई.सी.ई.डी., 2013)। कक्षाओं में अकसर व्याख्यान पद्धति और ब्लैकबोर्ड शिक्षण की प्रधानता देखी गई है (कॉल एवं अन्य, 2014)।
- शिक्षण में एक शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में प्ले को एकीकृत करने की अनुचित समझ है। भारत

© NCERT not to be republished

में पाठयक्रम के मानक (जो कि समय-समय पर एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.ई. आदि संगठनों द्वारा तैयार किए गए हैं) है तो सही लेकिन अभी तक वे शायद ही कभी खेल-आधारित शिक्षण गतिविधियों को शामिल कर पाएँ। उदाहरण के लिए, सी.ई.सी.ई.डी. (2013) द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा और विकास मानकों की समीक्षा से यह पता चलता है कि केवल एक तिहाई मानकों में खेल आधारित पद्धति के तरीके से सीखने की अवधारणा को अच्छी तरह से एकीकृत किया गया है। यह शिक्षकों में उनके प्रशिक्षण की कमियों को इंगित करते हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्री-स्कूल शिक्षा को शिक्षा के बुनियादी वर्षों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए निपुणता से प्रशिक्षित करना अपने आप में एक विशाल कार्य है। ऐसे में प्री-स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को एक आसान विकल्प समझा जा रहा है। लेकिन वास्तव में इस माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण कर पाना अपने आप में ही संदेहास्पद है।
- अकसर कैस्केड मॉडल द्वारा की जाने वाली ट्रेनिंग से भी गुणवत्ता में कमी दिखी है। इसके अलावा सेवाकालीन प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण संबंधित आवश्यकताओं की पहचान कर पाने की व्यवस्था का भी अभाव है। इसलिए, कई बार प्रशिक्षुओं को सीखने के पर्याप्त अवसर, अनुभव व चुनौती नहीं दी जाती है।
- व्यावसायिक और शैक्षणिक कौशल विकसित करने के लिए अभिविन्यास की कमी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकता शून्य है। लिउ और लिम (2018) ने अपने अध्ययन द्वारा बताया है "व्यावसायिकता शिक्षकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपने शिक्षण करियर की उपयुक्तता को बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पेशेवरों के रूप में शिक्षकों को अध्ययनशील होना चाहिए।" यह निरंतर अभ्यास करने के लिए और शिक्षकों को अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक है।

आगे की राह

यह स्थापित तथ्य है कि यदि हमारे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम उत्कृष्ट होंगे तो इसका सीधा असर प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर पड़ेगा। इस संदर्भ में कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं—

- शिक्षा के मूलभूत वर्षों में गुणवत्ता के परिणामों को बढ़ाने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति देखी जा सकती है। सबसे पहले आठ साल की उम्र से छोटे बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षकों की निरंतरता बनाने के लिए मौजूदा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को सुधारना ज़रूरी है। दूसरा, प्रभावी पाठ्यक्रमों के माध्यम से ईसीसीई कार्यबल यानी शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण। अंत में, संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणन के लिए मानक तय करना। इसके अलावा, निरंतर व्यावसायिक विकास की ज़रूरत है जिसमें शिक्षक साथी शिक्षकों को देखकर, चिंतन कर और प्रगतिशील अध्यापन-कला को एक-दूसरे से साझा कर सकते हैं।
- स्वायत्त, सोच रखने वाले शिक्षकों के लिए तत्पर रहना चाहिए जो प्रशिक्षण के उच्च मानकों को पूरा करने का जस्बा रखते हों। यह कहना गलत

© NCERT not to be republished

न होगा कि हमें शिक्षकों की प्रशिक्षण शिक्षा के एक ट्रांसेक्शनल मॉडल से अधिक सहयोगी और अनुसंधान पर आधारित मॉडल पर प्रस्थान की आवश्यकता है।

- बच्चे अब प्रायोगिक और सहभागी माध्यमों से सीखते हैं और उन्हें काल्पनिकता, अन्वेषण व संयोजकता की आवश्यकता है। इसलिए, 21 वीं सदी के संदर्भ में ऐसे विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए शिक्षकों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने की तुलना में बहुत अधिक करने की ज़रूरत है। उन्हें कक्षा में ज्ञान आयोजक, निदानकर्ता, प्रेरक, प्रशिक्षक के रूप में सीखने की प्रक्रिया और माहौल को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है (डार्लिंग-हैमंड, 2006)।
- प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को विषय आधारित (theme-based) पाठ्यक्रम को बनाने व प्राथमिक कक्षा में उन्हें व्यवस्थित करने में निपुण बनाने की आवश्यकता है। यही नहीं पूर्व-सेवा शिक्षण प्रशिक्षण उन्हें प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के मूल्यांकन के लिए विकास के मानकों पर आधारित तरीकों से भी अवगत कराने में सक्षम होना चाहिए।
- पाठ्यक्रम में भावी शिक्षकों की व्यक्तिगत वृद्धि के लिए अधिक आत्म-विकास के अवसर शामिल होने चाहिए। ऐसे शिक्षकों के लिए जीविका पथ (career path) बनाया जा सकता है। उन्हें अनुभव और कौशल के आधार पर पुरस्कार और शैक्षणिक क्रेडिट जैसे वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। परिणामस्वरूप यह सब कारक शिक्षकों में उत्प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। यही इच्छुक, प्रेरित और उत्तरदायी शिक्षक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं।
- प्रगतिशील शिक्षक शिक्षा संस्थानों के साथ अंतरराष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है जो अन्य देशों जैसे फ़िनलैंड में प्रभावी और उन्नत तरीकों से पूर्वस्कूली शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं। यह शिक्षकों के साथ-साथ भावी शिक्षकों को भी सबसे अच्छे शिक्षण अधिगम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। श्रेष्ठ संस्थानों में अनुदान कार्यक्रमों के लिए मेधावी भावी शिक्षकों और कुशल ईसीसीई शिक्षकों को भेजा जाना चाहिए। इसी तरह, विश्वविद्यालयों को भी शुरुआती अभ्यासों और शिक्षा के सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए शिक्षा के क्षेत्र से विशेषज्ञों या शिक्षाविदों को आमंत्रित करना चाहिए।
- प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों या आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रचनात्मक होना चाहिए ताकि वे नवीन शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित कर सकें। साथ ही ऐसी शिक्षण पद्धतियों का निर्माण कर सकें जो बच्चों को खेल के माध्यम से पनपने में मदद करेगा। छोटे बच्चों को विभिन्न अवधारणाएँ सिखाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को मूल साधनों का उपयोग करना सीखना होगा। साथ ही आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कक्षा में आई.सी.टी के साधनों का प्रयोग करने के लिए भी उचित प्रशिक्षण देना ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे का स्थानीय परिवेश उसके रोज़मर्रा के अनुभवों का चित्रण है और इसलिए पूर्वस्कूली शिक्षकों को एक बच्चे के आत्मसात ज्ञान पर निर्माण करने के लिए शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए।
- एक सहयोगी और एक समावेशी सीखने के माहौल को सामुदायिक सहभागिता के साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। जहाँ हितधारकों

© NCERT not to be republished

यानी कि भावी शिक्षकों व शिक्षक-प्रशिक्षकों, जो कि विविध शैक्षणिक प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, को शामिल किया जा सकता है। उन्हें पता होना चाहिए कि विकास संबंधी उपयुक्त गतिविधियों के बारे में माता-पिता के साथ संवाद और उनका मार्गदर्शन कैसे करें। इस प्रकार, शिक्षक कार्यक्रमों में हितधारकों को अपनी भूमिकाओं को फिर से समझना होगा।

- अकसर आँगनवाड़ी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता अलग-अलग देखी गई है। यदि उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण को सार्थक बनाना है तो आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से वर्गीकृत कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।
- प्रारंभिक शिक्षा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की देखरेख में होगी ऐसे में उनका सेवाकालीन प्रशिक्षण भी ज़रूरी है। यह शिक्षक प्रशिक्षण आमने-सामने और जहाँ तक आवश्यक हो ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग कर किया जा सकता है। इसके लिए सैंडविच मॉडल व पार्ट-टाइम ट्रेनिंग जैसे विकल्पों को भी चुना जा सकता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ईसीसीई को स्कूली शिक्षा की नींव माना है। ऐसे में शिक्षक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखने तथा इसकी पूर्व-सेवा और सेवाकालीन घटक को अविभाज्य मानना महत्वपूर्ण हैं।

विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों में प्रशिक्षण को गुणवत्ता शिक्षण अधिगम के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। जिसका भाव आजीवन भर उत्साह से अपने व्यवसाय को विकसित करने का प्रयास करने, निरंतर सीखने और इसके लिए जवाबदेही में निहित है। पूर्व-सेवा के दौरान व्यावसायिक शिक्षा, इस क्षेत्र के अनुभव और निरंतर शिक्षा के नए आयामों से जुड़े रहना एक ऐसी तिकड़ी का गठन करते हैं जो एक शिक्षक को "सशक्त व्यवसायी" बनाने के लिए आवश्यक है।

संदर्भ

एल्लिओट, ए. 2006. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन— पाथवेस टू क्वालिटी एंड इक्विटी फ़ॉर आल चिल्ड्रन. *ऑस्ट्रेलियाई एजुकेशन रिव्यू*, वॉल्यूम 50, ऑस्ट्रेलियाई कौंसिल फ़ॉर एजुकेशनल रिसर्च.

ओ.ई.सी.डी., 2006. *स्टार्टिंग स्ट्रांग II— अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर*. ऑथर पेरिस.

कॉल,वी. चौधरी और अन्य. 2014. *क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन*. अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली. www.iceceiexecutive-summaryreport.pdf.

डार्लिंग-हम्मोंड, एल. 2006. *पॉवरफुल टीचर एजुकेशन—लेसंस फ्रॉम एक्सेम्पलरी प्रोग्राम्स*. सन फ्रांसिस्को, सी ए: जोसेय-बास.

डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड चिल्ड्रन. 2000. *द नेशनल चिल्ड्रनस स्ट्रेटेजी— आवर चिल्ड्रन-दिअर लाइफ़्स*. डबलिन: द स्टेशनरी ऑफिस.

डीआज़-रीको,एल. 2009. *टीचिंग इंग्लिश लर्नर्स*. पिअरसन. यूएसए

© NCERT not to be republished

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. 2020. http://www.mhrd.gov.in/sitesupload_files/mhrd/files/nep/NEP_final_Engish.pdf reffered on 11/02/2021 पर देखा गया।

फ़ेम, एम. 2014. एजुकेशनल इम्प्लिकेशन्स ऑफ़ सोशल लर्निंग थ्योरी. https://www.academia.edu

मॉस, पी. 2006 . स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कोर्सेस: पॉसिबिलिटीज फॉर री-एनविशनिंग द अर्ली चाइल्डहुड वर्कर. *कंटेम्पररी इश्यूज़ इन अर्ली चाइल्डहुड*. वॉल्यूम 7. अंक. 1 , पृष्ठ 30–41।

रा.शै.अ.प्र.प. 2018. *नेशनल अचीवमेंट सर्वे*. एजुकेशनल सर्वे डिवीज़न. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली.

लिउ, डब्लू.सी., और वाई.सी. लिम. 2018. *अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, लर्निंग एंड लर्नर्स— द सिंगापुर टीचिंग प्रैक्टिस*. डब्लू.सी लिउ ,सी. कोह, ड. चोय, और जे. टय-लिम (संपादक), *अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, लर्निंग एंड लर्नर्स: ए गाइड फॉर सिंगापुर टीचर्स*. पृष्ठ 1–23. सिंगापुर: सेंग्गे लेअरंड्ग एशिया.

वूलफ़ॉक, ए. 2008. कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज. *एजुकेशनल साइकोलॉजी*. पृष्ठ. 78–84. पिअरसन एजुकेशन दिल्ली.

सेंटर फ़ॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. 2013. *प्रीपेरिंग टीचर्स फ़ॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,* अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड नेशनल कौंसिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

4

खेल और खिलौने बच्चों के विकास तथा उनके सीखने की शैली

रौमिला सोनी*

खेल आधारित शिक्षण विधि, जिसमें खिलौनों का प्रयोग होता है, बुनियादी अवस्था में सबसे उपयुक्त और पंसदीदा शिक्षण विधि है। अधिकांश शोध प्रारंभिक स्तर पर सीखने में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं। शोधकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि भाषा, साक्षरता और प्रारंभिक गणना बच्चे के जीवन के प्रथम छह वर्षों में विकसित होती है। विकासात्मक उपयुक्त खिलौनों और खेल सामग्री के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण खेल खेलना बच्चों की भाषा, साक्षरता और गणना कौशलों को पूर्णरूप से विकसित करने में सहायक होते हैं। सभी प्रकार के खेल अनुभवों से बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता है। सभी अवस्थाओं में बच्चों को खिलौने से खेलने में खुशी मिलती है और उन्हें बड़ा मज़ा आता है, बस बच्चों की आयु, विकास और योग्यता के अनुसार खिलौनों का जटिलता स्तर बढ़ता जाता है। पारंपरिक खेल और खिलौने, आजकल दुकानों पर बिकने वाले फैंसी, महँगे और इलैक्ट्रॉनिक खिलौनों की अपेक्षा सरल और स्वयं शिक्षक द्वारा आसानी से विकसित किए जाने वाले होते हैं और वे परिवेश से ही प्रेरित होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पारंपरिक निर्मित खिलौने बच्चों के समग्र विकास, विशेष रूप से उनकी भाषा, साक्षरता और प्रारंभिक गणित के विकास के लिए बेहतरीन होते हैं। यदि शिक्षक और अभिभावक इन खिलौनों और खेल सामग्रियों में मौजूद अवसरों से परिचित होते हैं, तो इनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। प्रस्तुत लेख खेल-खिलौने के महत्व एवं उनकी अध्ययन-अध्यापन पर आधारित हैं।

भारतीय खिलौनों का इतिहास बहुत पुराना है। खिलौने और गुड़ियाँ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है— कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का चेन्नापटन, जहाँ विभिन्न आकृतियों और आकार के हस्तनिर्मित खिलौने और गुड़ियाँ बच्चों और बड़ों को बहुत लुभाते हैं। आज बच्चे उन पारंपरिक खिलौनों की सुंदरता से अनभिज्ञ हैं जिनसे उनके माता-पिता या दादा–दादी खेला करते थे। सभी बच्चे खेलना पसंद करते है क्योंकि खेलना उनका स्वभाव है। विश्व स्तर पर यह बात मान ली गई है कि बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्ष (6–8 वर्ष की आयु तेज़ी से) उसके विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं क्योंकि इस दौरान मस्तिष्क का तेज़ी से विकास होता है और ये वर्ष अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इस

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, अरबिंदो मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

© NCERT not to be republished

समय बच्चा जो कुछ सीखता है, उदाहरण के लिए, वह जो करता है, सुनता है, जिससे खेलता है, वह बच्चे के जीवन में गहराई से अंत: स्थापित हो जाता है। इन प्रारंभिक वर्षों में हुई किसी क्षति की भरपाई करना अत्यधिक कठिन होता है। छोटे बच्चे सक्रिय एवं व्यस्त शिक्षार्थी होते हैं उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों में आनंद आता है और वे खिलौनों और खेल सामग्री को खोजना शुरू कर देते हैं।

खिलौने बच्चों के लिए ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा वे अपने आस-पास की दुनिया को जानते हैं। खिलौने छोटे बच्चों को खुशी और मज़ा देते हैं। उनके जीवन में खिलौनों का एक विशेष स्थान होता है, ये उनके चिंतन को उत्प्रेरित करते हैं और बातचीत के लिए भाषा के प्रयोग के कौशल में सक्षम बनाते हैं। इन नए विकसित कौशलों द्वारा बच्चे जटिल समस्याओं का समाधान करने, प्रश्न पूछने और कहानियाँ बनाने तथा उनका अभिनय करने के लिए कल्पना का प्रयोग शुरू करते हैं।

प्रारंभिक वर्षों में की गई अधिकांश गतिविधियों को खिलौनों और अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। इन वर्षों के दौरान बच्चे अपनी इंद्रियों और गति में समन्वय करना सीखते हैं। इसके साथ ही अपने परिवेश की वस्तुओं को अधिक कुशलता और जटिल तरीके से संभालना शुरू कर देते हैं। बच्चे इन वर्षों में बहुत सक्रिय होते हैं, हम उनसे एक स्थान पर लंबे समय तक टिककर बैठे रहने की आशा नहीं कर सकते। बच्चों को मज़ेदार खेलों और सीखने के लिए ढेर सारी गतिविधियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि झूलना, घूमना, दौड़ना और अपने शरीर की गति से प्रसन्नता प्रकट करना। एक बच्चे को आयु और विकासात्मक उपयुक्त खेल सामग्री की भी आवश्यकता होती है जिससे उन्हें आनंद मिलता है। इनसे आदतों के निर्माण में भी मदद मिलती है, उदाहरण के लिए, बच्चे सुनना, ध्यान से देखना, निर्देशों का पालन करना, प्रश्न पूछना, उनके उत्तर देना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, सहयोग करना और अन्य अनेक सामाजिक कौशल सीखते हैं। क्या हम ये सभी कौशल आज के परिदृश्य में, जहाँ बच्चे टेलीविज़न या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं और मोबाइल फ़ोन या अन्य यांत्रिक उपकरण प्रयोग करते हैं, प्रदान कर सकते हैं? प्रारंभिक वर्षों के पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी को एकीकृत करना ज़रूरी है, परंतु हम बचपन से उनसे खिलौनों से खेलने की खुशी को नहीं छीन सकते। खेलने की सामग्री के लिए सरल प्रतिदिन की वस्तुएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं क्योंकि इन सरल सामग्रियों और खिलौनों से बच्चों के समग्र विकास में सहायता मिलती है। इससे बड़ों को यह जानने में भी मदद मिलती है कि बच्चे खिलौनों और अन्य सामग्री से खेलते समय क्या और कैसे सीखते हैं। पारंपरिक भारतीय खिलौनों और खेल का बच्चों के लालन-पालन और फिर विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा हासिल करने में विशेष स्थान होता है।

खिलौने शिशुओं को अपनी नज़दीकी दुनिया को समझने में मदद करते हैं। खिलौने उन्हें वस्तुओं का प्रयोग करना सीखने में मदद करती है, उदाहरण के लिए, गेदों और ब्लॉक्स के साथ खेलने से बच्चा समझता है कि गोल चीज़ें लुढ़कती हैं किंतु किनारे वाली वस्तुएँ नहीं। बच्चे के लिए शैक्षिक खिलौने और खेल महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक हैं जो सीखने की योग्यता को बढ़ावा देते हैं।

खिलौनों के साथ खेलना बच्चों के समग्र विकास को प्रभावित करता है

यदि आप बच्चों के खेल का अवलोकन करें और रुककर उनके बनाए ढाँचों, आकृतियों, नमूनों पर विचार करें और देखें कि वे अपने खेल के सामान के साथ कैसे काम करते हैं, तो आप यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाएँगे कि वे अपने खिलौनों के संसार से कितना कुछ सीखते हैं। खिलौनों से खेलना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और हम उन्हें इससे वंचित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को खिलौने नहीं मिलते, वे खेलते ही नहीं हैं। वे अपने आस-पास के परिवेश में कुछ-न-कुछ खेलने के लिए ढूँढ़ लेते हैं, उदाहरण के लिए, वे किसी कपड़े के टुकड़े या अपनी माँ की साड़ी से गुड़िया घर बना लेते हैं; किसी चम्मच या लकड़ी के चारों ओर फटा कपड़ा या पुराना कपड़ा लपेटकर सुंदर-सी गुड़िया बना लेते हैं। बच्चों को गुड़ियों से खेलना, धागे में मोती पिरोना, ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ना, सॉफ़्ट टॉय, पहेलियाँ, मिलान करने के खेल, कहानियाँ, आकृति छाँटना आदि खेल पसंद होते हैं। बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, वे इन्हीं खिलौनों का दूसरी प्रकार से प्रयोग करने लगते हैं; उदाहरण के लिए, जिन ब्लॉक्स को वह उठाकर घूमते थे, उसी से अब वह एक पुल या घर बनाते हैं या उन्हीं ब्लॉक्स को सड़क पर चलती कार के रूप में प्रयोग करते हैं। इन नकल वाले खेलों से बच्चों की कल्पना विकसित होती है और उनके चिंतन कौशल का विकास होता है। बच्चों को मटकों, कड़ाही, लकड़ी के चम्मचों को ड्रम और स्टिक के रूप में इस्तेमाल करना पसंद होता है, ये उनके लिए संगीत यंत्र का काम करते हैं। शोध दर्शाते हैं कि अच्छे खेल कौशल वाले बच्चे बाद की स्कूल की पढ़ाई में अच्छा करने की ओर अग्रसर होते हैं और एक समझदार, संतुलित व्यक्ति बनते हैं। खिलौनों से खेलना चिंतन कौशलों के विकास में सहायता करता है, जैसे— प्रत्यास्मरण, वस्तुओं को व्यवस्थित करना, समस्या समाधान आदि। खेल के दौरान मिलकर काम करने, खिलौनों से खेलने व साझा करने तथा अपने विचार साझा करने से बच्चों के सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। बच्चों को जब उपयुक्त खिलौने और वस्तुएँ खेलने के लिए दिए जाते हैं, तो वे लंबे समय तक खेलते हैं और सभी विकासात्मक क्षेत्रों में उसका लाभ होता है। बच्चों के साक्षरता और गणना विकास में सहायता और सहयोग करने के लिए खिलौने अतिउत्तम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री हैं। विशेषरूप से साक्षरता और गणना के लिए चयनित खिलौने कक्षा की अधिगम टोकरी की महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं जो बच्चे को पठन और चिंतन कौशलों के प्रति प्रेरित और आकर्षित करते हैं।

विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों हेतु खिलौने और खेल सामग्री

शारीरिक और गत्यात्मक विकास हेतु खिलौने और खेल उपकरण

यदि बच्चों को आयु और विकासात्मक उपयुक्त खिलौने और उपकरण प्रदान किए जाएँ तो बच्चों को आधारभूत छोटी-बड़ी माँसपेशीय कौशल, जैसे— चढ़ना, चलना, दौड़ना, घिसटना, कूदना आदि प्रबल हो जाते हैं। इन सभी के द्वारा प्रारंभिक वर्षों में सीखना अधिक सरल और आनंददायक हो जाता है। वयस्कों को चाहिए कि वे ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करें जिनसे बच्चों को अपनी सूक्ष्म और स्थूल माँसपेशियों को मज़बूत तथा नए पेशीय कौशल सीखने में सहायता मिले। झूले, फिसलपट्टी, सी-सॉ की आवश्यकता

© NCERT not to be republished

स्थूल पेशीय कौशल के विकास के लिए होती है। ब्लॉक्स, पहेलियाँ, क्रेयॉन्स, मोती, चिमटे से चीज़ें उठाना, बटन लगाना, लेंसिग, नेस्टिंग और खिलौनों का ढेर लगाना, रैटल्स आदि की ज़रूरत छोटी या सूक्ष्म पेशीय कौशलों को विकसित करने के लिए होती है। सक्रिय खेलों के लिए खिलौनों द्वारा शरीर मज़बूत बनता है और रंग, आकृति, ध्वनि, बनावट और पैटर्न से संबंधित खिलौने बच्चों के ग्रहण बोध को विकसित करते हैं।

चिंतन कौशल के विकास हेतु खिलौने

प्रारंभिक बौद्धिक विकास में विविध प्रकार के उत्प्रेरक खिलौनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में मोतियों को धागे में पिरोना, एक पहेली पूरी करना, आकृति छाँटना, रंगों को छाँटने वाले डिब्बे आदि सहायक खिलौने हैं। बच्चे जिस समय ब्लॉक बिल्डिंग, ढाँचे बनाने या जोड़ने में संलग्न होते हैं उस समय वे खिलौने को ठीक से रखना, क्रम में लगाना, ऊँचाई या गहराई की समझ विकसित कर सकते हैं। ब्लॉक्स बहुमुखी कार्य करते हैं और छोटे बच्चों को व्यस्त रखते हैं तथा उनका मनोरंजन करते हैं।

भाषा और प्रारंभिक साक्षरता कौशल को बढ़ावा देने हेतु खिलौने

खिलौने बच्चों को आकर्षित करते हैं और उन्हें बातें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा कि बच्चे यह बताने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने क्या बनाया। फिर आप बदले में जो कहते हैं वे उसे बड़े प्यार से सुनते हैं। खिलौने टेलीफ़ोन और बोलती किताबें शिक्षण में सहायक खिलौने हैं जो बच्चों के भाषायी और संप्रेषण कौशल को बढ़ाते हैं।

सृजनात्मकता और कल्पना कौशल को विस्तृत करने वाले खिलौने

कला अधिगम सामग्री समृद्ध संवेदी अनुभव प्रदान करती है। बच्चे वस्तुओं को उलटते-पलटते हैं, दबाते हैं, गुंधे हुए आटे को उँगली से छेदते हैं, मिट्टी (क्ले) में उँगलियाँ घुमाते हैं। उँगलियों से रंग करते हैं— ये सभी अनुभव मस्तिष्क में बनने वाले संयोजनों को दृढ़ करते हैं। कठपुतलियाँ, *ड्रेस अप क्लोदिंग* जैसे खिलौने कल्पना को बढ़ाते हैं, वहीं प्रचलित इलैक्ट्रॉनिक और तकनीकी खिलौने बच्चे की बढ़ती स्मरण शक्ति को उत्प्रेरित करते हैं।

सामाजिक-भावात्मक कौशल के निर्माण हेतु खिलौने

खिलौने भावात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुउद्देशीय खिलौने समूहों में खेले जाते हैं और इस प्रकार बच्चों को साझा करने और सहयोग करने में सहायता करते हैं। खिलौनों से खेलते हुए बच्चे अपने भीतर की दुनिया को खोजते हैं। वे अपनी भावना प्रकट करने के लिए किसी खेल वस्तु का प्रयोग करते हैं। कई बार बच्चे गुड़िया से खेलते हुए या नाटकीय खेल, जैसे घर-घर आदि खेलते समय अपने मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कई बार बच्चे स्वयं बड़ों की भूमिका में अभिनय करने के लिए कुछ खिलौनों का प्रयोग करते हैं, इससे उनकी 'स्व' की समझ विस्तृत होती है।

खिलौने भारतीय संस्कृति के मूल्य समझाते हैं। गुड़ियाँ भारतीय समाज की विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्लॉक्स स्कूल, घर की इमारतों, पुलों, रेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आधुनिक गतिशीलता का भाव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। खिलौनों की दुनिया के माध्यम से बच्चे संगठन

© NCERT not to be republished

सीखते हैं। खिलौनों और अधिगम सामग्री का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि खिलौनों की पसंद मूल्यों का संचरण करती है और अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास करती है।

नवाचारी, स्वदेशी, आयु और विकासात्मक उपयुक्त खिलौनों का चुनाव

क्या बाज़ार में सुंदर पारंपरिक खिलौने उपलब्ध हैं? लकड़ी की स्टैकिंग गुड़िया, गतिशील लकड़ी के खिलौने, रसोई के बरतन (चमकीले रंगों, गैर विषैले पदार्थों वाले) आज बाज़ार से गायब हैं और बच्चों के जीवन से भी। आमतौर पर एक पारंपरिक भारतीय खिलौना लकड़ी का बना होता है, यह गैर इलेक्ट्रॉनिक और बहुत कम तकनीकी प्रयोग वाला होता है। आज जब हम प्लास्टिक के बने खिलौने खरीदते हैं तो वह इसीलिए क्योंकि ये लकड़ी से बने खिलौनों की तुलना में सस्ते होते हैं। किंतु सुंदर स्वदेशी लकड़ी के खिलौने वास्तव में मानव विकास के प्रारंभिक वर्षों में अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष रूप से पहेली जड़ने का बोर्ड, लकड़ी के ब्लॉक्स, स्टैकिंग आकृतियाँ, आकृति छँटाई यंत्र, पेपर मेशी स्टैकिंग गुड़िया आदि। बच्चे इन खिलौनों द्वारा स्थानीय जानवरों, बरतनों, रंगों और आकृतियों के बारे में सीखते हैं। अन्य देशों की तरह भारत में भी आजकल हर जगह चाहे स्थानीय बाज़ार हो, मॉल हो या घर, छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में कोई गुड़िया या खिलौने के स्थान पर मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे है। बड़ों को यह बात समझनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का अर्थ मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलना नहीं है। अब वह समय आ गया है कि जब हम नई पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा नया सोचें और बनाएँ जहाँ हम स्वदेशी खिलौनों और गेम्स में टेक्नोलॉजी को ला सकें।

आज बाज़ार में आयातित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल खिलौनों के नए उत्पादों की बाढ़-सी आई हुई है, उसका क्या किया जाए? खिलौना निर्माता आजकल अभिभावकों के सामने खिलौनों का ऐसा खजाना पेश करते हैं कि वे वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन सही खिलौने का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। हम बड़े लोग बाज़ार में आयातित खिलौने देखकर अति उत्साहित हो जाते हैं और बिना उनका उपयोग और लाभ जाने उन्हें खरीद लेते हैं। बच्चे भी उनके रंगों, प्रकाश और गति से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु जल्दी ही उनसे ऊबकर फिर से जोड़-तोड़ वाले खिलौनों पर लौट आते हैं। बैटरी चालित खिलौने बच्चों को टी.वी. देखने का आदी बना देते हैं, अत: खिलौनों को आयु और विकासात्मक उपयुक्त, बच्चों के लिए रोचक और चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। नए-नए तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने अत्यधिक अनुक्रियात्मक और उत्प्रेरक होते हैं। किंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये खिलौने लंबे समय तक बच्चों को एक ही जगह बिठाकर रखने वाले न हों, बल्कि उन्हें संलग्न रखने वाले, बहुउपयोगी, बहुउद्देशीय और उनकी योग्यताओं के अनुकूल हों। खिलौने ऐसे हों जिन्हें बच्चे स्वयं सँभाल या जोड़-तोड़ कर सकें, कक्षा अधिगम में जिनका प्रयोग किया जा सके, जिन्हें सँभालना आसान हो और जो सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने वाले हों। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने सामूहिक खेल के लिए प्रेरित करें। खिलौने भली प्रकार निर्मित, मज़बूत और बच्चों के लिए सुरक्षित होने चाहिए। आधुनिक खिलौने बच्चों के लिए कई बार हानिकारक या खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें निम्न स्तर का प्लास्टिक या अन्य हानिकारक

© NCERT not to be republished

पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। खिलौनों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता किंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को ठोस हस्तकौशलीय खिलौनों की आवश्यकता होती है जिन्हें वे धक्का दे सकें, तोड़-मरोड़ सकें, कुछ नया बना सकें आदि। हमें ऐसे खिलौनों की आवश्यकता है जिससे प्रारंभिक वर्षों में एसटीईएम/एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, आर्ट्स और मैथ्स) को बढ़ावा मिले। ऐसे खिलौने इन मूलभूत क्षेत्रों में बच्चों के कौशल विकसित करने में सहायता करते हैं। अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों द्वारा गेम्स खेलने के लिए मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से चिंतित हैं। एसटीईएम और तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने बच्चों को खिलौनों में संलग्न रखने के लिए उत्तम हैं, साथ ही डिजिटल ज्ञान भी उपलब्ध कराते हैं। तकनीकी सहायता प्राप्त बोलते खिलौने बच्चों के बोलने और शब्द भंडार में मदद करते हैं और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सहायता भी करते हैं। तकनीक का प्रयोग केवल प्रदर्शन और दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि मूल्यों, उद्देश्य, अर्थ तथा आनंद को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तकनीकी खिलौने गंभीर शारीरिक क्षीणता वाले बच्चों का भी सहयोग करते हैं, जैसे— तीन पहिये की साइकिल की सवारी, बोलता टेलीफ़ोन आदि।

ऐसे खिलौनों का प्रावधान करने की आवश्यकता है जो बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से उत्प्रेरित करें। खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को दूसरों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे— बिल्डिंग ब्लॉक्स, अक्षर ब्लॉक्स, संख्या ब्लॉक्स, गुड़िया घर और नए-नए बोर्ड गेम्स। सभी बच्चों के लिए खिलौने ऐसे हों जो जेंडर संबंधी रूढ़ियों को तोड़ने वाले हों। खिलौनों का चुनाव बच्चों के कौशल और मिज़ाज के अनुरूप होना चाहिए।

स्वयं से प्रश्न करने का समय

क्या हम मधुबनी में मुलायम कपड़े की गुड़ियाँ के उत्पादन के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम पुराना लकड़ी का चैस बोर्ड बनाने की सोच सकते हैं और इसे स्कूल के आंतरिक खेल का हिस्सा बना सकते हैं? आज कितने घरों में कैरम बोर्ड होता है? क्या इस तरह के गेम्स और खिलौनों से जुड़ाव और मैत्रीभाव नहीं बढ़ता और साथ ही ये हमें नियम और मूल्य नहीं सिखाते? ग्रामीण भारत में आज भी बच्चों को लकड़ी का लट्टू नचाने में बहुत आनंद आता है। शहरों के कितने बच्चों को इसके बारे में पता है? क्या आज हम लड़कियों को रस्सी कूदते देखते हैं?

निष्कर्ष

हमारे छोटे बच्चों को खिलौनों से खेलने का पूरा अधिकार है। खिलौने सुरक्षित, उत्प्रेरक, पर्यावरण अनुकूलित और टिकाऊ होने चाहिए। खिलौने बच्चों को स्क्रीन के इस्तेमाल के बिना व्यस्त रखने का सबसे बढ़िया उपाय होते हैं। एक बच्चे के समग्र विकास में एक अच्छा खिलौना बहुत मदद करता है। बच्चों के स्वास्थ्य व कल्याण में खिलौनों से खेलने का अत्यधिक महत्व है और ये उन्हें एक ज़िम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करते हैं। हमें बच्चों के खिलौनों से खेलने के प्रत्येक अवसर का समर्थन करना चाहिए और खेल के मूल्य को पहचानना चाहिए। हमें बच्चों को गेम्स और खिलौने खेलने में ही नहीं, बल्कि आयु उपयुक्त खिलौने बनाने में भी शामिल करना चाहिए ताकि वे उपभोक्ता ही नहीं निर्माता भी

© NCERT not to be republished

बनें। छोटी आयु में ही बच्चों में उद्यमशीलता भर देने की आवश्यकता है और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कौशल प्रशिक्षण का नियोजन किया जाना चाहिए। स्कूल और उद्योग में भागीदारी की आवश्यकता है और छोटे बच्चों के लिए विद्यार्थियों द्वारा फैक्ट्री मोड में खिलौनों का निर्माण करने और भारत में विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को पालने-पोसने में मदद करने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत के दर्शन को बढ़ावा मिलना चाहिए। आइए, हम सब मिलकर खिलौना खेल आधारित शिक्षण विधि को बढ़ावा दें।

© NCERT not to be republished

5

खिलौने
सीखने की नींव विकसित करने में मददगार

पद्मा यादव*

खेलना बच्चों का स्वभाव है। खिलौना ऐसी वस्तु है जिससे खेलकर बच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। खिलौनों को अकसर बच्चों से संबंधित समझा जाता है लेकिन बड़े लोग यानि अभिभावक और शिक्षक भी इनका प्रयोग करते हैं। भारत में खिलौनों का प्रयोग अति प्राचीन है और सिन्धु घाटी सभ्यता के अवशेषों से भी यह प्राप्त हुए हैं। हर बच्चे को खिलौना प्रिय होता है। खिलौने बच्चे के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं। बच्चों के पास जो कुछ भी हो, चाहे वह पत्थर हो, पत्ता या तिनका हो, वे उसे उठा कर खेलने लगते हैं। खेल उन्हें बहुत प्यारा लगता है। खेलने से उन्हें आनंद मिलता है और बच्चों के लिए खेलना ही सीखना है। इस लेख के माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में कौन-कौन से खिलौने प्रयुक्त होते हैं और खिलौनों पर आधारित शिक्षण कैसे होता है? सीखने की नींव विकसित करने में खिलौने कैसे मददगार हैं?

खेलना बच्चों को बहुत पसंद होता है। खेत हो, घर हो, बाज़ार हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई भी स्थान हो बच्चे किसी भी वस्तु से खेलने लगते हैं और वही वस्तु उनके लिए खिलौने बन जाती है। खिलौने कई प्रकार की चीज़ों से बने होते हैं, जैसे— प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़े इत्यादि। बहुत पहले ज़्यादातर माता-पिता बच्चों को खेलने के लिए लकड़ी के खिलौने देते थे। लकड़ी के खिलौने आज भी प्रचलित हैं। लकड़ी के खिलौने अच्छे और टिकाऊ होते हैं। खिलौना खेलने के दौरान, बच्चे खिलौने को अपने मुँह में रख लेते हैं। अच्छी लकड़ी के खिलौने में कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, बच्चा खिलौना मुँह में रखेगा तो नुकसान नहीं होगा। ज़मीन पर गिरने से लकड़ी के खिलौने जल्दी टूटते नहीं हैं। प्लास्टिक के खिलौने ज़मीन पर गिर जाए तो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लकड़ी के खिलौने आसानी से अलग-अलग हो जाते हैं। इन्हें अलग करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। इनका मनचाहे ढंग से संगठन हो सकता है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक में होता है। बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें वे अपनी कल्पना का प्रयोग करते हैं। बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक का विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूपों में निर्माण कर सकते हैं। इससे बच्चों की छोटी माँसपेशियों का विकास होता है इसके साथ ही उनकी आँख और हाथ का तालमेल विकसित होता है साथ में उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। गुड़िया और बिल्डिंग ब्लॉक जैसे परंपरागत खिलौनों की लोकप्रियता अब भी बनी

* *प्रोफ़ेसर,* प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरबिंदो मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

© NCERT not to be republished

हुई है। नए-नए खिलौने आ जाने के बाद भी परंपरागत खिलौनों की माँग कम नहीं हुई है।

एक खिलौने को तीन चीज़ें महत्वपूर्ण बनाती हैं, उसका सामाजिक महत्व (जिससे बच्चों में सामूहिकता की भावना का विकास हो), उसका बहुमुखी होना (जिससे उसका सृजनात्मक प्रयोग किया जा सके) और उसका टिकाऊ होना (जिसे बच्चा कई साल तक उसका प्रयोग कर सके)। खिलौनों के कई फ़ायदे हैं, ये बच्चों को सृजनात्मकता, मनोरंजन और शिक्षा तीनों प्रदान करते हैं। सृजनात्मक खिलौने बच्चों के लिए बेहतर होते हैं। भारत में खिलौनों के संग्रहालय भी हैं।

आजकल इलेक्ट्रानिक खिलौनों की लोकप्रियता में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है। कई बार देखा गया है कि बच्चों को खिलौनों की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उन्हें अपने व्यस्त माता-पिता की होती है। बच्चे माता-पिता के साथ खेलना, घूमना, बातें करना और गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहते हैं। खिलौनों के अलावा भी बच्चों के पास खेलने-कूदने के ढेरों दूसरे तरीके होते हैं।

खिलौने बच्चों में तनाव को कम करते हैं। बच्चों की मासूमियत सभी को अच्छी लगती है। छोटे बच्चों की शरारत देखकर हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हुए माता-पिता के अंदर का बच्चा भी बाहर आ जाता है। वे भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए अच्छे खिलौने उनके विकास और उभरती क्षमताओं के लिए उपयोगी हैं। माता-पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चे को खिलौना खरीद कर देते हैं लेकिन छोटे बच्चों को अकसर नया खिलौना चाहिए होता है। बच्चों के पास जो खिलौने होते हैं उनसे उनका मन जल्दी ही भर जाता है। बच्चे खिलौना तोड़-फोड़ कर, उसके अन्दर क्या है, आवाज़ कैसे आ रही है, देखना चाहते हैं। इसीलिए खिलौने जल्दी खराब भी हो जाते हैं। माता-पिता के लिए यह समस्या हो जाती है कि रोज़-रोज़ बच्चों के लिए खिलौना कहाँ से खरीदें और क्या खरीदें? यह ज़रूरी नहीं कि बच्चे के लिए खिलौने केवल बाज़ार से ही खरीदे जाएँ, घर में पड़े बेकार सामान से भी खिलौने बनाए जा सकते हैं। खिलौने कई चीज़ों से बनाए जा सकते हैं, जैसे— माचिस, कागज, बटन, कपड़े, ढक्कन आदि। खिलौने बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। *सॉफ़्ट टॉयज, रिंग्स*, गेंद इत्यादि के साथ बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। जब बच्चों को कुछ नहीं मिलता तो बच्चे लकड़ी या प्लास्टिक के टुकड़े, कटोरी और ढक्कन, प्लास्टिक की बोतल के आदि को खिलौने के रूप में इस्तेमाल कर खेलने लगते हैं।

माता-पिता को बच्चों के नैसार्गिक विकास का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के जन्म के बाद शुरुआती कुछ महीने उनके विकास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान बच्चों के लिए खिलौनों का सहारा लेना चाहिए। इससे बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

ज्ञानवर्धक खिलौनों के साथ खेलकर बच्चों की समझ बढ़ती है और दूसरों पर उनकी निर्भरता कम होने लगती है। बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास खिलौनों पर भी टिका होता है। लोग बच्चों को खिलौने उपहार में भी देते हैं। खेल बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग है। चाहे बच्चा पलंग पर लेटा हो या कहीं रास्ते में, खटोले में हो या गोद में, बच्चे के हाथ जो भी आता है वह उससे खेलना शुरू कर देता है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो घर में जो कुछ भी उसके हाथ लगता है वह उसका खिलौना बनाकर खेलने लगता है।

© NCERT not to be republished

पैदा होने के कुछ समय तक बच्चे अपने हाथों पैरों से खेलते हैं। इससे शिशु को अपने आसपास की वस्तुओं का पता चलता है। ऐसे अनुभवों से उनकी अपने बारे में धारणा विकसित होती है। खेल के दौरान बच्चे यह समझने लगते हैं कि रोने पर माँ उनके पास आएगी, जब वह हँसेगे तो माँ उन्हें गोद में उठा लेगी। इन विभिन्न स्थितियों से जूझने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। एक पालने में लेटे हुए बच्चे के सिर के ऊपर नाचने वाली वस्तुएँ उनकी दृष्टि को उत्तेजित करती हैं और ध्यान देने की अवधि विकसित करती हैं। जब बच्चा 6 महीने के आसपास की उम्र का होता है तो माता-पिता को उनके दाँत निकलने का इंतज़ार रहता है। जब बच्चे सात से आठ महीने के बीच के होते हैं तो उनके दाँत आने शुरू हो जाते हैं। दाँत निकलने से पूर्व ही बच्चों की पहुँच में जो भी चीज़ आती है, उसे वे अपने मुँह में डालने लगते हैं। *टीथिंग टॉयज* शिशुओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि ये हानिकारक रसायन के बने न हों, ताकि यदि बच्चे उनसे खेलते हुए मुँह में भी रख लें, तो कोई परेशानी न हो।

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अन्य बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। जब शिशु लगभग 8 महीने का हो जाता है, तब वह घुटने के बल चलना शुरू कर देता है इसलिए मुलायम खिलौने और हल्के प्लास्टिक के खिलौने का उपयोग किया जाना चाहिए। 9 महीनों में, शिशुओं को विभिन्न आकृतियों, हल्की लकड़ी के क्यूब्स, बड़े छल्ले और लकड़ी के वाहनों के खिलौने दिए जा सकते हैं। जब शिशु लगभग 10 महीने का होता है, तो शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है और लगभग एक साल का होने पर बच्चे बिना किसी सहारे के खड़े होने लगते हैं (हालाँकि हर बच्चे की अपनी विकासात्मक गति है)। शुरुआत में लोग बच्चों को वॉकर लाकर देते हैं। वॉकर अच्छा होता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा वॉकर का प्रयोग बच्चों के चलने में देरी ला सकता है क्योंकि बच्चा इस पर निर्भर हो जाता है। इसके अलावा बहुत बार बच्चों को इससे चोट भी लग जाती है। माता-पिता को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जब बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो रस्सी से खींचने वाले खिलौने उन्हें पसंद आते हैं। इन खिलौनों का उपयोग माता-पिता के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। बच्चों को जिन चीज़ों में दिलचस्पी होती है उन्हें उसी तरह के खिलौने देने चाहिए। उन्हें किचन सेट, डॉक्टर सेट, गुड़िया और उसके कपड़े, पपेट्स और सैंड एंड वाटर प्ले टॉयज दिए जा सकते हैं। बच्चों को बाहर घुमाने भी ले जाना चाहिए। इससे बच्चों को बाहर की हवा मिलती है और इससे बच्चे खुश और स्वस्थ रहते हैं।

छोटी वस्तुओं, कैंची और सुई जैसे तेज़ धार वाले उपकरणों को बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। *सॉफ़्ट टॉयज* और बैटरी वाले खिलौने देने से बचना चाहिए क्योंकि वे उन्हें मुँह में लेने लगते हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन कम से कम देना चाहिए। कई बार माता-पिता बच्चे को सिर्फ़ इसलिए अपना मोबाइल देते हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है या ज़िद्द कर रहा है; तो यह सही नहीं है। बच्चे को इसकी लत लग सकती है। यह सिरदर्द और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है। इससे आँखे कमज़ोर हो सकती हैं। इसके साथ ही यह बच्चे को चिड़चिड़ा, आक्रामक और हिंसक भी बना सकता है।

जब बच्चा लगभग 3 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी उम्र के अनुरूप साइकिल ले कर देना अच्छा है। ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इससे बच्चों की बड़ी माँसपेशियों का विकास होता है। इस

© NCERT not to be republished

बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चा साइकिल माता-पिता की देखरेख में ही चलाए। इस उम्र में बच्चों को ड्रॉइंग बुक के साथ मोटी पेंसिल या क्रेयॉन दिए जा सकते हैं। रंगीन गेंद से बच्चों की छोटी बड़ी माँसपेशियाँ विकसित होती हैं। खिलौने पर नंबर और जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा में मदद कर सकते हैं और साथ ही सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। कठपुतली का खेल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को कठपुतली का खेल रुचिकर लगता है, क्योंकि कोई भी हिलती-डुलती चीज ध्यान सहज ही अपनी ओर खींच लेती है। इससे बच्चों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही वे उससे बातचीत करना भी सीख जाते हैं।

बच्चे के जीवन के पहले 5 साल में उनका मस्तिष्क बहुत ही तीव्र गति से विकसित होता है, वे कुछ भी सीख सकते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास इन्हीं शुरुआती वर्षों में हो जाता है। खिलौने के रंग और आकर्षक बनावट छोटे बच्चों का दिल जीत लेते हैं। खिलौने बच्चों के नन्हे-नन्हे हाथों में आसानी से आ जाएँ और उनका ध्यान आकर्षित कर सकें साथ ही बच्चे उनसे आसानी से पढ़ना-लिखना सीख सकें, यही कोशिश होनी चाहिए। बच्चों को पानी में खेलते समय वे खिलौनों जो पानी में तैरते हैं, बहुत पसंद आते हैं।

बच्चों को शीशा बहुत पसंद होता है। शिशु दर्पण में अपने बदलते चेहरे और भावों को देख कर खुश होते हैं। वे स्वयं के बारे में जागरूक हो जाते हैं, जैसे— शरीर के अंगों के बारे में, भावों के बारे में आदि। खिलौनों से खेलने से बच्चों को बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे— नए विषय वस्तु की समझ, जिज्ञासा का जन्म, मनोरंजन, नए दोस्तों के साथ मेलमिलाप, समय का सदुपयोग इत्यादि।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एवं खिलौने

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा या ईसीसीई का उद्देश्य जन्म से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। 'देखभाल' का अर्थ है— बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उसके स्वास्थ, साफ़-सफ़ाई और पोषण पर ध्यान देना। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरीक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन वर्षों में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में खेल-खिलौनों का बहुत योगदान होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल या ईसीसीई शिक्षा केंद्रों में बहुत सारे खिलौने होते हैं। यह खिलौने बच्चों को अपना परिवेश समझने में मदद करते हैं और उनमें भाषायी विकास, संज्ञानात्मक विकसित करते हैं। इसके साथ ही उन्हें पढ़ने-लिखने के लिए तैयार करते हैं। आकलन और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चे के सीखने में सुधार लाना है ताकि वे प्रगति कर सकें और उनका संपूर्ण विकास हो सके।

सीखने-सिखाने के दौरान किए गए आकलन से उनके बारे में एकत्र की गई जानकारी शिक्षक को किसी भी विषय में बच्चे की क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायक होती है। यह शिक्षकों को पाठयक्रम व सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार ढालने में मदद करती है।

© NCERT not to be republished

इसके साथ ही यह भी दर्शाने में सहायक सिद्ध होती है कि बच्चों ने पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को किस सीमा तक प्राप्त किया है। खिलौने भी ये जाँचने में सहायक हैं कि बच्चे रंग, आकार, विषयवस्तु को समझ रहे हैं या नहीं। उनमें कोई शारीरिक या बौद्धिक विषमता तो नहीं है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए, गुणत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुलभ नहीं है।

ईसीसीई लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और खोज-आधारित शिक्षा है। इसमें अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियाँ शामिल होने के साथ-साथ अन्य गुणों, जैसे— सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*)

बाल्यावस्था की शिक्षा समृद्ध होनी चाहिए। इसमें स्थानीय कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल होना चाहिए। खेलना बच्चों को बहुत पसंद होता है, खेल उनके लिए आनंद का स्रोत होते हैं। खेल, शिक्षा का एक सशक्त साधन है। खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है साथ ही उनके मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषायी कौशल के विकास में भी खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेलों के माध्यम से बच्चों में बहुत से मानवीय गुणों, जैसे— अनुशासन, समयानुपालन, पारस्परिक सहयोग, त्याग, पहल तथा नेतृत्व की भावना, अपनी बारी की प्रतीक्षा इत्यादि का विकास किया जा सकता है। खेलों में भाग लेने से बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास होता है। उनकी माँसपेशियों में संतुलन स्थापित होता है तथा स्फ़ूर्ति एवं चुस्ती आती है। बच्चों के संवेगात्मक विकास में भी खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पराजय को शालीनता के साथ स्वीकार करना तथा टीम के हितों के लिए निजी हितों का बलिदान करना आदि। बच्चे खेलों के माध्यम से सीख लेते हैं। बच्चों की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने में भी खेल सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में खेल प्रेरक शक्ति का कार्य करते हैं। (*पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या, 2019*)

प्रारंभिक शिक्षा (3–8 साल) में बच्चों को मुक्त और निर्देशित खेलों के दौरान विविध प्रकार की सामग्री और वस्तुओं से परस्पर संवाद करने के अवसर प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सामग्री या वस्तुएँ बच्चों की आयु व विकासात्मक स्तर के अनुरूप हैं या नहीं। खेल सामग्री दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलने और परस्पर संवाद करने, समाधान खोजने और नवाचार करने के अवसर देने वाली होनी चाहिए। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में जो गतिविधि क्षेत्र होते हैं उनमें इस प्रकार की खेल सामग्री होनी चाहिए, जैसे— क्रेयॉन, गड़िया, बनावटी फल

एवं सब्ज़ियाँ, ब्लॉक, पज़ल, मनके मोती, मापक कप और चम्मचें, वर्ग (क्यूब), बटन, मापक फीता, वज़न मापने वाला यंत्र, डॉक्टर सैट, परिधान संबंधी सामग्री (सजने-सँवरने का सामान), पुस्तकें, मिट्टी आदि। इस प्रकार की सामग्री बच्चों को अभिनय वाले खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षक प्रारंभिक स्तर पर खेल सामग्री या गतिविधि क्षेत्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए तैयार करते हैं। ये क्रियाएँ बच्चों में सीखने की नीव को सुदृढ़ करती हैं जो आगे जाकर बच्चों को विभिन्न विषय पढ़ने में मदद करते हैं।

निष्कर्ष

बच्चे अपने परिवेश के साथ सतत रूप से परस्पर संवाद करते रहते हैं। वे जिस चीज़ को भी देखते हैं, उसे छूने की अदम्य लालसा उनमें होती है। वे उसी वस्तु से खेलने लगते हैं और खेलते-खेलते सीखते हैं। खिलौने बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं। विविध प्रकार की खेल सामग्री और गतिविधियों के माध्यम से बच्चे वस्तुओं को जोड़-तोड़ करके, प्रष्ठ पूछकर, अनुमान लगाकर, सामान्यीकरण करके, भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश का अन्वेषण करके सीखते हैं और साथ ही उनका सामाजीकरण भी होता है। धीरे-धीरे बच्चे स्कूल के साथ-साथ घर या समाज में पढ़ते-बढ़ते चले जाते हैं। सीखने का परिवेश इस प्रकार का होना चाहिए जो उन्हें सीखने की ओर लालायित करे, सुरक्षित हो और अनुमान लगाने के मौके देता हो और पढ़-लिख कर समाज का अच्छा नागरिक बनने में मदद करे। बच्चों के सर्वांगीण विकास में खिलौने माध्यम बन जाते हैं। अतः इनका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को भी खिलौने बनाने के अवसर देना चाहिए इससे बच्चो को बहुत सीखने को मिलता है, जैसे— समस्या हल करना, निर्णय करना इत्यादि। अतः बच्चों को खिलौने बनाने और उनसे खेलने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए।

संदर्भ

भारत सरकार. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 27 सितंबर, 2013. *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति 2013*, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———.2019. पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या-2019, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् , नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

6

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का प्रतिबिंबन

सुनील कुमार उपाध्याय*

आज हम एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं, जहाँ एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमाम नए शैक्षिक सुधारों के साथ भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा का संकल्प व्यक्त करते हुए हमारे बीच उपस्थित है। जहाँ तक भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा की बात है, उसके स्वरूप को समझने के लिए महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन और उनकी शैक्षिक योजना के आलोक में इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। क्या यह शिक्षा नीति उसी तरह के भारत की कल्पना प्रस्तुत कर रही है, जैसा महात्मा गांधी भारत को देखना चाहते थे। क्या सर्वोदय व समग्र विकास की कोई अलग अवधारणा इसके मूल में है? कहीं समय के साथ कदमताल के प्रयास में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण को भारत पीछे तो नहीं छूटता जा रहा? और अगर महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं तो इस शिक्षा नीति में उनके शिक्षा संबंधी विचार किस तरह प्रतिबिंबत हो रहे हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ प्रस्तुत लेख में विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक इस नीति के लक्ष्यों और आदर्शों की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस नीति ने भारत और भारत की समस्याओं को समझने और उसके समाधान के लिए महात्मा गांधी की दृष्टि को प्रासंगिक और महत्वपूर्ण माना है और उसे ही आधार मानकर भारत के भविष्य को देखने का प्रयास किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि क्रियान्वयन के स्तर पर शिथिलता न बरती गयी तो यह नीति निश्चित ही भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ साबित होगी।

शिक्षा किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। हालाँकि, यह हमारा सौभाग्य रहा है कि शिक्षा के मामले में भारत का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है, जहाँ सभ्यता के प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति एक अद्भुत प्रेम देखने को मिलता है। शिक्षा के प्रति अपने समर्पण की उदात्त परंपरा के लिए पहचाने जाने वाले वैदिक काल के गुरुकुलों से आज तक के अपने सफ़र में शिक्षा व्यवस्था तमाम उतार-चढ़ावों की साक्षी भी रही है। वहीं आज हम पुनः एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं, जहाँ एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमाम नए शैक्षिक परिवर्तनों व सुधारों की मुनादी कर रही है। यह शिक्षा नीति भारत के लोगों के लिए भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर केंद्रित शिक्षा की बात कर रही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सुगम्यता की,

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* शिक्षक शिक्षा विभाग, डी.बी.एस.कॉलेज, कानपुर

© NCERT not to be republished

समता की, गुणवत्ता की, वहनीयता की, जवाबदेही की हमारी लड़ाई को गति दे पाएगी? क्या यह सतत और समग्र विकास की लोक केंद्रित अवधारणा को एक सशक्त धरातल दे पाएगी?

शिक्षा के सम्मुख मैकालियन परिप्रेक्ष्य की चुनौती और महात्मा गांधी

जब भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है तो उसे समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम भारतीयता के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल रहे महात्मा गांधी हो सकते हैं। उनके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा का स्वरूप क्या हो सकता है? महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधी संकल्पनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए 1835 में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद की पृष्ठभूमि में लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा से भिन्न पूरे राष्ट्र की शिक्षा परंपरा को ही बदलने के प्रयास को भी समझना होगा। बड़े ही कपटपूर्ण ढंग से लॉर्ड मैकाले ने 'सा विद्या या विमुक्तये' वाली शिक्षा को क्लर्क बनाने का साधन मात्र बना दिया। वह शिक्षा के माध्यम से पूरे भारतीय मानस को उसकी संस्कृति, उसकी जड़ों से काट देना चाह रहा था। वह कलकत्ता से अपने पिता को पत्र लिखता है कि, "....यदि हमारी शिक्षा योजना जारी रह गयी तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के संभ्रान्त वर्ग में कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा" (ट्रेवेल्यान,1889, पृष्ठ 330)। लेकिन भारत की विशेषता रही है कि भारत ने राजनैतिक आक्रमणों का भले सशक्त प्रतिकार न किया हो पर जब भी उस पर सांस्कृतिक आक्रमण होता है, तब भारत सशक्त प्रतिकार करता है। लॉर्ड मैकाले की सांस्कृतिक विजय यात्रा को कलकत्ता के दक्षिण में ही एक सामान्य से दिखने वाले संत रामकृष्ण परमहंस ने ही रोक दिया। उस संत ने काली की एक मूर्ति के प्रति कलकत्ता या बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था इतनी गहरी कर दी कि मैकाले की दम्भोक्ति ने कलकत्ता में ही दम तोड़ दिया। रामकृष्ण एक संत थे, उनकी भाषा बड़ी सहज और अनगढ़ थी, वे मूलतः अनुभूतियों के व्यक्ति थे (दिनकर,1956)। लेकिन बाद में विवेकानन्द ने उनकी अनुभूतियों को बौद्धिक स्वरूप दिया, जिससे वे पश्चिमी बुद्धिवाद की चुनौती का सामना भी करते हैं और भारतीय गौरव की स्थापना भी।

हालाँकि, रामकृष्ण और विवेकानंद का कार्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में था। इन्होंने अपने व्यक्तित्व और वक्तत्व से भारतीयों में जो गौरव और आत्मविश्वास का संचार किया, उससे राजनीति के धरातल पर जब गांधी प्रकट होते हैं, तो भारतीयता के प्रतीक बन पूरे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे देते हैं। मैकॉले को भी अगर किसी ने सीधी चुनौती दी तो वह गांधी ही थे। गांधी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कह देते थे कि मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी (गांधी, 1909, पृष्ठ 90)।

1927 में साइमन कमीशन के तहत शिक्षा संबंधी सुझाव हेतु ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। गोलमेज सम्मेलन में इसी समिति के सुझावों पर चर्चा हो रही थी। वहाँ गांधी ने यह आरोप लगाया कि ब्रिटिशर्स की उपस्थिति से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई है, अंग्रेज़ो ने भारत में शिक्षा के रमणीय वृक्ष को नष्ट कर दिया है (धर्मपाल,1983)।

© NCERT not to be republished

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारत की बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शिक्षा के स्रोत को नष्ट कर दिया है। भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद शिक्षा की जो स्थिति है, उससे बेहतर तो अंग्रेज़ों के आने के पहले थी। इसके पूर्व 1911 में गोपल कृष्ण गोखले केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव ला चुके थे, जिसे वहाँ बहुत से भारतीयों का भी समर्थन नहीं मिला था। उनका मानना था कि इतने विशाल देश में सभी को शिक्षा दे पाना ब्रिटिश सरकार के लिए सम्भव नहीं है। महात्मा गांधी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन जैसे गैर परंपरागत तरीकों के अन्वेषक महात्मा गांधी एक अद्भुत शिक्षा योजना प्रस्तुत कर देते हैं, जो न केवल निःशुल्क है, बल्कि बेरोज़गारी के खिलाफ बीमा करती हुई दिखती है।

महात्मा गांधी की शैक्षिक योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में शिक्षा-शास्त्रियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उनके शैक्षिक विचारों पर व्यापक विमर्श के उपरांत एक शैक्षिक योजना को मूर्त रूप दिया गया। इस शैक्षिक योजना में वे 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उनके वातावरण से संबंधित किसी शिल्प के माध्यम से मातृभाषा में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की बात करते हैं। दुनिया के इतिहास की यह पहली ऐसी शिक्षा योजना है जो पूरी तरह स्वावलंबी है। श्रम को हेय दृष्टि से देखने के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था को बहुत गहरी चोट लगी थी। महात्मा गांधी श्रम की महत्ता स्थापित कर अपनी शिक्षा योजना से स्वावलंबन की भी बात करते हैं और एक समतावादी समाज की स्थापना को संकल्पित भी करते हुए दिखते हैं। विद्यार्थी को उसके वातावरण से संबंधित किसी भी शिल्प की शिक्षा उसकी मातृभाषा में देकर न केवल विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाते हैं,बल्कि उसे उसकी संस्कृति से भी जोड़ते हैं। समता, श्रम की महत्ता, स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान, बुनियादी साक्षरता और कौशलों के माध्यम से स्वावलंबन ये सभी इस नयी शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांत हैं।

महात्मा गांधी, शिक्षा में बड़ा अभिनव प्रयोग करते हैं। वे यह समझ जाते हैं कि भारत की बदहाली का, गरीबी का, गुलामी का सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ी शासन द्वारा लोगों से उनका व्यवसाय छीन लेना रहा है। मूलतः अंग्रेज़ भारत में यहाँ की आर्थिक समृद्धि से आकर्षित हो व्यापार के लिए आए थे। लेकिन यहाँ के शासक बनते ही उन्होंने यहाँ की तकनीकी कुशलता को नष्ट करना शुरू कर दिया और कच्चे माल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिश नीतियों का परिणाम यह रहा कि भारत के कुटीर उद्योग एकदम समाप्त से हो गए। बेरोज़गार आबादी मजबूरी में मज़दूरी या छोटे मोटे कामों के लिए शहरों में आने लगी। अंग्रेज़ों की नीतियों से ही एक बड़ी आबादी गरीब और कमज़ोर हो रही थी। महात्मा गांधी इस पूरे दुष्चक्र को समझ रहे थे। उन्हें लग गया कि भारत की असली समस्या भारत के कुटीर उद्योगों की समाप्ति और लोगों की बेरोज़गारी है। वे शिक्षा को ब्रिटिश दुष्चक्र और उससे उपजी गरीबी व बेरोज़गारी से मुक्ति के माध्यम के रूप में चुन उसके उद्देश्यों के फलक को विस्तृत भी कर रहे थे और उसे राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के रूप में भी देख रहे थे। महात्मा गांधी ने इसलिए अपनी शिक्षा योजना में मृतप्राय हो चुके भारत के कुटीर उद्योगों को शिक्षा से जोड़कर उसे जीवनशक्ति देने का प्रयास किया और इसी माध्यम

© NCERT not to be republished

से बेरोज़गारी से लड़ने का एक विकल्प भी प्रस्तुत किया। भारत में पहले व्यावसायिक शिक्षा गुरूकुलों से अलग परिवारों और जातियों में सीमित थी। महात्मा गांधी एक नया प्रयोग करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से एकीकृत कर देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो चित्त की शुद्धि न करे, निर्वाह का साधन न बनाये, स्वतंत्र रहने का सामर्थ्य न दे उस शिक्षा में चाहे जितना जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता व भाषा पाण्डित्य हो वह सच्ची शिक्षा नहीं। महात्मा गांधी विद्यार्थियों के वातावरण से संबंधित किसी शिल्प केंद्र में रखकर विद्यार्थियों को शिक्षा देने की योजना प्रस्तुत कर देते हैं।

आज यह प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस विषय में महत्वपूर्ण पहल हुई है। यह नीति स्थानीय परिवेश और उसकी आवश्यताओं से जुड़े कौशलों से संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से अनुभव आधारित अधिगम की बात कर रही है। इसके लिए यह प्रत्येक विषय में इन क्रियाकलापों को एकीकृत करने हेतु कार्ययोजना बनाने की बात पर बल दे रही है। इस शिक्षा नीति में 2025 तक 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की गयी है। इसमें माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किए जाने की भी बात की गयी है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 10 दिन के बस्ता रहित कक्षा की बात की गयी है, जिसमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशलों के प्रशिक्षण देने की बात की गयी है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक समझ बढ़ाने के लिए उन्हें अवकाश के दिनों में स्थानीय कौशलों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी इस नीति में की गयी है। इससे विद्यार्थी मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल विकास में भी संलग्न हो पाएँगे और प्रयास यह है कि वे कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीख लें। इससे उन्हें रोज़गार भी मिलेगा, श्रम की महत्ता भी स्थापित होगी और भारतीय कलाओं से वे जुड़कर उसको संरक्षित भी कर पाएँगे। पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत कर व्यावसायिक शिक्षा के अनुक्रम और उस तक विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाने का प्रयास इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक समझ बल्कि चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशलों से विद्यार्थियों को सुसज्जित करना भी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् को यह ज़िम्मेदारी दी गयी है कि वे इससे संबंधित क्रियाकलापों को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की कार्ययोजना तैयार करे।

महात्मा गांधी अपनी शैक्षिक योजना में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कम से कम लिखने, पढ़ने और गणना के योग्य बना देना चाहते हैं। जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित किसी शिल्प को सीखते हुए उसी से संबंधित जानकारी को पढ़ना, लिखना और गणना करना, जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को बोझिल होने से बचा लेता है। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति यह है कि असर (2018) के सर्वेक्षण बताते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी तक प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं दे पा रही है। अर्थात ऐसे बच्चों में पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। नई शिक्षा नीति ने समस्या और उसके कारणों की पहचान कर साक्षरता और संख्या ज्ञान को मूलभूत कौशल मानते हुए रुचिकर

© NCERT not to be republished

ढंग से और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाते हुए इस कौशल का ज्ञान कराने पर बल दिया है। इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना है और इसे सीखने की आवश्यक शर्त मान इसे एक राष्ट्रीय अभियान बनाने की ज़रूरत महसूस की गयी है। यह नीति बच्चे के विकास लिए आवश्यक मूलभूत कौशलों की प्राप्ति के लिए एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने को संकल्पित दिख रही है, जो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों का ही वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलन है।

गांधी, ज्ञान को अनुशासनिक वर्गीकरण से बाहर खींच उसे समग्रता में लेते हुए, रोज़मर्रा के अनुभवों से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं। वे ज्ञान के विभिन्न पक्षों में आपस में संबंध स्थापित करते हुए बच्चे के वातावरण से संबंधित किसी शिल्प को केंद्र में रखकर समवाय (सहसंबंध) पद्धति द्वारा शिक्षा देने की बात करते हैं (पाण्डेय, 2017, पृ.133)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इन्हीं शैक्षिक आदर्शों व मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करने वाली समग्र शिक्षा पर बल दे रही।

यह नीति स्पष्ट रूप से अपने आधार सिद्धांत में कहती है कि विभिन्न अनुशासनों के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर क्रियाकलापों के बीच, व्यावसायिक और परंपरागत शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच की पारस्परिक दूरी और असंबद्धता को दूर किया जा सके। यह शिक्षा नीति फॉउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज पर गतिविधि आधारित अध्ययन के प्रोत्साहन पर बल देती है, जिसके माध्यम से बच्चों में नैतिक गुणों स्वच्छता, सहयोग आदि आदतों का विकास किया जाना है। इसके साथ ही विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से ही पढ़ने, लिखने, बोलने, कला, भाषा, विज्ञान, गणित, शारीरिक स्वास्थ्य जैसे विषयों की शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्टेज की तीन वर्ष की शिक्षा में विषयों का स्पष्ट विभाजन तो हो जाएगा और उनकी अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा लेकिन तब भी शिक्षा अनुभव आधारित होगी और विषयों के मध्य पारस्परिक संबंध देखने पर बल दिया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को रटने की प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए संज्ञानात्मक समझ, चरित्र निर्माण और व्यावसायिक कुशलता की ओर ले जाना है।

इस नीति में बच्चों को विषयों में बाँधने से बचाने की महत्वपूर्ण पहल की गयी है। यह शिक्षा नीति बहु-विषयक और लचीली शिक्षा की बात कर रही है। इसमें बच्चे को अपनी पसंद के विषयों को पढ़ने की पूरी छूट है, जिससे बच्चे किसी वस्तु या घटना से संबंधित सभी पक्षों का ज्ञान अलग-अलग विषयों के माध्यम से प्राप्त कर ज्ञान उस, वस्तु या घटना की व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महात्मा गांधी का एक स्पष्ट और विराट प्रतिबिंबन दिख रहा है।

यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों को स्थानीय संदर्भों से जोड़ने के प्रयास करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यों, आदर्शों, साहित्य, कला, संस्कृति के प्रति खुले रूप में अपना लगाव दिखा रही है और विद्यार्थियों को इससे जोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कर रही है। यह शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण पहल करते हुए सीखने में मातृभाषा के महत्व को केवल स्वीकार ही नहीं कर रही बल्कि उसकी पुरज़ोर वकालत भी कर रही। यह नीति इस बात पर ज़ोर दे रही है कि बच्चे के बौद्धिक व सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए

© NCERT not to be republished

मातृभाषा में शिक्षा आवश्यक है। साथ ही अंग्रेज़ी भाषा के समर्थन में दिए जा रहे तर्कों का उत्तर देते यह भी कह रही कि दूसरी भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उस भाषा को शिक्षा का माध्यम ही बनाया जाए। उसे एक विषय के रूप में अध्ययन कर भी सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो वह जिस दौर में अपनी शिक्षा योजना लेकर आए थे, वह दौर ही अंग्रेज़ी का था। शिक्षा का पर्याय ही अंग्रेज़ी शिक्षा थी। लेकिन महात्मा गांधी जिस तरह से भारत की आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का कारण कुटीर उद्योगों की समाप्ति मानते हैं, ठीक उसी तरह अपनी भाषाओं की उपेक्षा व उससे अलगाव को भी तमाम सांस्कृतिक, राजनीतिक व शैक्षिक समस्याओं का कारण मानते हैं।

कोई भी भाषा अपने समाज की संस्कृति की वाहक होती है। विलियम जोन्स ने जिस संस्कृत को ग्रीक से अधिक परिपूर्ण और लैटिन से अधिक समृद्ध और इन दोनों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और मनोहारी माना। जिस संस्कृत में ज्ञान का विपुल भण्डार है, जो भाषा आज भी सर्वाधिक वैज्ञानिक मानी जाती है व कम्प्यूटर तक के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी गयी, उसे भी उपेक्षित किया जाना भारतीयों द्वारा खुद के साथ किया गया एक बड़ा अपराध है। यह शिक्षा नीति संस्कृत के संरक्षण के प्रयासों पर बल देने की बात कर रही है, जो भारतीय ज्ञान के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

हम वैज्ञानिक अनुसंधानों में दुनिया के देशों से पिछड़ रहे, इसका एक कारण यह भी है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान से न अपने को जोड़ पा रहे हैं और न ही उससे प्रेरणा ले पा रहे हैं, क्योंकि इसमें भाषा एक अवरोधक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मातृभाषा में शिक्षा न लेना भी हमारी बौद्धिक विफलताओं का कारण है। दुनिया के तमाम मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देना विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। मातृभाषा में हम विषयवस्तु को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यही कारण भी है कि दुनिया के अधिकांश विकसित देश मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। भारत में भाषाओं की एक समृद्ध परंपरा और सुदृढ़ नींव है, फिर भी अपनी भाषा से विमुख हो अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी संस्कृति की कीमत पर अपनी शिक्षा जारी रखे हुए हैं। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शास्त्रीय और मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में लाने का प्रयास कर पूरी शैक्षिक संरचना को ही नया कलेवर देने का प्रयास किया है। यदि इसे वास्तविक धरातल पर अमल कर दिया गया तो निश्चित ही भारत में शिक्षा और उसके माध्यम से नवीन ज्ञान के विकास हेतु अनुसंधानों के स्तर में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा।

वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, भाषा, प्राचीन वाङ्मय, शिल्प और इन सभी को शिक्षा से जोड़कर व उनके संरक्षण, संवर्धन और आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरण की बात करती हैं। वस्तुतः यह शिक्षा नीति भारतीय समस्याओं की जड़ों को खोजती व उनका समाधान भारतीय संदर्भों के साथ करने का प्रयास कर रही है,और ऐसी ही महात्मा गांधी की भी भावना थी।

निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को समेटे हुए है। चाहे शिक्षा को रोज़गारपरक बनाने की बात हो या मातृभाषा में शिक्षा प्रदान

© NCERT not to be republished

करने की हो या फिर बच्चों में मूलभूत कौशलों के विकास की बात हो, इन सभी विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर महात्मा गांधी का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का भी सर्वाधिक ज़ोर इन्हीं बातों पर था। समता, श्रम की महत्ता,स्थानीय परिवेश से जुड़ाव,ज्ञान की अखंडता, बुनियादी साक्षरता और स्वावलंबन— ये सभी इस नई शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांत हैं। इस शिक्षा नीति में इन निर्धारित आदर्शों को प्राप्त करने हेतु विषयगत, प्रक्रियागत और संरचनागत बदलावों और शैक्षिक विसंगतियों, समस्याओं के साथ जूझने का संकल्प दिख रहा है। निश्चित ही यह शिक्षा नीति भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी। आशा की जा सकती है कि जिस तरह इस दस्तावेज़ के माध्यम से भारत की शैक्षिक समस्याओं की जड़ में जाने व उसका समाधान खोजने का प्रयास किया गया है, उसी तरह से इस नीति के क्रियान्वयन के स्तर पर भी गंभीरता दिखायी जाएगी। शिक्षा से जुड़े लोगों की इसके क्रियान्वयन के प्रति दृढ़ संकल्प शक्ति बनी रही तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निश्चित ही भारतीय शिक्षा को नई दिशा देगी।

संदर्भ

असर. 2018. *एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट*. असर सेन्टर, नयी दिल्ली.

गांधी, मोहन दास करमचंद. 1909. *हिन्द स्वराज्य*. (अनुवादक- अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी). सर्वसेवा संघ, वाराणसी.

ट्रेवेल्यान, जी. ओ. 1889. *द लाइफ़ एण्ड लेटर्स ऑफ़ लार्ड मैकॉले*. लॉंगमन्स, ग्रीन एण्ड कंपनी, लंदन.

धर्मपाल. 1983. *द ब्यूटीफुल ट्री*. बिब्लिआ इम्पेक्स प्रा. लि., नयी दिल्ली.

दिनकर, रामधारी सिंह. 1956. *संस्कृति के चार अध्याय*. लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद.

पाण्डेय, राम शकल. 2017. *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास*. श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

© NCERT not to be republished

7

पर्यावरण के विकास हेतु ज़रूरी है जैव विविधता की समझ

अमित कुमार वर्मा*

जीवन के अस्तित्व के लिए जैव विविधता एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे अकसर पौधों, पशुओं और सूक्ष्मजीवों की विविधता के संदर्भ में समझा जाता है। हालाँकि, इसमें झील, जंगल, रेगिस्तान, कृषि परिदृश्य जैसे पारिस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं जो कि मनुष्यों, पौधों और पशुओं के बीच के तालमेल को दर्शाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन से जैव विविधता को कई खतरे हैं। इन खतरों को कम करने या रोकने के लिए इसे संभालना और सँवारना महत्वपूर्ण है। यह लेख विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में छोटे बच्चों के मन में जैव विविधता की अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, शिक्षकों को चाहिए कि वे कुछ संबंधित रणनीतियों और गतिविधियों के द्वारा बच्चों और उनके माता-पिता को पर्यावरण और आसपास के जीवन के साथ सद्भाव विकसित करने के महत्व और उसकी समझ बनाने हेतु प्रयास करें। गतिविधियों का निर्माण करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि गतिविधियाँ बच्चों की आयु, रुचि और विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ-साथ अनुभवों को बढ़ावा देने वाली हों और हर्ष से सीखने पर ज़ोर देने वाली हों। इस दिशा में विद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विविधता और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जैसे अवसरों को प्राथमिकता से मनाया जाना चाहिए। बच्चों को बढ़ चढ़ कर ऐसे अवसरों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे बचपन से ही बच्चों में पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके।

जीवन और दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है। जैव विविधता 'जैविक' और 'विविधता' दो शब्दों के मेल से बनी है जिसे पृथ्वी पर 'जीवन की विविधता' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें फूल, पौधे, कीड़े, पक्षी, स्तनपायी, नदियाँ, महासागर, वन और प्राकृतिक आवास आदि शामिल हैं। जैव विविधता क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती है जो ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा और पानी, पौधों के परागण, कीट नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार प्रदान करती है। इसके साथ ही यह कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आपूर्ति करती है। जैव विविधता आर्थिक रूप से मनुष्यों को उपभोग और उत्पादन के लिए कच्चे माल भी उपलब्ध कराती है। कई आजीविकाएँ,

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, जैवविज्ञान विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली 110 025

© NCERT not to be republished

चित्र 1 —पृथ्वी पर जैव विविधता

जैसे— खेती, मछली पालन और बढ़ईगिरी, जैव विविधता पर निर्भर हैं। कई मनोरंजक गतिविधियाँ अद्वितीय जैव विविधता पर निर्भर करती हैं, जैसे— पक्षी विहार, लंबी पैदल यात्रा, शिविर और मछली पकड़ना आदि। हमारा पर्यटन उद्योग जैव विविधता पर भी निर्भर करता है, जैसे— कश्मीर की वादियाँ, नीलगिरि की पहाड़ियाँ, कोंकण के वर्षावन, केरल और अण्डमान के मनमोहक समुद्रीतट आदि। जैव विविधता व्यवस्थित पारिस्थितिक डेटा के एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें प्राकृतिक दुनिया और इसकी उत्पत्ति को समझने में मदद करती है। जैव विविधता जलवायु, रोगों और प्राकृतिक आपदाओं, पोषक तत्व पुनर्चक्रण को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करती है। वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का निर्बाध दोहन, पर्यावरणीय गड़बड़ी, प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों के विनाश, वायु और जल प्रदूषण, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान और गिरावट जैसे कई तरीकों से लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। ऐसे पर्यावरणीय नुकसान न केवल खतरनाक हैं बल्कि जीवन, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता के लिए एक चेतावनी भी हैं। यह खतरा मुख्य रूप से वनस्पतियों और जीवों से संबंधित जैव विविधता को प्रभावित करता है जो कि बड़े पैमाने पर मानवता के अस्तित्व के सवाल से सीधे जुड़ा हुआ है। सतत विकास को बढ़ावा देने और जीवन के अस्तित्व को संबोधित करने के संदर्भ में जैव विविधता की समझ बचपन से ही विकसित करने की आवश्यकता है। इस तरह की समझ के बिना मानव और पर्यावरण का तालमेल लगातार जोखिम में है। समय पर उपाय करने से अचानक होने वाली प्राकृतिक आपदाओं और अन्य नुकसानों को चिन्हित किया जा सकता है और इनसे बचाव की रणनीति तैयार की जा सकती है। इस दिशा में न केवल सरकार बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी मज़बूती से जागरूकता बढ़ाने और बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस दुनिया में हर किसी को पर्यावरण सुरक्षा और इसकी स्थिरता में योगदान करने के लिए संवेदनशील और प्रेरित किए जाने की ज़रूरत है। बच्चों के जीवन के प्रारंभिक चरण में उनके मन में जैव विविधता की अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया की समझ बनाना प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे अपने पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं। वे जो कुछ भी देखते हैं, उसे छूना चाहते हैं और इसी तरह वे सीखते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और सामग्री के माध्यम से बच्चे वस्तुओं में हेरफेर करके, प्रश्न पूछकर, पूर्वानुमान लगाकर और सामान्यीकरण आदि करके शारीरिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण का पता लगाते हैं। इसलिए, यह लेख प्रारंभिक अवस्था में बच्चों

© NCERT not to be republished

के मन में जैव विविधता की अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जैव विविधता के बारे में समझ बनाने और इसके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को महसूस किया गया है इसलिए प्राथमिक स्तर पर ही 'पर्यावरण अध्ययन' को विषय के रूप में पेश किया गया है। सन 2003 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ज़रिए भारत में पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक शिक्षा में अनिवार्य कर दिया गया (सोनोवाल, 2009)। सन 2005 में रा.शै.अ.प्र.प. ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रकाशित की, जो पर्यावरण अध्ययनों से प्रभावित थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 9 के लिए एक विषय के रूप में अनुशंसित किया, जिसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषाओं और गणित के साथ पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया। कक्षा 11 और 12 में पर्यावरणीय अवधारणाओं में इसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया था और इसे विभिन्न विषयों के साथ जोड़ा गया था। वर्तमान समय में भारत को पर्यावरण के साथ-साथ सतत विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार) विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता और सर्वजन्य भी शामिल होते हैं (महापात्रा और रावल, 2018)। कई सतत प्रयासों के बावजूद हमारे जैसे देश में पर्यावरण शिक्षा का प्रभाव शायद ही दिखाई देता है। इस कमी के पीछे मुख्य कारण, विभिन्न स्तरों पर रुचि का अभाव, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बुनियादी ढाँचे की कमी, हितधारकों के बीच समन्वय की कमी है। आगे बढ़ने के लिए पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा, एक मज़बूत मूल्यांकन तंत्र, नया क्षमता निर्माण तंत्र, सरकार, गैर सरकारी संगठनों और सभी हितधारकों के बीच साझेदारी निर्माण, राष्ट्रीय उद्यानों, चिड़ियाघरों जैसी नई सुविधाओं का विकास करना होगा। तदनुसार योजना और प्रबंधन, सतत विकास और स्थिरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसे हमारी भावी पीढ़ी में जैव विविधता के संरक्षण के विकास की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है। बच्चों में जैव विविधता की समझ के निर्माण और रखरखाव की जानकारी में वृद्धि करते हुए, कुछ रणनीतियों की चर्चा लेख में आगे की गई है। जो शिक्षकों को व्यवस्थित तरीके से बच्चों को तैयार करने में मदद कर सकती हैं।

बच्चों को कक्षा से बाहर जाने, निरीक्षण करने और जाँच करने दें

बच्चों को कक्षा से बाहर जाने का अवसर दें। कभी-कभी उन्हें चिड़ियाघर, पार्क, नहरों आदि पर ले जाएँ और वहाँ के वन्यजीवों, प्रकृति, पौधों और पशुओं को देखने का अवसर दें। साथ ही साथ कीड़ों, पक्षियों, पौधों के रंग, प्रकार, प्रकृति, निवास और जीवन कीप्रक्रिया तथा जंतुओं और नदी की संरचना, पानी का रंग, लहरें, मछलियाँ आदि को देखने व समझने दें। उदहारण के लिए, कीड़े, पक्षी और जानवर कैसे दिखते हैं, उनके रंग क्या हैं, वे कौन-कौन सी आवाज़ें निकालते हैं, वे भोजन कैसे जुटाते हैं और कहाँ रहते हैं आदि। इसी प्रकार आसमान नीला क्यों, बादल काले-सफ़ेद क्यों, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे

© NCERT not to be republished

होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, धूप-छाँव कैसे होती है, जैसे विषयों पर भी बच्चों को अवलोकन और चर्चा के द्वारा अनेकानेक जानकारी दी जा सकती है। इन सभी को देखने के लिए रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट इस कार्य के लिए नामित करना चाहिए। मौसम परिवर्तन, कीड़े, पक्षी, पौधे, पशु व्यवहार (यदि कोई हो) बच्चों को संदर्भ के साथ अवधारणा को समझने में मदद कर सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग अवधारणा निर्माण के लिए में कक्षा में भी किया जा सकता है। एक संबंधित गतिविधि उदाहरण के रूप में नीचे दी जा रही है।

गतिविधि— चारों ओर देखें

शिक्षक बच्चों को इस गतिविधि को स्वतंत्र रूप से, जोड़े में या समूहों में करने और किसी भी पौधे, फूल, पेड़, पक्षी, जानवर या कीड़ों आदि का अवलोकन करने की स्वतंत्रता दे सकते हैं। यदि संभव हो तो बच्चों को मैग्नीफाइंग लेंस उपलब्ध कराएँ ताकि वे छोटे-छोटे कीड़ों, पतंगों, ओस/पानी की बूँद, छोटी घास, मिट्टी, फूल आदि की संरचना को आसानी से देख और जान सकें। बच्चे उन सभी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो वे बाहरी क्षेत्र में देखते हैं। अवलोकन के समय बचचों को अपने अवलोकन का रिकॉर्ड करने देना चाहिए। यदि वे कीड़ों को बाहर निकालने के लिए ज़मीन खोदना चाहते हैं या उनका पीछा करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दें। शिक्षक बच्चों को उनकी टिप्पणियों को साझा करने और उनके अवलोकन के संक्षिप्त विवरण के साथ एक पोस्टर तैयार करने के लिए कह सकते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक कक्षा में हर बच्चे का काम प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो यह बच्चों के सामाजिक-भावनात्मक विकास के लिए उपयुक्त हो सकता है।

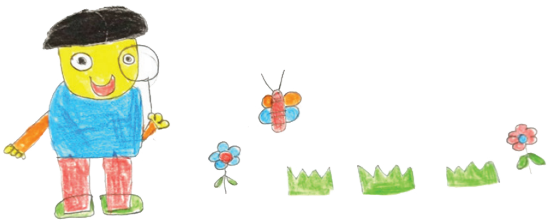

चित्र 2— कीड़ों का अवलोकन करता बच्चा
(सार्थक चंद्रा, कक्षा 3, उम्र 7)

प्रकृति का संरक्षण

प्रकृति के साथ तालमेल बनाने के फ़ायदों को समझना अस्तित्व की स्थिरता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बच्चों को विद्यालय में और आसपास में जगह देकर स्थानीय जैव विविधता के पोषण के तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है, जैसे कि

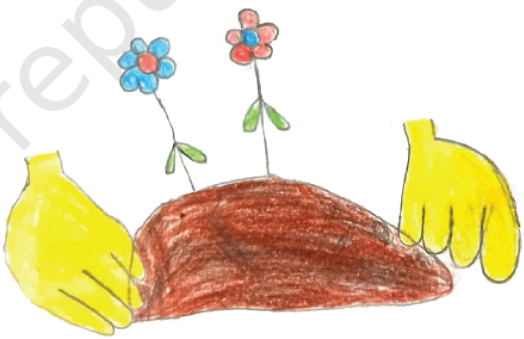

चित्र 3— मानव पर्यावरण सहभागिता
(सार्थक चंद्रा, कक्षा 3, उम्र 7)

बीज बोना, बागवानी करना, पक्षियों के लिए घोंसला बनाना, पक्षियों और जानवरों को खाना खिलाना और पानी देने के लिए स्थान बनाना आदि। इससे बच्चों को पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों और कीड़े-मकौड़ों आदि की देखभाल करने की प्रवृत्ति विकसित करने में मदद

© NCERT not to be republished

मिलेगी। उदाहरण के रूप में एक गतिविधि नीचे दी जा रही है।

गतिविधि— पर्यावरण की रक्षा करें

बच्चों के अलग-अलग समूह बना सकते हैं। शिक्षक विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं जो जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे— सूखा, अग्नि, बाढ़, प्रदूषण और वनों की कटाई आदि और यह सब कैसे पृथ्वी को नुकसान पहुँचाते हैं। पहले, बच्चों को सूखे घास के मैदान में ले जाएँ और उन्हें पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के महत्व के बारे में बताएँ जैसे कि मनुष्यों के द्वारा पेड़ों को काटने से बहुत से जानवरों के आवास उजड़ गए और बहुत से पशु-पक्षी मर गए, वातावरण में वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई आदि। अब दूसरी तरफ़, बच्चों को हरे-भरे घास के मैदान में ले जाएँ और उन्हें तरह-तरह के पेड़-पौधे, फूल-पत्तियाँ, रंग-बिरंगी तितलियाँ, छोटे-बड़े कीड़े-मकौड़े, पशु-पक्षी और जीव-जंतु दिखाएँ और उन्हें सूखे और हरे घास के मैदानों में अंतर करने के लिए कहें। इस प्रकार से बच्चे पर्यावरण, जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में काफ़ी अच्छे से सीख और समझ पाएँगे। शिक्षक बाद में बच्चों से समूहों के भीतर चर्चा करने और चारों ओर वनस्पतियों और जीवों की देखभाल करने की रणनीतियाँ बनाने के लिए कह सकते हैं। प्रत्येक समूह को एक-एक करके बुलाएँ और उन्हें अपने काम या रणनीतियों को प्रस्तुत करने के लिए कहें। सुझाई गई रणनीतियों में से बच्चों की सहमति से शिक्षक उन रणनीतियों का चुनाव करें जिन्हें आसानी से अपनाया या कार्यान्वित किया जा सके, जैसे कि पेड़-पौधे लगाना, पुनर्चक्रण न की जा सकने वाली प्लास्टिक का उपयोग न करना, आवश्यकता न होने पर भी बिजली के उपकरणों को बंद कर देना, कागज़ को दोनों तरफ से इस्तेमाल करना, पानी बचाना, संसाधनों का सदुपयोग करना, भोजन को बर्बाद न करना आदि। बच्चों से घर पर भी इन सभी रणनीतियों का पालन करने और परिवार के सदस्यों, आस-पड़ोस और दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करने को प्रोत्साहित करें।

बच्चों में जैव विविधता की स्थिरता के कारकों की समझ बनाना

बच्चों को जैव विविधता की स्थिरता के लिए कारकों को समझाने के लिए प्रयोग सबसे अच्छा तरीका है गंदे पानी को छानना या पानी को जीवाणुमुक्त बनाना आदि। एक संबंधित प्रयोग उदाहरण के रूप में नीचे दिया जा रहा है।

प्रयोग— निमो का संघर्ष

4 से 5 बच्चों के अलग-अलग समूह बनाएँ और हर समूह को अलग बिठाएँ। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कचरे पर चर्चा शुरू कर सकते हैं जो बच्चे अपने स्कूल, घर या समुदाय के आसपास देखते हैं। बच्चों को 'निमो द फ़िश' की कहानी सुनाएँ जो एक नदी में रहता था और वह नदी जल प्रदूषण से प्रभावित थी। जिस कारण निमो को तैरने और साँस लेने में परेशानी होती थी और वह बीमार रहने लगा था। उसका परिवार, दोस्त और नदी के अन्य जीव जंतुओं पर भी इसका असर दिखने लगा था। इस बात से निमो परेशान रहता था और सोचता था कि अगर प्रदूषण नहीं रुका तो वह और अन्य सभी जीवित नहीं रह पाएँगे। शिक्षक भी बच्चों को प्रदूषण से संबंधित कोई कहानी सुनाने को प्रोत्साहित करें। एक बार जब बच्चे अपनी कहानी समाप्त कर लें, तो उन्हें प्रयोग करने

© NCERT not to be republished

दें। कागज़ के छोटे टुकड़े का उपयोग करके एक निमो मछली तैयार करें। अब, बच्चों से निमो की नदी के पानी में प्रदूषण डालने के लिए कहें। प्रयोग की दृष्टि से प्रदूषण को तरह-तरह के रंगीन पानी से दिखा सकते हैं। पानी को आगे बढ़ाने के लिए पेंसिल या छोटी सी लकड़ी का इस्तेमाल करें ताकि निमो मछली पानी में तैर सके। जब भी बच्चे पानी में प्रदूषण डालते हैं, तो निमो मछली प्रदूषण के खिलाफ तैरती है (निमो को स्थानांतरित करने के लिए पेंसिल का उपयोग करें)। बच्चों के प्रदूषण करने के कारण निमो की स्थिति और उसकी भावनाओं का अवलोकन और चर्चा करने दें। बच्चों से पूछें कि यदि पानी में प्रदूषण बढ़ जाए तो हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों। बच्चों को भाँति-भाँति के प्रदूषणों (ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण) के बारे में बताएँ और उनके पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों के ऊपर हानिकारक प्रभावों के बारे में चर्चा करें। बच्चों को विभिन्न प्रदूषणों का सजीव विवरण दें, जैसे— उन्हें गंदे नाले-नदी या किसी कारखाने या फिर किसी घने यातायात में ले जाएँ जिससे वे तरह-तरह के तरह-तरह के प्रदूषणों का अनुभव कर सकें और उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को अच्छे से देख और पहचान सकें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें।

इस तरह के अभ्यास के बाद, शिक्षक को सीखने के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को एक रिपोर्ट तैयार करने, जीव की या देखी गई वस्तु की तस्वीर बनाने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक को यह जानकारी देनी चाहिए कि बच्चों ने क्या देखा है और साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन जीवों या वस्तुओं का इस ग्रह पर जीवन के कल्याण और अस्तित्व में योगदान कैसे हो सकता है। इसके साथ ही बच्चों को बताएँ कि ऐसे जीवन और घटनाओं का समर्थन करने के लिए हमारी क्या भूमिका है। सीखने के सुदृढ़ीकरण के लिए बच्चों को वातावरण से संबंधित कोलॉज, पोस्टर, प्रयोग के अवसर देने के साथ प्रोजेक्ट कार्य करवाया जा सकता है। प्रोजेक्ट कार्य के रूप में कुछ असाइनमेंट जैसे कि जैव विविधता वीडियो या डॉक्यूमेंट्री देखना, मॉडल और इन्फोग्राफ़िक्स तैयार करना और संबंधित पोस्टर तैयार करना (जो जैव विविधता का समर्थन करते हैं, लोगों/परिवार के सदस्यों/समुदाय को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं।) आदि दिए जा सकते हैं।।

चित्र 4— बच्चों द्वारा जैव विविधता पोस्टर
(सार्थक चंद्रा, कक्षा 3, उम्र 7)

जैविक विविधता और विश्व पर्यावरण दिवस

अंतर्राष्ट्रीय विविधता और विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष क्रमशः 22 मई और 5 जून को मनाया जाता है। दोनों अवसरों को मनाने का उद्देश्य हमारे जीवन में जैव विविधता की भूमिका को समझना, प्रदूषण और उनके निवारण, पर्यावरण के लिए खतरों को भाँपना, जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और पोषण के लिए रणनीतियों को विकसित करना है।

© NCERT not to be republished

इसका उद्देश्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के साथ-साथ सभी जीवों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का निर्माण करना है। विद्यालय इन अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस प्रक्रिया में सभी बच्चों, शिक्षकों, विद्यालय स्टाफ़ और माता-पिता को भी परस्पर भाग लेना चाहिए। बच्चों से अपने घर, स्कूल और आसपास में पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए कहें। बच्चों को कहानियों, नाटक के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जागरूक करें। बच्चों को चिड़ियाघर, उद्यान, अभ्यारण्य या संग्रहालय ले कर जाएँ और उन्हें पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के महत्व के बारे में बताएँ। विद्यालय बच्चों के लिए क्विज़, पोस्टर या निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करें। बच्चों को प्लास्टिक या उससे बनने वाली चीज़ों के इस्तेमाल को कम से कम और उन्हें कागज़ या कपड़े से बनी हुई वस्तुएँ, जैसे— लिफ़ाफ़े, बस्ते आदि का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें।

निष्कर्ष

ऊपर दी गई सभी रणनीतियाँ और गतिविधियाँ विचारोत्तेजक हैं। इनका उद्देश्य न केवल शिक्षकों, बल्कि बच्चों और उनके माता-पिता और उनसे जुड़े सभी लोगों को पर्यावरण, जैव विविधता और प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध विकसित करने और संरक्षण के महत्व को समझाना है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और रचनात्मक है और यह माना जाता है कि दी गई अनुकरणीय गतिविधियों से शिक्षक, अभिभावक और बच्चे निश्चित रूप से आसपास की जैव विविधता का पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार की दिलचस्प गतिविधियों और योजनाओं का विकास करेंगे। इसके साथ ही और दूसरों को भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण पहलू बच्चों की आयु, रुचि और विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों का विकास करना है। इसके अलावा बच्चों के लिए अनुकूल शिक्षा का माहौल महत्वपूर्ण है। ऐसा वातावरण स्वागतपूर्ण, उत्साहवर्धक, हर्षित, सुरक्षित और बच्चों को स्वतंत्र रूप से तलाशने और प्रयोग करने के अवसर देने वाला होना चाहिए। हमें अभी से ही बच्चों को पर्यावरण, जैव विविधता और संसाधनों (जल, वायु, पृथ्वी और आकाश) को बचाने के लिए प्रेरित करना होगा जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हमारी विरासत के प्रतीकों को देख सकें और अनुभव कर सकें। इन सभी के लिए समाज के सभी घटकों, जैसे कि विद्यालय, संस्थान, अनुसंधान केंद्र, गैर सरकारी संगठन, सरकार और जनता को समान और सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, जिससे कि हम एक सतत, विकासशील और सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर सकें।

संदर्भ

इको-स्कूल्स नॉर्दर्न आयरलैंड. *बायोडायवर्सिटी टॉपिक प्राइमरी*. टीआईडीवाई. नॉर्दर्न आयरलैंड - लॉफ़्स एजेंसी. https://www.eco-schoolsni.org/eco-schoolsni/documents/006507.pdf पर देखा गया।

© NCERT not to be republished

डिपार्टमेंट फ़ॉर चिल्ड्रेन, स्कूल्स एंड फैमिलीज़. 2010. *टॉप टिप्स फ़ॉर स्कूल्स टू एंगेज विथ बायोडायवर्सिटी*. डीसीएसएफ पब्लिकेशन्स. नाटिघम.

बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ. गूगल इमेजेज http://clipart-library.com/clipart/biodiversity- cliparts_17.htm

महापात्रा, पी.के. और के. रावल, 2018. एनवार्यनमेंटल एजुकेशन— द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. *प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन इंडस्ट्रियल इम्पैक्टस ऑन एनवार्यनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट*. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, क्योंझर, ओडिशा, इंडिया.

यूनाइटेड नेशन्स. *इंटरनेशनल डे फ़ॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी* 22 मई. https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day को देखा गया।

सोनोवाल, सी. जे. 2009. एनवार्यनमेंटल एजुकेशन इन स्कूल्स: द इंडियन सिनेरियो. *जर्नल ऑफ़ ह्यूमन इकोलॉजी*, कमला राज इंटरप्रइजेज़ पब्लिकेशन. 28(1). पृष्ठ 15–36.

© NCERT not to be republished

8

पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का समीक्षात्मक अध्ययन

सुमित गंगवार*
सरिता चौधरी**

इक्सीसवीं सदी की सामाजिक अपेक्षाओं ने न केवल मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन किया बल्कि इसकी आवश्यकताओं का भी वैशिष्टीकरण किया है जिसकी पूर्ति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मानव संसाधन विकास में शिक्षा का विशिष्ट महत्व होता है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। वर्तमान समय में विश्व के तमाम देश अपनी पाठ्यपुस्तकों में समाज की आवश्यकतानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का स्वरूप कैसा है। इसके साथ ही यह देखना भी आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर इस विषय का पठन-पाठन किस तरह किया जा रहा है। यदि वास्तव में देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है। भारत में यह विषय कक्षा 3–5 तक पढ़ाया जाता है, जोकि आगे की कक्षाओं में उपरोक्त तीनों विषयों की बुनियाद भी रखता है, इसीलिए शोधार्थी द्वारा इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 5 (सत्र 2020–21) की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्यपुस्तक (हिंदी माध्यम) में सम्मिलित विषय-वस्तु का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया। पाठ्यपुस्तक का समीक्षात्मक अध्ययन करने के उपरांत शोधार्थी ने पाया कि विभिन्न अध्यायों में शामिल की गई अधिगम सामग्री में विभिन्न क्रियाकलापों को सम्मिलित कर इसको अधिक रोचक बनाया गया है लेकिन कुछ जगह आवश्यक सुधार कर इसकी गुणवत्ता को और अधिक अभिवृद्धित किया जा सकता है। शोध परिणाम तथा सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक स्तर के शिक्षक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के अधिगम पारिस्थितिकी को और अधिक निर्माणवादी बना सकते हैं जिससे अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना और अधिक आसान हो जाएगा।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा की महती भूमिका होती है। शिक्षा द्वारा ही मानवीय संसाधन का विकास करके राष्ट्र को उत्तरोतर उन्नति के शिखर पर ले जाया जा सकता है। इसी सिद्धांत एवं मान्यता को दृष्टिगत रखते हुए समाज विद्यालयों की स्थापना करता है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का

* *रिसर्च एसोसिएट, शिक्षा विभाग,* शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) 442 001
** *पूर्व अतिथि अध्यापक, शिक्षा* विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) 442 001

© NCERT not to be republished

एक सशक्त माध्यम है, जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण करके उसे लागू किया जाता है। विद्यालय की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का एक अनूठा मेल है। कक्षाओं में पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित व्यवहार में लाने के लिए ही पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक वास्तव में सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण के ज्ञान का समेकित रूप है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं, जिससे वे उनसे जुड़ें, उनके प्रति जागरूक हों, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बन सकें (*प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल*, 2017)।

ऐसे में इस तथ्य की पड़ताल करना अनिवार्य हो जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास हेतु पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार की विषय-वस्तु को समाहित किया गया है। इस कार्य के लिए शोधार्थी द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा प्रकाशित कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक *आसपास* का चयन किया गया। कहते हैं कि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, लेकिन जब बात पाठ्यपुस्तकों की आती है तो परिदृश्य थोड़ा बदल जाता है (उपाध्याय और पाण्डेय, 2019)। बच्चे जब उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं तो उनका अवधान पुस्तकों में केंद्रित करना शिक्षक के लिए एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। इस चुनौती से निपटने तथा बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से जोड़ने के लिए पुस्तकों का रोचक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उनका आवरण पृष्ठ सुंदर एवं प्रभावी होना चाहिए जिससे बच्चे इसकी ओर आकृष्ट होकर स्वयं को इसके साथ जोड़ सकें। कक्षा 5 के लिए रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक इस कसौटी पर खरी उतरती है। विविध रंगों की पृष्ठभूमि पर विभिन्न रंगों से मकान, झोपड़ी, मोटरकार, बादल, बारिश, तारे, रॉकेट, पुस्तक पकड़े बच्ची, खेल खेलते बच्चों का समूह, जानवर, पक्षी, पेड़-पौधे, झाड़ियाँ तथा नदी की आकृतियाँ उकेरकर इसे और भी अधिक रुचिपूर्ण, प्रभावी एवं आकर्षक बनाया गया है। आवरण पृष्ठ पर इतनी विविधता वास्तव में संतुलित समाज तथा पर्यावरण की संकल्पना का द्योतक है, बालिका के हाथों में पुस्तक और बालक-बालिकाओं को साथ-साथ खेलते दिखाना लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है।

पुस्तक में रा.शै.अ.प्र.प. निदेशक द्वारा लिखित 'आमुख' शिक्षकों, शिक्षार्थियों तथा अन्य पाठकों के लिए प्रेरणादायक संदेश के साथ-ही-साथ इस पुस्तक के पाठ्य-वस्तु की प्रकृति का भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। पुस्तक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माणवादी ज्ञानमीमांसीय शिक्षण-अधिगम दर्शन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल-केंद्रित शिक्षा के सुझावों के समेकन पर बल देती है। आमुख में निदेशक का कथन—'सर्जना' और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें— बाल-केंद्रित शिक्षा की महत्ता को परिलक्षित करता है। आमुख के अंत में निदेशक द्वारा इस पुस्तक के निर्माण के लिए गठित पाठ्यपुस्तक निर्माण

© NCERT not to be republished

समिति का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है जो सुखद अनुभव देता है।

पाठ्यपुस्तक की समीक्षा के उद्देश्य तथा आयाम

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक *आसपास* का समीक्षात्मक अध्ययन निम्नलिखित तीन उद्देश्यों एवं इनमें समाहित आयामों के आधार पर किया है।

1. पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों में सम्मिलित विषय-वस्तु में समेकित अधिगम सामग्री के विभिन्न घटकों, ज्ञान स्तर तथा मात्रा का अध्ययन करना।
2. पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों में उद्धृत विभिन्न उदाहरणों, क्रियाकलापों तथा गतिविधियों में वैविध्यता, रोचकता, नवीनता तथा वैधता का अध्ययन करना।
3. पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों में सम्मिलित पाठ्य-वस्तु की गुणवत्ता अभिवृद्धित करने की दिशा में सुधारात्मक रिक्तियों का अन्वेषण करना।

शोधार्थी द्वारा चयनित पाठ्यपुस्तक में शामिल किए गए प्रत्येक अध्याय की अधिगम सामग्री का उपरोक्त उद्देश्यों एवं आयामों को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षात्मक अध्ययन कर इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

दो शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से

आमुख पृष्ठ के आगे के चार पृष्ठों पर शिक्षकों तथा अभिभावकों को इस पाठ्यपुस्तक की प्रकृति, विषयवस्तु, चित्रों, चर्चा तथा अन्य क्रियाकलापों से संबंधित गतिविधियों एवं सतत मूल्यांकन के विषय में जागरूक किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ्यपुस्तक की अध्ययन सामग्री का एक विहंगावलोकित चित्र भी प्रस्तुत किया गया है ताकि शिक्षक तथा अभिभावक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सुझावों के आधार पर निर्मित इस पाठ्यपुस्तक का शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों के विकास की प्रक्रिया में प्रभावी उपयोग करते हुए स्वयं सुविधाप्रदाता की भूमिका में रहकर बच्चों को स्वयं खोजकर पता लगाने, विचार प्रकट करने, उत्सुक बनने, करके देखने तथा सीखने, प्रश्न पूछने, चर्चा करने तथा प्रयोग करने के अवसर प्रदान कर सकें। बच्चों के सतत मूल्यांकन के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक के आरंभ में ही लिखा है— "शिक्षक प्रत्येक बच्चे की बारीकी से टिप्पणी तैयार करें, प्रतिदिन 3 से 5 बच्चों का मूल्यांकन के संकेतकों पर ब्यौरा रखें, जिससे बारीकी और करीबी से देखकर बच्चे की क्षमताएँ जान सकें और उन्हें बढ़ावा दे सकें।"

हिंदी माध्यम की कक्षा 5 (अध्ययन सत्र 2020–21) की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक *आसपास* की विषय सूची में कुल 22 अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। यदि इन सभी अध्यायों को पुनः थीम (आयामों) में विभक्त करके देखा जाए तो इन अध्यायों को कुल 6 थीम में विभक्त किया गया है। पहली थीम 'परिवार एवं मित्र' है जिसको पुनः चार सब-थीम यथा 'आपसी संबंध', 'काम तथा खेल', 'जानवर' और 'पौधे' में बाँटा गया है। दूसरी थीम में 'भोजन', तीसरी थीम में 'पानी', चौथी के थीम में 'आवास', पाँचवीं थीम में 'यात्रा' तथा अंतिम छठी थीम में 'हम चीज़ें कैसे बनाते हैं', को शामिल किया

© NCERT not to be republished

गया है। पाठ्यपुस्तक में अध्यायों की थीमवार वितरण को तालिका 1 के माध्यम से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

के अवसर प्रदान करने के लिए क्रियाकलाप भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन अध्यायों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है जिससे

तालिका 1— कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अध्यायों का थीम आधारित वितरण

क्र. सं.	थीम	सब-थीम	अध्याय क्रमांक	अध्याय का नाम
1.	परिवार तथा मित्र	आपसी संबंध	18, 21, 22	जाएँ तो जाएँ कहाँ; किसकी झलक, किसकी छाप; फिर चला काफ़िला
		काम तथा खेल	15, 16, 17	उसी से ठंडा उसी से गर्म; कौन करेगा यह काम; फाँद ली दीवार
		जानवर	1, 2	कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को?; कहानी सँपेरों की
		पौधे	5, 20	बीज,बीज, बीज; किसके जंगल
2.	भोजन	–	3, 4, 19	चखने से पचने तक; खाएँ आम बारहों महीने; किसानों की कहानी बीज की ज़ुबानी
3.	पानी	–	6, 7, 8	बूँद-बूँद, दरिया-दरिया...;पानी के प्रयोग; मच्छरों की दावत
4.	आवास	–	13, 14	बसेरा ऊँचाई पर; जब धरती काँपी
5.	यात्रा	–	9, 10, 11, 12	डायरी कमर सीधी, उपर चढ़ो!; बोलती इमारतें सुनीता अंतरिक्ष में; खत्म हो जाए तो...?
6.	हम चीज़ें कैसे बनाते हैं	पाँचों थीम्स से अंतर्संबंधित		

पहली 'परिवार तथा मित्र' थीम की सब-थीम में 'आपसी संबंध' में मानवीय संबंधों को दर्शाया गया है, जिसमें विभिन्न चित्रों एवं कार्टूनों के माध्यम से इन्हें रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के अवधान को पाठ्य-वस्तु पर केंद्रित करना शिक्षक के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। ऐसे में बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के उद्देश्य से इन पाठों में विभिन्न चित्रों तथा कार्टूनों को स्थान दिया गया है। विद्यार्थियों को पाठ्य-वस्तु से संलग्न करने के लिए बीच-बीच में स्वःअनुभवों के प्रस्तुतिकरण विषय-वस्तु सरल बनने के साथ-साथ प्रभावी रूप से सीखने के लिए सहायक भी हो गई है।

'काम तथा खेल' सब-थीम के अंतर्गत सम्मिलित अध्यायों में शरीर के अंदर की वायु तथा बाहरी वातावरण की वायु के तापमानों में अंतर, सामाजिक कार्यों तथा खेलों के माध्यम से जेंडर समानता जैसे मुद्दों को उठाया गया है। इन अध्यायों में जहाँ एक ओर समूह चर्चा को महत्व दिया गया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से विद्यार्थियों को संबंधित संप्रत्ययों से जुड़े ज्ञान की निर्मिति के अवसर प्रदान किए गए हैं।

© NCERT not to be republished

हमारे वातावरण में सभी जीव एक दूसरे से अंतर्संबंधित रहते हुए अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए 'जानवर' सब-थीम के अंतर्गत शामिल अध्यायों में चींटियों के संसार तथा साँपों से जुड़े विभिन्न तथ्यों को स्थान दिया है। इन अध्यायों में विद्यार्थियों को लोक परंपरा से जुड़े कठपुतली खेल, सर्वे तथा कहानियों के माध्यम से जानवरों से जुड़े ज्ञान, उनके प्रति संवेदनशीलता तथा इनसे सबंधित कानूनों को सीखने का मौका दिया गया है।

सब-थीम 'पौधे' के अंतर्गत शामिल अध्यायों में बीज के अंकुरण तथा जंगलों से संबंधित ज्ञान को विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया गया है। इन अध्यायों में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से प्रक्रिया कौशल के विकास के साथ-साथ वैज्ञानिक चिंतन जैसे गुणों को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्रियाओं पर आधारित कार्यों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है।

थीम 'भोजन' के अंतर्गत सम्मिलित अध्यायों में भोजन के पाचन, भोजन के संरक्षण तथा अपने आस-पास उगाई जाने वाली फ़सलों के विषय में समझाया गया है। इन सभी पाठों में कविता, कहानी, चर्चा, प्रोजेक्ट तथा स्वक्रियात्मक गतिविधियों जैसी विद्यार्थी केंद्रित अधिगम तकनीकों का प्रभावी उपयोग करके विद्यार्थियों को सीखने के नवीन अवसर प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया गया है। अध्यायों में कहीं-कहीं पर विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरणों को प्रस्तुत करके सीखने की क्रिया को और भी सरल बनाने का कार्य किया गया है।

वर्तमान समय में विश्व के समक्ष पेयजल की बढ़ती समस्या एक चिंतनीय विषय है। उत्तर बाल्यावस्था से ही विद्यार्थियों को जल की महत्ता से अवगत कराना अति आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में जागरूक नागरिक बनकर राष्ट्र हित में प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण जैसे विषयों के प्रति संवेदनशील बन सकें। पाठ्यपुस्तक की तीसरी थीम 'पानी' के अंतर्गत शामिल किए गए पाठों में पानी के महत्व, पानी से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग तथा अपने आसपास जमा होने वाले पानी के द्वारा उत्पन्न मच्छरों से फैलने वाले रोगों के विषय में जानकारी दी गई है। इन सभी पाठों में कविता, कहानी, प्रयोग, कार्टून तथा समूह चर्चा जैसी रचनावादी अधिगम तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन तकनीकों के माध्यम से जहाँ एक ओर सीखना सरल हो जाता है, वहीं दूसरी ओर सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक स्थायी भी रहता है।

चौथी थीम 'आवास' के अंतर्गत शामिल किए गए पाठ 'बसेरा ऊँचाई पर' में यात्रा वृतांत के माध्यम से पहाड़ी यात्रा का वर्णन किया गया है। पर्यावरणीय आपदा, मानवीय जीवन पर इसके दुष्परिणाम तथा इन आपदाओं का प्रभावी निपटान को दृष्टिगत रखते हुए 'जब धरती काँपी' पाठ में भूकंप या बाढ़ के कारण, उसके खतरनाक परिणाम तथा उससे बचाव को स्मृति लेखन विधा की सहायता से समझाया गया है। इन दोनों पाठों से संबंधित संप्रत्यात्मक ज्ञान को वास्तविक दुनिया के ज्ञान से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया है। यह बच्चों को इससे संबंधित जानकारी को बोधात्मक बनाते हुए सीखने के नूतन अवसर प्रदान करता है।

भारत का इतिहास, इसकी भौगोलिक विविधता तथा अंतरिक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत होना हर विद्यार्थी का मौलिक अधिकार होना चाहिए। ऐसे में पाठ्यपुस्तक की थीम 'यात्रा'

© NCERT not to be republished

के अंतर्गत शामिल किए गए चारों पाठों के माध्यम से विभिन्न यात्राओं तथा उससे जुड़े रोमांचक पहलुओं को दिखाया गया है। इन पाठों की विषय-वस्तु को रिपोर्ताज, आपसी वार्तालाप तथा क्रियाकलापों के माध्यम से पहाड़ों की यात्रा, ऐतिहासिक धरोहरों, अंतरिक्ष यात्रा को समझाया गया। इसके ही साथ विद्यार्थियों को जीवाश्म ईंधन की महत्ता एवं इसकी कमी के कारण मानवीय जीवन में आने वाली कठिनाइयों को जानने तथा सीखने के अवसर दिए गए हैं। ये पाठ जहाँ एक ओर शिक्षार्थियों को इस सभी संप्रत्ययों से संबंधित नवीन ज्ञान निर्माण के अवसर प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी ओर डायरी लेखन जैसी विधाओं में भी पारंगत करने की पहल का शुभारंभ करेंगे।

पाठ्यपुस्तक में शामिल थीम 'हम चीज़ें कैसे बनाते हैं' पाठ्यपुस्तक में दी गई अन्य थीम से सहसंबंधित तथा अन्तर्निहित है। इसके अंतर्गत विभिन्न संप्रत्ययों को सीखने के दौरान की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया तथा तकनीक पर प्रमुखता से बल दिया गया है।

अध्यायवार विषय-वस्तु विश्लेषण

अध्याय 1— कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को?

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षण-अधिगम की सभी गतिविधियों में बच्चे को केंद्र में रखकर निर्माणवादी शिक्षा दर्शन को अपनाते हुए अधिगम परिस्थितियों का विकास करना चाहिए। निर्माणवाद के इसी मूलमंत्र को सारगर्भित करते हुए अध्याय 'कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को?' की विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को जंतुओं की अनोखी दुनिया की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान किया गया है। पाठ से संबंधित क्रियाकलापों में बच्चों को संलग्न करने के उद्देश्य से 'क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है?' जैसे प्रश्नों को रखा गया है साथ ही विभिन्न रोचक चित्रों एवं कार्टूनों के माध्यम से सामग्री को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव की देखने तथा सूँघने की क्षमता अलग-अलग होती है। इसी संप्रत्यय को समझाने के लिए विभिन्न रंगीन चित्रों की सहायता ली गई है। विद्यार्थियों द्वारा स्वानुभव के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने के लिए गतिविधि आधारित क्रियाकलाप दिए गए हैं, जोकि अत्यधिक मज़ेदार हैं। पाठ में स्थान-स्थान पर विषय-वस्तु से संबंधित चर्चा करने के लिए विभिन्न उद्बोधन भी दिए गए हैं। पाठ के अंत में कागज़ से कुत्ता बनाने के गतिविधि बच्चों को क्रिया आधारित सीखने के अवसर प्रदान करती है। पाठ में दिए गए क्रियाकलाप जानवरों के सोने के समयावधि से संबंधित हैं।

अध्याय 2— कहानी सँपेरों की

बच्चों को कहानी कहना और सुनना हमारी भारतीय संस्कृति की एक समृद्ध परंपरा रही है। बाल्यावस्था में बच्चों को कहानी सुनना बहुत रुचिकर लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ 'कहानी सँपेरों की' की विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में साँपों तथा सँपेरों के जीवन से जुड़े विभिन्न तथ्यों तथा जंतु एवं मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पाठ में दिए गए क्रियाकलाप बच्चों के अपसारी चिंतन (Divergent Thinking) को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। पाठ के आरंभ में

© NCERT not to be republished

नाग गुंफन का डिज़ाइन दिया गया है जिसके माध्यम से बच्चे सौराष्ट, गुजरात तथा दक्षिण भारत की लोक कलाओं से भी परिचित होंगे। पाठ के अंत में जुराब के माध्यम से साँप बनाने संबंधी गतिविधि को करने के लिए कठपुतली का खेल भी दर्शाया गया है। यह गतिविधि बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करेगी इसके साथ ही बच्चों के हाथ और आँख में तालमेल को बढ़ावा देगी और छोटी माँसपेशियों को विकसित करने के अवसर प्रदान करेगी।

अध्याय 3— चखने से पचने तक

भोजन की महत्ता हर आयु वर्ग के प्राणी के लिए समान है। भोजन को चबा-चबाकर आराम से खाना चाहिए। 'चखने से पचने तक' अध्याय में भोजन के चखने से पचने तक की यात्रा को विभिन्न चित्रों तथा क्रियाकलापों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। भोजन को चबा-चबाकर खाने संबंधित गतिविधि, कहानी— पेट में झांका, भेद जाना जैसे रोचक कार्य बच्चों को पाचन जैसे अमूर्त संप्रत्यय को स्वयं के अनुभवों से सीखने के अवसर देकर इसे बोधात्मक रूप से समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस अध्याय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलापों की संख्या बहुत अधिक है। पाठ में दिए गए क्रियाकलाप में बच्चों को डॉ. बोमोंट की जगह स्वयं को रखकर उस परिस्थिति में स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जानने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के क्रियाकलाप बच्चों में सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये क्रियाकलाप वास्तव में बहुत अधिक समय, श्रम तथा संसाधनों की माँग करने वाले हैं। अतः इस पाठ के क्रियाकलाप को सही ढंग से करने के लिए समय के अनुकूल योजना बनाकर करना चाहिए।

अध्याय 4— खाएँ आम बारहों महीने

'खाएँ आम बारहों महीने' अध्याय भोजन की एक विशिष्ट चर्चा के साथ आगे बढ़ता है जिसमें भोज्य पदार्थों के संरक्षण एवं क्षरण होने के प्रमुख कारणों पर विशेष बल दिया गया है। भोजन के संरक्षण को समझने के लिए आम पापड़ (मामिडी तान्ड्रा) बनाने की कहानी तथा भोजन के क्षरण के कारणों को जानने के लिए प्रयोग आधारित अधिगम के अंतर्गत ब्रेड से संबंधित गतिविधि को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भोज्य पदार्थों के संरक्षण से सबंधित ज्ञान के निर्माण के लिए क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस पाठ का आकार छोटा है। इसके अतिरिक्त कम क्रियाकलापों के माध्यम से सभी संप्रत्ययों को समझाया गया है जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मिलकर अल्प समय में शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। बच्चे वास्तव में कैसे सीख पा रहे हैं, इसके मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन के संकेतकों का पाठ में जगह-जगह प्रयोग किया गया है। शिक्षक इन संकेतकों की सहायता से इस पाठ से संबंधित बच्चों के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को आसानी से मूल्यांकित करते हुए सीखने के नूतन अवसर दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पर अलग-अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकरी, जैसे— मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाना कब-कब खराब होता है, बच्चों के अनुभवों से यह ज्ञात किया जा सकता है।

अध्याय 5— बीज, बीज, बीज

'बीज, बीज, बीज' पाठ की शुरुआत गोपाल तथा उसकी माँ की बात से होती है, जिसमें गोपाल की माँ उसको रात को चने भिगोने का कार्य देती है। आगे

© NCERT not to be republished

चलकर यह कार्य वास्तव में गोपाल में बीजों के अंकुरण से संबंधित ज्ञान के विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस पाठ के द्वारा बच्चों में बीज के अंकुरण, पौधे में वृद्धि, बीजों के प्रकीर्णन तथा कीट-भक्षी पौधों से जुड़ी समझ विकसित करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के साथ-साथ चर्चा, प्रयोग, चित्र बनाने, अनुमान लगाने, कल्पना, कहानी जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। बीजों की उत्पत्ति के स्थान से जुड़ी जानकारी देने के लिए पाठ के अंत में राजेश उत्साही की कविता 'आलू, मिर्ची, चाय जी' को सम्मिलित किया गया है। वास्तव में इस पाठ की विषय-वस्तु को निर्माणवादी शिक्षण सिद्धांतों के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया गया है, जोकि इस पाठ को सरल तथा स्पष्ट बनाते हुए बच्चों को सीखने के रोचक अवसर प्रदान करता है।

अध्याय 6— बूँद-बूँद, दरिया-दरिया

शिक्षाशास्त्री गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका (गिजु भाई बधेका) का मानना था कि यदि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना है तो इस कार्य के लिए कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 'बूँद-बूँद, दरिया-दरिया' अध्याय का आरंभ भी 650 साल पुराने घड़सीसर तालाब की कहानी से होता है। घड़सीसर तालाब को जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के लिए बनवाया था। यह कहानी इस पाठ की आगे की विषय-वस्तु के साथ संलग्न होकर बच्चों में पानी के प्राचीन तथा नवीन स्रोतों से संबंधित ज्ञान के निर्माण में सहायक होती है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में जल संरक्षण के गुणों को विकसित करने, पानी के परंपरागत तथा गैर-परंपरागत स्रोतों की जानकारी पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इसके साथ ही पानी की कमी के कारण भविष्य की गंभीर समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। वास्तव में इस पाठ के माध्यम से बच्चों में पानी के पुराने स्रोतों तथा जल संरक्षण की विधियों की समझ विकसित करने के अवसर दिए गए हैं। इस पाठ में बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़े सामाजिक रीति-रिवाजों के माध्यम से भी मानव जीवन में जल की उपादेयता पर प्रकाश डालकर इसे सरल शब्दों में समझाने का सार्थक प्रयास किया गया है। पाठ में दिए गए क्रियाकलापों, चर्चा, अपसारी चिंतन, संश्लेषण तथा विश्लेषण के माध्यम से नवीन ज्ञान के सृजन के अवसर दिए गए हैं। स्कीनर का मानना था कि 'अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है।' जल संरक्षण से संबंधित इस घटना के माध्यम से बच्चे अभिप्रेरित होते हुए अपने आस-पास जल संरक्षण जैसी मुहिम का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकेंगे।

अध्याय 7— पानी के प्रयोग

बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होने के साथ-साथ खेलों में रुचि रखते हैं। बच्चे बचपन से ही पानी से जुड़े विभिन्न क्रियाकलाप करते रहते हैं लेकिन कक्षा 5 तक बच्चे इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप घटित होने वाली घटनाओं के पीछे के विज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। 'पानी के प्रयोग' पाठ में पानी से जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों, खेलों तथा प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न नियमों तथा सिद्धांतों, जैसे—आर्कीमिडिज का उत्प्लावन सिद्धांत, पानी के घनत्व, श्यानता तथा वाष्पीकरण से संबंधित ज्ञान, का निर्माण कर लेते हैं। पाठ के अंत में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का भी संक्षिप्त वर्णन दिया गया है जोकि बच्चों को इतिहास के ज्ञान के साथ-साथ

© NCERT not to be republished

आत्मसम्मान जैसे मानवीय गुणों को विकसित करने का अवसर देगा। पाठ का आकार छोटा है साथ ही इसमें दिए गए सभी क्रियाकलाप खेल आधारित हैं जिससे शिक्षक को अधिगम परिस्थितियों के निर्माण में सहायता मिलती है।

अध्याय 8— मच्छरों की दावत

यह पाठ एकांकी विधा में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी विषय-वस्तु में गंदे तथा ठहरे हुए पानी के उचित निस्तारण न होने के दशा में फैलने वाले रोगों, जैसे— मलेरिया के विषय में बताया गया है। पाठ की विषय-वस्तु को विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण-अधिगम तकनीकों यथा क्रियाकलापों, चित्रों, कार्टूनों, गतिविधियों, चर्चा, विश्लेषण तथा सर्वे के माध्यम से सरल बनाने का प्रयास किया गया है। हालाँकि, पाठ की सामग्री अधिक तथ्यात्मक, पाठ की लंबाई तथा विभिन्न अमूर्त संप्रत्यय इस पाठ में बच्चों की अरुचि उत्पन्न कर सकती है। अतः इस पाठ को छोटा करके आगे की कक्षाओं में इन अमूर्त संप्रत्ययों से बच्चों को परिचित करवाया जा सकता है।

अध्याय 9— डायरी कमर सीधी, ऊपर चढ़ो

'डायरी कमर सीधी, ऊपर चढ़ो' पाठ एक शिक्षिका की पहाड़ पर चढ़ने की रोमांचक दास्ताँ है, जिसमें इस बात को केंद्र में रखा गया है कि लोग जोख़िम भरे कार्य क्यों करते हैं? इस पाठ को रिपोर्ताज विधा में प्रस्तुत किया गया है। पूरा पाठ बहुत ही रोचक है, जो बच्चों को अंतिम समय तक पाठ से संलग्न रखने में शिक्षक की सहायता करता है। पाठ के बीच-बीच में विभिन्न गतिविधियों, जैसे— बिना बात किए अपने दोस्तों से किताब या कुछ चीज़ें माँगना, कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करना आदि, की सहायता से बच्चों को कल्पना के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति के अवसर भी मिलते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ बच्चों में अमूर्त चिंतन के साथ-साथ सृजनात्मकता जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों का भी विकास करती हैं। पाठ के अंत में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल का भी उल्लेख किया गया है। यह घटना बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्यों में पहल करने का हौसला देती है।

अध्याय 10— बोलती इमारतें

अध्याय 10 'बोलती इमारतें' एक शानदार पाठ है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से बच्चों को पुराने समय की तकनीकी, अभिकल्प, धातुओं के प्रयोग, पानी के इंतज़ाम आदि के प्रति समझ विकसित करना है। लेकिन कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के लिए यह थोड़ा बड़ा पाठ है। इस अध्याय में से गोलकुंडा किले की विभिन्न विशेषताओं, जैसे— बहुत सारे बुर्ज, बुर्ज में बड़े-बड़े छेद, छत के फ़व्वारे, रोशनदान, दीवारों पर की गई कलात्मक नक्काशेदारी पर विशेष प्रकाश डाला गया है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को दृष्टिगत रखते हुए इन विशेषताओं में से कुछ ही विशेषताओं की चर्चा करना ज़्यादा सार्थक और श्रेयकर होता ताकि विद्यार्थियों को सीखने के अधिक अवसर मिल सकते। पाठ में जगह-जगह किले, उसकी दीवारों, फ़व्वारों, खिड़कियों, पानी के इंतजाम से संबंधित विभिन्न रंगीन, आकर्षक, स्पष्ट, सुंदर तथा प्रभावी चित्र दिए गए हैं, जो इस पाठ प्रदर्शन की महत्ता में अभिवृद्धि करता है। पाठ के अंत में दिया गया क्रियाकलाप 'तुम भी अपना म्यूज़ियम बनाओ' विद्यार्थियों में इतिहास की धरोहरों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सहायक है।

© NCERT not to be republished

अध्याय 11— सुनीता अंतरिक्ष में

अध्याय 11 'सुनीता अंतरिक्ष में' के माध्यम से पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के साथ-साथ गुरुत्वाकर्षण जैसे विषयों को बताया गया है। इस पाठ में सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के किस्से के माध्यम से अंतरिक्ष में होने वाली सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि पूरे पाठ में जगह-जगह पर विभिन्न रोचक चित्र, मनोरंजक क्रियाकलाप तथा खेलों के माध्यम से पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के विभिन्न संप्रत्ययों, जैसे— तारे, चाँद, सूरज, गुरुत्वाकर्षण बल आदि की अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी कक्षा 5 के बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप यह पाठ बहुत जटिल तथा लंबा है। पृथ्वी तथा अंतरिक्ष से जुड़े इन संप्रत्ययों को समझना बहुत मुश्किल होता है अतः इस दृष्टिकोण से इस प्रकरण के संप्रत्ययों को आगे की कक्षाओं, जैसे कक्षा 8 अथवा 9 में परिचित करवाकर इसे और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है।

अध्याय 12— खत्म हो जाए तो...?

अध्याय 12 'खत्म हो जाए तो...?' में पेट्रोलियम की उपादेयता के साथ-साथ इसकी कमी से होने वाली समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा ऊर्जा के घरेलू संसाधनों, जैसे— उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों के विषय में भी बताया गया है। इस पाठ के संदर्भ में बच्चों के ज्ञान के सतत मूल्यांकन के लिए विषय-वस्तु के बीच-बीच में मूल्यांकन के अनेक संकेतक भी दिए गए हैं। पाठ में दिए गए उदाहरण तथा विभिन्न गतिविधियाँ, जैसे— दिल्ली में वर्ष 2002, 2007 तथा 2014 में पेट्रोल एवं डीज़ल की कीमतों के आधार पर इन वर्षों में पेट्रोल तथा डीज़ल के मूल्यों में वृद्धि तथा इनके मूल्यों में अंतर जैसे क्रियाकलाप विद्यार्थियों को और अधिक जिज्ञासु बनाने में मददगार सिद्ध होंगे। पाठ के अंत में बच्चों को वास्तविक परिस्थिति में उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को जानने के लिए दिया गया क्रियाकलाप वास्तव में अत्यधिक रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस तरह की गतिविधियाँ बच्चों को वास्तविक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का हौसला प्रदान करती हैं।

अध्याय 13— बसेरा ऊँचाई पर;
अध्याय 14— जब धरती काँपी

अध्याय 13 'बसेरा ऊँचाई पर' तथा 14 'जब धरती काँपी' दोनों 'आवास' थीम से जुड़े हुए पाठ हैं। 'बसेरा ऊँचाई पर' पाठ को यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है। इस पाठ में गौरव जानी की एक अद्भुत यात्रा का वर्णन है। इस पाठ में पहाड़ों के रहन-सहन, संस्कृति, रोजगार के साधनों तथा विशेषताओं को विभिन्न चित्रों के माध्यम से समझाने के साथ-साथ पहाड़ी जीवन की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्याय 14 'जब धरती काँपी' की विषय-वस्तु वर्ष 2001 में गुजरात के भुज में आए भीषण भूकंप की पृष्ठभूमि पर विकसित की गई है। इस पाठ के माध्यम में विद्यार्थियों को भौगोलिक आपदाओं यथा भूकंप या बाढ़ के कारण, मानवीय जीवन पर इनके परिणामों तथा इनसे सुरक्षित बचाव की तरीकों को समझाया गया है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित ज्ञान के आकलन के लिए दोनों पाठों के बीच-बीच में चर्चा करने, रिपोर्ट लिखने, कल्पना करने तथा चित्र बनाने जैसी विभिन्न रचनावादी आकलन प्रविधियों को भी समावेशित किया गया है। यदि दोनों पाठों

© NCERT not to be republished

को विषय-वस्तु की प्रकृति तथा मात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन पाठों की लंबाई को कम करके भी पूरी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जा सकती थी। अधिक लंबे पाठ शिक्षण-अधिगम के दौरान जहाँ उबाऊ और नीरस होने लगते हैं, वहीं शिक्षक को इन पाठों में विद्यार्थियों के अवधान को केंद्रित करने की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

अध्याय 15— उसी से ठंडा उसी से गर्म;
अध्याय 16— कौन करेगा यह काम;
अध्याय 17— फाँद ली दीवार

अध्याय 15 'उसी से ठंडा उसी से गर्म', अध्याय 16 'कौन करेगा यह काम' तथा अध्याय 17 'फाँद ली दीवार' तीनों 'काम तथा खेल' सब-थीम से जुड़े हुए पाठ हैं। 'उसी से ठंडा उसी से गर्म' पाठ में वर्णित कहानी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। इसमें जल चक्र तथा संघनन को सहज अनुभवों के माध्यम से समझाया गया है। पाठ की विषय-वस्तु को विभिन्न चित्रों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। महात्मा गांधी का भी मानना था कि शिक्षा को क्रिया आधारित होना चाहिए, जिसकी झलक पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 143 पर दी गई 'गतिविधियाँ' में देखने को मिलती है। पाठ 'कौन करेगा यह काम' शिक्षार्थियों को हमारे समाज के उन लोगों तथा उनके द्वारा किए गए कामों से रूबरू होने का अवसर देता है जिनके बिना हम स्वच्छता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक संरचना, सभी के कार्यों का सम्मान तथा समाज में सबकी महत्ता जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होगा। पाठ के अंत में सफ़ाई से संबंधित महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी एक घटना का ज़िक्र भी किया गया है। यह घटना वास्तव में शिक्षार्थियों को सफ़ाई के मामले में स्वावलंबी बनने के लिए अभिप्रेरित करती है। पाठ 'फाँद ली दीवार' की विषय-वस्तु खेल पर आधारित है जिसके मूल में लैंगिक समानता का सिद्धांत समाहित है। यह पाठ विद्यार्थियों के लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करके उनमें सभी जेंडर का सम्मान तथा समानता से संबंधित मूल्यों का विकास करने में सहायक है। नि:संदेह इस प्रकार की पहल बच्चों को सामाजिक समरसता तथा सामाजिक समानता की समझ निर्मित करने के लिए अत्यधिक ज़रूरी है।

अध्याय 18— जाएँ तो जाएँ कहाँ

अध्याय 18 'जाएँ तो जाएँ कहाँ' जात्रा भाई के जीवन से जुड़ी कहानियों के माध्यम से पाठ बाँध निर्माण के बाद उसके आस-पास के रहवासियों के विस्थापन की समस्याओं को स्पष्ट करता है। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित इस प्रकार के पाठ निश्चित रूप से विद्यार्थियों को विस्थापित लोगों के दर्द से रूबरू करवाकर उनके प्रति संवेदना तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करते हैं। इस पाठ में चर्चा, वाद-विवाद जैसी गतिविधियों को भी स्थान दिया गया है, जिनकी सहायता से विद्यार्थियों को स्वक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त होंगे।

अध्याय 19— किसानों की कहानी-बीज की ज़ुबानी

अध्याय 19 'किसानों की कहानी-बीज की ज़ुबानी' विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों से युक्त पाठ है। इस पाठ की भाषा बहुत सरल है। पाठ एवं क्रियाकलापों तथा गतिविधियों से परिपूर्ण है। पाठ में इस मुद्दे को

© NCERT not to be republished

उठाया गया है कि खेती के बदलाव किस प्रकार से किसानों की ज़िंदगी के बदलावों और तकलीफ़ों से जुड़े हैं। लेकिन इस पाठ में जो उदाहरण दिए गए हैं वे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे में शहरी पृष्ठभूमि से जुड़े विद्यार्थियों को इसके संप्रत्ययों की समझ विकसित करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस पाठ के अंतर्गत बागवानी तथा किचन गार्डन जैसी जानकारियों को भी समाहित किया जाए तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

अध्याय 20— किसके जंगल?

मानवीय जीवन में जंगल की महत्ता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से 'किसके जंगल' पाठ को पाठ्यपुस्तक में समाहित करने का निर्णय बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। इस पाठ को सूर्यमणि के जीवन की सच्ची घटना की सहायता से स्पष्ट किया गया है। इस पाठ में सम्मिलित मानचित्र के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले जंगलों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ के माध्यम से मिज़ोरम की लॉटरी खेती के विषय विद्यार्थियों की समझ को विकसित करने का कार्य प्रभावी रूप से किया गया है। इसकी सहायता से बच्चों में भारत की भौगौलिक पृष्ठभूमि के अनुसार यहाँ के जंगलों की विविधता तथा हमारे जीवन में जंगलों की महत्ता के विषय में जागरूक किया जा सकता है।

अध्याय 21— किसकी झलक? किसकी छाप?; अध्याय 22— फिर चला काफ़िला

अध्याय 21 'किसकी झलक? किसकी छाप' तथा अध्याय 22 'फिर चला काफ़िला' दोनों 'आपसी संबंध' सब-थीम से जुड़े हुए पाठ हैं। 'किसकी झलक? किसकी छाप' पाठ विद्यार्थियों में पारिवारिक संबंधों की समझ विकसित करता है। इसके साथ ही उनमें इस बात की भी समझ विकसित करता है कि हमारी पहचान बनने में कैसे कुछ गुण हमें परिवार से मिलते हैं और कुछ मौके-माहौल से इसी पाठ में मेंडल के मज़ेदार प्रयोगों की कहानी भी है। 'फिर चला काफ़िला' पाठ शिक्षार्थियों को घर छोड़कर काम की तलाश में भटकते लोगों के माध्यम से समाज में कर्ज़, लेनदार, देनदार और दलाल जैसे संप्रत्ययों की समझ विकसित करता है। दोनों पाठ बेहद रोचक और क्रियाकलापों से परिपूर्ण हैं। इनकी सहायता से विद्यार्थी इन पाठों से संबंधित अमूर्त संप्रत्ययों, जैसे— विभिन्न लोगों के बीच के रिश्तों के स्वरूप, जुड़वाँ बच्चों के लक्षण एवं इनमें विविधता के पर्यावरणीय कारकों आदि से संबंधित ज्ञान का निर्माण आसानी से कर सकते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस पुस्तक के आमुख के आलोक से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तक का निर्माण *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में वर्णित सुझावों के अनुरूप किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की बुनियाद ही निर्माणवादी ज्ञानमीमांसीय दर्शन पर टिकी हुई है और निर्माणवादी ज्ञानमीमांसीय दर्शन का यह मानना है कि बच्चे नवीन ज्ञान का निर्माण अपने पूर्व अनुभवों, विश्वासों तथा मान्यताओं एवं प्रस्तुत नवीन परिस्थितियों के मध्य अंतर्क्रिया के परिणामस्वरूप करते हैं। वास्तव में इस पुस्तक में संकलित पाठ्य-वस्तु के प्रत्येक पहलू से संबंधित

© NCERT not to be republished

ज्ञान के निर्माण के लिए विभिन्न निर्माणवादी तकनीकों का सहारा लेकर इसको सरल, रुचिकर तथा प्रभावी बनाया गया है। निर्माणवादी सिद्धांतों तथा क्रिया आधारित गतिविधियों के अनुरूप विषय-वस्तु को व्यवस्थित करना एक अत्यंत जटिल तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए इस पुस्तक की निर्माण समिति में सम्मिलित बौद्धिक जनों ने अथक प्रयास किया है, जिसके लिए सभी सदस्य नि:संदेह प्रशंसा के पात्र हैं।

इस पुस्तक की समीक्षात्मक अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान यह समझ में आया कि लगभग सभी पाठों में विद्यार्थियों के समक्ष वास्तविक परिस्थितियों जैसी स्थिति बनाकर विद्यार्थियों को स्वयं को रखने तथा उसके अनुसार व्यवहार करने के अवसर देने जैसी गतिविधियों को विशेष स्थान दिया गया है। ये सभी गतिविधियाँ ज्ञान की सामाजिक निर्मिती के सिद्धांत का अनुसरण करती हुई विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान निर्माण के पर्याप्त अवसर देती हैं। एक ओर सभी पाठों में जहाँ विद्यार्थियों को चित्र, वर्गीकरण, व्याख्या, सभी पाठों में सहभागिता, चर्चा, प्रयोग, विश्लेषण, वार्ता, खेल, तर्क-वितर्क तथा प्रस्तुतीकरण करने जैसी नवाचारी तकनीकों के माध्यम से सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक पाठ में स्थान-स्थान पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित ज्ञान के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को मूल्यांकन संकेतक भी दिए गए हैं, जोकि इस पुस्तक को और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूल्यांकन संकेतक शिक्षकों को विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण की गुणात्मक प्रक्रिया को जानने का भी अवसर प्रदान करते हैं।

इस पुस्तक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न रिपोर्ट, जैसे— पानी का बिल, रक्त की निदानात्मक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज़ों के वास्तविक स्वरूप का प्रारूप भी दिया गया है। इस प्रकार के दस्तावेज़ों को पाठ्यपुस्तक में स्थान देना वास्तव में यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों के ज्ञान को मात्र कक्षाओं तक सीमित नहीं रखना है बल्कि इसको बाहरी जीवन से भी जोड़ना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाठ में कहानी तथा कविताओं को भी स्थान दिया गया है, जोकि विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति तथा अपसारी चिंतन में वृद्धि करेंगे। प्रत्येक पाठ के अंत में 'हम क्या समझे' जैसे कॉलम विद्यार्थियों को किसी समस्या पर विभिन्न आयामों से सोचने, संश्लेषण तथा विश्लेषण करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके ज्ञान के तीनों पक्षों यथा ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा क्रियात्मक का मूल्यांकन आसानी से हो जाता है।

एक विद्यार्थी तथा शोधार्थी होने के नाते इस पुस्तक में सबसे पहली बात यह अवलोकित की कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों की आयु तथा मानसिक स्तर की अपेक्षा इस पुस्तक में सम्मिलित विषय-वस्तु का स्वरूप बहुत बड़ा है। यद्यपि पुस्तक में अधिक विषय-वस्तु का समावेशन ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन लगभग 9–11 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए इतनी अधिक अध्ययन सामग्री उनको रटने के लिए बाध्य करने का कार्य करेगी। प्रत्येक विद्यालय शिक्षण कार्य के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी करता है, जिसके आलोक में शिक्षकों को विद्यालयी दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा पाठ्यक्रम समाप्त

© NCERT not to be republished

करना होता है। अतः इस दृष्टि से देखा जाए तो इतनी अधिक अध्ययन सामग्री के दबाव में शिक्षक भी किसी भी प्रकार से अपना पाठ्यक्रम पूरा करने को प्राथमिकता देना आरंभ कर देते हैं ताकि परीक्षाओं तक संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त हो जाए और विद्यार्थी इसको किसी भी प्रकार रटकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लें। पुस्तक के प्रत्येक पाठ में हर संप्रत्यय से जुड़ी अनेक गतिविधियों का उल्लेख है यद्यपि ये सभी क्रियाकलाप एवं गतिविधियाँ सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक होती हैं लेकिन ये समय, श्रम तथा अधिक संसाधनों की माँग करती हैं। ऐसे में न तो विद्यालय इतने संसाधन उपलब्ध करवा पाता है और न ही शिक्षक पूर्व निर्धारित समय सीमा में इन सभी गतिविधियों को पूरा कर पाते हैं। अतः विषय-वस्तु तथा विषय सूची को छोटा करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अनुभव हुई, वह यह है कि नि:संदेह यह पुस्तक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निर्मित की गई है, लेकिन कुछ तकनीकी शब्दों को अंग्रेज़ी में कोष्ठक में दिया जा सकता था। यह कदम न केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तकनीकी शब्दों की अंग्रेज़ी से परिचित कराएगा वरन आगे बड़ी कक्षाओं में भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करेगा।

तीसरी प्रमुख बात यह अनुभव हुई कि शिक्षा के लिए गठित लगभग हर आयोग, शिक्षा नीति तथा समिति ने दिव्यांग विद्यार्थियों का मुख्यधारा की शिक्षा में समावेशन पर बल दिया है। दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य पाठ्यक्रम से स्वयं को जोड़ पाए, ऐसा करने के लिए पाठ्यपुस्तकों में दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित उदाहरणों तथा चित्रों का समावेशन किया जाना आवश्यक हो जाता है। इस पूरी पुस्तक में दिव्यांग विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर एक भी उदाहरण अथवा चित्र को स्थान नहीं दिया गया है। इस तथ्य की खोज के दौरान शोधार्थी को दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित एक शोध का स्मरण हो रहा है, जिसमें आँकड़ों के एकत्रीकरण के दौरान एक शिक्षिका ने बताया कि उसके विषय की पाठ्यपुस्तक में एक भी पाठ ऐसा नहीं है जिसमें दिव्यांग बच्चों से संबंधित विषय-वस्तु, उदाहरण अथवा चित्र हों (गंगवार और सिंह, 2019)। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस पुस्तक के स्वरूप में सुधार करते हुए यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ़ लर्निंग जैसी अवधारणाओं को विकसित कर पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा करने से तभी यह पुस्तक सही अर्थों में सभी विद्यार्थियों का समन्वित विकास करने में सफल हो पाएगी और भविष्य में टिकाऊ विकास की अवधारणा को मूर्त रूप में लाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करेगी।

संदर्भ

उपाध्याय, ए. और वाई. पाण्डेय, 2019. विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का समीक्षात्मक मूल्यांकन. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*, 40 (1), 58–66, नयी दिल्ली.

गंगवार, एस. और एस. पी. सिंह. 2019. भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षा— स्थिति, चुनौतियाँ एवं समाधान. *वॉइसेस ऑफ़ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स* , VIII (I), 146–156.

© NCERT not to be republished

रा. शै. अ. प्र. प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2017. *प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2020. *पर्यावरण अध्ययन— आस-पास— कक्षा पाँच के लिए पाठ्यपुस्तक*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

9

‘बड़ी बाटा’ तेलंगाना में पाठशाला की नई पुकार

सुरेश कुमार मिश्रा*

आपने अनेक उत्सव देखे सुने होंगे। कई उत्सव के बारे में पढ़ा होगा लेकिन क्या आपको चित्र बनाने, कहानी, कविता और बाल खेल के उत्सव के बारे में जानकारी है? ‘बड़ी बाटा’ उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। ‘बड़ी’ का अर्थ है— पाठशाला और ‘बाटा’ का अर्थ है— रास्ता यानी कि पाठशाला की ओर जाने वाला रास्ता। इसमें बच्चे, शिक्षक, अभिभावक व समुदाय के लोग भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य पाठशाला से वंचित बच्चों को पाठशाला की ओर आकर्षित करना होता है। इसके साथ ही पहले से पढ़ रहे बच्चे अपने अध्ययन में कितनी प्रगति कर रहे हैं, शिक्षा के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में व्यवस्था का निष्पादन कैसा है, मूल्यांकन पर आधारित कक्षा के साथ व्यापक स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण को जानने में भी यह उत्सव सहायक है। ‘बड़ी बाटा’ सरकार की नवोन्मेषणात्मक पहल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष ‘बड़ी बाटा’ उत्सव के माध्यम से बच्चों का ध्यान पाठशाला की ओर खींचा जाता है। इस उत्सव का प्राथमिक प्रायोजन, निर्धारित उत्सव लक्ष्यों की तुलना में बच्चों के प्रदर्शन को समझने के लिए विद्यालयों को अवसर प्रदान करना होता है। इन अवसरों के आधार पर विद्यालय के सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए एक विद्यालय स्तर की योजना तैयार की जाती है। इस तरह के उत्सवों से शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों आदि को स्वयं को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाने में मदद मिलती है। यह उत्सव शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। यह उत्सव कैसे मनाया जाता है? इसमें कौन भाग लेते हैं? इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? आदि का वर्णन इस लेख में किया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत देशभर में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तेलंगाना में पहले सर्व शिक्षा अभियान फिर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2014 से एक कार्यक्रम ‘बड़ी बाटा’ की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनमें बच्चे, विद्यालय तथा समुदाय के लोग भाग लेते हैं। ‘बड़ी बाटा’ कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भयमुक्त वातावरण प्रदान कर उन्हें पाठशाला के प्रति रुचि जागृत करना है। उन्हें यह आश्वस्त करना है कि पाठशाला उनके लिए है और उनके बिना पाठशाला शून्य है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि पाठशाला तथा समुदाय प्रबंधन इस बात पर ज़ोर दे कि हर बच्चा विशेष है। हर एक को संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए। इन सबके अतिरिक्त

* *राज्य संसाधक,* शिक्षा विभाग, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद

© NCERT not to be republished

'बड़ी बाटा' कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्याप्त, सुलभ पहुँच व उसका प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग व सामाजिक ऊँच-नीच आधारित अंतर को पाटने और बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए सर्वव्याप्त पहुँच प्रदान करने हेतु निर्देश दिया गया है।

क्या है 'बड़ी बाटा'

'बड़ी बाटा' एक सरल और सहज कार्यक्रम है। इसमें स्थानीय बच्चों को पाठशाला की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। 'बड़ी' का अर्थ है— पाठशाला और 'बाटा' का अर्थ है— रास्ता यानी कि पाठशाला की ओर जाने वाला रास्ता। शिक्षकों तथा पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की सहायता से एक रैली निकाली जाती है। इसमें जो बच्चे पाठशाला से वंचित हैं उनके घर जाकर उन्हें पाठशाला में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस रैली में माता-पिता और समुदाय के अन्य लोग भी भाग लेते हैं। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह विशेष रूप से आयोजित की जाती है।

'बड़ी बाटा' का आयोजन

'बड़ी बाटा' कार्यक्रम राज्य के सभी गाँवों में अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाता है। इसके लिए विधिवत ढंग से सरकारी आदेश जारी किए जाते हैं। इस आदेश का पालन करना गाँवों की पाठशालाओं की ज़िम्मेदारी होती है। जिस गाँव में बड़ी बाटा उत्सव आयोजित करना है, उस गाँव व समुदाय के माता-पिता अभिभावकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को इस कार्यक्रम की ज़िम्मेदारी में शामिल किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य इस काम में मदद करते हैं। अध्यापक, अभिभावक और बच्चों की रैली बनाने के उपरांत उनसे कहा जाता है कि वे लोग विद्यालय से आरंभ होकर उन बच्चों के घर जाएँ जो बच्चे पाठशाला छोड़ चुके हैं। सभी अध्यापक बच्चों के साथ बारी-बारी उन घरों पर जाते हैं जिन घरों के बच्चे पाठशाला की शिक्षा से अपना नाता किसी कारणवश तोड़ चुके हैं। ऐसा करने से पाठशाला छोड़ चुके बच्चों को प्रेरणा मिलती है और वह अपने साथी मित्रों को देखकर पाठशाला के प्रति लालायित होते हैं।

'बड़ी बाटा' में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम

इस अवसर पर पाठशाला से वंचित बच्चों को पशु-पक्षियों के किस्से, फल और फूलों की कहानियाँ आदि सुनाई जाती हैं। साथ ही बाल मज़दूरी मिटाने के लिए अच्छे-अच्छे नारे दिए जाते हैं, जैसे— पेद्दलु पनी की पिल्ललु बडी की (इसका अर्थ है— घर के वयस्क मज़दूरी करने और बच्चे पाठशाला पढ़ने जाएँगे।), अम्माई चदुवु जगति की वेलुगु (इसका अर्थ है— लड़की की शिक्षा विश्व की जगमगाहट है।) इस अवसर पर बच्चों को कॉपी, पेंसिल और पुस्तकें दी जाती हैं। बच्चों के हाथों में यह सारी चीज़ें इतनी सुंदर लगती हैं कि उस संदर्भ में एक गीत गाया जाता है। बच्चे अपने मनपसंद चित्र बनाते हैं और उसे सुनकर एवं देखकर शिक्षक उसके बारे में कुछ वाक्य बोलते हैं। ऐसा करने से बच्चे, समुदाय के लोग बड़े आनंदित होते हैं। साथ ही माता-पिता अथवा अभिभावकों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे संदर्भ में जो कोई माता-पिता अथवा अभिभावक अपने बच्चों को पाठशाला से वंचित रखते हैं उन्हें अपने बच्चों को पाठशाला भेजने की उत्सुकता जागृत होती है। बच्चे अपने-अपने चित्रों पर अपने मनपसंद नाम लिखते हैं। इससे उन बच्चों

© NCERT not to be republished

को एहसास होता है कि यह चित्र उन्होंने खुद बनाया है और इससे वे प्रेरित होते हैं।

'बड़ी बाटा' में शिक्षकों की भूमिका

शिक्षक *रामायण, महाभारत* आदि की कथाएँ, किस्से, मिथक और पौराणिक कथाएँ, मंदिर और पर्व पर आधारित दंत कथाएँ बच्चों को सुनाते हैं। तेलंगाना की प्रसिद्ध पुस्तक *पेद्दा बाल शिक्षा* में ऐसी कई सारी बातें बताई गई हैं। शिक्षक व अभिभावक समूह में बैठकर बारी-बारी से पाठशाला छोड़ चुके बच्चों के घर पर जाते हैं। बड़ी बाटा कार्यक्रम उत्सव में अध्यापक की भूमिका सहायक और आयोजक की होती है। अध्यापकों को यह भी ज्ञात होता है कि जो बातें किताबों में नहीं हैं, वह गाँव के लोगों में पारंपरिक तौर पर फैली हुई हैं। ऐसे ज्ञान का उपयोग कक्षा के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में किया जा सकता है।

'बड़ी बाटा' का उद्देश्य

'बड़ी बाटा' कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करना है। इसके अतिरिक्त अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंत:क्षेपों में अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों की अभिरुचि वाले पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम का अंग बनाना, मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापक, माता-पिता, अभिभावक, समाज प्रमुख, स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों की ज़िम्मेदारी, अकादमिक संसाधन, शिक्षा सरलीकरण करने के प्रति जागृत करना, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं गणावेशों तथा अधिगम स्तरों या परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना आदि शामिल है।

'बड़ी बाटा' का पाठशाला से वंचित बच्चों पर प्रभाव

बच्चे जब 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम कार्यक्रम में भाग लेते हैं और चित्र बनाते हैं तो यह जानकर खुशी से चहक उठते हैं कि अरे! यह उत्सव तो खेल जैसा है। यह बड़ा मज़ेदार है। चित्र बनाने की आज़ादी उनके भीतर निहित सृजनात्मकता को नए आयाम देने का प्रयास करती है।

बच्चे अपने चित्र में अपनी प्राथमिकता के अनुसार मनपसंद चरित्र, स्थान और पृष्ठभूमि को रूपायित करते हैं। इन चित्रों से बच्चों की मनोभावना का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके आधार पर बच्चों की चित्र कहानी से कहानी की रूपरेखा बनाई जा सकती।

बच्चों के एक ही चित्र के कई रूप मिलते हैं। चूँकि, एक ही चित्र को कई बच्चे बनाते हैं इसलिए एक ही अवधारणा के चित्र पुनरावृत्ति में देखे जा सकते हैं। सभी बच्चे अपनी-अपनी भावना के अनुसार अपने मनपसंद चित्र बनाते हैं। कोई बच्चा दो चित्र तो कोई चार तो कोई पाँच चित्र बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे एक से अधिक चित्र को अपने-अपने नज़रिए से ग्रहण करते हैं और उस पर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं।

बच्चों के चित्र के आधार पर शिक्षक पोस्टर बनाते हैं। आगे चलकर भाषा और पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अंतर्कक्षा संबंधों का विकास भी इससे हो सकता है।

'बड़ी बाटा' कार्यक्रम कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि इसके अंतर्गत दृष्टि, श्रवण शक्ति, गतिशीलता, सम्प्रेषण, सामाजिक-भावनात्मक संबंध, बुद्धिमत्ता और आर्थिक रूप से सुविधा वंचित बच्चों

© NCERT not to be republished

की पहचान हो सकी। इससे उनकी आवश्यकताओं को रेखांकित करने में सहायता मिली। सरकार ने उनके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करते हुए उन्हें पाठशाला की ओर आकर्षित करने का जो प्रयास किया है, वह सराहनीय है। यह सराहनीय प्रयास 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम के कारण ही संभव हो पाया है। 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम में देखा गया कि गरीबी के कारण बच्चे जीवन के कई अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। वे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें बचपन से ही काम शुरू करना पड़ता है, ताकि वे परिवार की आय बढ़ा सकें। तेलंगाना में लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता की उदासीनता दिखायी देती रही है। यही कारण है कि लड़कियों को अकसर घर पर ही रोक लिया जाता है ताकि वे छोटे भाई-बहनों (बच्चों) का ध्यान रख सकें और घर के कामकाज कर सकें। इसके कई कारणों में रूढ़िवादी विचारधाराएँ, जैसे— लड़की को पराई संपत्ति समझना, मात्र घरेलू कामकाज योग्य समझना, बच्चों की देखभाल करना आदि शामिल हैं। सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। उनके लिए अलग से शौचालय, आराम कक्ष तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए अलग से पाठशालाएँ खोल रही है। यह सब 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम के कारण संभव हो पा रहा है। इन पाठशालाओं में शिक्षा को सुचारु ढंग से चलाने की सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। उपर्युक्त बच्चों को विशेष महत्व देते हुए 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम बच्चों को अपनाने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ बच्चे अपनापन प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। यह बच्चों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है। बाल मित्रवत वातावरण में उन्हें फलने-फूलने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं।

'बड़ी बाटा' में बनाए गए चित्रों की महत्ता

बड़ी बाटा कार्यक्रम उत्सव के दौरान चित्र बनाने के बाद चर्चा आरंभ होती है। इससे पढ़ना, लिखना व शब्द विकास व वाक्य का ज्ञान सहज रूप से होने लगता है। चित्रों पर बच्चों के नाम अंकित किए जाते हैं। आगे चलकर इन चित्रों को पुस्तकाकार रूप दिया जाता है। अध्यापकगण बच्चों से पुस्तक के नाम हेतु सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक को देखने के बाद अध्यापक, गाँव के सयाने लोग जो इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं, जानकर बड़े खुश होते हैं कि उनका ज्ञान किताबों में समाहित हो रहा है।

बच्चों के अंतर्मन में छिपी कला चित्र के बहाने वाचिक और लिखित रूप में उभर कर आगे आती है। जब अध्यापक बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहते हैं, तो बच्चे सोचने लगते हैं और अपनी सृजनकला को कागज पर प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को चित्र बनाना बड़ा अच्छा लगता है। ये चित्र उनका मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें ज्ञान भी देते हैं।

'बड़ी बाटा' और तेलंगाना सरकार

तेलंगाना सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2011 के दिशा-निर्देशों के तहत बच्चों को पाठशाला की ओर लालायित करने के लिए 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। चूँकि, देश में तेलंगाना की साक्षरता दर अत्यंत चिंताजनक है, इसलिए सरकार नवोन्मेष कार्यक्रमों के प्रति तत्पर है।

सरकार की मानें तो 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर, आस-पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों

© NCERT not to be republished

चित्र 1— बालकथा — साहसम
चौथी कक्षा की छात्रा साहिति द्वारा बनाया गया चित्र

को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। उसे सुना जाना चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो दी जा रही है।

'बड़ी बाटा' कार्यक्रम साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा करने वाला उत्सव है। इसके अनुसार मूल्य शिक्षा अलग से न होकर बल्कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। तभी हम बच्चों के सामने सही उदाहरण पेश कर पाएँगे। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात यह उत्सव करता है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना में वरंगल के एटुरु नागाराम और आदिलाबाद के उटनूर में अलग-अलग तरह के परिधान पहनते हैं, जो उनकी संस्कृति के परिचयाक हैं। इतना ही नहीं यह वैयक्तिक अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात भी करता है। दिव्यांग बच्चों के साथ बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए सबको समुचित अवसर प्रदान किए जाते हैं।

यह उत्सव बच्चे को अपनी क्षमताएँ और कौशल की पहचान कर उसे फलने-फूलने के अवसर प्रदान करने पर बल देता है। इन्हें पाठशाला में व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, जैसे— संगीत, कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य (किस्से कहानियाँ कहना), नृत्य एवं प्रकृति के प्रति अनुराग इत्यादि। ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ-साथ साहित्यिक एवं कलात्मक रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का एक हिस्सा माना गया है। यहाँ पर तर्क (वैज्ञानिक अन्वेषण) के साथ-साथ भावना (साहित्य) के पहलू को भी महत्व देने की बात कही गई है।

सुझाव

'बड़ी बाटा' कार्यक्रम के अंतर्गत देखा गया कि बच्चों में भाषायी कौशल और गणित के सामान्य सवालों को हल करने के कौशल प्रदान करने का प्रयास तो ठीक है किंतु यह चिंता भी जगाती है कि क्या हमारे शिक्षक और अन्य संसाधन इस योजना को पूरा करने में सक्षम और समर्थ हैं? क्या हमारे पास इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी कार्ययोजना और रणनीति तैयार है? आदि, क्योंकि इससे पूर्व भी देशभर में इन बुनियादी कौशलों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की गई। जिसके शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।। इससे पूर्व देशभर में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान आदि की भी शुरूआत की गई।

© NCERT not to be republished

इन तमाम अभियानों में जो कमी देखी गई वह इनके कार्यान्वयन स्तर पर थी। ये योजनाएँ अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में तो स्पष्ट थीं किंतु इन्हें सही तरीके से रणनीति बनाकर क्रियान्वित नहीं किया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभिक स्तर पर नि:शुल्क शिक्षा की माँग सन् 1911 में उठी थी। किंतु यह सपना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, (आरटीई) 2009 के रूप में एक अप्रैल, 2010 से देशभर में लागू किया गया लेकिन इसमें भी कई खामियाँ पाई गईं। क्या इस आरटीई में कोई कमी थी या फिर इसे जिस शिद्दत से स्वीकारा जाना चाहिए था या फिर क्रियान्वित करने में हमसे कोई चूक रह गई इसे भी समझना होगा। इस संदर्भ में हमें 'बड़ी बाटा' कार्यक्रम के इस प्रयास को देखने और समझने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और रिक्त पदों को भरने की ओर भी योजनाबद्ध तरीके से कार्ययोजना तैयार करने सुझाव प्राप्त हुआ। चूँकि, इसके बगैर यह कार्यक्रम भी अन्य कार्यक्रम के तर्ज़ पर विफल हो सकता था, किंतु तेलंगाना सरकार ने इस पर सकारात्मक कार्य किया। पढ़ना और लिखना गणित की बुनियादी कौशल विकास को न केवल इस कार्यक्रम में शामिल किया है बल्कि सतत् विकास लक्ष्य को भी प्रमुख माना गया है। यदि तेलंगाना सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर पाती है तो यह अन्य राज्यों की सरकार के लिए भी मिसाल कायम करेगा। इसे सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ समाज के अन्य तबको भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी।

निष्कर्ष

'बड़ी बाटा' का अर्थ है— पाठशाला (बड़ी) की ओर जाने वाला रास्ता (बाटा)। तेलंगाना सरकार ने अपनी शैक्षिक रिपोर्टों में पाया है कि अधिकतर प्रारंभिक स्तर के बच्चे किसी न किसी कारणवश पाठशाला छोड़ रहे हैं। ये कारण पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर कोई अन्य हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें पाठशाला के प्रति आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। तेलंगाना सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 'बड़ी बाटा' जैसा नूतन तथा नवोन्मेषी कार्यक्रम चलाने की योजना बनायी। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस कार्यक्रम के आरंभ से पाठशाला छोड़ चुके बच्चे फिर से पाठशाला की ओर लौटने लगे। यह गुणवत्तापूर्ण परिणाम तभी संभव हो पाया जब समाज के सभी सरोकारों को इससे जोड़ा गया। माता-पिता, अभिभावक, समाज के प्रमुख, स्वैच्छिक संगठन, अध्यापक और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की ललक ने कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया। फिर चाहे माता-पिता के सुझावों का स्वागत करना हो या स्वैच्छिक संगठनों की पहल हो। सभी ने मिलकर पाठशाला की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के साथ-साथ बच्चों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए उनकी पठन सामग्री को हाथों-हाथ लिया और इन्हें शिक्षण का अंग बनाया गया। यही कारण है कि आज यह कार्यक्रम तेलंगाना में 'बड़ी बाटा' सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा. 2011. रा.शै.अ.प्र.प. तेलंगाना, हैदराबाद.

रा.शै.अ.प्र.प. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्., नयी दिल्ली.

———. 2008. *राष्ट्रीय फ़ोकस समह का आधार पत्र — पाठ्यचर्या बदलाव के लिए व्यवस्थागत सुधार*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2009. *राष्ट्रीय फ़ोकस समह का आधार पत्र — शैक्षिक तकनीकी*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

भारत सरकार. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

10

उड़ीसा में जनजातीय शिक्षा वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ

अभय कुमार मिश्र*
मिनकेतन बेहेरा**

उड़ीसा में कुल आबादी का एक चौथाई भाग (22.85 प्रतिशत) जनजातीय है (2011 जनगणना, पृ. सं. 8)। शिक्षा को किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक विकास का इंजन माना गया है। शिक्षा जहाँ एक तरफ व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों, आशा-आकाक्षाओं एवं समझ में परिवर्तन लाकर उसके जीवन जीने की स्थिति में बदलाव लाती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी आजीविका, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि व्यवहार में उन्नति करती है। उड़ीसा के जनजातीय लोगों की शिक्षा बहुत ही कम और दयनीय स्थिति में है, जो हमारे देश और उड़ीसा प्रदेश के शैक्षिक औसत से ही नहीं बल्कि भारत के अन्य जनजातीय वर्गों के शैक्षिक औसत से भी बहुत कम है। शोध लेख वर्तमान में उड़ीसा की जनजातीय शिक्षा की स्थिति एवं चुनौतियों का विश्लेषण करने के साथ-साथ उसके निदान हेतु सुझाव भी देता है।

शिक्षा गरीबी एवं बेरोज़गारी को घटाने के एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में काम कर सकती है इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को भी बढ़ा सकती है एवं निरंतर मानवीय विकास को प्राप्त करने में मददगार हो सकती है (विश्व बैंक, 2004)। शिक्षा पर निवेश करना विश्व बैंक की सामाजिक विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है जो कि विकास में सम्मिलित विकास, सामाजिक एकजुटता एवं जवाबदेही का समर्थन करता है (सेन, 2007)। शैक्षिक एवं सामाजिक तौर पर उड़ीसा में जनजातीय लोग सबसे प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं। पूरे भारत के जनजातीय मानचित्र में उड़ीसा की एक अलग पहचान है। यहाँ कुल 62 प्रकार के जनजातीय लोग निवास करते हैं (अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वार्षिक विवरणी 2019–20 पृ.सं.4)। प्रत्येक जनजाति एक दूसरे से भिन्न हैं। उड़ीसा में रहने वाले जनजातीय लोग की संख्या राज्य की पूरी आबादी का 22.85 प्रतिशत है एवं भारत की पूरी जनजातीय आबादी का 9.66 प्रतिशत उड़ीसा में रहता है। उड़ीसा के बाद मध्यप्रदेश 14.69 एवं महाराष्ट्र 10.8 प्रतिशत जनजातीय लोग निवास करते हैं (भारतीय जनगणना 2011)। प्राय: उड़ीसा के 93.8 प्रतिशत जनजातीय लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं जबकि भारत में इसकी कुल संख्या 90 प्रतिशत है।

**शिक्षक*, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल एम.सी.एल. आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर, उड़ीसा 768 020
***एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, स्कूल ऑफ़ सोशल सांइस, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 110 067

© NCERT not to be republished

ज़्यादातर जनजातीय लोग जंगल एवं पहाड़ी इलाके में रहते हैं। इन लोगों में गरीबी (63.52) और अशिक्षा (47.76 प्रतिशत) विद्यमान है (इकोनोमिक सर्वे ऑफ़ उड़ीसा 2016-17 पृ. सं. 241) इसलिए सामाजिक असमानता एवं दूरियाँ ऐसे समाज में पर्याप्त मात्रा में व्याप्त है। स्वतंत्रता के बाद आज तक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक वंचित एवं उपेक्षित जनजातीय लोगों के लिए कई कार्यक्रम और ठोस कदम लिए जा रहे हैं।

इस क्षेत्र में सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद जनजातीय लोगों की शैक्षिक विकास दर राज्य एवं देश की आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं है। यह शोध प्रबंध उड़ीसा के साधारण जनसंख्या की तुलना में जनजातीय लोगों की शैक्षिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण करता है। इतना ही नहीं यह शोध शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय पुरुष-महिलाओं के अंतर की दर, स्कूल में कुल पंजीकृत अनुपात, विद्यालय छोड़ने का अनुपात, लैंगिक अनुरूपता आदि का विश्लेषण करेगा।

जनजातीय लोगों के निम्न शैक्षिक स्थिति व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण ढूँढ़कर उनके शिक्षा विकास के उपायों का अन्वेषण करना इस शोध प्रबंध का उद्देश्य है। इसमें द्वितीय आँकड़ों या सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। इस लेख में भारतीय जनगणना, विभिन्न सरकारी विभागों का वार्षिक विवरण, विविध किताबों एवं पत्रिकाओं से आँकड़ों को संगृहित किया गया है।

जनजातीय लोगों की शैक्षिक स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। जबकि उड़ीसा की साक्षरता दर 72.9 प्रतिशत है (इकोनोमिक सर्वे ऑफ़ उड़ीसा 2016–17 पृ.सं. 8)। उड़ीसा के जनजातीय लोगों की साक्षरता दर एक चिंता का विषय बन गया क्योंकि यह पूरी जनसंख्या की तुलना में कम है। वर्ष 2001 में जहाँ जनजातीय लोगों की साक्षरता दर 37.37 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 52.24 प्रतिशत हो गई। यह जनजातीय लोगों के शैक्षिक स्तर में उन्नति को दर्शाता है। 2001 से 2011 में पुरुष साक्षरता दर 51.5 प्रतिशत से बढ़कर 63.70 प्रतिशत हो गई। पूरी आबादी और जनजातीय लोगों की शैक्षिक स्थिति में 20.66 प्रतिशत का अंतर रहा। पिछले दशक में महिला साक्षरता दर में बहुत उन्नति के बावजूद चिंता का विषय बना रहा। महिला साक्षरता दर 2001 से 2011 के बीच 23.36 प्रतिशत से बढ़कर 41.20 प्रतिशत हो गई। साधारण आबादी की तुलना में जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर 22.8 प्रतिशत तक कम है (इकोनोमिक सर्वे

तालिका 1— साक्षरता संबंधी आँकड़े

	जनजातीय वर्ग				साधारण वर्ग			
साल	*पुरुष*	*महिला*	*लैंगिक भिन्नता*	*कुल संख्या*	*पुरुष*	*महिला*	*लैंगिक भिन्नता*	*कुल संख्या*
1971	16.4	2.58	13.8	9.46	38.3	13.92	24.38	26.18
1981	28.3	5.81	22.51	17.01	47.09	21.12	25.97	35.37
1991	34.4	10.21	24.23	22.31	63.1	37.7	25.4	49.09
2001	51.5	23.36	28.14	37.37	75.95	50.5	25.45	63.08
2011	63.7	41.2	22.5	52.24	98.16	64	34.16	72.9

स्रोत— भारतीय जनगणना, 2011

© NCERT not to be republished

ऑफ़ उड़ीसा 2016–17 पृ.सं. 257)। कक्षा प्रथम से पाँचवी तक कक्षाओं में जहाँ जनजातीय छात्रों का सकल नामांकन दर 107.8 है एवं छात्राओं का सकल नामांकन दर 105.7 होकर कुल अनुपात दर अधिक रहता है। वहीं कक्षा छठीं से आठवीं तक आते-आते वहीं जनजातीय छात्रों की संख्या 95.4 और छात्राओं का 98.2 प्रतिशत तक घट जाता है (शिक्षा सांख्यिकी— एक अवलोकन 2018 पृ.सं. 33)। इससे पता चलता है जनजातीय छात्रों की विद्यालयों में भर्ती दर अन्य वर्गों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेज़ी से घट रही है। सभी वर्गों के छात्रों की तुलना में जनजातीय छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की दर सबसे अधिक है। उड़ीसा में कक्षा प्रथम से दसवीं के बीच जनजातीय विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ने की वर्षिक औसत दर छात्रों 24.9 प्रतिशत और छात्राओं का 24.4 प्रतिशत है। (शिक्षा सांख्यिकी— एक अवलोकन 2018 पृ.सं. 37)। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनजातीय बच्चों में बहुत ही कम प्रतिशत बच्चों को उच्च शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त होता है। उड़ीसा में जनजातीय छात्रों की एवं अन्य वर्गों की लैंगिक समानता सूची जहाँ कक्षा प्रथम से पाँचवी में सबसे अधिक रहती है, वहीं कक्षा ग्यारहवीं-बारहवीं में आते-आते सबसे नीचे आ जाती है।

जनजातीय लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थान

उड़ीसा के 314 ब्लॉक में से 118 ब्लॉक जनजातीय योजनाओं के तहत आते हैं (ओता, 2009)। जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल व सामूहिक शिक्षा विभाग के अधीन कुल 56355 विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक) चलाए जा रहे हैं (स्कूल व सामूहिक शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार)। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभाग द्वारा भी जनजातीय बच्चों के लिए कुछ विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इस विभाग के अधीन विद्यालयों की सूची तालिका 2 में प्रदत्त है।

उड़ीसा की जनजातीय शिक्षा की समस्याएँ

तालिका 2 में दिए गए आँकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संवैधानिक गारंटी एवं लगातार प्रयास के बावजूद उड़ीसा के जनजातीय वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में साधारण वर्ग से बहुत पीछे हैं। इसके प्रमुख कारणों को हम बाह्य, आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक

तालिका 2— साक्षरता संबंधी आँकड़े

विद्यालय	संख्या
एकलव्य मॉडल स्कूल	19
उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान एवं वाणिज्य	62
उच्च विद्यालय	249
बालिका उच्च विद्यालय	173
आश्रम विद्यालय	705
माध्यमिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय	02
सेवाश्रम	501
बी.एड प्रशिक्षण कॉलेज	01
कुल	1712

स्रोत— अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विकास विभाग वार्षिक विवरण 2019–20, पृ.सं. 19

© NCERT not to be republished

एवं मानसिक प्रतिबंधक आदि भागों में बाँट सकते हैं (सुजाता, 2002)। बाह्य प्रतिबंधकों में योजना की रूपरेखा, योजना प्रणयन एवं प्रशासन आदि हैं जबकि आंतरिक प्रतिबंधकों में स्कूल एवं स्कूल संबंधी समस्या है, जैसे— स्कूल प्रणाली, पाठ्यक्रम, शैक्षिक अवलोकन एवं शिक्षक संबंधी प्रतिबंधक है। अन्य समस्या में जनजातीय लोगों की शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रथम पीढ़ी के पाठकों की मानसिक स्थिति को लिया गया है।

नीचे लिखे बिंदु जनजातीय लोगों की शिक्षा एवं शिक्षित पिछड़ेपन का मूल कारण हो सकते हैं।

- **आर्थिक कारण**— ज़्यादातर जनजातीय अभिभावक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को विद्यालय भेजने में अनिच्छा प्रकट करते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को घर के रोज़गार का साधन मानते हैं।
- **विद्यालय के समय**— विद्यालय का समय एवं जनजातीय लोगों के काम करने का समय एक होता है। उनके बच्चे उन्हें आर्थिक दृष्टि से मदद करते हैं जिसके लिए वे उनका नाम विद्यालय में लिखना नहीं चाहते हैं। अगर लिखते भी हैं तो आधे समय से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है।
- **भयंकर गरीबी**— भारत के अधिकांश जनजातीय लोग गरीब एवं बहुत पिछड़े हैं। ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं या श्रमिक हैं इसलिए उनके बच्चे बाल भी मज़दूर बनने के लिए मजबूर होते हैं।
- **मानसिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास एवं पूर्वधारणा**— जनजातीय अभिभावकों की मानसिक अवधारणा सदैव सांस्कृतिक एवं परंपरागत कार्यक्रमों के अनुकूल एवं बच्चों का परिवार के लिए रोज़गार सक्षम बनाने की ओर झुकाव रहता है। ज़्यादातर लोगों में यह विचार है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके बच्चे विद्रोही, असभ्य एवं बाकी समाज से अलग बन जाते हैं और उनकी लड़कियाँ आधुनिक और गुमराह हो जाती हैं। कुछ जनजातीय लोगों का यह मानना है कि बाहरी लोगों द्वारा चलाए जाने वाली विद्यालयों में उनके बच्चो के पढ़ने से भगवान नाराज़ हो जाते हैं।
- **शिक्षण संबंधी समस्या**— जनजातीय इलाकों में उपयुक्त शिक्षकों की कमी शैक्षिक विकास में प्रमुख बाधक सिद्ध होती है। जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु नियुक्त अधिकतर शिक्षक उन लोगों की जीवन शैली एवं मूल्यबोधों को नज़रअंदाज़ कर कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। वे लोग जनजातीय लोगों को जंगली एवं असभ्य मानकर स्वयं को बड़ा दिखाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के साथ उनका अच्छा तालमेल नहीं बन पाता है।
- **भाषायी माध्यम**— जनजातीय शिक्षा में प्रमुख बाधक भाषा ही है। अधिकतर जनजातीय भाषा या बोली अभी भी उसके मौलिक रूप में है, जिसका कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं मिलता। अधिकांश प्रदेशों में साधारण वर्ग एवं जनजातीय वर्ग छात्रों को एक ही आँचलिक भाषा में पढ़ाया जाता है। मगर अधिकांशत: पाठ्य सामग्री आंचलिक भाषा में जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा अरुचिपूर्ण लगती है। उन्हें स्कूली भाषा से जोड़ना ज़रूरी है ताकि वे उपलब्ध साहित्य या सामग्री को पढ़कर समझ सकें। कई बार शैक्षिक सत्र की शुरूआत से ही विद्यालयों में किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती, जो छात्रों एवं शिक्षकों के लिए समस्या उत्पन्न करता है।

© NCERT not to be republished

- **गाँव की स्थिति**— अधिकांश जनजातीय गाँव बिखरे हुए होते हैं। विद्यालय जाने के लिए बच्चों को कई मील पैदल जाना पड़ता है। जब तक विद्यालय उनके गाँव के पास नहीं होगा और गाँव वालों के द्वारा स्वामित्य स्वीकार्य नहीं होगा तब तक अच्छे फल की आशा नहीं की जा सकती। विद्यालय का मकान भी जनजातीय लोगों के शैक्षिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। कुशासन, कुप्रबंधन, आर्थिक घपला एवं आर्थिक कमी या बाधाओं के कारण कुछ विद्यालय के मकानों में शैक्षिक अनुष्ठान चलाना मुश्किल हो जाता है।
- **परिवेश या वातावरण**—.ज़्यादातर जनजातीय अभिभावक कृषक या श्रमिक होते हैं जिन्हें बाहरी आधुनिक दुनिया या परिवेश का कोई ज्ञान नहीं होता। उनका वातावरण संकीर्ण होता है जो संकीर्ण विचारधारा को जन्म देता है। ज़्यादातर अभिभावक शराब या अन्य नशा करते हैं। इसका दुष्प्रभाव एवं कुपरिणाम बच्चों पर पड़ता है जिससे उनके परीक्षा परिणाम होते हैं।
- **सही निगरानी**— जनजातीय कल्याण विभाग एवं विद्यालय शिक्षा विभाग के मध्य सही निगरानी रखने की आवश्यकता है। कोई निश्चित स्वतंत्र एवं निरपेक्ष संस्थान का निर्माण किया जाना चाहिए जो इन कार्यों पर निगरानी रखें साथ ही कमियों को दूर कर भविष्य में सुधार की योजना बनाएँ।

जनजातीय इलाकों में शैक्षिक विकास के उपाय

- जनजातीय बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की ज़रूरत है। जहाँ तक संभव हो शिक्षित जनजातीय युवाओं को उनके इलाकों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिले। पाठ्यक्रमों में जनजातीय विकास हेतु उनके खेलों, तीरंदाजी, औषधीय वृक्षों की पहचान, शिल्प, कला, संस्कृति, जनजातीय नृत्य एवं संगीत और चित्रकला आदि को भी सम्मिलित किया जाए।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम, पुस्तक एवं शैक्षिक उपकरणों को जनजातीय लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनानाचाहिए।
- जनजातीय इलाकों के विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करनी चाहिए। आवश्यक संसाधनों तथा जनजातीय शिक्षकों को भी नियुक्ति देनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों के अभाव में उन शिक्षकों की भर्ती की जाए जिनका जनजातीय लोगों के प्रति, उनके सांस्कृतिक, परंपराओं के प्रति झुकाव हो। ऐसे स्थानों में शिक्षकों को विद्यालय परिसर में रहने की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। जनजातीय लोगों की आवश्यकता एवं माँग के आधार पर विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। समुदाय के प्रमुख उपदेशकों को स्वेच्छा से विद्यालय खोलने एवं प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
- विद्यालय की समय सारणी विद्यार्थियों की उपलब्धता तथा विद्यालय को अवकाश कैलेंडर भी उस समुदायों के पर्व-त्यौहारों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए।
- शैक्षिक कैलेंडर का निर्माण जनजातीय समुदाय के संस्कृति परंपरा के अनुसार होना चाहिए। जो छुट्टियाँ उनसे संबंधित नहीं है उन्हें निकाल कर

© NCERT not to be republished

उनके त्यौहारों में उन्हें छुट्टी देनी चाहिए जिससे विद्यालय की उपस्थान में उन्नति होगी, साथ ही उनकी गरिमा में वृद्धि होगी।

- जनजातीय माता-पिता को शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु उन्हें सही परामर्श एवं मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के साधनों को भी जनजातीय भाषा में तैयार करने की ज़रूरत है। इसके लिए जनजातीय लोककथा, गीत, पहेलियों को संगृहित करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।
- जनजातीय इलाकों में विशेष समुदाय संगठन, समुदाय क्षमता निर्माण उपायों को विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी स्वैच्छिक अनुष्ठानों के द्वारा क्षमता निर्माण, जन सचेतन एवं जन जागृति कार्यक्रमों को कराना चाहिए।

निष्कर्ष

पूरे विश्व में शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सकता है। स्कूल एवं स्कूल संबंधी मौलिक संसाधन की कमी जनजातीय लोगों के शैक्षिक विकास में सर्वप्रमुख समस्या बन कर खड़ी है। संभवत: जनजातीय लोगों के सामूहिक विकास एवं उनकी शिक्षा के बारे में गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। सरकारी हस्तक्षेप, योजना निर्माता उसे कार्यान्वित करने वाले सभी बुद्धिजीवियों को इन समस्याओं पर आपातकालीन विचार करके जनजातीय लोगों की शिक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने बजट में अधिक से अधिक अर्थ मुहैया करने की और ध्यान देना चाहिए। जनजातीय बच्चों को समाज के आर्थिक विकास के मुख्यधारा में सम्मिलित कर उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

ए. बी. ओता. 2009. जनजातीय उपयोजना की समीक्षा. पृष्ठ 16, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आरटीआई भुवनेश्वर.

उड़ीसा सरकार. 2016–17. *इकोनोमिक सर्वे ऑफ़ उड़ीसा*. उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर.

उड़ीसा सरकार, मानव विकास रिपोर्ट. 2004. पृष्ठ 116. योजना व समन्वय विभाग. सरकार, भुवनेश्वर.

———. 2019–20. अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वार्षिक विवरणी. अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभाग. उड़ीसा सरकार.

———. 2020. स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग. https://sme.odisha.gov.in/about-us/overview/primary-education

भारत सरकार. 2014. *स्कूली शिक्षा की सांख्यिकी 2013–14. निगरानी एवं सांख्यिक विभाग.* मानव संसाधन विकास, मंत्रालय नयी दिल्ली.

———. 2018. *शिक्षा सांख्यिकी— एक अवलोकन*. निगरानी एवं सांख्यिक विभाग. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESAG-2018.pdf पर देखा गया।

———. 2011. भारतीय जनगणना 2011. गृह मंत्रालय, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

———. 2011. *भारतीय जनगणना 2011*. उड़ीसा का प्राइमरी सेंसस एब्सटैक्ट पृष्ठ 8, गृह मंत्रालय, नयी दिल्ली.

विश्व बैंक. 2004. *भारतीय सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तक पहुँच— सरकारी योजना एवं सेवा वितरण*. मानव विकास इकाई, साउथ एशियन रीजन, वाशिंगटन.

सेदल एम. और के संगीता. 2008. *प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय की शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में समानता*, नीपा, नयी दिल्ली.

सेन. ए. 2007. *स्वतंत्रता है जैसे विकास*. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन.

सुजाता, के. 2002. जनजातीय लोगों में शिक्षा. गोविंदा आर. (संकलित) *भारतीय शिक्षा रिपोर्ट— बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा*. पृष्ठ 362. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

11

प्राथमिक शालाएँ शैक्षिक शोध की उर्वर भूमि

पवन सिन्हा*

शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के परिवर्तन की चर्चा अकसर होती रहती है और उन चर्चाओं में जिस तरह के सरोकार व्यक्त किए जाते हैं, वे शैक्षिक शोध की उर्वर भूमि का कार्य करते हैं। जो आज है, वह कल नहीं था और जो आज है वह कल नहीं होगा। इस सिद्धांत को गहराई से देखें तो कहा जा सकता है कि परिवर्तन की राह को अग्रसर करने में शोध की अपनी महत्ती भूमिका है। परिवर्तन का कलेवर भी उसी शैक्षिक शोध का परिणाम है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोध स्वयं के 'घर' अर्थात कक्षायी जगत में कितने कारगर या उपयोगी होते हैं, यह तय करना कठिन नहीं है। अनेक शोध ऐसे होते हैं जो अभी हाल-फिलहाल के शैक्षिक परिवर्तन की उपज होते हैं तो कुछ शोध ऐसे होते हैं जो वर्षों के चिंतन, परिवर्तन या समाधान के लिए चिंतित सोच, छटपटाहट का परिणाम होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा के लिए उपयोगी और शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन हेतु शोध को जो स्थान दिया गया है, प्रस्तुत लेख उसी के संदर्भ में प्राथमिक शालाओं को शोध की एक उर्वर भूमि के रूप में विश्लेषित करने का प्रयास है।

सामान्यत: किसी भी अनुशासन की विचार-भूमि और चिंतन-क्षितिज का आधार वह कार्य-भूमि ही होती है जहाँ अवलोकन और उस अवलोकन के आलोचनात्मक विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ये निष्कर्ष ही हैं जो और अधिक गहन विश्लेषण और सामान्यीकरण के बाद सिद्धांत रूप में परिणत होते हैं। यह बिंदु शिक्षा-अनुशासन पर भी लागू होता है और हमें शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी सिद्धांत को परखने, किसी भी सिद्धांत को गढ़ने के लिए शिक्षा की कर्म भूमि यानी कक्षाओं में जाना होगा। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया जिस तरह से कक्षाओं में घटित होती है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण ही शिक्षा-शास्त्रीय सिद्धांतों को गढ़ने में मदद करता है। इस अर्थ में बच्चों की शिक्षा से जुड़े सिद्धांतों को खोजने के लिए कक्षाओं को ही परखने की वह पैनी दृष्टि चाहिए जो पुन: बच्चों की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहयोग करेगी। इस संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, जैसे— कक्षायी भूमि से उपजे सिद्धांत का क्या कोई वैध आधार होगा? क्या उस सिद्धांत को हम समान रूप से सभी बच्चों की शिक्षा पर लागू कर सकते हैं? क्या वह सभी शिक्षकों की समान रूप से मदद करेगा कि वे अपने शिक्षण को बेहतर बना सकें? क्या वह सिद्धांत समान रूप से बच्चों द्वारा किसी ज्ञान राशि को सीखने में मदद करेगा? वस्तुत: इन सवालों के मूल में किसी भी सिद्धांत का सामान्यीकरण का सिद्धांत है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर है नहीं-नहीं! किसी

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

© NCERT not to be republished

भी सिद्धांत का पूर्ण रूप से सामान्यीकरण संभव नहीं है और वह समान रूप से सभी को लाभान्वित नहीं करेगा। यदि समस्त प्रश्नों का उत्तर 'नहीं' है तो फिर ये प्रश्न भी उठते हैं— हम बच्चों की शिक्षा के लिए किस सिद्धांत को उपयोगी मानें? क्या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया अथवा उनके व्यवहार के तरीकों के बारे में कोई एक राय नहीं बना सकते? इन प्रश्नों से भी एक और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सिद्धांतों के आधार पर शोध क्यों करते हैं?

यदि हम गहराई से विचार करें और स्वयं के जीवन के संदर्भ में देखें तो क्या यह कह सकते हैं कि हम सभी एक ही तरीके से सीखते हैं। क्या जो विषय एक व्यक्ति को पसंद है, वही विषय दूसरे व्यक्ति को भी पसंद होगा? क्या किसी एक घटना के बारे में दो अलग व्यक्तियों के सोचने और उसकी व्याख्या करने का तरीका समान होगा? इन प्रश्नों का भी यही उत्तर है 'नहीं'। इस 'नहीं' का मूल कारण यह है कि हम सभी 'जैसे हैं' हमारे 'वैसे होने' में हमारे अनुभव, हमारी क्षमताएँ, हमारे परिवेश, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शामिल होती है और हम सभी मूलत: भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ही इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में देखा जा सकता है। जब हम दो बड़े व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं और हमारी सोच, पसंद, राय एक जैसी नहीं है तो यही सिद्धांत बच्चों के संदर्भ में भी लागू होता है।

शोध, शोध निष्कर्ष और सिद्धांत

जैसा कि पूर्व में यह मुद्दा उठाया गया था कि कोई भी सिद्धांत समान रूप से कार्य नहीं करता या प्रभावी नहीं होता तो इस स्थिति में हम शोध की दृष्टि कैसे विकसित करें और शोधगत निष्कर्षों को कैसे उपयोग में लाएँ? सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि शोध से प्राप्त निष्कर्ष 'अंतिम सत्य' नहीं होते और इसका कारण होता है— भिन्न परिवेश या संदर्भ! एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विषय में पढ़ते हैं कि बच्चे ज्ञान का अर्जन कैसे करते हैं या उनका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इस सिद्धांत के अनुसार औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11–12 वर्ष के बाद की है और इस अवस्था में बच्चों में अनेक क्षमताएँ विकसित होती हैं, जैसे— अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, समस्या-समाधान, निर्णय लेना आदि। इस अवस्था में बच्चों की मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है। जीन पियाजे का यह सिद्धांत उनके द्वारा किए गए शोध का निष्कर्ष है और इस सिद्धांत के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं—

- भारत के शहरी क्षेत्र में रहने वाले 12 या उससे अधिक उम्र वाले सभी बच्चे पियाजे के इस सिद्धांत के अनुरूप समस्त मानसिक योग्यताओं में सक्षम हैं?
- जोखिम भरे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे केवल 12 वर्ष के बाद ही तार्किक चिंतन कर सकते हैं?
- भारत के दूर-दराज़ के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे केवल 12 वर्ष की उम्र के बाद ही उचित निर्णय ले सकते हैं, उससे पहले नहीं?
- भारत के सभी बच्चे पियाजे के इसी सिद्धांत के अनुसार मानसिक विकास के सभी चरणों से गुज़रते हैं?

इस संदर्भ में और भी प्रश्न हो सकते हैं और उत्तर होगा— 'नहीं'। आखिर क्यों? वह इसलिए, क्योंकि भारत के सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं और

© NCERT not to be republished

सभी बच्चों का परिवेश, स्थितियाँ, अनुभव, समस्याएँ आदि एक जैसी नहीं हैं। यह संभव है कि आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे 12 वर्ष की उम्र से पहले ही समस्या समाधान की योग्यता रखते हों, क्योंकि उनकी स्थितियाँ अपेक्षाकृत जटिल हैं और वे बच्चे बचपन से ही उन जटिल स्थितियों का सामना करते हों। तो उनमें अपनी जटिल स्थितियों से जूझने की योग्यता 12 वर्ष से पहले ही विकसित हो गई हो और वे किसी अन्य वयस्क के मुकाबले बेहतर क्षमता रखते हों। इसी तरह यह संभव है कि शहर में रहने वाले बच्चे 20 वर्ष की उम्र के बाद भी अपनी समस्याओं के व्यावहारिक समाधान नहीं सोच पाते हों और उनमें तार्किक चिंतन की क्षमता न हो।

यमुना किनारे बसी बस्तियों या किसी भी नदी के किनारे बसी बस्तियों के 12 वर्ष की उम्र से छोटी उम्र वाले बच्चों को यह मालूम है कि बारिश का मौसम आने से पहले ही अपने किसी और ऊँची जगह जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए और क्या साथ ले जाना है क्या छोड़ना है, किन चीज़ों को नुकसान होगा, सबसे पहले खूँटे से बंधे जानवरों को खोलना है ताकि अगर रात में अचानक पानी बढ़ जाए तो जानवर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जा सकें और उनके जीवन को कोई खतरा न हो। यह तार्किक चिंतन अपने परिवेश और उससे उपजे अनुभव का परिणाम है। इसी तार्किक चिंतन को हम उसी बस्ती के हर बच्चे के मस्तिष्क में नहीं खोज सकते, क्योंकि यहाँ जीवों के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे-आपके आस-पास फैले हुए हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि कोई भी एक सिद्धांत समान रूप से सभी के लिए काम नहीं करता। हम केवल सिद्धांत को मोटे तौर पर देख सकते हैं और उस देखने में इतनी गुंजाइश होती है कि वह सिद्धांत अपेक्षाकृत कम लोगों पर ही ठीक-सा लगता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न! जीन पियाजे ने जो शोध किया, उसकी भूमि स्विटज़रलैंड की भूमि थी और उन्होंने अपने तीन बच्चों पर प्रयोग करने के उपरांत अपना सिद्धांत दिया। स्विट्ज़रलैंड का परिवेश और उसकी समाज-सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थितियाँ भारत के परिवेश और उसकी समाज-सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थितियों से नितांत भी है। हम यह भी जानते हैं कि परिवेश का व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। आपका व्यवहार आपके चिंतन से प्रभावित होता है और आपका चिंतन आपके अनुभवों से और आपका अनुभव एक समाज विशेष में ही लगातार समृद्ध होता जाता है। अत: कोई भी सिद्धांत केवल विचार-भूमि दे सकता है लेकिन अपनी यात्रा के मार्ग हमें स्वयं तय करने हैं।

इस चर्चा का सार तत्व यही है कि किसी भी शैक्षिक सिद्धांत को हम ज्यों-का-त्यों अपनी कक्षाओं में लागू नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो न तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे और न ही हम बच्चों के सीखने में कोई ठोस मदद कर सकेंगे। अपनी कक्षाओं के लिए अपने सिद्धांत स्वयं गढ़ने होंगे।

प्राथमिक शालाएँ, शोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने के उपरांत उसके क्रियान्वयन या उसकी प्राप्ति के लिए रणनीति तैयार की जाती है और उस रणनीति में पूर्व के अनुभव तथा नवीन चिंतन के शोध की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पृष्ठ 6 में इस लक्ष्य का उल्लेख

© NCERT not to be republished

करते हुए कहा गया है कि "शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है –जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने से सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा लक्षित –समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे।"इस बृहत्तर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों के परिवेश और परवरिश पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें उत्कृष्ट कोटि का वातावरण प्रदान किया जाए। इससे वे अपनी क्षमताओं का बेहतर विकास कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (पृष्ठ 6-7) के मूलभूत सिद्धांतों में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं —

- हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना
- अवधारणात्मक समझ पर ज़ोर
- रचनात्मक और तार्किक सोच को प्रोत्साहन
- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य
- बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन
- तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर ज़ोर
- विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान
- उकृष्ट स्तर का शोध

इन सभी आधारभूत सिद्धांतों के मूल में एक बिंदु निहित है कि शिक्षा में निवेश की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर से ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 9)। यही कारण है कि इस अवस्था वाले बच्चों के सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य को बहुत स्पष्ट रूप से जान लेने पर बल दिया जाता है। बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध संबंधी कुशलताओं को महत्वपूर्ण बताते हुए कक्षायी प्रक्रियाओं को सुनियोजित रूप से बेहतर बनाने पर बल देती है और यह कहती है कि यह क्षमता " स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 11)।

शिक्षा के संदर्भ में यह ज़रूरी है कि बच्चों की अवधारणात्मक समझ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए और रटंत शिक्षा को निरुत्साहित किया जाए। यह समझ ही तार्किक चिंतन और न्याय संगत समाज के निर्माण में सहयोग देगी। भाषा, बहुभाषिकता और माध्यम भाषा का मुद्दा अत्यंत ज्वलंत और चुनौतीपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा मातृभाषा में ही अवधारणाएँ बनती हैं, अत: यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को माध्यम भाषा बनाया जाए। इसी के साथ दो और महत्वपूर्ण अवधारणाएँ संबद्ध हैं— विविधता और स्थानीय परिवेश का सम्मान। भाषा और अवधारणा-निर्माण में विविधता का होना तय है, इसलिए कक्षायी प्रक्रिया में दोनों को ही समान रूप से महत्व देना आवश्यक है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य का बीजारोपण भी बाल्यावस्था से हो जाता है। यह सत्य है कि न तो मूल्यों का शिक्षण होता है और न ही मूल्य सिखाए जा सकते हैं। मूल्य केवल अर्जित किए जाते हैं जिसका दायित्व सीखने वाले पर है। जिस तरह से समाज और सामाजिक जीवन बदल रहा है उसमें तकनीकी ज्ञान

© NCERT not to be republished

और तकनीक का उपयोग अपरिहार्य होता जा रहा है। अब हमें वे सभी तकनीकें सीख लेनी होंगी जो बच्चों की शिक्षा में सहायक हैं। इन्हीं बिंदुओं से भारतीय कक्षाओं में शोध की संभावनाएँ देखी जा सकती हैं।

- **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा**— विविधता भारत की विशिष्ट पहचान है और समाज, संस्कृति, आर्थिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में यह शोध का विषय है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाती है और उन प्रक्रियाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। परवरिश स्वयं में शोध का महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे जुड़े तरीके बच्चों के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। घर-परिवार में किस तरह का माहौल है, बच्चों को कितनी स्वतंत्रता दी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है या नहीं, उन्हें किसे काम को करने या न करने के कारण बताए जाते हैं या नहीं, लड़कों और लड़कियों की परवरिश में किस तरह का भेद है आदि बिंदु उन बच्चों के लिए आवश्यक तरीके सुझाने में मदद करेंगे। यह भी तय करने में मदद मिलेगी कि जिस तरह की परिस्थितियाँ और संसाधन हैं, उनमें बच्चों को क्या सर्वश्रेष्ठ दिया जा सकता है। यह स्वयं में शोध का विषय है कि बच्चों की अपनी शिक्षा के बारे में क्या राय है— उन्हें कब स्कूल जाना है? वे किस तरह का स्कूल पसंद करते हैं? उनके शिक्षक कैसे हों? उन्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं? वे दिन भर स्कूल में कौन-कौन सी गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं? उन्हें किताब, बस्ता आदि पसंद है या नहीं? इस स्तर की शिक्षा को अनौपचारिक रूप से संपादित करने की अनुशंसा की जाती है लेकिन क्या प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इस नियम का पालन किया जा रहा है या नहीं? वस्तुत: बच्चों की शिक्षा को बच्चों की नज़र से देखने, समझने की ज़रूरत है।
- **भाषा और सीखने की प्रक्रिया**— शिक्षा की प्रक्रिया में भाषा एक महत्वपूर्ण उपादान है। बच्चे अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी भाषा स्वरूप भी अलग-अलग होता है। बच्चों की बुनियादी साक्षरता के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि बच्चे अपने मातृभाषा में पढ़ना-लिखना कैसे सीखते हैं। हर भाषा की अपनी कुछ विशिष्टताएँ हैं और यह विशिष्टता मौखिक एवं लिखित–दोनों रूपों में होती है। जो विशिष्टता तमिल भाषा की है वह बंगला भाषा की नहीं है और जो विशिष्टता कन्नड़ भाषा की है वह डोगरी भाषा की नहीं है। इसी तरह से बारेली, निमाड़ी, कोरकू, खड़िया, हो, संथाली, खासी, अंगिका, वज्जिका, गोंडी, नेपाली, भूटिया आदि भाषाओं का अपना विशिष्ट रूप है। इन भाषाओं की लिपि भी अलग है और लिपि भी संशोधित होती रहती है। इतना ही नहीं एक भाषा अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग लिपि में लिखी जाती है। पढ़ना-लिखना सीखने का संबंध लिपि से भी है और भाषा के मौखिक रूप से भी! तो शोध का विषय यह है कि अलग-अलग भाषाओं में बच्चों के पढ़ना-लिखना की प्रक्रिया क्या है। बच्चे पढ़ते-लिखते समय किस-किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते करते हैं? पढ़ना-लिखना सीखने में बच्चे किस तरह की त्रुटियाँ करते हैं और उनका अपसंकेत विश्लेषण (मिसक्यू एनालिसिस) क्या निष्कर्ष देता है? महाराष्ट्र के वे बच्चे जिनकी मातृभाषा कोरकू है, जब वे मराठी भाषा सीखते हैं तो किस तरह

© NCERT not to be republished

की समस्याएँ आएँगी और उनका क्या समाधान होगा? रोचक तथ्य यह है कि कोरकू भाषा में लिंग की व्यवस्था नहीं है और मराठी भाषा में लिंग की व्यवस्था है। एक कोरकू भाषी बच्चा यह कैसे तय करेगा कि 'आला आहे' भाऊ (भाई) के लिए इस्तेमाल करना है या बहिण (बहन) के लिए और 'आली आहे' किसके लिए? भाषा से जुड़े ऐसे अनेक विषय हैं जो शोध की माँग करते हैं। इतना ही नहीं हर समाज के अनुसार शब्दों के अर्थ-ध्वनि बदल जाती है। किस तरह के शब्दों को ग्रहण करने में बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यह उनकी भाषा के सूक्ष्म विश्लेषण से ज्ञात होगा। एक और क्षेत्र है भाषागत शोध का–अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ और किसी अतिथि के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत करना पसंद करते हैं और उनकी बातचीत का कलेवर क्या होता है? उनकी बातचीत में उनके जीवन की चिंताएँ, सरोकार और उनके व्यक्तित्व की अनकही बातों को समझना शोध का विषय है। बच्चे कैसे सोचते हैं या वे जो उत्तर या तर्क देते हैं, उसके पार्श्व में कौन-सा परा संज्ञान (मेटा कोग्निशन) है? भारतीय बच्चों का परा संज्ञान उनके परिवेश से प्रभावित होता है जिसमें उनके अनुभव, अवधारणाएँ आकार लेती हैं।

- **नैतिकता, मूल्य विकास और तार्किक चिंतन** — मूल्य-विकास के तरीकों की खोज से पहले शोध का विषय यह है कि बच्चे जिस समाज का हिस्सा हैं, वहाँ 'अवमूल्यन' किस रूप में है। जिसे ठीक करना है, उसके बारे में यह तो समझ लिया जाए कि वहाँ क्या ठीक नहीं है या वहाँ खराब क्या है? यहाँ फिर से सांस्कृतिक रूप से भिन्न समाजों की बात आती है कि किस समाज में क्या हो रहा है। बच्चे किन कुसंगतियों में फँस गए हैं या फँस रहे हैं? बच्चे किस तरह की व्यसनों या अपराध की दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। जब अवमूल्यन का परिदृश्य समझ में आयेगा तब उन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्य विकास कि बात कि जा सकती है। कारण या जड़ अलग है तो उपाय भी अलग होगा और हर बच्चे के लिए अलग उपाय खोजना होगा जिसके लिए बहुत नज़दीक से बच्चों को देखने, परखने और समझने की ज़रूरत है। बच्चे अपने आस-पास घटित होने वाली घटनाओं से किस तरह से प्रभावित होते हैं, अपने लिए क्या 'सबक' हासिल करते हैं और यह कैसे तय करते हैं कि क्या करना, क्या नहीं करना है— इन सबके मूल में तार्किक चिंतन है। यह शोध का विषय है कि जहाँ बच्चे परिवार और स्कूल में यह सीखते हैं कि झगड़ा करना, क्रोध करना गलत बात है। वहीं वे अपने आस-पास बड़ों को झगड़ते, मारपीट करते देखते हैं तो वे उस घटना को किस तर्क के आधार पर सही या गलत ठहराते हैं? किसी काम को करने या ना करने के पीछे उनके क्या तर्क है— यह शोध का विषय है,क्योंकि बच्चे जिस परिवार, समाज से आते हैं, वे अलग हैं। जैसलमेर में पानी के पीछे दो बड़ों में कहा-सुनी हो सकती है लेकिन पानी के पीछे की यह कहा-सुनी उत्तरकाशी में शायद ही हो। कारण यह है कि दोनों जगह का भूगोल अलग है। इसका अर्थ यह है कि नैतिकता, मूल्य विकास और तार्किक चिंतन को बच्चों के परिवारों और समाजों के बीच खोजना और देखना होगा और ये समाज बहुत अलग तरह के समाज हैं।

© NCERT not to be republished

- **तकनीक और कक्षायी प्रक्रिया**— प्रौद्योगिकी किसी भी परिवार, समाज और शिक्षा-संस्थानों का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। जब से कोविड–19 महामारी का प्रकोप बढ़ा है तब से यानी अप्रैल 2020 से बच्चों की शिक्षा ने ऑनलाइन शिक्षा का रूप ले लिया है। वे बच्चे जिनके घर में मोबाइल,लैपटाप,कंम्यूटर या कोई अन्य उपकरण है, उन्होंने तो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाया होगा (यह अलग बात है कि कितना लाभ उठाया होगा) लेकिन उन बच्चों की शिक्षा का क्या हुआ होगा जो दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए क्या उनकी भाषा में ऑनलाइन शिक्षा का वास्तविक प्रावधान हो पाया होगा जहाँ न तो पर्याप्त मात्रा में बिजली है और न ही उपकरण? ऐसे बच्चों ने या परिवारों ने या समाज ने उनके लिए किस तरह से शिक्षा का प्रबंध किया होगा? तकनीक और सस्ती कैसे हो सकती है? बहुत छोटे बच्चे जो अभी तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं तो उनकी ऑनलाइन शिक्षा में अभिभावकों का क्या सहयोग रहा होगा? उनके सामने क्या चुनौतियों आई होंगी? क्या कोई ऐसा तरीका है जो समुदाय शिक्षण (कम्यूनिटी टीचिंग) के रूप में सफल हुआ हो? तकनीक, उपकरण, विषय-वस्तु के साथ-साथ भाषा पर भी विचार करना होगा कि बच्चों को क्या उनकी मातृभाषा में विषय-सामग्री मिल सकी? वे माता-पिता जो स्वयं तकनीक के प्रयोग से परिचित नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को तकनीक के माध्यम से कैसे पढ़ाने में कैसे मदद की होगी? एकल अभिभावक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के माता-पिता के सामने किस तरह की चुनौतियाँ आई होंगी और उनका निवारण कैसे क्या गया होगा? प्राथमिक स्तर के वे बच्चे जो अभी पढ़ना-लिखना सीख रहे हैं,उन्होंने शिक्षक की सहायता के बिना तकनीक के माध्यम से पढ़ना-लिखना कैसे सीखा हगा?
- **उकृष्ट स्तर का शोध**— यह स्वयं में शोध का विषय है कि उत्कृष्ट शोध की अवधारणा क्या है। क्या एक बच्चे, एक कक्षा, एक विद्यालय, एक परिवार को शोध का विषय बनाया जा सकता है? हाँ। इसका मुख्य कारण यह है कि शोध में गहनता मायने रखती है और एक लंबे समय के लिए एक बच्चे (उदाहरण के रूप में) को केंद्र में रखते हुए शोध किया जाता है तो उससे प्राप्त निष्कर्ष उस बच्चे के लिए तो उपयोगी होंगे ही, साथ ही उसी की तरह के अन्य बच्चों के लिए भी मार्ग प्रशस्त होता है। समान रूप से तो नहीं लेकिन कुछ मामलों में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए एक बच्चे पर एक लंबे समय तक शोध किया गया कि पाँच वर्ष के बच्चे की बातचीत के विषय और कलेवर क्या होता है। इससे प्राप्त निष्कर्ष से यह तो ज्ञात हुआ कि बच्चे के बातचीत के विषय थे— खेल, घूमना, कार्टून के पात्र आदि। अब ये विषय किसी भी पाँच साल के बच्चे की बातचीत के हो सकते हैं, होंगे ही यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन विषयों के अतिरिक्त और भी विषय हो सकते हैं, और इन विषयों पर बातचीत का कलेवर भी अलग होगा, अलग भाषा में होगा। खेल अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, घूमे की जगह अलग हो सकती है कार्टून के विषय अलग हो सकते हैं और यह भी संभव है कि किसी क्षेत्र के बच्चों की बातचीत का विषय कार्टून हो ही ना, क्योंकि

© NCERT not to be republished

उसके घर में टीवी है ही नहीं, बिजली है ही नहीं! अतः शोध के विषय और उसके न्यादर्श का चयन बहुत समझकर किया जाना चाहिए। शोध के विषय ऐसे हों जो हमें अपनी कक्षायी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने में और नई दिशा में सोचने में मदद करें। शोध से प्राप्त निष्कर्षों की शैक्षिक उपादेयता या निहितार्थ हों।

उपसंहार

प्राथमिक शालाएँ इस रूप में शोध की समृद्ध भूमि हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं में इस स्तर पर बहुत ध्यान दिया गया है। फिर चाहे वह प्रारंभिक बाल्यावस्था हो या बुनियादी साक्षरता और संख्या बोध या फिर मातृभाषा में पढ़ाने की अनुशंसा। नीति में प्रारंभिक स्तर पर तकनीक का प्रयोग करने पर बल दिया गया है। यह अपने आप में शोध का विषय है कि तकनीक का प्रयोग इस स्तर के बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह से किया जा सकता है, जबकि चुनौतियाँ अनेक हैं।

बच्चों का समाज-सांस्कृतिक और भाषायी परिप्रेक्ष्य अलग है, विविध है और अनेक तरह की जटिलताओं, सुगमताओं तथा चुनौतियों से 'भरा' हुआ है। तब कहाँ एक शोध हर तरह के बच्चे के लिए, हर तरह के परिवार के बच्चे के लिए, हर तरह के समाज के बच्चे के लिए एक ही समाधान दे सकेगा? भारतीय बच्चों का समाज और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धान्त सदैव स्मरण रहे, जब भी शोध की उर्वर भूमि में अंतर्निहित संभावनाओं को तलाशना हो, उनकी पड़ताल करनी हो।

संदर्भ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय.भारत सरकार.

जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉगन्टिव डेवलपमेंट इन हिंदी.studydysafer.com/jean-piaget-theory-of-cognitive-development-in-hindi. 30 दिसबंर 2020 को देखा गया.

© NCERT not to be republished

12

कॉर्पोरल पनिशमेंट एक विद्यालयी विमर्श

सच्चिदानंद सिंह*

तमाम कानूनों के होते हुए भी शारिरिक दंड का प्रचलन विद्यालयों में कम नहीं हुआ है। हाल की घटनाएँ इन कानूनों की विफलता को सिद्ध करती हैं। दंड के सभी रूपों, जैसे— शारीरिक दंड, व्यंग्यात्मक भाषा व नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में लोगों में स्पष्टता की कमी महसूस की जाती है। अनुशासन कायम करने के नाम पर कॉर्पोरल पनिशमेंट विद्यालय में कई रूपों में प्रस्तुत होती रहती है और इसे कक्षा में चुप रहने से जोड़कर देखा जाता है। अतः अनुशासनिक कृत्यों की संकल्पना में और स्पष्टता ज़रूरी है। साथ ही, इसके अत्यधिक नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए दंड को किसी भी स्थिति और रूप में मान्यता न मिले। इस संदर्भ में विद्यार्थी, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों से व्यापक चर्चा के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि विद्यार्थी, शिक्षक सहित इस व्यवस्था के सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर रणनीति तय करने की आवश्यकता है। इतना तो स्पष्ट है कि केवल शिक्षकों को ज़िम्मेवार ठहराने से स्थिति नहीं सुधरने वाली।

भाषा की कक्षा ख़त्म कर मैं शिक्षक प्रकोष्ठ में पहुँचा ही था कि विद्यालय की अनुशासन प्रभारी ने कहा, "आपकी कक्षा बहुत ही अनुशासनहीन थी।" मैंने पूछा, "क्यों, मैं तो बच्चों से कहानी पर बातचीत कर रहा था।" मेरी इस बात से उनकी माथे पर की रेखाएँ और तन गईं। "आपकी कक्षा से बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही थी। पिनड्रॉप साइलेंस का अभाव था, कक्षा बिल्कुल ही अनियंत्रित लग रही थी।" मैंने कहा कि आगे से इसका ध्यान रखूँगा। वह अजीब सा चेहरा बनाये हुए वहाँ से चली गईं। इस वाक्या का वहाँ उपस्थित अन्य सहकर्मियों के चेहरे पर प्रतिक्रिया जाने बिना मैं गहरी सोच में पड़ गया। एक ही बार में टैगोर, ड्यूई, फ्रेरे और न जाने कितनों की बातें मन में कौंधने लगी।

अनुशासन के संदर्भ में फ्रेरे की यह बात ध्यान दिलाना ज़रूरी समझता हूँ जिसमें वे अनुशासन की संकल्पना पर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है पर बात करते हैं। अनुशासन मात्र यही नहीं है, जिसमें बच्चे कक्षा में इस तरह चुपचाप बैठें कि अध्यापक को अपनी बात कहने में कोई परेशानी न हो। अनुशासन वास्तव में उस कक्षा के रूप में भी हो सकता है जिसमें बच्चे खूब शोर शराबा करते हुए सीखने की प्रक्रिया में सहभागी हों। साथ ही, पाठ्यपुस्तक के अलावा बाहर के मुद्दों को भी कक्षा में ला रहे हों (फ्रेरे 1996)।

अनुशासन के संदर्भ में कई प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, विद्यालय प्रशासन से राय जानने की कोशिश

* *पीजीटी*, साधुलाल पृथ्वीचंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छपरा, सरन, बिहार

© NCERT not to be republished

की गई तो वे इसे विद्यालय की व्यवस्था से जोड़ कर देखते हैं। कोई-कोई विद्यालय इस व्यवस्था के नियंत्रण का इतना आग्रही हो जाता है कि अनुशासन को समाज की अपेक्षा से जोड़ते हुए इसे लोकमंगलकारी समाज कायम करने के तत्त्व रूप में साबित करता है। इस अनुशासन में बच्चों के मन में एवं अभिभावकों को उनके बच्चे के प्रति विश्वास दिलाया जाता है कि यह उनके भविष्य निर्माण की अहम कुंजी है। इस अनुशासन को बनाए रखने का दबाव कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि कब यह कॉर्पोरल पनिशमेंट (corporal punishment) का रूप अख्तियार कर लेता है, पता ही नहीं चलता। हम विद्यालय में अनुशासन कायम करने की आड़ में वैकल्पिक रूप में कॉर्पोरल पनिशमेंट का इस्तेमाल होता देख सकते हैं। विद्यालय में कुछ शिक्षकों की पहचान भी इसी रूप में व्याख्यायित होती है। उनके बारे में लगभग पूरे विद्यालय की प्रतिक्रिया होती है कि 'फलाँ मास्टर की कक्षा देखो, मजाल है किसी बच्चे में की वह चूँ–चाँ भी करे।' पूरे विद्यालय में ऐसे मास्टर की खौफ़ गूँजती है। मुझे अपनी सातवीं कक्षा का वह कालांश आज भी याद है जब किसी एक बच्चे के शोर की सजा पूरी कक्षा के साथ मुझे भी भुगतनी पड़ी थी। मात्र एक ही बेंत मेरे हाथ पर इतनी ताकत लगाकर मारी गई थी कि आज भी सोच कर देह सिहर उठता है। उस शिक्षक की मेरे समाज में इतना धाक थी कि मेरी यह हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी शिकायत लेकर घर आता। ऐसा न करने का कारण था— मेरे स्वर्णिम भविष्य को ढालने के लिए मेरे अभिभावकों द्वारा मानो उनको ऐसे ख़ुराक देने के लिए अधिकृत किया गया हो। बरबस ही नागार्जुन की 'मास्टर!' कविता की अग्रलिखित चंद पंक्तियाँ याद हो आती हैं—

"बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट-मिनट में पाँच तमाचे
दुखरन मास्टर गढ़ते हैं किसी तरह आदम के साँचे"

(राजेश जोशी. नागार्जुन रचना संचयन, पृ.116)

सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अभिभावक से बच्चों के अनुशासन बिगाड़ने की शिकायत पर बच्चों पर दो तरफा मार पड़ती है। परंतु इसी में जो अभिभावक जागरूक हैं और कॉर्पोरल पनिशमेंट के कुप्रभाव से परिचित हैं शिक्षकों के ऐसे कृत्य पर क्रोधित होते हैं। अनुशासन का यह रूप बहुपरती रूपों में कमोबेश हरेक विद्यालयों में पाया जाता हैं। अधिकांश मामले में इसे बच्चों के भविष्य की ख्वाब से बुनी नैतिकता की चादर से ढँक दिया जाता है। कहीं कोई मुद्दा जब अखबारों की सुर्खियाँ बनता है तब लोगों के बीच यह बहस का मुद्दा बनता है। ऐसे कितने भावात्मक और मानसिक यातना के मामले हैं जिसका लेखा-जोखा निकाल पाना आसान नहीं है। आश्चर्य तब होता है जब कई बच्चे स्कूल आना धीरे-धीरे बंद कर देते हैं।

बच्चों एवं शिक्षकों का नज़रिया

कई बच्चों से किस कारण से पिटाई लगती है यह जानने की कोशिश की गई। इस संबंध में कई अलग-अलग कारण निकल कर आए, जैसे— कक्षा पाँच की शिखा ने बताया, "ज़्यादातर पिटाई अनुशासन तोड़ने पर लगती है।" अनुशासन का मतलब क्या चुपचाप बैठना है। जावेद का अनुशासन के बारे में सोचना है कि कक्षा में चुपचाप बैठना और अच्छे काम करना ही अनुशासन है। उसकी यह सोच शायद अध्यापकीय सोच का ही परिणाम है। स्कूली व्यवस्था यदि बच्चों को बोलने का अवसर नहीं देती तो ऐसी व्यवस्था उत्पीड़नकारी व्यवस्था का रूप ले लेती है (फ्रेरे, 1973)। ऐसी उत्पीड़नकारी व्यवस्था में बच्चों

© NCERT not to be republished

के विकास की स्थितियाँ क्या होंगी यह सोचने की बात है।

कॉर्पोरल पनिशमेंट के ज़्यादातर सामान्य कारण होते हैं— अनुशासन लागू करना, गृहकार्य न करना, कक्षा में शरारत करना, ड्रेस ठीक से पहन कर न आने आदि। गृहकार्य स्कूली व्यवस्था का बहुत ज़रूरी अंग बन गया है। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि गृहकार्य बच्चों पर एक अनावश्यक बोझ बन गया है जिसे वे अपने परिवार के साथ सहन करते हैं। कक्षा छः का ईशान कहता है— "हम गृहकार्य करके नहीं लाते हैं। तथा स्कूल में गलती से भी कुछ छूट जाता है तब पिटाई लगती है।" ज़्यादातर बच्चों ने अनुशासन तोड़ने व गृहकार्य करके न लाने को पिटाई का कारण बताया।

कक्षा सात की नेहा के मन में प्रतिक्रिया का भाव है और शायद अपने साथ हुए अन्याय का भी। वह कहती है, "एक दिन हमारी पिटाई इसलिए हुई थी क्योंकि हमने एक लड़के को मारा था क्योंकि वह हमें मार रहा था। मैडम ने उस लड़के को सजा क्यों नहीं दी?" बच्चे अपने साथ हुए व्यवहार को बहुत भीतरी मन तक लेते हैं। खासतौर पर जब उन्हें एकतरफा दोषी माना जा रहा हो। यह प्रतिक्रिया का भाव उन्हें या तो कुंठा से ग्रस्त कर देता है और या फिर विद्रोही बना देता है।

अकसर शिक्षकों के आपसी मतभेद में बच्चे प्रताड़ित हो जाते हैं। जैसे शशांक ने लिखा— "हम स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा के बच्चे हैं इसलिए प्रातः चेतना सत्र की ज़िम्मेदारी हमें दी गई है। एक दिन प्रार्थना के बाद छोटी कक्षा के बच्चे कहानी सुनाने लगे, जिससे लंबा समय खिंच जाने के कारण मेरी कक्षा के सारे बच्चे क्लास में चले गए। मैं जब तक पहुँचा मैडम कक्षा में आ चुकी थीं। हम जब कक्षा में आए तो मैडम ने सजा में मुझे खड़ा कर दिया। फिर हमसे कारण पूछा हमने कहा कि हम बच्चों को प्रार्थना करवा रहे थे हम आगे कुछ और कहते कि मैडम ने हमें सजा में पूरा एक घंटा खड़ा रखी, घंटी ख़त्म होने के बाद हमने माफी माँगा, हमें इस घटना से इतना दुःख हुआ कि हमे यह समझ नहीं आया कि हम किस टीचर का आदेश मानते।" दरअसल माफ़ी टीचर को माँगनी चाहिए थी। यह एक तरह का बच्चे के साथ अन्याय है। स्कूली व्यवस्था को इन प्रवृत्तियों से बचना होगा। न्यायपूर्ण व्यवस्था से ही स्कूल की संकल्पना सार्थक हो पाएगी।

चौथी कक्षा की सोनिया ने लिखा— "कक्षा में पिटाई अच्छा नहीं लगता, हमारे स्कूल का बॉथरूम अच्छा नहीं है।" सोनिया का यह वक्तव्य उसकी अरुचि को भी दिखाता है जो वह विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक वातावरण के प्रति महसूस करती है। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं उनका विद्यालय से मोहभंग होने लगता है (बैरेट और बुकानन, 2005)। दरअसल ये स्थितियाँ विद्यालय की अवसंरचना में ही मौजूद हैं। शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न सिर्फ़ बच्चों के शरीर पर निशान तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह बच्चे के मन को भी चोट पहुँचाते हैं। बालपन में जिन बच्चों को बार- बार शारीरिक दंड दिया जाता है, किशोरावस्था में वे एकाकी व अलगाव का जीवन जीने लगते हैं। उनमें से कई अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं (मेक्कार्ड, 1995)। बच्चों ने बातचीत में अमन के बारे में बात की जिसने शारीरिक उत्पीड़न के कारण विद्यालय आना एक वर्ष पहले छोड़ दिया था। उनके

© NCERT not to be republished

अनुभव में रवि, सन्नी आदि जैसे कितने ही बच्चे थे जिन्होंने स्कूल आना धीरे-धीरे बंद कर दिया था।

इस तथ्य के बारे में फ्रायड कहते हैं कि बचपन की अनेक घटनाएँ दमित या कुंठित रूप में अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और समय-समय पर व्यक्तित्व तथा विभिन्न कार्यशैलियों में अभिव्यक्त होती हैं (फ्रायड, 1919)। एरिक्सन के अनुसार बचपन के प्रारंभिक कुछ साल वस्तुतः पूरे व्यक्तित्व की बुनियाद हैं। व्यक्तित्व आगे क्या स्वरूप लेगा, यह जीवन के आरंभिक वर्षों में ही तय हो जाता है (एरिक्सन, 1980)।

'बड़ों द्वारा समाज में किए गए आपसी व्यवहार की प्रतिलिपि बच्चे विद्यालय में करते हैं। जैसे बड़ों द्वारा प्यार, लगाव, दिखावा, हिंसा, निन्दापूर्ण भाषा प्रयोग सभी का बचपन पर भी प्रभाव पड़ता है'(कैथलीन 2016)। कक्षा नौ की माही कहती है, "जब हमेशा कोई मेरे बारे में बात करता है तो उसे गंभीर मानती हूँ। अगर वह आपकी मम्मी, बहन, शिक्षक या कोई मित्र हो। जो मेरी इच्छानुसार मेरी सहायता करना चाहता हो।"

कक्षा पाँच की छात्रा शिखा ने लिखा— "जब मैडम और सर मुझे प्यार करते हैं तो अच्छे लगते हैं। अगर वह जब बिना किसी बात के डाँटते हैं तो अच्छा नहीं लगता।" इसी तरह की बात साहिल ने भी लिखी— "मुझे अपने सर एवं मैडम तब अच्छे लगते हैं जब वह पाठ को चर्चा करके पढ़ाते हैं। खराब तब लगते हैं जब वह हमसे किसी दिन अच्छे से बात नहीं करते।" बच्चों का भावनात्मक लगाव अपने अध्यापकों से होता है। ऐसी स्थिति में अध्यापकीय व्यवहार उनकी अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ चिंतन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है (बेडुरा, 1971)। इस अर्थ में बच्चे का परिवार, साथी समूह और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण उसके अस्मिता निर्माण में बेहद अहम कारक है। इसी मौलिक बात को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 स्वीकार करता है। साथ ही, यह कहता है कि यदि विद्यालय का वातावरण भयमुक्त व बच्चे की मानवीय गरिमा को स्वीकार करने वाला हो तो यह एक अर्थ में बच्चे के भावी उन्नत भविष्य का निर्माण करने वाला होगा।

अनुशासन की संकल्पना पर जब मैंने शिक्षक-शिक्षिकाओं से बात की तो ज़्यादातर अनुशासन को व्यवस्था और भविष्य निर्माण से जोड़कर चल रहे थे। कुछ सरकारी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों ने जवाब दिया— "क्या करे एक कक्षा में बहुत से बच्चों को संभालना कठिन हो जाता है, इसलिए कठोर बनना पड़ता है।" कठोर बनकर गलती का अहसास कराना एक बात है औऱ चोट पहुँचाना दूसरी बात। स्कूल में दंड के बारे में बात करते समय शारीरिक दंड के स्वरूप का ध्यान रखना ज़रूरी है। दंड क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे अध्यापक का उद्देश्य क्या है यह जानना आवश्यक है (स्ट्रॉस, 1994)।

बहुत से शिक्षकों का कहना था कि कक्षा में अधिक बच्चे, प्रशासन, अधिकारी वर्ग आदि का शिक्षण विधि पर दबाव पड़ता है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* (एन.सी.एफ़.) लोकतंत्र और शिक्षा के आग्रह को लेकर आई है। एक तरफ विद्यार्थियों को मुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण में गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहन अपेक्षित है परंतु दूसरी तरफ कक्षा में अनुपात से ज़्यादा बच्चों का नामांकन इस अपेक्षा में

© NCERT not to be republished

बाधक है। एक ही कक्षा में बहुकक्षा व एकल शिक्षक होने के कारण तमाम तरह की परेशानियाँ उपस्थित होने लगती हैं। दूसरी तरफ प्रशासन शिक्षकों से भय मुक्त कक्षा के लिए शिक्षकों से लिखित शपथ लेती है, परंतु शिक्षकों के साथ कोई समस्या उत्पन्न होने पर जवाबदेही भी नहीं लेती।

कई समाजों में शिक्षक और शिक्षा के संदर्भ में यह तथाकथित सोच बन गई है कि जो जीवन में कुछ नहीं करता वह शिक्षक बनता है। साथ ही, लोगों का शिक्षक के प्रति वृत्तिक कौशल नज़रिए से परे एक पालक (caring) की भूमिका में देखना भी समस्या खड़ी करता है। कई बार सैद्धांतिक रूप से शिक्षकों की परिकल्पना बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हुए उनसे ऊँची अपेक्षा रखा जाता है। दूसरी तरफ़ उसी समाज, मीडिया, सरकार द्वारा इनके विद्रूप चित्र खींचने की कवायद जारी रहती है। आनन-फानन में छात्र-शिक्षक के अनुपात को ठीक करने के लिए अल्प वेतन पर अप्रशिक्षित शिक्षक को भर्ती करना भी समस्या है।

इकोनोमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली में इस संदर्भ में हमें संवेदनशील तरीके से सोचने की बात कही गई है। एक शिक्षक ने बताया, "परीक्षा में एक बच्चे को नकल नहीं करने दिया गया इसलिए वह बाहर बाज़ार में अपने कई मित्रों के साथ मुझे पीटने के लिए घेरे खड़ा था। मैं क्या करता खुद माफी माँगी। अगर अगली बार से मुझे इस प्रकार कि कोई गतिविधि में लगाया जाएगा तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं अपनी आँखें बंद नहीं कर लूँगा।" शिक्षा व्यवस्था में यह कहाँ तक जायज नहीं है कि परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता को खंडित होने दें। एक शिक्षक ने यह भी कहा कि शिक्षा अधिकार कानून, 2009 और एन.सी.एफ. 2005 के रचनावादी उपागम में सुगमकर्ता रूप में बच्चों को कुछ विशेष कहने की असमर्थता खड़ी हो जाती है। तब ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि शिक्षक सुरक्षित तरीका निकालने की कोशिश करता है। स्कूल में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं इन बातों में इनकी रुचि खत्म होने लगती है। ऐसे में जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनका नुकसानहोना संभव है। अतः इस व्यापक खतरे का मुकाबला एकतरफा कानून बनाकर नहीं संभव है। समस्या उत्पन्न करने वाले बच्चों के मनोसामाजिक संदर्भ को भी समझने की आवश्यकता होगी। हमें बहुस्तरीय और बहुआयामी रूप से व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं पहल करने की आवश्यकता होगी। लोगों के बीच ऐसे माहौल बनाकर मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

वैश्विक विमर्श

अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाट्री (AACAP) के 2014 के रिपोर्ट में शारीरिक दंड का विरोध करते हुए इसकी रोकथाम के लिए कानून बनाये जाने का समर्थन किया है। रिपोर्ट में इसकी नकारात्मकता को देखते हुए, अनुशासन को आत्म-नियंत्रण के रूप में बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ताकि, अवांछनीय व्यवहारों को समाप्त करते हुए बच्चों में वांछित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए स्कूलों में अनुचित व्यवहार को समायोजित करने के लिए स्कूल व्यापी सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन जैसे अहिंसक तरीकों की सिफ़ारिश आवश्यक होगी। जबकि इसके विपरीत शारीरिक दंड बच्चों को यह संकेत देता है कि वह भी पारस्परिक

© NCERT not to be republished

संघर्षों को निपटाने के लिए शारीरिक बल के इस्तेमाल की बात सोचें।

इस संदर्भ में हॉवर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ एजुकेशन के पीएच.डी. शोधार्थी जॉर्ज क्यूआर्टस ने 2019 के कोलंबिया कांग्रेस में बच्चों पर शारीरिक दंड के प्रतिकूल प्रभाव (जैसे— अवसाद, असामाजिक व्यवहार एवं अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ) का जब खुलासा किया तो एक साथ कई देशों ने ऐसे दंड पर प्रतिबंध लगा दिए। इनकी हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफ़ेसर केटी मैकलॉघलिन के साथ मिलकर बच्चे के मस्तिष्क पर शारीरिक दंड के न्यूरोबायोलॉजिकल प्रभाव से संबधित एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में आश्चर्यजनक तथ्य निकला कि शारीरिक दंड से मस्तिष्क का एक हिस्सा उसी रूप में प्रभावित होता है जिस रूप में शारीरिक और यौन शोषण से। कोलंबिया विश्वविद्यालय में नेशनल सेंटर फ़ॉर द पॉवर्टी इन चिल्ड्रन के मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ थॉम्पसन गेर्शोफ़, शारीरिक दंड का प्रभाव बच्चों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखते हैं। उनके शोध और टिप्पणियों को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) द्वारा प्रकाशित मनोवैज्ञानिक बुलेटिन में प्रकाशित किया गया है।

बाल अधिकार पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन (यूनाइटेड नेशन, 1989) में बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा से रक्षा को मूल अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। यूनाइटेड नेशन ने 2018 में वैश्विक सतत विकास से संबधित 17 सूत्रीय सतत विकास लक्ष्य (SDG) के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य 16 के तहत बच्चों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, तस्करी और हिंसा के सभी प्रकारों (SDG 16.2) को 2030 तक समाप्त करने का एजेंडा तय किया गया। इसकी पृष्ठभूमि में कई सारे चौकाने वाले तथ्यों को रेखांकित किया गया है। बच्चों के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूप जारी हैं। 83 देशों में (ज़्यादातर विकासशील क्षेत्रों से) इस विषय पर हाल के आँकड़ों के साथ 1 से 14 साल के 10 बच्चों में से लगभग 8 बच्चों को किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक आक्रामकता या शारीरिक सजा के अधीन किया गया था।

आमसभा (UN) के संकल्प (71/176) में किए गए आग्रह पर, इसके 73 वें सत्र के प्रोविजनल एजेंडा 70 (a) के रूप में बच्चों के अधिकार की रक्षा एवं विस्तार के लिए सेक्रेटरी जनरल ने रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में इसके सदस्य देशों एवं हितधारकों द्वारा भययुक्त माहौल एवं इसका बच्चों के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव और इसकी रोकथाम के संदर्भ में किए गए पहल का उल्लेख हुआ है। विद्यालय का असुरक्षित एवं भययुक्त वातावरण बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने का सामान्य कारण बन गया है (यूनेस्को स्कूल वायलेंस एंड बुल्लिंग— ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, पेरिस, 2017, पृष्ठ 30)। रिपोर्ट यह यह भी बताती है कि विद्यालयी हिंसा और धमकी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय अधिगम आकलन यह स्पष्ट दर्शाता है कि इससे बच्चों का प्रदर्शन घट जाता है। इस संदर्भ में भारत, पेरु और वियतनाम से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विद्यालय में शिक्षकों एवं दूसरे छात्रों द्वारा अपशब्द कहना या शारीरिक हिंसा विद्यालय के प्रति अरुचि, परीक्षा प्रदर्शन एवं आत्म सम्मान में गिरावट का सामान्य कारण है। इस रिपोर्ट में विविध प्रकार के खतरों एवं हिंसा की प्रकृति तथा क्षेत्र की पहचान इस संदर्भ में एक साथ मिलकर काम

© NCERT not to be republished

करते हुए इसे वैश्विक विमर्श बनाने की बात कही गई। साथ ही बच्चों को भयपूर्ण वातावरण से बचाव के उपाय सुझाने होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल के क्षेत्र में भी भय एवं चुप्पी को तोड़ने में शिक्षकों को अपनी भूमिका एवं स्वभाव से सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करनी होगी।

भारत में कॉर्पोरल पनिशमेंट की रोकथाम के उपाय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने कॉर्पोरल पनिशमेंट को विद्यालय से बाहर कर देने की बात थी। परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मात्र 17 राज्यों ने उसके इस प्रावधान को मान्यता दी। 1989 में बालकों के अधिकार सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र के अनुच्छेद 28(2) के अनुसार— समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करे कि बच्चे की मानवीय गरिमा को इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप मानते हुए मान्यता दे। (यूएनओ 1989)।

संसद ने बाल अधिकार संरक्षण कानून, 2005 (CPCR) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कमीशन (अध्याय 2, एनसीपीसीआर) एवं राज्य कमीशन (अध्याय 4, एससीपीसीआर) तथा चिल्ड्रेन्स कोर्ट (अध्याय 5) की स्थापना की बात की जिसका आधार 1990 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असंबेली के आम सभा सम्मलेन में बच्चों की सुरक्षा, उत्तरजीविता और विकास के लिए की गई घोषणा थी। साथ ही, 1992 के कन्वेन्शन ऑन द राईट ऑफ़ चाइल्ड (CRC) एवं सरकार द्वारा बाल अधिकार सुरक्षा के लिए अपनाया गया 2003 का नेशनल चार्टर जैसी प्रमुख पहल से संबंधित था। 2007 में आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट के सभी रूपों से बचाया जाए। आयोग ने कहा कि सभी विद्यालयों, शेल्टर होम, जुवेनाइल होम्स आदि में दंड का निषेध किया जाए तथा इन जगहों पर एक शिकायत पेटिका रख दी जाए जिससे बच्चे अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकें (एनसीपीसीआर 2007)। हाल में आयोग ने विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षा एवं सलामती पर नियमावली, हस्तपुस्तिका तैयार करायी है एवं व्यापक जागरूकता के लिए कार्यशालाएँ भी की हैं। ताकि बच्चों के हितों से जुड़े अधिकार, सुरक्षा एवं बेहतर देखभाल के विविध प्रावधानों से संबंधित विद्यालयों, विभागों, बोर्डो एवं विभिन्न स्थल परिचित हो सके। भारत में, 2005 में विद्यालयों में शारीरिक दंड के निषेध और उन्मूलन को बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना में प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया था (यूनेस्को, 2017)।

वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून बन जाने के बाद अब कॉर्पोरल पनिशमेंट आपराधिक कृत्य है। आरटीई भाग 4, धारा 17 सुनिश्चित करता है कि—

1. किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
2. जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति चर लागू नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

यह कानून बच्चों को भयमुक्त, चितांमुक्त, मानसिक अभिघात एवं उसे स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में मदद देगा। भाग-8, धारा 31 में बाल अधिकारों का संरक्षण रूपी उपबंध भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष संबंधित परिवादों को प्रस्तुत करने की बात भी

© NCERT not to be republished

इसमें की गई है। शारीरिक दंड रोकने के लिए भारत में कई अपराध दंड संहिताएँ, द जुवेनाइल जस्टिस (केअर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट (2000, संशोधित 2006) ने जुवेनाइल और बच्चों के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट को निषेध किया है। इसने अपने दायरे में माता, पिता, अभिभावक व अध्यापक को भी शामिल किया है। पर अकसर इस तरह के प्रावधानों में बच्चे के भले के लिए दंड की बात कहकर लोग बचने का प्रयास करते हैं।

शिक्षकों द्वारा वैसे बच्चों एवं किशोरों को ज़्यादातर सजा दी जाता है जो प्रायः उपेक्षित और हाशिये वाले वर्ग से होते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे शरणार्थी एवं प्रवासी होते हैं, जो निर्देश की भाषा बोलने में सक्षम न होने के कारण दण्डित किये जाते हैं। भारत में बच्चों के प्रति हिंसा के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में यह बताया गया है कि उच्च जाति के शिक्षक प्रायः निम्न जाति के बच्चों को अपमानित एवं अयोग्य ठहराते हैं। इसी प्रकार की बात मानवाधिकार संबंधित रिपोर्ट, 2014 में कही गयी कि चार भारतीय राज्यों में विद्यालय प्रशासन द्वारा भेदभाव और शारीरिक हिंसा की घटना प्रायः दलित, मुस्लिम और आदिवासी बच्चों के साथ घटित होती हैं। इसी प्रकार के जोखिम से सुरक्षा के मद्देनजर लडकियों के अभिभावक उनका विद्यालय छुड़वा देते हैं (यूनेस्को, 2017)।

यूनिसेफ़ ने भारत में बच्चों के कॉर्पोरल पनिशमेंट पर मार्च, 2020 में अपनी अद्यतन रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत के विभिन्न विद्यालयों, डे केयर केंद्रों, वैकल्पिक देखभाल स्थलों, घरों या परंपरागत न्याय सिद्धांत एवं किसी भी रूप में दंड या हिंसा को पूर्णत: निषेध के लिए आवश्यक नीतिगत सुधार की बात कही है।

निष्कर्ष

शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का मसला सिर्फ़ बच्चों के शरीर पर निशान तक सीमित नहीं है। यह वस्तुतः बच्चे के मन को भी चोट पहुँचाता है। बचपन में जिन बच्चों की बार- बार शारीरिक दंड दिया जाता है वे बड़े होकर किशोरावस्था में एकाकी व अलगाव का जीवन जीने लगते हैं, उनमें से कई अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं और कई जीवन से बुरी तरह ऊब जाते हैं (मैक्कार्ड1995)। इस संदर्भ में व्यापक विमर्शों, शोधों, कानूनों एवं बच्चों ने चर्चा में कॉर्पोरल पनिशमेंट को सिरे से ख़ारिज करने की आवाज़ बुलंद की। साथ ही इस संदर्भ में शिक्षकों के दलीलों को पूर्णत: खारिज़ नहीं किया जा सकता। तब कॉर्पोरल पनिशमेंट संबंधित संशोधित नीति में सकारात्मक उत्प्रेरण के लिए कार्पोरल पनिशमेंट की जगह किसी अन्य प्रकार के स्वस्थ अनुशासन के तरीके अपनाने की आवश्यकता होगी। बच्चों को सुरक्षा, विश्वास, स्थायित्व प्रदान कर ही उनमें अनुशासन के कौशल को विकसित किया जा सकता है (अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ पीडियाट्रिक्स, 2018)।

तभी शिक्षा के अधिकार को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से मुक्त करते हुए बच्चे के भावी उन्नत भविष्य का निर्माणकर्ता रूप में उसके मानवीय गरिमा व उसकी अस्मिता को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस व्यापकता को देखते हुए इसे मात्र एकतरफा कानून बनाकर केवल शिक्षकों के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए इसके हितधारकों को एक साथ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक जागरूकता एवं पहल करने की ज़रुरत होगी। साथ ही, लोगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकियाट्री. 2014. रिपोर्ट https://www.aacap.org/ पर देखा गया।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ पीडियाट्रिक्स. 2018 https://www.verywellfamily.com/facts-about-corporal-punishment-1094806 पर देखा गया।

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. 2002. *मनोवैज्ञानिक बुलेटिन* https://www.apa.org/news/press/releases/2002/06/spanking पर देखा गया।

एरिक्सन, ए. 1980. *आइडेंटिटी एंड लाइफ़ साईकल*. न्यूयॉर्क नोर्टन.

क्यूआर्टस, जॉर्ज. 2019. कोलंबिया कांग्रेस. हॉवर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ एजुकेशन https://www.gse.harvard.edu/news/19/12/consequences-corporal-punishment पर देखा गया।

कैथलीन. 2016. सेलिब्रेटिंग चाइल्डहुड: ए जॅर्नी टू एंड वॉयलेंस एगेंस्ट चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन, नैरोबी https://violenceagainstchildren.un.org/news/celebrating-childhood-journey-end-violence-against-children पर देखा गया।

जोशी, राजेश (संपा.). 2001. *नागार्जुन रचना संचयन*. साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली.

नवभारत टाइम्स.17 सितंबर. 2017. https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other- news/reality-of-existing-law-for-the-protection-of-schoolchildren/articleshow/60713321.cms पर देखा गया।

नवानी, दिशा. 2013. कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स. *इकोनोमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLVIII, नं. 24, पृष्ठ संख्या 23–26. https://www.jstor.org/stable/23527386 पर देखा गया।

पंजाब केसरी. 11 जुलाई. 2019. https://punjab.punjabkesari.in/khanna/news/beaten-dumb-child-by-teacher-1078787 पर देखा गया।

फ्रायड, सिग्मंड. 1919. ए चाइल्ड इज़ बीइंग बीटेन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सॉइकोएनालिसिस*.

फ्रेरे, पाउलो. 1996. *उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र* (अनुवादक, रमेश उपाध्याय). ग्रंथ शिल्पी, नयी दिल्ली.

———.1973. *एजुकेशन फ़ॉर क्रिटिकल कॉन्शस्नेस*. सीबुरी प्रेस, न्यूयार्क.

बैण्डुरा, ए. 1971. सोशल लर्निंग थ्योरी. जनरल लर्निंग प्रेस, न्यूयॉर्क.

बैरेट, एम. और बारो बुकानन ई. (संपा.). 2005. *चिल्ड्रेंस अंडर्स्टैंडिंग ऑफ़ सोसाइटी*. सॉइकोलॉजी प्रेस, न्यूयॉर्क.

भारत सरकार. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

———.2005. द *कमीशंस फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट एक्ट*. मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———.2009. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम*, 2009. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

मैक्कोर्ड, जे. (संपा.). 1995. *कॉर्पोरल पनिशमेंट इन लॉन्ग पर्सपेक्टिव*. सी.यू.पी., न्यूयॉर्क.

यूनाइटेड नेशन. 2019. *सस्टेनेबल डेवेलेपमेंट गोल (एस.डी.जी.)* — 16 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 पर देखा गया।

© NCERT not to be republished

———.2018. प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बुल्लिंग: रिपोर्ट ऑफ़ द सक्रेटरी जनरल — 71/176 https://undocs.org/A/73/265 पर देखा गया।

———.1989. कंवेंशन ऑन द राईट्स ऑफ़ चॉइल्ड — 44/25 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx पर देखा गया।

यूनेस्को. 2017. *स्कूल वॉयलेंस एंड बुल्लिंग: ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट* https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970 पर देखा गया।

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली .

स्ट्रॉस. एम.ए. 1994. बीटिंग दी डेविल आउट ऑफ़ देम : कॉर्पोरल पनिशमेंट इन अमेरिकन फैमिलीज़. लेक्सिंग्टन, न्यूयार्क.

© NCERT not to be republished

अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस

नमिता रंगानाथन द्वारा संपादित
प्रकाशक – सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
प्रकाशन वर्ष – जून 2020
पृष्ठ संख्या – 444
मूल्य – ₹ 694.00

ऋषभ कुमार मिश्र *

बच्चों के साथ काम करने वाले पेशेवरों, जैसे—शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं आदि के लिए मानव विकास के विविध मनोवैज्ञानिक आयामों की समझ आवश्यक होती है। प्रायः इसे मनोविज्ञान के ज्ञानानुशासन से संबंधित माना जाता है। वर्तमान में इस विषय क्षेत्र से संबंधित अधिकांश पुस्तकें जीवनपर्यंत मानव विकास के प्रारूप में लिखी गयी हैं। ये पुस्तकें बाल्यावस्था से आरंभ करते हुए प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। इस तरह की संदर्भ सामग्री के प्रयोग से सैद्धांतिक समझ केवल मनोविज्ञान की ज्ञान संरचना में जड़ हो जाती है। इस परिपाटी से अलग होते हुए समीक्षित पुस्तक तैयार की गई है। इसका लक्ष्य शिक्षा सहित अन्य व्यवसायों से जुड़े पेशेवरों को बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अंतर्नुशासनात्मक समझ देते हुए व्यावहारिक और सांदर्भिक समस्याओं के समाधान की सूझ प्रदान करना है। शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों में दो तरह की पुस्तकें प्रयोग की जाती हैं। प्रथम, जो पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी होती हैं। इनमें किसी खास पाठ्यक्रम को लक्ष्य करते हुए अध्यायवार विषय सामग्री दी जाती है। द्वितीय, जो परिप्रेक्ष्य और शोध पर आधारित होती हैं। ये पुस्तकें पाठकों को एक खास दृष्टि से चिंतन और शोध करने के लिए तैयार करती हैं। प्रथम वर्ग की पुस्तकें पाठकों को पाठ्यचर्या की संपूर्ण सामग्री से परिचित कराती हैं और परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करती हैं। लेकिन इनकी समस्या है कि ये विश्लेषणात्मक नज़रिए और वास्तविक परिस्थितियों में समस्या-समाधान की क्षमता का विकास करने में अधिक सफल नहीं हो पाती हैं। दूसरी तरह की पुस्तकें शोध और परिप्रेक्ष्य का विकास करती हैं लेकिन ये इतनी विशिष्ट होती हैं कि आम पाठक को प्रारंभिक स्तर पर कठिन जान पड़ती हैं। इस लेख में *अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस* पुस्तक की समीक्षा की गई है जिसका प्रकाशन सेज पब्लिकेशन द्वारा वर्ष 2020 में हुआ है। समीक्षित पुस्तक इन दोनों प्रकार की पुस्तकों की विशेषताओं को जोड़ती है और इनकी सीमाओं को न्यूनतम करती है।

© NCERT not to be republished

* *सहायक प्रोफ़ेसर,* शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

मानव विकास का अर्थ केवल जैविक परिवर्तन नहीं है। जैविक और मात्रात्मक तरीके से मानव विकास को समझने के लिए परिपक्वता और वृद्धि जैसी अवधारणाएँ प्रयुक्त होती हैं। इसके आधार पर हम एक जीव जाति के रूप में मनुष्य के विकास को समझते हैं लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के साथ व्यक्त अंतःक्रिया और उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक बदलावों को मानव विकास के अंतर्गत समझा जाता है। पुस्तक का आरंभ इसी स्थापना के साथ होता है। इसका उदाहरण देते हुए लेखिका ने स्पष्ट किया है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के कुछ सार्वभौमिक लक्षण होते हैं और कुछ सांदर्भिक। इन दोनों का अपना महत्व होता है। सार्वभौमिक लक्षण अंतर्जात क्षमताओं का और सांदर्भिक लक्षण संस्कृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों के परस्पर संबंध के फलस्वरूप किसी भी बच्चे का विकास होता है। पुस्तक का अध्याय एक, 'बेसिक कान्सेप्टस एंड आइडियाज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डायवर्सिटी' इस तथ्य को रेखांकित करता है कि जैविक विकास की अवस्था और शिक्षा में प्रत्यक्ष की संबंध होता है। इसके आधार पर ही पाठ्यचर्या कक्षा शिक्षण और आकलन आदि का निर्धारण होता है। फिर भी, हमें विद्यार्थियों को केवल उनकी जन्मजात या अंतनिर्हित क्षमताओं के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। ये क्षमताएँ 'चर' के समान होती हैं जो बच्चों में विभिन्नता का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए, अधिगम दक्षता, बुद्धि अभिवृत्ति, रुचि आदि चरों का मापन कर हम अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अलग-अलग वर्गों में रखते हैं। ये वर्ग श्रेणीक्रम में भी हो सकते हैं, जैसे— बुद्धिलब्धि के आधार पर कम से अधिक के वर्ग और विशिष्ट गुणों से युक्त, जैसे— रुचि और अभिक्षमता से जुड़े समूह। जबकि सामाजिक-सांस्कृतिक विद्यार्थियों में विभेद करते हैं। उदाहरण के लिए, लड़के और लड़कियों की शिक्षा, सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा। यह अध्याय मानव विभिन्नता के किसी भी सार्वभौमिक और मानकीकृत मापन की सीमाओं को बताता है और बल देता है कि विद्यार्थियों को उनकी विशेषताओं के साथ स्वीकार कर उनके समग्र विकास में योगदान करना ही विद्यालय की भूमिका है। यह अध्याय पाठकों के सामने कुछ प्रश्न रखता है— क्या बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक सार्वभौमिक अवधारणा है? क्या इन अवस्थाओं में वृद्धि और विकास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एकरूप होती हैं? एक विकासात्मक संदर्भ के रूप में विद्यालय कैसे बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है? इस दौरान स्व और अस्मिता का विकास कैसे होता है? शिक्षकों पर हमउम्र साथियों का क्या प्रभाव होता है? जेंडर की अवधारणा को मानव विकास के सापेक्ष कैसे समझें? डिजिटल संसाधनों का बच्चों और किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आदि। आगामी अध्यायों में इन प्रश्नों के माध्यम से भारतीय संदर्भ में मानव विकास के विविध आयामों को प्रस्तुत किया गया है।

शैशवावस्था— स्वतंत्रता, सुरक्षा और सृजनात्मकता

अध्याय दो, 'डेवलपमेंट पैटर्नस इन अर्ली चाइल्डहुड' एवं अध्याय तीन, 'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन: पॉलिसी, प्रैक्टिसस एंड इनोवेंशस' शैशवावस्था से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य पूर्व

© NCERT not to be republished

बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व की व्याख्या करना है। अध्याय दो में शैशवास्था में विकासात्मक पैटर्न की विवेचना की गई है। इसमें गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक के विभिन्न विकासात्मक चरणों का उल्लेख है। तदुपरांत जन्म के उपरांत होने वाले शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का वर्णन है। इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी शिशु के प्रारंभिक दो वर्षों में केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि बच्चों के सामाजिक-सांवेगिक और संज्ञानात्मक विकास की नींव भी बनती है। इस विकास का दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। इन विशेषताओं के आलोक में लेखिका ने पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा संबंधित कुछ सूत्रों का उल्लेख किया है— स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देना, सुरक्षित और पोषित परिवेश देना, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा सामाजिक दक्षताओं का विकास आदि। इस अवस्था में शिशुओं को खेल और कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवेश को जानने का मौका देना चाहिए। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का संदर्भ लेते हुए लेखिका ने व्याख्या की है कि इस अवस्था में खेल के माध्यम से शिशु अपनी दुनिया को समझता और आत्मसात करता है। इस संलग्नता से उनकी भाषा का विकास होता है और वे समस्या समाधान के लिए सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग से परिचित होते हैं। कला संस्कृति और अभिनय के द्वारा वे अपनी समझ को प्रकट करते हैं। अध्याय तीन, 'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन: पॉलिसी, प्रैक्टिसस एंड इनोवेंशस' में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित भारत सरकार की नीतियों का उल्लेख है। यह अध्याय रेखांकित करता है कि शिक्षा के अधिकार कानून में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसके पूरक रूप में वर्ष 2013 से आरंभ हुए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संबंधित कार्यक्रम की चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समेकित रूप में समझाया गया है। इस अध्याय द्वारा स्थापित किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा द्वारा विद्यालय के लिए मनोसामाजिक दृष्टि से तैयार शिक्षार्थी प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में ही मोंटेसरी और वॉल डोर्फ़ के उपागमों की भी चर्चा है। ये दोनों ही उपागम पाठक को शैशवावस्था की शिक्षा से संबंधित सैद्धांतिक समझ विकसित करने में मदद करते हैं। मारिया मांटेसरी का उपागम ऐसे कक्षा वातावरण की बात करता है जो शिशुओं की स्वतंत्रता ज्ञानेंद्रियों के विकास और सक्रियता के द्वारा आनंद की खोज को सुनिश्चित करते हैं। वॉल डोर्फ़ का उपागम जन्म से लेकर पहले सात वर्ष तक की शिक्षा की योजना प्रस्तुत करता है जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव, अनुकरण करने वाले खेल, भाषा विकास के लिए कहानी, कविता और लोक कथाओं का प्रयोग किया जाता है। बुनाई, संगीत, प्रकृति की यात्रा जैसी गतिविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इन दोनों उपागमों के कारण पाठक को इस स्तर के बच्चों से युक्त कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों की समझ विकसित होती है।

बाल्यावस्था— अपरिपक्व व्यस्क का मॉडल पर्याप्त नहीं

अध्याय चार से सात तक में बाल्यावस्था के विविध पक्षों की चर्चा की गई है। 'पर्सपेक्टिव ऑन चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड' का आरंभ इस दृष्टिकोण के साथ

होता है कि जीवनपर्यंत विकास के मनोवैज्ञानिक ढाँचे में हम बाल्यावस्था को समय के सापेक्ष देखते हैं। इसकी प्रकृति को सार्वभौमिक मानते हैं। इसके आधार पर शिक्षा की योजना को बनाते हैं। यद्यपि यह नज़रिया हमें शिक्षा को नियोजित करने का सरल तरीका देता है लेकिन इसकी सीमा यह है कि हम बच्चे को उसके गुणात्मक विशेषताओं के स्थान पर अपरिपक्व वयस्क के रूप में देखने लगते हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्याय सार्वभौमिक और एकरूप बाल्यावस्था की आलोचना करता है और बहुल बाल्यावस्था की अवधारणा प्रस्तुत करता है। लेखिका द्वारा विवेचित किया गया है कि सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ, विशेष रूप से लालन-पालन शैली, परिवार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, रोज़मर्रा की अंतःक्रियाएँ गुणात्मक भिन्नता का स्रोत होती हैं। इनके प्रभाव में बच्चों के स्व और अस्मिता का विकास होता है। तदुपरांत यह अध्याय भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करता है। इसके अंतर्गत जेंडर, परिवार की आर्थिक व क्षेत्रीय पृष्ठभूमि, धार्मिक-सांस्कृतिक संलग्नताओं पर चर्चा की गयी है। अध्याय पाँच, 'चाइल्डहुड इन इण्डिया अ सोशियो-हिस्ट्रीकल ट्राजेक्टरी', उक्त अध्याय की पृष्ठभूमि को विस्तारित करते हुए भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टि से बाल्यावस्था की चर्चा करता है। लेखिका हिंदू परंपरा के अनुसार विभिन्न संस्कारों के माध्यम से बाल्यावस्था के स्वरूप को प्रस्तुत करती है। मध्य काल में भारतीय बाल्यावस्था की चर्चा करते हुए यह अध्याय बताता है कि इस काल संलग्न अभिभावकों को आनंद प्रदान करने वाले बच्चे की छवि को प्रस्तुत किया गया है। उन्हें जीवन में आनंद का आधार बताया गया है। बच्चों को राजपरिवार की छवियों में प्रस्तुत किया गया है। इस काल के अधिकांश वर्णन प्रभु वर्ग तक सीमित हैं। उपनिवेश काल में बाल्यावस्था की यूरोपीय दृष्टि से व्याख्या की गई। बच्चों को प्रकृति का सा शुद्ध माना गया। उन्हें नागरिक बनाने के लिए शिक्षा को माध्यम चुना गया। बाल्यावस्था में उनकी नैसर्गिक शुद्धता, उनके आनंद लेने की इच्छा को अनुशासित करते हुए नागरिक बनाने का लक्ष्य था। इसके साथ-साथ उपनिवेशवाद के प्रभाव में बच्चों को आदिम समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत में बाल्यावस्था को समझने का प्रमुख आधार परिवार की बदलती प्रकृति थी। एकल परिवारों की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण व नगरीकरण का प्रभाव और बच्चों के विकास में स्कूलों की भूमिका ने बाल्यावस्था की एक नयी समझ प्रकट की। बाज़ार और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से बच्चे भी उपभोक्ता बन गए। शिक्षा इन्हीं उपभोक्ताओं के लिए सेवा बन गई है। अध्याय छह, 'राइट्स ऑफ़ चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेज़', में कठिन परिस्थितियों में निवास कर रहे बच्चों की बाल्यावस्था की विवेचना है। इसके अंतर्गत पथवासी बच्चों, बाल श्रमिकों, वंचित परिवार के बच्चों, प्रवासी बच्चों और अनाथ बच्चों आदि की चुनौतियों की चर्चा की गई है। यह अध्याय हमारे सामने बाल्यावस्था के उस उपेक्षित स्वरूप को प्रस्तुत करता है जिसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून ही एकमात्र विकल्प है। इस अध्याय की स्थापना है कि सामाजिक-सांस्कृतिक अपवंचन के कारण बच्चों को दोहरा बहिष्करण झेलना पड़ता है। अध्याय सात, ' पॉलिसी पर्सपेक्टिवज़ ऑन प्रोटेकशन सविसेज़ फ़ॉर चिल्ड्रन', में बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की चर्चा की गई है। इसमें

© NCERT not to be republished

मुख्य रूप से बाल श्रम निरोध कानून पर बल दिया गया है। बाल विवाह निषेध, लैंगिग गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता के निरोध कानून की भी चर्चा की गई है। यह अध्याय वर्ष 2013 की राष्ट्रीय बाल नीति का भी उल्लेख करता है जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के निगाह में बच्चा माना जाएगा। इस नीति में बाल्यावस्था को संपूर्ण जीवन का एक अभिन्न अंग माना गया है। बाल्यावस्था को समरूप ना देख कर उसे उसकी विशेषताओं के सापेक्ष पहचाना गया है। राज्य ने ऐसे प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का दायित्व स्वीकार किया है जिनका नैसर्गिक विकास किसी भी कारण से बाधित हो रहा है।

किशोरावस्था— सतत अथवा असतत की बहस

इस पुस्तक में किशोरावस्था पर आधारित पाठों की अंतनिर्हित मान्यता है कि यद्यपि किशोरावस्था को हम जैविक बदलाव के आधार पर पहचानते हैं लेकिन बाल्यावस्था की तरह यह भी कोई एक सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में ही इसे समझा जा सकता है। इसके आलोक में परिवार की पृष्ठभूमि, हमउम्र साथियों के प्रभाव, मीडिया, धर्म और जाति के आधार पर किशोरावस्था की बहुलता को समझाया गया। भारतीय संदर्भ में किशोरावस्था की व्याख्या करते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यद्यपि किशोरावस्था जैविक दृष्टि से आरंभ होती है लेकिन इसमें होने वाले संज्ञानात्मक, सांवेगिक, सामाजिक और नैतिक विकास की दिशा को सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। इस पृष्ठभूमि में अलग-अलग संस्कृतियों में हुए शोध कार्य का उदाहरण लेते हुए इस किशोरावस्था के सतत या असतत होने की बहस को प्रस्तुत किया गया है। इरिक्सन के हवाले से पाठकों को सूचित किया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किशोरावस्था जैसे शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इन ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है जहाँ किशोरावस्था की जैविक आयु ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आती है। इसके आधार पर ही माना जाता है दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में युवा वर्ग ही किशोरावस्था को शामिल करता है। यहाँ 'किशोर' जो कोई अलग वर्ग नहीं है। क्रमशः भारतीय संदर्भ में टी.एस. सरस्वती के कार्यों का संदर्भ लेते हुए व्याख्या की गयी है कि भारतीय समाज में किशोरावस्था नगरीकृत हो रहे समाज का परिणाम है, जहाँ उद्योग एवं प्रौद्योगिकी ने बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच विकासात्मक संदर्भ प्रदान किया। इस विकासात्मक संदर्भ के प्रतिनिधि मध्यमवर्गीय किशोर हैं जो अभिभावकों के अधिक नियंत्रण, प्रतियोगी अकादमिक वातावरण, उच्च करियर आकांक्षा आदि की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। उनमें स्वायत्तता के स्थान पर परिवार एवं मित्रों पर अधिक निर्भरता होती है। अध्याय आठ, 'अंडरस्टैडिंग एडोलसेंस: थ्योरीज़ इश्यूज़ एंड डिबेट्स', में भारतीय किशोरावस्था को जेंडर और वर्ग के आधार पर समझा गया है। इन्हीं चरों के मिश्रण से निम्न वर्ग में लड़कियों की किशोरावस्था, निम्न वर्ग में लड़कों की किशोरावस्था, मध्यम वर्ग में लड़कियों की किशोरावस्था, मध्यमवर्ग में लड़कों की किशोरावस्था की विस्तार से विवेचना की गई है। किशोरावस्था से संबंधित अध्याय सुझावात्मक होने के बजाय चिंतनपरक अध्ययन सामग्री के रूप में हैं। उदाहरण के लिए, किशोरावस्था से संबंधित अध्यायों में

© NCERT not to be republished

परंपरागत तरीके से 'तूफान और तनाव' की स्थापना करने के स्थान पर पाठकों को पिछले 50 वर्षों में किशोरावस्था के सैद्धांतिक फलक में हुए विकास से परिचित कराया गया है।

मानव विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय

इस पुस्तक में डिजिटल दुनिया, जेंडर, हम उम्र साथियों से संबंध, बुद्धि और समावेशन से संबंधित अध्याय हैं। ये अध्याय संप्रत्ययों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि हमारे बड़े होने के अनुभवों पर डिजिटल दुनिया, हमउम्र साथियों और जेंडर का क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा जगत में बुद्धि की अवधारणा और इसके मापने के क्या निहितार्थ हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समावेशन क्यों आवश्यक है?

डिजिटल दुनिया की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए बच्चों और किशोरों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण विकासात्मक संदर्भ माना गया है। इससे जुड़े अध्याय नौ, 'ग्रोइंग अप इन अ डिजिटल वर्ल्ड', में व्याख्या की गयी है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसे हम कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त सामग्री और संसाधनों के रूप में देखते हैं जबकि डिजिटल दुनिया आभासी पहचानों को पैदा कर रही है। इस आभासी जगत में स्वीकृति और अस्वीकृति मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह अध्याय बताता है कि आभासी दुनिया बच्चों को उम्र से पहले वयस्क बनाने में योगदान कर रही है। यह सामाजिक पूर्वग्रहों और रूढ़ियों को पुनर्बलित कर रही है।

मानव विकास के संदर्भ में हमउम्र साथियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस पुस्तक के अध्याय 10, 'पिअर रिलेशनशिप इन चाइल्ड एंड एडोलसेंस', में बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हमउम्र साथियों के प्रभाव की विवेचना की गई है। इसके लिए गेसेल, सुलविन और सेलमैन के सिद्धांतों को ध्यान रखा गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि उम्र के साथ बच्चों का मित्रता संबंध घनिष्ठता और परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बच्चों के हमउम्र साथी परिवार से बाहर की दुनिया होती है जहाँ बच्चे अपने आत्म विकास में मित्रों की स्वीकृति उनकी अंतःक्रियाओं को आधार बनाते हैं। बच्चों व किशोरों के मित्र सामाजिक अधिगम का आधार होते हैं। वे जीवन कौशल का विकास करते हैं। सकारात्मक आत्मसंप्रत्यय को पोषित करने में योगदान करते हैं।

जेंडर संबंधित अध्याय 'अंडरस्टैडिंग जेंडर कान्सेप्स एंड आडियाज़' में जेंडर को एक प्रमुख विकासात्मक कारक माना गया है। इसके अंतर्गत जेंडर-भेद के साथ-साथ जेंडर अस्मिताओं की विवेचना है। इस पुस्तक में जेंडर को केवल लड़के और लड़कियों के वर्ग में नहीं समझा गया है बल्कि इसनें ट्रांसजेंडर के संदर्भ को भी स्थान दिया गया है। यह अध्याय बताता है पुरुषत्व का बोध भी जेंडर रुढ़ि का एक उदाहरण है जो लड़कों पर एक मानसिक दबाव डालता है। जेंडर पूर्वग्रह को शारीरिक संरचना, सामाजिक भूमिकाओं और अंतःक्रियाओं में सामाजिक अपेक्षाओं में देख सकते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से सचेत करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर भेद और पूर्वग्रहों के कारण लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बहिष्करण की संभावना अधिक होती है।

अगला अध्याय 'अंडरस्टैडिंग डायवर्सिटी एंड इन्क्लूज़न', विविधता और समावेशन पर आधारित है। इस अध्याय के आरंभ में ही संज्ञानात्मक कारकों

© NCERT not to be republished

जैसे अधिगम शैली और उपलब्धि के आधार पर विविधता, सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों, जैसे— भाषा, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विविधता, दिव्यांगता के आधार पर विविधता की चर्चा की गई है। इस अध्याय का झुकाव दिव्यांग बच्चों की विविधता के संदर्भ में समावेशन की अवधारणा पर है। अध्याय में बल दिया गया है कि किसी भी दिव्यांगता के लिए धार्मिक कारण नहीं स्वीकार करना चाहिए न ही यांत्रिक बाधाओं के कारण दिव्यांगों को अक्षम घोषित करना चाहिए। ये दोनों तरह की स्वीकृतियाँ दिव्यांगों के स्वस्थ एवं समग्र विकास को बाधित करती हैं। उन्हें मुख्यधारा से बाहर ढकेलती हैं। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले पेशेवरों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह दिव्यांगता भी एक प्रकार की विविधता है जिसे शिक्षा में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में यह अध्याय समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट विद्यार्थियों की शिक्षा की बहस को भी संबोधित करता है। अध्याय यह भी बताता है कि समावेशी शिक्षा उन्हें अन्य बच्चों के समान शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराती हैं जहाँ वे अपने हीनता बोध से मुक्त होकर सबके साथ सीखते हैं। समावेशी विद्यालय ही दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा के समाज के लिए तैयार करते हैं।

बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि का मापन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। इस पुस्तक में एक पूरा अध्याय इस विषय को दिया गया है। यह अध्याय अलफ्रेड बिनेट से लेकर हॉवर्ड गार्डनर तक के सिद्धांतों की संक्षिप्त रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। इस प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक खंड में शैक्षिक निहितार्थों का भी उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में सांवेगिक बुद्धि पर भी पर्याप्त सामग्री दी गयी है। इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि केवल संज्ञानात्मक समस्याओं और उनसे अनुकूलन ही बुद्धि नहीं है बल्कि अपने संवेगों को जानना, उनका नियमन और नियंत्रण भी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। संज्ञानात्मक और सांवेगिक पक्षों को शामिल करते हुए बुद्धि से संबंधित तीन आयामों का उल्लेख है— पहला, तटस्थ बुद्धि, जो मुख्यतः तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रभावशीलता होती है। आनुभविक बुद्धि, जो संग्रहित ज्ञान, अधिगम और अनुभवों का परिणाम होती है, क्षेत्र विशेष में सीखी गई विशेषज्ञता को प्रस्तुत करती है। मननशील बुद्धि नई परिस्थितियों में चिंतन करने, समस्या के समाधान करने और आत्म नियमन से संबंधित है।

स्व एवं अस्मिताबोध— संदर्भ, शोध एवं भावी प्रश्न

अध्याय 15, 'डेमीसिटीफांइग द नेशंस ऑफ़ सेल्फ़ एंड आइडंटीटी', में स्व एवं अस्मिता से संबंधित समसामयिक परिप्रेक्ष्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि शैशवावस्था में ही विद्यार्थी में स्वबोध विकसित होता है जबकि अस्मिता विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस आधारभूत मान्यता के सापेक्ष स्व और अस्मिता के मनोविश्लेषणात्मक और मानवतावादी उपागमों की व्याख्या की गई है। मैस्लो, इरिक्सन आदि के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस सैद्धांतिक परिपक्वता के बाद प्रस्तुत अध्याय

© NCERT not to be republished

विद्यालय और अस्मिता विकास के विभिन्न आयामों को प्रकाशित करता है। इस अध्याय के अनुसार हमें स्व और अस्मिता को निरपेक्ष दृष्टि से समझने के स्थान पर सामाजिक अंतःक्रियाओं और परिवेश में घटित हो रही वृहद् व सूक्ष्म प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना होगा कि वर्तमान समय में किसी एक अस्मिता के स्थान पर हम अस्मिताओं को विकसित करते हैं। अस्मिता की प्रक्रिया को परिवार तक सीमित रखने के बजाय परिवेश में हो रहे बदलावों-सांस्कृतिक बहुलता, डिजिटल परिवेश, विद्यालयों के बदलते स्वरूप आदि के सापेक्ष समझने की आवश्यकता है।

पुस्तक के अंतिम अध्याय, 'रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंटस: अप्रोच एंड स्ट्राजीज़' में बच्चों और किशोरों के साथ शोध हेतु विधियों और उपकरणों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत नैसर्गिक परिस्थितियों में किए जाने वाले शोध कार्यों और प्रयोगात्मक दशा में किए जाने वाले शोध कार्यों की विशेषताओं की व्याख्या की गयी है। यह अध्याय शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान शोध प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए बताता है कि बच्चों और किशोरों के साथ शोध करते हुए उन्हें सक्रियकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। जब हम कक्षा शिक्षण के संदर्भ में शोध करते हैं तो प्रयोगात्मक विधियाँ अधिक सहयोगी होती हैं। इनके आधार पर हम शिक्षण के अलग-अलग प्रतिमानों की प्रभावशीलता का अध्ययन कर सकते हैं लेकिन जब हम विकासात्मक संदर्भ पर आधारित कार्य करते हैं तो वृत्त अध्ययन, मानवशास्त्रीय शोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इन विधियों द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में घटित हो रहे व्यवहारों का अवलोकन एवं निर्वचन किया जा सकता है। यह अध्याय शिक्षकों के लिए उपयोगी क्रियात्मक शोध विधि पर भी प्रकाश डालता है। इसके साथ विधिवत व्याख्या करता है कि शिक्षण विधियों एवं नवाचारों के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यह अध्याय बच्चों के साथ किए जाने वाले शोध कार्य के नैतिक आयामों को भी प्रस्तुत करता है और बताता है कि बच्चों को अपरिपक्व मानकर उनके साथ बिना सहमति के आँकड़े एकत्रित नहीं करने चाहिए। यदि बच्चों के साथ शोध कार्य किया जा रहा है तो उनके अभिभावकों की सहमति लेना आवश्यक है। यदि बच्चा विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय और अभिभावक दोनों की सहमति आवश्यक है। इस तरह से यह अध्याय बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताओं के आधार शोध विधियों और उपकरणों की प्रस्तुति करता है। यह अध्याय पाठकों के लिए पूरक अध्याय के रूप में है। वे पहले अध्याय से पंद्रहवें अध्याय तक जिन प्रश्नों से परिचित होते हैं और यदि वे उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजना चाह रहे हैं तो उसके लिए विधि क्या होगी? इससे वे परिचित होते हैं।

पुस्तक के अंत में अद्यतन सैद्धांतिक संदर्भों को संबोधित करने वाले दो निबंध दिए गए हैं। यह निबंध उन पाठकों के लिए वैचारिक उद्दीपक हैं जो अकादमिक विमर्श को दार्शनिक नज़रिए से समझना चाहते हैं। इन निबंधों में शिक्षा को विधेयात्मक प्रक्रिया मानते हुए मानव विकास, खासकर बाल्यावस्था से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाया गया है। ये दोनों निबंध बताते हैं कि बच्चे और बाल्यावस्था दोनों ही वयस्कों द्वारा किए गए संप्रत्ययकरण हैं।

सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत बाल्यावस्था और बच्चों से संबंधित अध्ययन अपेक्षाकृत एक नया विमर्श हैं। इस विमर्श को जब हम सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टि से समझते हैं तो वयस्क और बच्चे के विभाजन का मुख्य आधार उनकी उम्र बनती है। इस उम्र के दायरे को भी हम परिपक्वता के नज़रिए से ही देखते हैं जबकि हमें जीवंत अनुभवों के कारण बहुलता पर भी विचार करना चाहिए। हमें इस विषय को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि बच्चे खुद को कैसे देखते हैं? उनकी व्याख्याएँ ही बचपन की बहुलता को समझने में मददगार होंगी।

निष्कर्ष

यह पुस्तक अध्यापक शिक्षा, बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों से संबंधित सामग्रियों से युक्त है। इसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विशिष्ट विद्यार्थियों की शिक्षा, अस्मिता विकास, जेंडर और बुद्धि जैसे विषयों से जुड़ी सामग्री है। परंपरागत पाठ्यपुस्तकों की तरह यह पुस्तक केवल तथ्यात्मक जानकारी के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं लिखी गई है बल्कि विषय से संबंधित समकालीन विमर्श से परिचित कराते हुए पाठक की मननशीलता को संवर्धित करती है। इसमें कक्षागत परिस्थितियों और शिक्षण के अलावा ग्रामीण परिवेश, नगरीय परिवेश और वर्चुअल दुनिया में उभरती समस्याओं का उल्लेख है। इसी कारण प्रस्तुत पुस्तक न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यासकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। संपादक द्वारा सूझबूझ के साथ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के सिद्धांत, नीति और अभ्यास का संयोजन किया गया है। सैद्धांतिक प्रस्थान के रूप में यह पुस्तक वृद्धि एवं विकास के साथ-साथ विविधता के संदर्भ को भी प्रस्तुत करती है। सार्वभौमिक और सांदर्भिक बहसों को एकीकृत ढंग से समझने में योगदान करता है। इसके बिना आप 21वीं सदी में बाल विकास और शिक्षा की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं। कुल मिलाकर यह पुस्तक भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था और किशोरावस्था से जुड़ी सैद्धांतिक बहसों को अंतर्नुशासनात्मक ढंग से सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक पाठकों के लिए ऐसे वैचारिक उद्दीपक की भूमिका निभा सकती है जो उनकी जिज्ञासाओं को तयशुदा उत्तर से शांत करने के स्थान पर स्वयं उत्तर खोजने की दृष्टि देती है।

© NCERT not to be republished

विशेष

14

शिक्षण, अधिगम और आकलन में आई.सी.टी. (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) का समाकलन

यह मॉड्यूल आई.सी.टी. की अवधारणा और शिक्षण-अधिगम में इसकी संभावनाओं पर चर्चा करता है। मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षक को समीक्षात्मक रूप से विषयवस्तु, संदर्भ, शिक्षण-अधिगम की पद्धति का विश्लेषण करने और उपयुक्त आई.सी.टी. के बारे में जानने के लिए तैयार करना है। इसके साथ ही यह प्रभावी ढंग से समेकित नीतियाँ बनाने के बारे में भी उन्हें सक्षम बनाता है।

अधिगम के उद्देश्य

इस मॉड्यूल को सही ढंग से समझने के बाद, शिक्षार्थी—

- आई.सी.टी. का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे;
- विषयवस्तु के मूल स्वरूप और शिक्षण-अधिगम की नीतियों के अनुकूल उपयुक्त शिक्षण साधनों की पहचान कर सकेंगे;
- विविध विषयों के लिए शिक्षण, अधिगम व मूल्यांकन हेतु विभिन्न ई-कंटेंट (डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सामग्री), उपकरण, सॉफ़्टवेयर, हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- आई.सी.टी. विषयवस्तु शिक्षणशास्त्र समेकन के आधार पर शिक्षण-अधिगम की रूपरेखा निर्माण एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे।

परामर्शदाता ध्यान दें

- परामर्शदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर डेस्कटॉप/लैपटॉप, प्रोजेक्शन सिस्टम, स्पीकर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो।
- परामर्शदाता के लिए प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को पढ़ना व समझना ज़रूरी है। मॉड्यूल में दिए गए उदाहरणों के अलावा परामर्शदाता अन्य उदाहरणों का भी उपयोग कर सकते हैं।
- सत्र को आरंभ करने से पहले, सभी अनिवार्य संसाधनों को प्रशिक्षण स्थल पर उपयोग की जा रही प्रणालियों (डेस्कटॉप/लैपटॉप) के साथ जाँचना आवश्यक है।
- सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को अपने मोबाइल/स्मार्ट फ़ोन को साथ लाने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो उसमें इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए।
- मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों का संचालन करने के लिए निर्देशों का पालन करें।

© NCERT not to be republished

भूमिका

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। चूँकि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए वह एक विशिष्ट तरीके से सीखता है। वास्तविकता तो यह है कि शिक्षार्थियों को अगर एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके पढ़ाया जाए, तो वे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। अधिगम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय कार्यनीतियाँ दृश्य, श्रवण, गतिसंवेदी और स्पर्शनीय (यानी सुनना, देखना, सूँघना, चखना और छूना) है।

पाठ्यपुस्तकें, आस-पास का परिवेश, कक्षाओं की चारदीवारों के भीतर और बाहर हुए अनुभव शिक्षण-अधिगम के संसाधन अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा स्वयं सीखने वाला, आत्मनिर्भर, समीक्षात्मक और रचनात्मक विचारक तथा समस्या समाधानकर्ता बने। इसके लिए उसे सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए बच्चे को आँकड़े/सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने, संश्लेषण करने और आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण तथा इसे दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रियाएँ बच्चों को अवधारणा गठन में मदद करती हैं। अत: ज़रूरी है कि बच्चे पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी ज्ञान अर्जित करें और अधिक से अधिक डिजिटल और बाह्य संसाधनों का उपयोग करें। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) शिक्षण-अधिगम परिवेश में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बहुत ही कम समय में आई.सी.टी., आधुनिक समाज के बुनियादी निर्माण ढाँचे में से एक बन गया है। आजकल आई.सी.टी. की समझ और बुनियादी कौशल में महारत हासिल करना, पढ़ने-लिखने और संख्यात्मकता के साथ-साथ शिक्षा के मुख्य भाग का एक हिस्सा बन गया है।

आई.सी.टी. की अवधारणा

गतिविधि 1

आई.सी.टी. की अवधारणा को समझना

आई.सी.टी. किससे संबंधित है, इस पर अपने विचार साझा करें—

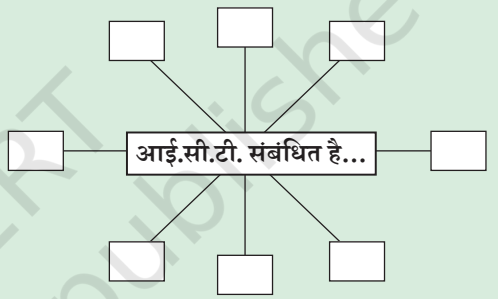

यूनेस्को के अनुसार आई.सी.टी. विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का उल्लेख करता है जिनका उपयोग सूचनाओं के निर्माण, संग्रहण, संचारण, साझा करने या आदान-प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकी उपकरणों और संसाधनों में कंप्यूटर, इंटरनेट (वेबसाइट, ब्लॉग और ई-मेल), सीधे प्रसारण की प्रौद्योगिकी (रेडियो, टेलीविज़न और वेबकास्टिंग), रिकार्डेड प्रसारण प्रौद्योगिकी (पॉडकास्टिंग, ऑडियो और वीडियो प्लेयर और स्टोरेज उपकरण) और टेलीफ़ोन (फिक्स्ड/मोबाइल) उपग्रह, दृश्य/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग आदि) शामिल हैं।

© NCERT not to be republished

किसी भी तकनीक या उपकरण को आई.सी.टी. के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाए?

आइए, स्मार्ट फ़ोन के उदाहरण लेते हैं। स्मार्ट फ़ोन को आई.सी.टी. उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग एक डिजिटल इमेज (छवि) बनाने और उसे जब भी आवश्यक हो, संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ज़रूरत के अनुसार डिजिटल इमेज (छवि) में बदलाव भी किया जा सकता है और जिसे दूसरों को भेजकर, उस पर प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार डिजिटल सूचना के निर्माण, संग्रहण, पुन: प्राप्ति, फेरबदल संचारण और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण/तकनीक को आई.सी.टी. के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

आई.सी.टी. ने शिक्षण-अधिगम सहित सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए हैं। इसका प्रभाव, नए युग के शिक्षक किस तरह से सीखने और मूल्यांकन के विस्तार के लिए सामग्री पर विचार करते हैं, उचित तरीकों का उपयोग करके सामग्री को पहुँचाते हैं, उपयुक्त संसाधनों को एकीकृत करते हैं। डिजिटल दुनिया में होने वाली प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को शिक्षण और अधिगम के लिए आई.सी.टी का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आई.सी.टी. को समेकित करने का अर्थ केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना ही नहीं है, बल्कि जो विषय पढ़ाना और सीखना है, यह उससे संबंधित लक्ष्यों और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने का भी माध्यम है। शिक्षकों को समझना

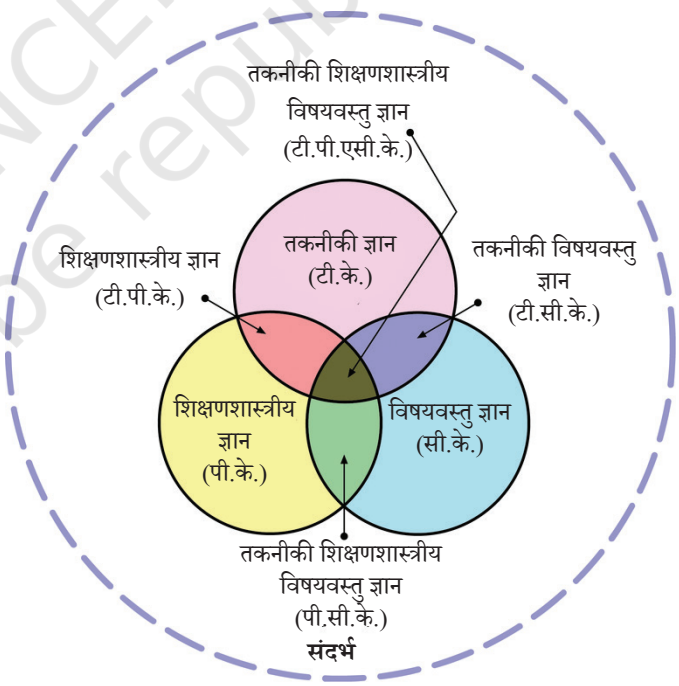

संदर्भ

© NCERT not to be republished

चाहिए कि कैसे तकनीक को शिक्षणशास्त्र और विषयवस्तु को सीखने के लिए एकीकृत किया जाता है, जिससे ज्ञान अर्जित होता है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में यह दिखाया गया है कि कैसे तेज़ी से बदलती तकनीकों को शैक्षणिक पद्धतियों और विषयवस्तु से जुड़े क्षेत्रों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। आई.सी.टी. इस संदर्भ के बारे में बात करता है।

आई.सी.टी. को समेकित करते समय विचार किए जाने वाले मानदंड

विचार किए जाने वाले प्रमुख मानदण्ड संदर्भ, विषयवस्तु या विषय का स्वरूप, शिक्षण/अधिगम विधि और तकनीकी के प्रकार और उसकी विशेषताएँ आदि हैं।

मानदंड 1— विषयवस्तु का स्वरूप

क्या सभी विषयवस्तुओं के शिक्षण या अधिगम के लिए आई.सी.टी. का उपयोग करना आवश्यक है?

कुछ मामलों में विषयवस्तु के स्वरूप को देखते हुए आई.सी.टी. का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, भोजन के बारे में पढ़ाते समय विद्यार्थियों को तस्वीरों के माध्यम से नहीं, बल्कि वास्तविक खाद्य पदार्थ या उनके द्वारा खाने के डिब्बों में लाए गए भोजन या स्कूल में दोपहर में परोसे गए भोजन के माध्यम से समझाना ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसी तरह पौधों के अलग-अलग भागों को पढ़ाने के दौरान, बेहतर यही होगा कि विद्यार्थियों को असली पौधे दिखाए जाएँ और पौधों को छूने, उनकी पत्तियों, शाखाओं, तने, जड़ों/कलियों आदि की संरचना व बनावट को महसूस करने के अवसर दिए जाएँ। साथ ही उन्हें स्वयं एक गमले/बोतल/गिलास में बीज बोने, पौधों को पानी देने, सूरज की रोशनी दिखाने, पूरी अंकुरण प्रक्रिया और बीज से बीज तक की यात्रा को देखने व उसका अवलोकन करने के अनुभव भी दिए जा सकते हैं। इस तरह का अनुभवात्मक शिक्षण कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक यादगार अनुभव होगा, जो पीपीटी, वीडियो और मल्टीमीडिया द्वारा शिक्षण कराए जाने से कहीं बेहतर विकल्प है। हाँ, यह सही है कि जीव विज्ञान की कक्षा में जानवरों और पौधों की चीर-फाड़ एक आम बात है, लेकिन आजकल मेंढकों की चीड़-फाड़ करना अनैतिक और अवैध माना जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों को मल्टीमीडिया आधारित आभासी चीर-फाड़ दिखा सकते हैं। कुछ मामलों में विषयवस्तु के स्वरूप के आधार पर सही मीडिया/तकनीक का चयन करना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मीडिया/तकनीक का चयन करते समय जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए, वे निम्न हैं—

- क्या आई.सी.टी. किसी विशेष सामग्री को सिखाने और सीखने के लिए आवश्यक है?
- यदि हाँ, तो किस प्रकार के आई.सी.टी./मीडिया माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए?

निम्नलिखित उदाहरणों पर गौर करें—

1. मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाना
2. एक ठोस सिलेंडर के सतही-भाग को परिभाषित करना
3. पाचन तंत्र के कार्य
4. "देशों के बीच टकराव को समाप्त करने के लिए क्या युद्ध एक अच्छा तरीका है" पर विचार

विषयवस्तु के स्वरूप, मीडिया का चुनाव और इस विशेष मीडिया को चुनने का मूल कारण क्या है, इसे समझने के लिए तालिका देखें।

© NCERT not to be republished

क्रम सं	विषयवस्तु	विषयवस्तु का स्वरूप	मीडिया जिसका प्रयोग किया जा सकता है	मीडिया प्रयोग करने का मूल कारण
1.	भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (कक्षा 8)	तथ्यात्मक	दृश्य (विजुअल)— मौलिक अधिकारों की सूची में किसी भी प्रकार की प्रस्तुति, जैसे— स्लाइड प्रस्तुति, डिजिटल पोस्टर, डिजिटल फ्लैशकार्ड, इत्यादि	चूँकि, सामग्री तथ्यात्मक है और विद्यार्थियों को केवल मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, इस स्थिति में एक श्रव्य-दृश्य साधन अनावश्यक होगा। छात्रों को केवल किसी भी दृश्य-सामग्री (फ्लैशकार्ड, चार्ट, पोस्टर आदि) की सूची सहायता के रूप में प्रदान की जा सकती है।
2.	एक ठोस सिलेंडर का सतही-भाग (कक्षा 6)	वैचारिक	वीडियो प्रदर्शन	यहाँ, विद्यार्थियों को समझाना होगा कि एक ठोस सिलेंडर के सतही-भाग का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ अपने आप में एक श्रव्य माध्यम पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को सिलेंडर और उसकी विभिन्न सतहों की कल्पना करनी होगी। एक वीडियो प्रदर्शन, जिसमें दिखाया गया हो कि सिलेंडर में दो वृत्त होते हैं और एक आयत, ज़्यादा बेहतर व असरदार तरीका हो सकता है।
3.	पाचन तंत्र के कार्य (कक्षा 7)	प्रक्रियात्मक	एनिमेशन वीडियो/संवर्धित वास्तविकता (एक ऐसी तकनीक, जो वास्तविक दुनिया की सूचना को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों और विषयवस्तु को साथ मिलाती है और किसी कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन ब्राउज़र पर मिलाकर प्रस्तुत की जाती है जिससे उपयोगकर्ता को एक सहभागी अनुभव मिलता है) आधारित मोबाइल एप्स, जैसे— एनॉटमी (शरीर रचना विज्ञान) 4 D, बायोडिजिटल मानव, आदि।	चूँकि, सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी एक प्रक्रिया को समझ सकें, इसलिए केवल दृश्य या श्रव्य माध्यमों से सही ढंग से सीखना संभव नहीं है। अगर एक एनिमेटेड वीडियो या संवर्धित वास्तविकता आधारित साधन का उपयोग भोजन की पाचन प्रक्रिया को चित्रित करने के लिए किया जाता है, तो छात्र इसे बेहतर ढंग से समझ पाएँगे।

© NCERT not to be republished

4.	विश्व में क्रिसमस का सर्वश्रेष्ठ उपहार (कक्षा 1–8) कार्यकलाप— "देशों के बीच टकराव को समाप्त करने के लिए क्या युद्ध एक अच्छा तरीका है" पर विचार	अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में समझ	चर्चा मंच	यहाँ स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जाना और विश्लेषण किया जाना है। चर्चा मंच का उपयोग शिक्षार्थियों के विभिन्न विचारों और निर्णयों पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि आई.सी.टी. को उपयोग करने के लिए विषयवस्तु के स्वरूप को समझना आवश्यक है। एक उपयुक्त ढंग से चयन करने के लिए शिक्षक को विषयवस्तु के साथ-साथ विभिन्न आई.सी.टी./मीडिया माध्यमों का ज्ञान भी होना चाहिए। ई-सामग्री को मोटे तौर पर अगले पृष्ठ दिए चित्र के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है—

शिक्षक आई.सी.टी. का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने में तभी सक्षम होंगे जब वे विषयवस्तु का विश्लेषण कर पाएँ तथा उसके अनुरूप उपयुक्त मीडिया का चयन कर सकें और उसे उचित ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकें जिससे विद्यार्थी आसानी से विषयवस्तु समझ सकें।

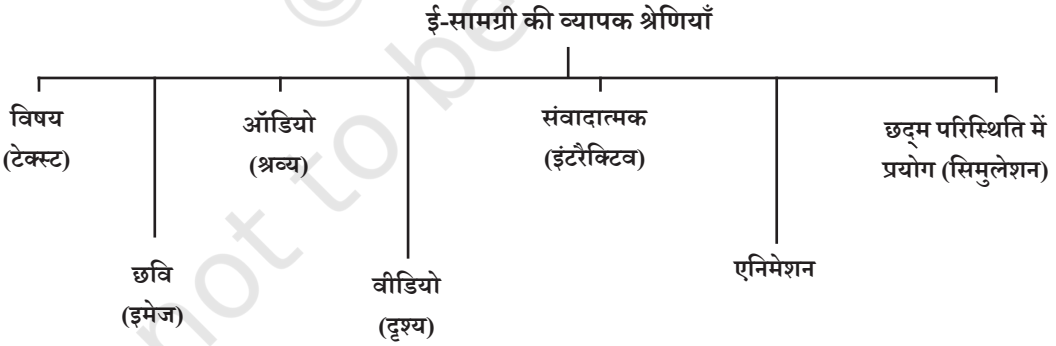

चित्र 1— ई-सामग्री की व्यापक श्रेणियाँ

© NCERT not to be republished

गतिविधि 2

दिए गए कार्डों में से विषय का चयन करें। उस विषय पर अपनी पसंद का प्रसंग चुनें। उसके लिए सीखने के प्रतिफलों को सूचीबद्ध करें। कम से कम तीन प्रमुख विचारों/विषयवस्तुओं को निर्धारित करें, जिन्हें आप सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए चयनित विषय के तहत सिखाएँगे। सामग्री के स्वरूप (तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रक्रियात्मक और अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में समझ) के आधार पर विश्लेषित और वर्गीकृत करें।

मानदंड 2— संदर्भ

संदर्भ विश्लेषण, उस परिवेश का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें एक आई.सी.टी. समर्थकृत शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। संदर्भ विश्लेषण, शिक्षण-अधिगम की स्थिति के पूरे परिवेश पर विचार करता है।

निम्नलिखित बातों पर विचार करें—

1. स्कूल में आई.सी.टी. की कौन-सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं?
2. स्कूल का सहायक तंत्र आई.सी.टी. का उपयोग करने के लिए कितना प्रेरित करता है?
3. शिक्षकों के पास कौन-कौन सी आई.सी.टी. दक्षताएँ हैं?
4. क्या सभी विद्यार्थी आई.सी.टी. का उपयोग कर सकते हैं?
5. क्या उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की विशेषताओं के आधार पर आई.सी.टी. उपकरण चुने गए हैं?

कक्षा के माहौल का विश्लेषण करते समय, बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत कक्षा का सामान्य ढाँचा आता है, जैसे— बिजली, प्रक्षेपण प्रणाली (प्रोजेक्शन सिस्टम), इंटरनेट, प्रिंटर, कंप्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट आदि की उपलब्धता। मानव संसाधन से आशय है— शिक्षकों/तकनीकी जानकारों की उपलब्धता, आई.सी.टी. को ठीक तरह से समझा पाने में शिक्षक की योग्यता आदि।

एक शिक्षक को सीखने वाले को यह भी समझाना होगा कि वह अपने सीखने की व्यापकता का विस्तार करने के लिए उपयुक्त विधि और आई.सी.टी. उपकरणों/संसाधनों का चयन कैसे करे। आई.सी.टी. का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के चार आयाम हैं, जिन्हें समझने की आवश्यकता है। ये आयाम निम्न हैं—

जनसांख्यिकी— शिक्षक कक्षा के आकार, आयु के संदर्भ में विभिन्नता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जेंडर, हाशियाकरण, भौगोलिक स्थिति और उपलब्धता/तकनीकी सुगमता पर विचार कर सकता है।

शिक्षार्थी के बारे में विचार करने वाले मानदंड

© NCERT not to be republished

संज्ञानात्मक और पूर्व-ज्ञान— शैक्षिक स्तर, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अनिवार्य ज्ञान और अनुभव, सीखने की शैली, डिजिटल साक्षरता का स्तर, संज्ञानात्मक क्षमता।

भावात्मक/सामाजिक— शिक्षक, शिक्षण और अधिगम, ऑनलाइन शिक्षण के वातावरण, स्वयं के प्रति सोच, प्रेरक स्तर, पारस्परिक संबंध और जिन क्षेत्रों में उसकी रुचि है, के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण का आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करते समय इन सब बातों पर भी गौर किया जा सकता है।

दैहिक— शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के सामान्य शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और विशेष ज़रूरतों के बारे में पता हो सकता है। इस तरह की जागरुकता से उसे यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस तरह की चिकित्सा और उपचार करवाने का सुझाव दिया जाना है और किन सहायक तकनीकों को अपनाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित छात्र को शैक्षिक संसाधन प्रदान करते समय, जानकारी को उस तक पहुँचाने में 'टेक्स्ट टू स्पीच' जैसे आई.सी.टी. उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधनों को सभी के लिए उपलब्ध कराने और उन्हें मुफ़्त में प्रदान करने से निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी उनका उपयोग करने के अवसर मिलते हैं। इस प्रकार की समझ से शिक्षार्थी को उचित आई.सी.टी. का चयन करने में मदद मिलती है और कक्षा को सभी के अनुरूप बनाया जा सकता है।

मानदंड 3— शिक्षण-अधिगम के तरीके

विचार करें—

1. शिक्षण-अधिगम के विभिन्न तरीकों के क्रियान्वयन में आई.सी.टी. कैसे सहयोग देता है?
2. विशिष्ट विषयों के शिक्षण और अधिगम के लिए कौन से नवीन और एकीकृत तरीके हैं, जिन्हें आई.सी.टी. में समाहित किया जा सकता है?

गतिविधि 3

विस्तारित गतिविधि (मंच/समूह में चर्चा)

एक अलग संदर्भ में आई.सी.टी. का उपयोग करते हुए दो शिक्षकों पर फ़िल्माए गए निम्नलिखित वीडियो देखें—

https://youtu.be/yhhmcaq-8_w

https://youtu.be/fyXRYb3awfA

निम्नलिखित पर विचार करें —

- गतिविधि शीट में दिए गए विषय को सिखाने-सीखने के लिए किन आई.सी.टी. सुविधाओं की ज़रूरत होती है? क्या ये सुविधाएँ आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं?
- क्या कार्यकलापों में प्रयुक्त/आवश्यक आई.सी.टी. आपकी कक्षा के सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है? क्या आपको लगता है कि अलग-अलग शिक्षार्थियों के लिए अलग-अलग आई.सी.टी. की आवश्यकता होती है?

© NCERT not to be republished

आई.सी.टी. उपकरण/मीडिया केवल तभी कारगर साबित होते हैं जब इसका उपयोग विषयवस्तु और शिक्षण-अधिगम पद्धति के साथ उचित रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक धातुओं और अधातुओं की अवधारणा को सिखाना चाहता है, तो उसके संदर्भ के अनुसार किसी भी एक पद्धति को चुना जा सकता है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि एक समूह गतिविधि द्वारा रखी गईं वस्तुओं के बीच तुलना और अंतर कराकर और अग्रलिखित चरणों का पालन करते हुए धातु और अधातु को परिभाषित किया जाए—

- कक्षा में धातु (जैसे—स्टेपलर पिन, सोने की अंगूठी) और अधातु (जैसे—प्लास्टिक के चम्मच, लकड़ी के ब्लॉक) से बनी वस्तुओं को दिखाएँ।
- धातुओं की अनिवार्य (जैसे—ठोस प्रकृति, बिजली का संवाहक) और गैर-अनिवार्य (जैसे—आकार, रंग) विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए, इसके गुणों की तुलना व अंतर करें।
- जो गुण दिखाई दें, उनके आधार पर धातुओं और अधातुओं को परिभाषित करें।
- परिभाषा के आधार पर और भी उदाहरण (जैसे— लोहा, तांबा), जो उदाहरण नहीं हैं (जैसे— प्लास्टिक, लकड़ी) विपरीत उदाहरण (जैसे— पारा) और भी दें।

गतिविधि 4

गतिविधि 2 में चयनित विषयों के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए शिक्षण कार्ड से उपयुक्त शिक्षण पद्धति को चुनें। शिक्षण की उस पद्धति का चयन करने के कारण पर चर्चा करें।

मानदंड 4— तकनीक/उपकरण/ई-सामग्री

विषयवस्तु के स्वरूप और जिस पद्धति को अपनाया जाना है, उसके साथ उनकी उपयुक्तता के अनुसार उपयुक्त आई.सी.टी. उपकरण और संसाधन चुने जा सकते हैं।

छद्म परिस्थितियों में प्रयोग— आई.सी.टी. द्वारा उन वस्तुओं को दिखाया जा सकता है, जिन्हें कक्षा में आसानी से सुलभ नहीं कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन वस्तुओं को लाना जो धातु या अधातु हैं और तुलना व संकुचन द्वारा धातुओं और अधातुओं की परिभाषा निर्धारित करने के लिए उसके गुणों का परीक्षण करना। इसके लिए, अनुकरण का उपयोग किया जा सकता है।

स्लाइड की प्रस्तुति— धातुओं और अधातुओं को परिभाषित करना और उनके उदाहरण देना।

संवादात्मक गतिविधियाँ (जैसे H5P)— समूह गतिविधि द्वारा धातुओं तथा अधातुओं के बीच तुलना और अंतर करवाना। फिर उन्हें समानता के आधार पर वर्गीकृत कर धातुओं और अधातुओं की परिभाषा निर्धारित करना। (http://nroer.gov.in पर H5P संवादात्मक सामग्री देखें)।

© NCERT not to be republished

अत: यह शिक्षक पर निर्भर करता है कि वह शिक्षण-अधिगम पद्धति पर आधारित उपयुक्त माध्यम का उपयोग करें। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक परिचय, व्याख्या, सारांश आदि जैसे उद्देश्यों पर आधारित आई.सी.टी./मीडिया माध्यमों का भी चयन कर सकता है। इस प्रकार, यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक पद्धति की अपनी क्षमता है और उसी के अनुसार उसकी आई.सी.टी. में भी अलग ज़रूरतें हैं। शिक्षक में किसी भी पद्धति का विश्लेषण करने की क्षमता और आई.सी.टी. में उसकी विशेष ज़रूरतों की जानकारी होनी चाहिए। तभी वे उपयुक्त आई.सी.टी. मीडिया माध्यम का चयन कर पाएँगे। सीखने के अनुभवों में व्यापक रूप से सुधार लाने के लिए कई नवीन तरीकों/पद्धतियों, जैसे— फ़्लिप क्लास (कक्षा के बाहर, अकसर ऑनलाइन, निर्देशात्मक सामग्री प्रदान करके पारंपरिक शैक्षिक व्यवस्था को उलटने वाली प्रणाली), ब्लेंडेड लर्निंग, सहयोगी शिक्षण आदि का उपयोग किया जा रहा है। ई-सामग्री या तकनीकी माध्यम/यंत्रों का चयन करते समय शिक्षकों द्वारा विचार किए जाने वाले मानदंड (मानदंड क)।

कई मुफ़्त और सभी के लिए उपलब्ध सॉफ़्टवेयर हैं, जिनका उपयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और साथ ही ई-सामग्री के विकास के लिए किया जा सकता है। कुछ सॉफ़्टवेयर विषयों से संबंधित हैं जो कक्षा में परस्परता में बढ़ोत्तरी करने के साथ-साथ सीखने की प्रक्रिया में व्यापक सुधार कर सकते हैं। कुछ सामान्य/विषय विशिष्ट सॉफ़्टवेयर हैं (सॉफ़्टवेयर सूची)।

मानदंड क

क्रम सं.	मानदंड	विशेषताएँ
1.	लक्षित समूह	आयुवर्ग, पूर्व-ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सीखने की शैली, भाषा, जनसांख्यिकीय जानकारी, भावनात्मक विकास, क्षमता स्तर, सामाजिक विकास
2.	विषय	सटीकता, प्रासंगिकता, सामग्री की विस्तृत सूचना, नवीनतम, पाठ्यक्रम के अनुरूप आदि।
3.	शैक्षणिक विवेचन	उद्देश्य, सामग्री पहुँचाने का तरीका, मीडिया चयन, प्रस्तुति प्रारूप, स्पष्ट संचार, पक्षपात से मुक्त, स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिकता, मूल्यांकन के अनेक तरीके, शिक्षार्थी की भागीदारी आदि।
4.	प्रस्तुति	सौंदर्यशास्त्र, प्रेरणा, अभिनव/रचनात्मक, फ़ॉन्ट, प्रभाव, मीडिया तत्वों में सामंजस्य, मंथन और संगठन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्तता, जेंडर समानता पर चर्चा, बहुसंस्कृतिवाद आदि।
5.	तकनीकी	तकनीकी त्रुटियों से रहित, ऑडियो विज़ुअल गुणवत्ता, निर्बाध संवादात्मकता और संचालन, लाइसेंस आदि।
6.	प्रशासनिक विचार	लागत, वितरण तंत्र, सहायता, सेवाएँ, प्रशिक्षण, रख-रखाव, ढाँचीय और तकनीकी आवश्यकता, उपलब्धता/प्राप्त करने का स्रोत

© NCERT not to be republished

सॉफ़्टवेयर सूची

सॉफ़्टवेयर		श्रेणी
जिओज़ेब्रा Geogebra		विशिष्ट विषय — गणित
के हंगमान KHangman		विशिष्ट विषय — अंग्रेज़ी
कलज़ियम Kalzium	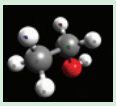	विशिष्ट विषय — रसायन विज्ञान
एवोगेड्रो Avogadro		विशिष्ट विषय — रसायन विज्ञान
भुवन Bhuvan		विशिष्ट विषय — भूगोल
जी कॉम्प्राइज़ एजुकेशनल सूट GComprise Educational Suit		विशिष्ट विषय — प्राथमिक स्तर के सभी विषय
ऑडासिटी Audacity		सामान्य
ओपनशॉट वीडियो एडीटर OpenShot Video Editor		सामान्य
फ्रीप्लेन Freeplane		सामान्य
जीआईएमपी GIMP		सामान्य

© NCERT not to be republished

टर्टलब्लॉक Turtleblock		सामान्य
स्क्रैच Scratch		सामान्य
टक्स पेंट Tux Paint		सामान्य

कई मोबाइल ऐप हैं, जो शिक्षण-अधिगम को सुधारने में भी मदद करते हैं। उनमें से कुछ हैं—

1. एनाटॉमी 4डी (Anatomy 4D)
2. ऑनलाइन लैब्स (Online Labs)
3. क्वीवर (Quiver)
4. स्काईव्यू फ्री (Skyview Free)
5. आर्ट्स एंड कल्चर (Arts and Culture)
6. स्टार ट्रैकर (Star Tracker)
7. पीएच ईटी (Ph ET)
8. स्टॉप मोशन एनिमेशन (Stop motion animation)
9. स्ट्रीट वियू (Street View)
10. कहूट (Kahoot) आदि

यह शिक्षक की ज़िम्मेदारी है कि वह सीखने को प्रभावी बनाने के लिए सामग्री, शिक्षण-अधिगम की पद्धति और संदर्भ के आधार पर उपयुक्त उपकरण का चयन करें।

आई.सी.टी. शिक्षणशास्त्र विषयवस्तु का समेकन

विषयवस्तु और शिक्षणशास्त्र के साथ आई.सी.टी. समेकित करना शिक्षकों की दक्षताओं पर निर्भर करता है। हो सकता है कि अधिकांश कक्षाएँ पूरी तरह से आई.सी.टी. आधारित सत्र न हों, बल्कि वह मिश्रित कक्षाएँ हो, जिसमें आई.सी.टी. आधारित गतिविधियों को पारंपरिक शिक्षण/सीखने के अनुभवों के साथ मिश्रित किया जाता है। अभ्यास और शिक्षणशास्त्र, प्रौद्योगिकी और विषय ज्ञान (तकनीकी शिक्षाशास्त्र और विशेष ज्ञान TPACK) पर आधारित आई.सी.टी. को एकीकृत करने का कौशल शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में मदद करता है। आई.सी.टी. का समेकन इस तरह सार्थक होना चाहिए कि यह किसी अन्य पारंपरिक शिक्षण सहायक का विकल्प बनने के बजाय शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन को बढ़ावा दे।

गतिविधि 5

गतिविधि 4 में चयनित सामग्री और पद्धति के आधार पर आई.सी.टी. कार्ड के सेट (श्रेणी) से प्रत्येक सामग्री के लिए उपयुक्त आई.सी.टी. साधनों की पहचान करें। उस आई.सी.टी. साधन को चुनने के पीछे की वजह पर चर्चा करें।

© NCERT not to be republished

आई.सी.टी. एकीकृत गतिविधियों के लिए उदाहरण

विषय— विज्ञान

कक्षा— आठ

अध्याय— फ़सल उत्पादन और प्रबंधन

विषय— फ़सलें और फ़सल के प्रकार

सीखने के प्रतिफल

- कृषि, फ़सल, खरीफ़, रबी, नकदी और खाद्य फ़सल तथा इन शब्दों को परिभाषित करें।
- विभिन्न प्रकार की फ़सलों के उदाहरण दें।
- रबी की फ़सल और खरीफ़ की फ़सल, खाद्य फ़सल और नकदी फ़सल तथा संकर फ़सल और पारंपरिक फ़सल के बीच के अंतर को स्पष्ट करें।
- फ़सलों को खरीफ़, रबी, नकदी और खाद्य फ़सलों में वर्गीकृत करें।
- मानव जीवन में कृषि के महत्व पर प्रकाश डालें।

प्रमुख विचार

- फ़सल— जब एक ही तरह के पौधों को बड़े पैमाने पर एक जगह पर उगाया व जोता जाता है।
- कृषि— विज्ञान की वह शाखा जो खाद्य उत्पादन की विधियों से संबंधित है।
- खरीफ़ की फ़सल— बारिश के मौसम में उगायी जाने वाली फ़सल है।
- रबी की फ़सल— सर्दियों में उगायी जाने वाली फ़सल है।
- संकर फ़सलें— वे फ़सलें होती हैं, जिनका दो अंतःप्रजात पौधों से परागण करते हुए उत्पादन किया जाता है।
- नकदी/वाणिज्यिक फ़सलें— ऐसी फ़सल, जैसे कि तंबाकू, जिन्हें पशुओं के चारे के बजाय सीधे बिक्री के लिए उगाया जाता है।

पूर्व-ज्ञान

- फ़सल, कृषि आदि का ज्ञान
- उपयोगी पौधों और जानवरों का वर्गीकरण
- विभिन्न पौधों और जानवरों का उपयोग
- पौधों और जानवरों में पोषण

आई.सी.टी. एकीकृत अधिगम अनुभव

- संवादात्मक (इंटरैक्टिव) क्विज़ (जैसे— कहूट) का उपयोग करना, कृषि संबंधित जो पूर्व-ज्ञान आपके पास है, उसको जाँचें।

© NCERT not to be republished

- उपयोगी पौधों और जानवरों को याद रखने के लिए इंटरैक्टिव (संवादात्मक) ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी (जैसे— H5P) का उपयोग करना।
- छात्र इस ब्लॉग पर फ़सलों के प्रकार के बारे में पढ़ें— https://testbook.com/blog/crops-in-india-gk-notes-pdf/ और अलग-अलग समूहों में पढ़े गए पाठों के आधार पर विभिन्न प्रकार की फ़सलों पर चर्चा करें। एक समूह के रूप में विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है, उसके आधार पर डिजिटल इन्फोग्राफ़िक (दृश्य संचार का एक रूप) तैयार करें (इसके लिए Easel.ly एलवाई जैसे ऑनलाइन साधन का उपयोग किया जा सकता है)।
- शिक्षक विभिन्न प्रकार की फ़सलों के नमूने (छवियों या वीडियो का उपयोग करके) दिखा सकते हैं और प्रत्येक प्रकार की फ़सल के बारे में बता सकते हैं।
- विद्यार्थी इंटरनेट द्वारा हर प्रकार की फ़सलों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों का पता लगाएँगे। (वेबसाइट लिंक शिक्षक द्वारा दिया जा सकता है)।
- भारत में प्रमुख फ़सल क्षेत्रों को दर्शाने वाले भारत के मानचित्र का उपयोग करते हुए शिक्षक, भारत में फ़सल वितरण पर चर्चा कर सकते हैं। India https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Major_crop_areas_India.
- माइंड मैप का उपयोग करके निष्कर्ष निकालना (शिक्षक इंटरैक्टिव माइंड मैप का भी उपयोग कर सकते हैं)।
- पुनरीक्षण के लिए देखें (अतिरिक्त स्रोत)
  - https://youtu.be/mFmCrN9nVXE
  - https://youtu.be/IrwRM244lPQ
  - https://youtu.be/WZeNnoGETnI

विस्तृत रूप से सीखने के लिए गतिविधियाँ

- दुनिया भर में उगाई जाने वाली प्रमुख फ़सलों का पता लगाएँ। उन्हें विश्व मानचित्र पर चिह्नित करें।
- चर्चा मंच पर "प्रत्येक प्रकार की फ़सल की वृद्धि के लिए आवश्यक शर्तें" पर आप क्या सोचते हैं, उसे साझा करें। साथ ही "पर्यावरण संरक्षण में मेरी भूमिका" पर डिजिटल पोस्टर भी बनाएँ।
- अपने आस-पास चल रही विभिन्न कृषि गतिविधियों का पता लगाएँ और उनकी एक सूची बनाएँ।
- आनुवांशिक संशोधित फ़सलों (जेनेटिक मॉडिफ़ाइड क्रॉप्स-जीएम क्रॉप्स) के बारे में जानकारी एकत्र करें।

मूल्यांकन

- फ़सलों के प्रकारों और इसके उदाहरणों (H5P) पर बहुविकल्पीय प्रश्न
- फ़सलों के वर्गीकरण की वर्कशीट (गूगल फॉर्म)
- "ओट्स, मटर, बीन्स एंड बार्ले ग्रो," यह गीत (https://youtu.be/'wmYJueP9kA) पर देखें। किसी भी अभिनव तरीके से फ़सलों के प्रकारों के बारे में आपको जो जानकारी है, उसको बताने के लिए एक वीडियो प्रस्तुति तैयार करें।

© NCERT not to be republished

© NCERT not to be republished

गतिविधि 6 (विस्तृत पठन)

नीचे दिए गए लिंक में आई.सी.टी. माध्यमों के बारे में शिक्षकों के लिए के लिए दी गई अतिरिक्त जानकारी को पढ़ें http://cemca.org.in/ckfinder/userfiles/files/Technology%20 % 20For% 20Teachers_Low.pdf

प्रत्येक समूह एक सॉफ़्टवेयर और एक मोबाइल ऐप पर जाएगा और सिखाने-सीखने में सॉफ़्टवेयर और मोबाइल ऐप की उपयोगिता पर एक लेख (150 शब्द) तैयार करेगा। इस लेख को पोर्टल पर पोर्टफ़ोलियो के रूप में प्रस्तुत करें। जिसका सारांश 139 पृष्ठ पर दिया गया है।

पोर्टफ़ोलियो गतिविधियाँ

1. निम्नलिखित कार्य करके परिणाम को जमा करें।

स्थिति 1

कल्पना करें कि आप भाषा शिक्षक हैं और निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें।

आप हमेशा कविता का गायन करके पढ़ाते हैं और आपने इस अनुभव को अपने अन्य मित्रों के साथ साझा किया है कि यह तरीका अधिक कारगर है। अन्य स्कूलों में पढ़ाने वाले आपके दोस्त भी कविता का गायन करके पढ़ाना पसंद करते हैं। वह आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन कविताओं को आप गाते हैं, वे उन्हें भी भेजें। अपनी आवाज़ में गायन की गई कविता भेजकर उनकी मदद करें। अपनी पसंद की किसी एक कविता पर विचार करें—

उदाहरण 1

"हरी डाल पर लगी हुई थी
नन्हीं सुन्दर एक कली
तितली उससे आकर बोली
तुम लगती हो बड़ी भली ...."

उदाहरण 2

"My house is red –
a little house;
A happy child am I.
I laugh and play
the whole day long,
I hardly ever cry..."

स्थिति 2

कल्पना करें कि आप कक्षा 3 को पढ़ाने वाले गणित शिक्षक हैं और निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें।

आपने कक्षा में कागज़ को मोड़कर (पेपर फ़ोल्डिंग) हवाई जहाज बनाने की विधि को दर्शाया। आप विद्यार्थियों को घर पर हवाई जहाज बनाने और अगले दिन उसे कक्षा में लाने के लिए कहते हैं। इस हवाई जहाज बनाने की गतिविधि को दर्शाते हुए अपने विद्यार्थियों की मदद करें, ताकि वे घर पर उसके अनुसार हवाई जहाज बना सकें।

स्थिति 3

कल्पना करें कि आप प्राथमिक कक्षा के पर्यायवरण अध्ययन शिक्षक हैं।

1. आप इंटरनेट पर जानकारियाँ खोजने में माहिर हैं। एक अन्य शिक्षक अन्य स्कूल में पर्यावरण अध्ययन ही पढ़ाता है। वह चौथी कक्षा का एक अध्याय 'फ्रॉम द विंडो' पढ़ाना चाहता है। वह अपने विद्यार्थियों को एक नदी पर बने पुल के ऊपर से ट्रेन के गुजरने का अनुभव

© NCERT not to be republished

सारांश

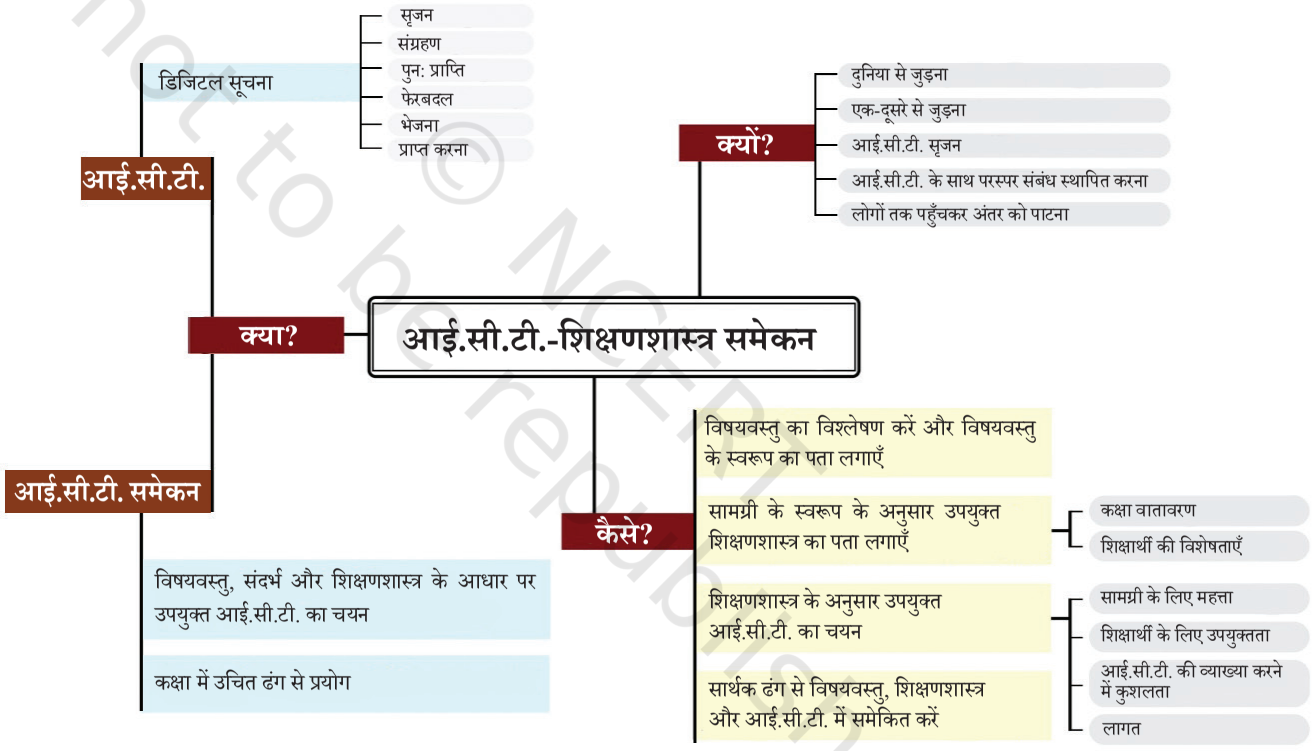

© NCERT not to be republished

वीडियो के माध्यम से देना चाहता है। लेकिन वह इंटरनेट का उपयोग करने में कुशल नहीं है। ऐसे वीडियो खोज कर और उसे शिक्षक से साझा करके उसकी मदद करें।

2. अपनी विषयवस्तु से संबंधित अपनी पसंद के किसी भी विषय का चयन करें। चयनित विषय में आई.सी.टी. एकीकृत शिक्षण/अधिगम/मूल्यांकन विचारों में कहाँ समाहित हो सकता है, उसको चिह्नित करें और निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें—
   - विषयवस्तु
   - श्रेणी
   - अध्याय
   - विषय
   - सीखने के प्रतिफल
   - मुख्य विचार/सामग्री क्षेत्र (कवरेज़)
   - पूर्व-ज्ञान
   - आई.सी.टी. समेकित अधिगम के अनुभवों के लिए योजना
   - आकलन के लिए योजना

गतिविधियों का संचालन करने के लिए परामर्शदाताओं हेतु निर्देश

गतिविधि 1— आई.सी.टी. की अवधारणा को समझना

परामर्शदाता इस कार्यकलाप को दो तरीकों से कर सकते हैं—

1. यदि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है— शिक्षार्थियों से आई.सी.टी. किस संदर्भ पर बात करता है, उस पर उनके विचारों को साझा करने के लिए कहें और सभी विचारों को फ्रीमाइंड जैसे माइंड मैप टूल का उपयोग करके शामिल कर लें। प्रतिक्रियाओं के आधार पर परामर्शदाता आई.सी.टी. की अवधारणा के बारे में चर्चा करें।
2. यदि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है— परामर्शदाता किसी भी सहयोगी उपकरण, जैसे मेंटीमीटर, का उपयोग कर सकता है और प्रतिक्रियाएँ एकत्र कर सकता है। प्रतिक्रियाओं के आधार पर परामर्शदाता आई.सी.टी. की अवधारणा के बारे में चर्चा करें।

गतिविधि 2— आई.सी.टी. के लिए सामग्री का स्वरूप और संभावना

विषय के आधार पर समूह में सीखने वाले (छात्रों की कुल संख्या के आधार पर एक ही विषय के लिए अनेक समूह बना लीजिए) शिक्षार्थियों को सत्र के अंत तक एक ही समूह में बने रहने के लिए कहें। प्रत्येक समूह को सामग्री कार्ड का एक सेट दें। दिए गए कार्ड से उन्हें विषय का चयन करने के लिए कहें। उन्हें गतिविधि को समूह में निम्नलिखित कार्य करने के लिए निर्देश दें—

- चयनित विषयवस्तु में से अपनी पसंद के विषय चुन लें।
- उस विषय के सीखने के प्रतिफलों को सूचीबद्ध करें।
- सीखने के प्रतिफलों को हासिल करने के लिए, कम से कम तीन प्रमुख विचारों/सामग्री की पहचान करें।
- विषयवस्तु के स्वरूप का विश्लेषण करें।

किसी भी समूह को प्रस्तुत करने के लिए कहें। प्रस्तुति के आधार पर, सामग्री विश्लेषण और आई.सी.टी. का उपयोग करने की संभावना के बारे में

© NCERT not to be republished

शिक्षार्थियों को निम्नलिखित विवरण तैयार करने के लिए कहें—

विषयवस्तु
श्रेणी
विषय
सीखने के प्रतिफल
सामग्री क्षेत्र
1. सामग्री 1
2. सामग्री 2
3. सामग्री 3

उदाहरण के लिए,
विषय— विज्ञान
कक्षा— आठ
अध्याय— फ़सल उत्पादन और प्रबंधन
विषय— फ़सलें और फ़सल के प्रकार

सीखन के प्रतिफल—

- कृषि, फ़सल, खरीफ़, रबी, नकदी और खाद्य फसल, इन शब्दों को परिभाषित करें।
- फ़सलों को खरीफ़, रबी, नकदी और खाद्य फसलों में वर्गीकृत करें।
- विभिन्न प्रकार की फ़सलों के उदाहरण दें।
- रबी की फ़सल और खरीफ़ की फ़सल, खाद्य फ़सल और नकदी फ़सल तथा संकर फ़सल और पारंपरिक फसल के बीच के अंतर को स्पष्ट करें।

सामग्री क्षेत्र—

- कृषि, फ़सलों की अवधारणा
- फसलों के प्रकार— खरीफ, रबी, संकर, नकदी, और वाणिज्यिक फ़सलें
- विशेषताओं के आधार पर फ़सलों का वर्गीकरण

जानने के लिए इस तरह के विश्लेषण की आवश्यकता पर चर्चा करें।

गतिविधि 3— अपने संदर्भ को जानना

इस गतिविधि को सत्र खत्म होने के बाद चर्चा मंच/समूह में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक विस्तारित गतिविधि के रूप में दिया जा सकता है—

1. इस गतिविधि को करने के लिए किन आई.सी.टी. सुविधाओं की ज़रूरत है? क्या ये सुविधाएँ आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं?
2. क्या गतिविधि में प्रयुक्त/आवश्यक आई.सी.टी. आपकी कक्षा के सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है? क्या आपको लगता है कि अलग-अलग शिक्षार्थियों के लिए अलग-अलग आई.सी.टी. की आवश्यकता होती है?

गतिविधि 4— सामग्री और संदर्भ के आधार पर उपयुक्त पद्धति/नीति की पहचान करना

गतिविधि 2 के समूहों के साथ गतिविधि को जारी रखें। प्रत्येक समूह को शिक्षणशास्त्र कार्ड का एक सेट दें। गतिविधि 2 में चिह्नित की गई प्रत्येक सामग्री को सिखाने के लिए समूह को एक तरीके/नीति को चिह्नित करने के लिए कहें।

सामग्री	पद्धति/नीति
सामग्री 1	पद्धति/नीति 1
सामग्री 2	पद्धति/नीति 2
सामग्री 3	पद्धति/नीति 3

© NCERT not to be republished

पद्धति/नीति के चयन और चयन करने की वजह प्रस्तुत करने के लिए किसी भी समूह से पूछें। प्रतिक्रियाओं के अनुसार, सामग्री और संदर्भ के आधार पर पद्धति/नीति के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

गतिविधि 5— उपयुक्त आई.सी.टी. की पहचान करना

समान समूहों के साथ गतिविधि जारी रखें। प्रत्येक समूह को आई.सी.टी. कार्ड का एक सेट दें। समूह को चयनित पद्धति/नीति को ध्यान में रखते हुए सामग्री के लिए एक उपयुक्त आई.सी.टी. को चिह्नित करने के लिए कहें।

पद्धति/नीति के चयन और चयन करने की वजह प्रस्तुत करने के लिए किसी भी समूह से पूछें। प्रतिक्रियाओं के अनुसार, सामग्री और संदर्भ के आधार पर पद्धति/नीति के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

यदि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और सहयोग के लिए संभावना है, तो परामर्शदाता निम्नलिखित तालिका बना सकते हैं और सामग्री को जोड़ने के लिए इसे समूहों के साथ साझा कर सकते हैं जिसके आधार पर चर्चा की जा सकती है।

सामग्री	पद्धति/नीति	आई.सी.टी.
सामग्री 1	पद्धति/नीति 1	आई.सी.टी. 1
सामग्री 2	पद्धति/नीति 2	आई.सी.टी. 2
सामग्री 3	पद्धति/नीति 3	आई.सी.टी. 3

समूह	सामग्री	सुझायी गई शिक्षण-अधिगम पद्धति/नीति	उपयुक्त आई.सी.टी.
समूह 1	सामग्री 1	पद्धति/नीति 1	आई.सी.टी. 1
	सामग्री 2	पद्धति/नीति 2	आई.सी.टी. 2
	सामग्री 3	पद्धति/नीति 3	आई.सी.टी. 3
समूह 2	सामग्री 1	पद्धति/नीति 1	आई.सी.टी. 1
	सामग्री 2	पद्धति/नीति 2	आई.सी.टी. 2
	सामग्री 3	पद्धति/नीति 3	आई.सी.टी. 3
समूह 3	सामग्री 1	पद्धति/नीति 1	आई.सी.टी. 1
	सामग्री 2	पद्धति/नीति 2	आई.सी.टी. 2
	सामग्री 3	पद्धति/नीति 3	आई.सी.टी. 3

© NCERT not to be republished

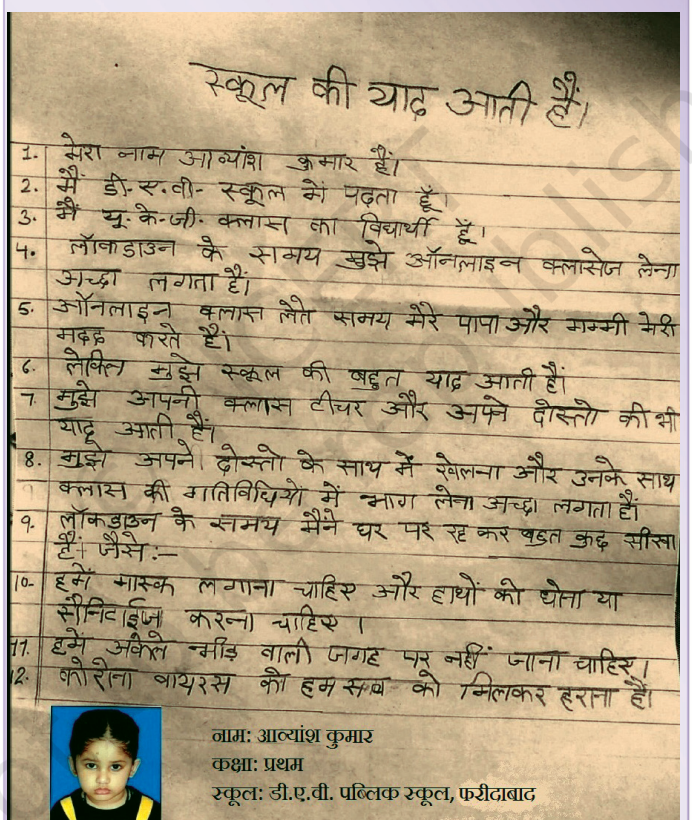
स्कूल की याद आती है।

1. मेरा नाम आव्यांश कुमार है।
2. मैं डी.ए.वी. स्कूल में पढ़ता हूँ।
3. मैं यू.के.जी. क्लास का विद्यार्थी हूँ।
4. लॉकडाउन के समय मुझे ऑनलाइन क्लासेज लेना अच्छा लगता है।
5. ऑनलाइन क्लास लेते समय मेरे पापा और मम्मी मेरी मदद करते हैं।
6. लेकिन मुझे स्कूल की बहुत याद आती है।
7. मुझे अपनी क्लास टीचर और अपने दोस्तों की भी याद आती है।
8. मुझे अपने दोस्तों के साथ में खेलना और उनके साथ क्लास की गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है।
9. लॉकडाउन के समय मैंने घर पर रह कर बहुत कुछ सीखा है। जैसे :-
10. हमें मास्क लगाना चाहिए और हाथों को धोना या सैनिटाइज करना चाहिए।
11. हमें अकेले भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए।
12. कोरोना वायरस को हम सब को मिलकर हराना है।

नाम: आव्यांश कुमार
कक्षा: प्रथम
स्कूल: डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद

आव्यांश कुमार, कक्षा— प्रथम
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल
फरीदाबाद, हरियाणा

कविता

16

किताब

रितिका*

ज्ञान का संचित कोष
किसी का संचित अनुभव हूँ।
अंधकार में रोशनी की किरण
अनगिनत कल्पनाओं का भंडार हूँ।

किसी का एहसास
तो किसी की लिखावट समेटे हूँ।
किसी की खुशबू
तो किसी का सम्मान हूँ।

सफलता का मार्ग
तुम्हारी सच्ची मित्र हूँ।
रहस्यों का भंडार
बच्चों का संसार हूँ।

बच्चों का प्रथम ज्ञान
जीवन का उपहार हूँ।
देती सबको ज्ञान
शिक्षा का आधार हूँ।

© NCERT not to be republished

* *कनिष्ठ परियोजना सहायक,* प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

- लेख सरल भाषा में तथा रोचक होना चाहिए।
- लेख की विषय-वस्तु 2500 से 3000 या अधिक शब्दों में डबल स्पेस में टंकित होना वांछनीय है।
- चित्र कम से कम 300 dpi में होने चाहिए।
- तालिका, ग्राफ़ विषय-वस्तु के साथ होने चाहिए।
- चित्र अलग से भेजे जाएँ तथा विषय-वस्तु में उनका स्थान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।
- शोध-पत्रों के साथ कम से कम सारांश भी दिया जाए।
- लेखक लेख के साथ अपना संक्षिप्त विवरण तथा अपनी शैक्षिक विशेषज्ञता अवश्य भेजें।
- शोधपरक लेखों के साथ संदर्भ की सूची भी अवश्य दें।
- संदर्भ का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. हाउस स्टाइल के अनुसार निम्नवत होना चाहिए–

  सेन गुप्त, मंजीत. 2013. *प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा*. पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली.

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध-पत्र सॉफ़्ट कॉपी (यूनीकोड में) के साथ निम्न पते पर या ई-मेल पर भेंजे –

अकादमिक संपादक
प्राथमिक शिक्षक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016
ई-मेल – prathamik.shikshak@gmail.com

© NCERT not to be republished

रजि. नं. 32427/76

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of NCERT Journals and Magazine

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	₹ 35.00	₹ 70.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य व्यापार प्रबंधक, प्रकाशन प्रभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चन्द्रप्रभु ऑफ़सेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा. लि., सी – 40, सैक्टर – 8, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

© NCERT not to be republished